दशम माला, खण्ड 33, अंक 10

शुक्रवार, 5 अगस्त 1994
14, श्रावण 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय - सूची

दशम माला, खंड 33, 11वां सत्र, 1994/1916 (शक)

अंक 10, शुक्रवार, 5 अगस्त 1994/14 श्रावण 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	181, 182, 184, 185 और 187	1-26
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	183, 186 और 188 - 200	26-40
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1794 से 1915 और 1917 से 2024	40-252
मंत्री द्वारा वक्तव्य		
बम्बई बम काण्ड		253-262
श्री एस.बी. चव्हाण		
सभा पटल पर रखे गए पत्र		262-271
याचिका समिति		271
पन्द्रहवाँ प्रतिवेदन – प्रस्तुत		
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति		271
इक्कीसवाँ और बाईसवाँ प्रतिवेदन – प्रस्तुत		

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

सभा का कार्य 271-272

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) लोक लेखा समिति 272

(दो) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 273

(तीन) लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति 273

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1994-95 - प्रस्तुत 274

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91 और 1991-92–प्रस्तुत 274

मणिपुर बजट - 1994-95 - अनुदानों की मांगें 274-292

श्री लाईता उम्ब्रे 274-276

प्रो. एम. कामसन 276-281

श्री याइमा सिंह युमनाम 282-286

श्री किरिप चालिहा 287-290

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति 290-292

मणिपुर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1994 293

पुरःस्थापित करने के लिए विधेयक

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति 293

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति 293

श्री याइमा सिंह युमनाम 293

खंड 2, 3 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव 294

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण) विधेयक 295-297

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू 295

खंड 2 से 16 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव 297

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्प संबंधी समिति 298

तैंतीसवां और चौंतीसवां प्रतिवेदन – स्वीकृत 298

गुजरात के लिए गैस के आवंटन के बारे में संकल्प 298

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ 298

कैप्टन सतीश शर्मा

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कृत्यों के विस्तार के बारे में संकल्प 299

श्री आर. अन्बारासु 299-305

श्री बी. अकबर पाशा 305-307

श्री अनादि चरण दास 307-318

श्री पी.पी. कालियापेरूमल 318-325

श्री लक्ष्मण सिंह 325-326

श्री कोडीकुन्नील सुरेश 326-327

श्री पी.सी. चाक्को 327

लोक सभा

शुक्रवार, 5 अगस्त, 1994/ 14 श्रवण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

रूस द्वारा रुपए में लिया गया ऋण

*181. **श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :**

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस द्वारा रुपए में लिए गए ऋण जिसमें पुनर्निवेश के लिए लिया गया ऋण भी शामिल है, के उपयोग के प्रश्न पर प्रधान मंत्री की हाल की रुस यात्रा के दौरान चर्चा हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या रूस ने भारतीय ऋण के एक अंश को नीलाम करने का निर्णय लिया है ;

(घ) यदि हां, तो इस नीलामी से देश को कितना घाटा होने की संभावना है ; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई कार्य योजना क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) प्रधान मंत्री की रुसी संघ की यात्रा अवधि के दौरान रुसी सरकार ने हमारे रुपया ऋण की वापसी अदायगी के एक भाग को संयुक्त उद्यम की परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रयोग करने में अपनी रूचि का संकेत दिया है। चूंकि, रूस को भारत के रुपया ऋण की वापसी आदयगी का प्रयोग इस समय केवल रूस को भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए किया जा सकता है, संयुक्त उद्यमों में निवेश संबंधित अतः सरकारी करारों तथा विभिन्न तकनीकी मामलों के संकल्पों में परिवर्तन को अनिवार्य बना देगा। तथापि, अभी तक कोई सुदृढ़ प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं तथा अभी किसी विस्तृत रूपात्मकता पर सहमति नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ विचार–विमर्श के दौरान, रूसी सरकार ने रूस को भारत की वार्षिक रुपया वापसी अदायगी के एक भाग की भावी रूसी आयातकों के मध्य नीलामी करने के अपने इरादे का संकेत दिया, जिन्हें भारत से रूस में आयात करने के अभिप्राय का अधिकार देने से पहले रूसी सरकार के खाते में रूबल जमा करने होंगे। नीलामी की यह प्रक्रिया सिर्फ भारत से आयात के अधिकार को स्थापित करेगी। रूसी सरकार ने आश्वासन दिया है कि वे रूस आयातक जो नीलामी के जरिए आयात के अधिकार को प्राप्त करेंगे उन्हें तब भी हमारे रुपया ऋण की वापसी अदायगी के प्रति रूस को सामानों के निर्यात पर विभिन्न अंतः सरकारी करारों का अनुपालन करने की आवश्यकता होगी। जहां तक भारत का संबंध है, इस प्रकार आयात अधिकार की पूरी कीमत केन्द्रीय ऋण वापसी अदायगी खाते में नामे डाल दी जाएगी, जो भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई द्वारा रखा जाता है।

श्री उदय सिंह राव गायकवाड़ : वक्तव्य में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान,

"रुस की सरकार ने हमारे रुपये–ऋण अदायगी के एक भाग को संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में निवेश करने में रूचि प्रदर्शित की थी।" परन्तु इस बारे में कुछ और बातें भी हैं तथा यह उल्लेख किया गया है कि "विभिन्न तकनीकी मुद्दों के लिए अन्तः सरकारी समझौतों तथा विनियमों" का पालन किया जाना है। उद्यम की घोषणा किये जाने के बाद यह किया जा सकता है।

मैं जानना चाहूंगा कि रूस की सरकार इस विद्युत क्षेत्र में अथवा किसी अन्य क्षेत्र में किस प्रकार के संयुक्त उद्यम की स्थापना करना चाहती है। अपने पक्ष की ओर से मैं भी यह जानना चाहूंगा कि हम किस प्रकार के उद्यम की स्थापना करना चाहेंगे।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, यह सच है कि इस देश के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा रुस की यात्रा के समय, उन्होंने इस धनराशि के एक भाग को संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में प्रयुक्त करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। तथापि, रूस की ओर से अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं और वह अभी तक चर्चा और विचार–विमर्श के चरण में ही है।

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : मेरे पहले प्रश्न का एक भाग यह था कि क्या हमारी सरकार किसी संयुक्त उद्यम की स्थापना करने पर विचार कर रही है, क्योंकि इस संबंध में हम कुछ न कुछ तो अवश्य ही सोच रह होंगे, इस बात का उत्तर नहीं मिला है।

उत्तर में यह भी कहा गया है कि चर्चा के दौरान रूस की सरकार ने यह संकेत दिया था कि "नीलामी की प्रक्रिया से केवल भारत से आयात करने के अधिकार की पुष्टि होगी। रूस की सरकार ने रूस के उन आयातकों को आश्वासन दिया है....." उन्होंने यहां पर प्रत्येक बात का उल्लेख किया है।

मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है : इस नीलामी से भारत को वास्तव में कितनी हानि होने की संभावना है? एक समय ऐसा आयेगा कि जब वे नीलामी इस कारण करेंगे, क्योंकि वे इन सभी संयुक्त उद्यमों की स्थापना करना चाहते हैं। इस नीलामी में हमारे देश को कुछ घाटा होने की संभावना है। अतः मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारे देश को कितने रुपये का घाटा होगा।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये पहले प्रश्न के संबंध में जिसमें उन्होंने यह पूछा है कि किस प्रकार के संयुक्त उद्यमों की स्थापना की जायेगी, जैसा कि मेरे सहयोगी ने पहले ही उत्तर दे दिया है, इस पूरे प्रस्ताव पर अंतरिम रूप से चर्चा की गयी थी तथा रूस की सरकार की ओर से अभी कोई ठोस सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

जहां तक हमारा संबंध है, हमारी रुचि अपने उद्यमों तथा रूस के उद्यमों के बीच वृहत्तर सहयोग स्थापित करने में है। परन्तु इन सब बातों पर अन्ततः दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों द्वारा चर्चा की जानी है क्योंकि रूस की आर्थिक व्यवस्था अब पुरानी वाली नहीं है। उनके यहां गैर–सरकारी क्षेत्र के उद्यम हैं और हमारे यहां भी ऐसे उपक्रम हैं। अतः, इस मामले पर दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों के बीच चर्चा की जानी चाहिये।

जहां तक आयात के अधिकार की नीलामी से होने वाले घाटे की राशि की बात है, यदि नीलामी का यह अधिकार रूसियों द्वारा हमें अब तक बतायी जा रही बातों के अनुरूप है, तो हमारे देश को कोई घाटा नहीं होगा। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत, रूसी संगठन अदायगी के रूप में भारत से वस्तुओं का आयात करते थे। रूस से हमने जितने ऋण लिये हैं उन सबकी अदायगी उसे भारतीय वस्तुओं का निर्यात करके की जाती रही है। इस आर्थिक व्यवस्था में अब परिवर्तन हुआ है। इसलिये रूस की सरकार चाहेगी कि रूस के उद्यम इन वस्तुओं का आयात करें। परन्तु इनमें से अनेक उद्यमों के पास संसाधन नहीं हैं। अतः, रूस की सरकार सोचती है कि इस समस्या को सुलझाने का एक उपाय आयात करने के अधिकार को नीलाम करना है। ऐसी स्थिति में रूबल रखने वाले उद्यम इसे जमा कर देंगे। यदि इस प्रकार की नीलामी प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें तो भारत सरकार को कोई घाटा नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार पटेल : महोदय, एक ओर हम रूस के उप–प्रधान मंत्री श्री यूरी यरोव के संबंध में यह खबरें पढ़ रहे हैं कि उन्होंने भारत की आशंका का समाधान किया है और इस बात से इंकार किया है कि 30 बिलियन रुपये भारतीय ऋण की पूरी राशि को नीलाम करने की योजना है और साथ ही यह भी कहा है कि केवल 30 प्रतिशत अर्थात 13 बिलियन रुपये के बराबर ऋण राशि के नीलाम करने का प्रस्ताव है और दूसरी ओर, रूस के विदेशी आर्थिक संबंध मंत्री द्वारा यह वक्तव्य दिये जाने के समाचार हैं कि वह भारतीय ऋण अदायगी के 50 प्रतिशत की प्रस्तावित नीलामी के दौरान "मिली भगत, दुर्विनियोग और अन्य गलत आचरण की संभावना" से इंकार नहीं करते। अन्तर यह है कि एक भद्र पुरूष 30 प्रतिशत कह रहे हैं और दूसरे मंत्रीजी 50 प्रतिशत कह रहे हैं।

अतः, मैं यह जानना चाहूंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है तथा नीलामी किये जाने वाले ऋण भाग के संबंध में क्या सहमति हुई है। रूस द्वारा पाश्चात्य देशों को भारतीय वस्तुओं के पुनःनिर्यात द्वारा हमारी अपनी वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर करने और इस प्रकार भारत के दुर्लभ मुद्रा के निर्यात को हानि पहुंचाने के प्रतिकार के रूप में क्या सुरक्षोपाय करने पर विचार किया जा रहा है।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि रूस इन वस्तुओं का प्रयोग अंतः सरकारी समझौतों के अनुरूप करे। जब हमने रूस के लोगों के साथ इन मामलों पर चर्चा की तो इस बात को उठाया गया और हम उनसे ऐसे प्रभावी उपाय करने की अपेक्षा करते हैं, ताकि इन

वस्तुओं का प्रयोग रूस के अन्दर ही किया जाये तथा अन्य देशों को इनका पुनः निर्यात न किया जाये।

डा. कीर्तिकेश्वर पात्र : महोदय, हमारे प्रधान मंत्री की पिछली रूस यात्रा के दौरान कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये गये हैं और भारत तथा रूस के बीच ऐसा एक दस्तावेज नागर विमानन के संबंध में हुआ समझौता है और वह संयुक्त उद्यम क्षेत्र में होगा मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि हाल ही में सम्पन्न इस संयुक्त उद्यम समझौते की निवेश अनुपात नीति क्या है।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, यह नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित प्रश्न है। मैं आदरपूर्वक अनुरोध करूंगा कि इसे मेरे सहयोगी, नागर विमानन मंत्री को संबोधित किया जाये।

डा. कीर्तिकेश्वर पात्र : मुझे क्षमा करें, मैं जानना चाहता हूं कि भारत और रूस के मध्य किसी समझौते का निवेश अनुपात क्या है। इसका उत्तर मंत्री महोदय दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : निवेश अनुपात किसके संबंध में ?

डा. कीर्तिकेश्वर पात्र : महोदय, यह किसी भी संयुक्त उद्यम के संबंध में है। मैंने एक संयुक्त उद्यम का उद्धरण दिया जिस पर हाल ही में हस्ताक्षर किये गये हैं और इसका पंजीकरण भी किया जायेगा। इसी कारण मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि संयुक्त उद्यम में भारत और रूस के मध्य निवेश अनुपात क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई हो तो।

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, यह प्रत्येक परियोजना में भिन्न होगा और, जैसा मैंने कहा यह दोनों देशों के व्यापार समुदायों के मध्य चर्चा का विषय हैं सभी संयुक्त उद्यमों के बारे में बेलोच उत्तर नहीं हो सकते। उन्हें भारत में विदेशी निवेश के संबंध में समग्र नीति के अनुरूप होना पड़ेगा।

श्री के. बुलसिऐया वान्डायर : महोदय, पूर्व सोवियत संघ से मुख्यतः प्रतिरक्षा संबंधी फालतू पूर्जों तथा उपकरणों और इस्पात संयंत्र के अवयवों का आयात आयात किया जाता था क्या सरकार रूसी संघ के साथ रक्षा बलों की आवश्यकता के फालतू पुर्जों और उपकरणों के आयात का दायरा बढ़ाने की संभावना पर विचार करेगी? साथ ही, इस संबंध में भारत और रूस के मध्य क्या क्या गठजोड़ हुए हैं? क्या हमारी सरकार के लिए रूसी ऋण को रुपये–रुबल समझौते के अनुरूप एक चरणबद्ध ढंग से समाप्त करना विवेकपूर्ण नहीं होगा?

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, ऋण की अदायगी अन्तः सरकारी समझौते के अनुरूप की जानी है। इस पर पहले ही 1993 में सहमति हो चुकी है और हमारा विचार इस अन्तः सरकारी समझौते में लिखित पेटर्न का पालन करने का है।

प्रतिरक्षा आयात के संबंध में, यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हमें रूस से जो भी फालतू पुर्जे मिल सकते हैं हमें उन्हें प्राप्त करना चाहिए।

श्री बी. अकबर पाशा : अध्यक्ष महोदय, पूर्व सोवियत संघ को बहुत सी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था और सोवियत संघ के विघटन के बाद, भारतीय आयातकों को विशाल धनराशि का

भुगतान किया जाना था। यह डेढ़ वर्ष से अधिक समय के पश्चात हुआ और निर्यातकों को बैंकों को ब्याज तथा कभी–कभी दण्डात्मक ब्याज का भुगतान भी करना पड़ा। क्या सरकार उन पोत मालिकों को सहायता देने हेतु कुछ करने जा रही है जिन्हें हानि हुई है। उनमें से कुछ लोगों को अपना कारोबार बंद करना पड़ा है। क्या सरकार ने भूतपूर्व सोवियत संघ अथवा किसी रूसी गणतंत्र के साथ अदा किए गए ब्याज की क्षतिपूर्ति और जो उन्हें हानि हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई बातचीत की है?

श्री मनमोहन सिंह : महोदय यह प्रश्न निर्यातकों के संबंध में है। मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न कृपया वाणिज्य मंत्री से पूछा जाए। इस प्रश्न के संबंध में मेरे पास ब्यौरा नहीं है।

विदेशों में पर्यटन कार्यालय

***182. कुमारी सुशीला तिरिया :**

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन विभाग के विदेशों में कार्यरत कार्यालयों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन कार्यालयों की गत तीन वर्षों के दौरान क्या–क्या उपलब्धियां रहीं ;

(ग) क्या इनका कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे कुछ और नए कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये कार्यालय कहां–कहां खोले जाएंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय (पर्यटन विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती सुखवंस कौर) : (क) से (घ) एक विवरण–पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विदेश स्थित 18 पर्यटक कार्यालयों की सूची अनुबंध-1 में देखने की कृपा करें।

(ख) से (घ) जी, हां। पर्यटकों के आगमन से सकारात्मक रूख का पता चलता है। वर्ष–वार आंकड़े निम्नानुसार हैं :

1991-92	1781892
1992-93	1820239
1993-94	1871262
1994-95 (अप्रैल/जून)	387592

अनुमानित विदेशी मुद्रा आय में भी वृद्धि हुई है। वर्ष वार आंकड़े निम्नानुसार हैं :

	(रु. करोड़ों में)
1991-92	3318.60
1992-93	3989.50
1993-94	4572.71
1994-95 (अप्रैल/जून)	979.16

इन कठिनाइयों के बावजूद, उनका कार्य–निष्पादन संतोषजनक रहा है इन कार्यालयों के कार्य–निष्पादन की जांच करना एक सतत प्रक्रिया है।

(ङ) जी, हां। सरकार का कुल बजट प्रावधानों और विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों को चलाने के लिए स्वीकृत स्टॉफ से निम्नलिखित स्थानों में नए कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। नए कार्यालय निम्नलिखित देश/क्षेत्र में होंगे :

अवस्थिति	देश/क्षेत्र
सियोल	कोरिया
जोहानिसबर्ग	दक्षिण अफ्रीका
ताशकंद	सी आई एस देश
तेल अवीव	इजरायल

अनुबंध

इस समय विदेशों में 18 कार्यालय हैं जिनके अंतर्गत निम्नलिखित देश आते हैं

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	कार्य क्षेत्र	अधिकारियों की संख्या				
			भारत से गए अधिकारियों की संख्या				स्थानीय कर्मचारियों की संख्या
			क्षे.नि.	निदेशक.	स.नि.	सू.स.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	न्यूयार्क	संयुक्त राज्य मैक्सिको, वेस्ट इंडीज (जमैका, हैती					
2.	लॉस एंजेल्स	डोमेनिको गणराज्य, सैन जौन, पोर्ट–औ प्रिंस,	1	1	2	1	5
		सैन्टो डोमिंगो, लीवार्ड, आईलैंड्स, गौडेलोपो	-	1	1	-	3
		मार्टिनीक, बार्बाडोस, ट्रिनिडाड, कुआकाओ, विंडवार्ड आईलैण्ड्स) बेलिज, गाटेमाला, होन्डुरस, निकारागुआ, पनामा, कोस्टारिका, कोलम्बिया, बेन्जुएला, गुयाना, सूरीनाम, पेंच, गुयाना इक्वाडोरपेरू बोलीविया, पैराग्वे चीली, उरुगुए, अर्जेंटाइना, ब्राजील					
3.	टोरोंटो	कनाडा, ग्रीनलैण्ड।	-	1	-	1	1
4.	लंदन	इंग्लैण्ड वेल्स, स्काटलैण्ड, रिपब्लिक ऑफ आयर जिब्राल्टर।	1	-	1	1	3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	जेनेवा	स्विटजरलैण्ड।	-	1	-	-	1
6.	मैड्रिड	स्पेन, पुर्तगाल।	-	-	1	-	1
7.	पैरिस	फ्रांस, मोरक्को, अल्जेरिया, टयूनिसिया, सेनेगल, * कोस्ट, माली गाम्बिया, गिनी, बिसाऊ, गिनी, सीरा, लियोन, अपर वोल्टा, लाइबेरिया, आइवरी *, नाइगर, केमेरुन, गैबन, कांगों, घाना, टोगों, चाड सेन्ट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जायरे, अंगोला बेनिन, पश्चिमी सहारा, मौरीटेनिया, मोनाको। नाइजीरिया	-	1	1	1	-
8.	फ्रेंकफर्ट	जर्मनी, पोलेण्ड, आस्ट्रिया, इजरायल, चेकोस्लोवाकिया हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, लाटिबिया लिथुआनिया, इस्टोनिया, उक्रेन, रूस, बेलोरूसिया, नोल्डाबिया, जोर्जिया, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान,* अजरबेजान, * तजाकिस्तान अज्बेकिस्तान, किर्जीजिया।	1	-	1	-	3
9.	स्टाकहोम	स्वीडन,नार्वे, डेनमार्क, फिनलैण्ड, आइसलैण्ड।	-	-	1	-	2
10.	अमरस्टर्डम	नीदरलैण्ड्स, बेल्जियम, लक्समबर्ग।	-	1	1	1	1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11.	मिलान	इटली, लीबिया, ग्रीस, सर्विया, क्रोसिया, स्लावेनिया, बोसिनिया, हर्जेगोविनिया, मैसिडोनिया, माल्टा, क्रीट साइपरस।	-	-	1	-	1
12.	दुबई	सउदी अरेबिया, टर्की, ईरान, सीरिया।	-	1	1	-	4
13.	बेहरीन	लेबनान, जोर्डन, कुवैत, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन मिश्र, सूडान, इथोपिया, सोमालिया, केन्या, तन्जानिया, युगान्डा, जाम्बिया, मोजाम्बिक, जिम्बाम्बे, नामीबिया, मेडागास्कर वोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका।	-	-	1	-	-
14.	सिडनी	आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, फिजी आइलैण्ड्स।	-	1	1	1	4
15.	टोक्यो	जापान, चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान।	1	-	2	-	4
16.	सिंगापुर	सिंगापुर, हांगकांग, फिलीपीन्स, इन्डोनेसिया।	1	-	1	-	2
17.	कुआलालम्पुर	मलयेशिया, ब्रुन्नी	-	1	-	-	2
18.	बैंकाक	थाईलैण्ड, कम्पूचिया, लाओस, वियतनाम।	-	1	-	-	1

कुमारी सुशीला तिरिया : महोदय, माननीय मंत्री ने 1991-92 से 1994-95 तक के आंकड़े दिये हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 1993-94 में जितने विदेशी पर्यटक आए उनकी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत कम है। पचास लाख अंतराष्ट्रीय पर्यटकों में से केवल 17.2 लाख पर्यटक भारत आए और उनमें से अधिकांश खाड़ी देश के थे। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेश स्थित हमारे पर्यटन कार्यालयों में भारत आने वाले पर्यटकों की सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था है। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या खाड़ी देशों में और अधिक पर्यटन कार्यालय खोलने पर बल दिया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक पर्यटक भारत आएं।

श्रीमती सुखबंस कौर : महोदय, उन देशों में पर्यटन कार्यालय हैं जहां से हमारे देश में अधिक से अधिक पर्यटक आते हैं। हमारे पर्यटन कार्यालय वहां ट्रैवल एजेंट का कार्य नहीं करते हैं। वे वहां यात्रा संचालकों तथा ट्रैवल एजेंटों को विज्ञापन सहायता, साहित्य और फिल्मों आदि की भी मदद देकर सामंजस्य बनाए रखते हैं। अतः हमें मूल रूप से उन देशों के ट्रैवल इन्डस्ट्री के साथ सामंजस्य बनाए रखना है। जहां तक खाड़ी देशों का संबंध है यह सच है कि अयोध्या घटना के पश्चात इन देशों से पर्यटकों के आगमन में कमी आई है और हम उन देशों से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं।

कुमारी सुशीला तिरिया : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने गत विदेश दौरे के दौरान 32 देशों की यात्रा की। अतः मैं यह जानना चाहती हूं कि उक्त दौरे के दौरान क्या मंत्री जी ने देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए इन देशों में पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से कोई प्रोत्साहन वध कि उपाय किए हैं, क्योंकि पर्यटकों का आगमन अयोध्या घटना और मुम्बई बम विस्फोट की घटना से बाधित हुआ है। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि विदेश स्थित पर्यटन कार्यालय अपना कार्य करने में अक्षम हैं तथा अपने कार्यालय से पर्यटकों को भारत के बारे में कोई जानकारी देने में असमर्थ हैं। उन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों में क्षमता की कमी के संबंध में माननीय मंत्री ने क्या उपाय किए हैं।

श्रीमती सुखबंस कौर : महोदय, माननीय मंत्री की यात्रा शिष्टमंडल के रूप में हुई थी जिसमें पर्यटन और नागर विमानन विभाग के अधिकारी शामिल थे। राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, यात्रा उद्योग के सदस्य, होटल उद्योग तथा एयर इंडिया को भी इस शिष्ट मंडल में शामिल किया गया था। भारतीय दूतावास प्रत्येक स्थान पर निश्चित रूप से जुड़ा हुआ था। इन दौरों में देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक, वहां के पर्यटन मंत्री तथा यात्रा और व्यापार उद्योग के प्रतिनिधि के साथ बैठक शामिल थी। कुछ मामलों पर चर्चा हुई और मेजबान देशों के अधिकारियों से भी हम मिले। यह मंत्री स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्र कुल देशों, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमरीकी देशों का प्रथम दौरा था। इस दौरे के सरकारी तथा उद्योग के स्तर पर उपयोगी परिणाम निकले तथा एक सुरक्षित तथा आकर्षक गंतव्य के रूप में भारत के बारे में उन्हें जानकारी मिली।

जहां तक पर्यटन कार्यालयों की अक्षमता का संबंध है मैं यह कहना चाहूंगी कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। माननीय मंत्री ने इन पर्यटन कार्यालयों का दौरा किया था और उन्हें बेहतर

बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं। लेकिन मैं यह नहीं कहती कि वे पूरी तरह अप्रभावी हैं। पर्यटकों का आगमन यह दर्शाता है कि वे अपना कार्य अच्छी तरह कर रहे हैं।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न समाचार पत्रों में कई बार यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि मंत्री कई देशों के दौरे पर हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं ने और मेरे सहयोगी तथा अधिकारियों ने जो दौरा किया है वह क्रैश कार्यक्रम जैसा था क्योंकि अयोध्या घटना, मुम्बई बम विस्फोट की घटना तथा देश के विभिन्न हिस्सों में कानून और व्यवस्था की स्थिति का हमें दुर्भाग्यवश सामना करना पड़ा। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तथा यात्रा और व्यापार समुदाय में भी यह विश्वास पैदा करना पड़ा कि भारत अब भी सबसे सुरक्षित देश है। अतः यहां यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि गत वर्ष, जिन देशों का हमने दौरा किया था उसके परिणाम अब आए हैं तथा इन देशों से पर्यटकों के आगमन में 20 से 51 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

श्री के. प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में यह बताया है कि पर्यटन आगन्तुकों के लिए विदेशों में 18 कार्यालय कार्यरत हैं। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि विदेश स्थित इन कार्यालयों में हमारे देश के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले कार्यालय कौन–कौन से हैं। क्या इस राजस्व में और अधिक वृद्धि होने की कोई गुंजाइश है?

श्रीमती सुखबंस कौर : कार्यालय–वार कौन सी कार्यालय अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, यह कहना अत्यंत कठिन है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका विश्लेषण करके उन्हें दे सकते हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : कार्यालय को राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है। मुझे यह एक बात स्पष्ट करनी है। पर्यटन मंत्रालय को देश में पर्यटकों के आने के बदले में कोई राशि नहीं मिलती है। सबसे अधिक पर्यटक ब्रिटेन से आते हैं। स्वाभाविक रूप से इसका श्रेय ब्रिटेन के कार्यालय को मिलना चाहिए। दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमरीका है और इस प्रकार अन्य देश हैं।

विदेशी मुद्रा पर्यटन कार्यालय को नहीं बल्कि भारत सरकार अथवा सम्बन्धित देश को ही मिलती है।

श्री अनादि चरण दास : अन्य देशों से पर्यटकों के आगमन को बढ़ाने के लिए क्या सरकार का विचार इस कार्य को कमीशन के आधार पर किसी एजेन्सी को सौंपने का है?

श्रीमती सुखबंस कौर : ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। विदेश स्थित हमारे कार्यालय अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं। इनसे अब तक 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और हम 18 प्रतिशत वृद्धि की आशा करते हैं। छह महीने की अवधि में हमने अच्छा कार्य किया है।

अध्यक्ष महोदय : पर्यटन पहले से ही निजी क्षेत्र में हैं।

[अनुवाद]

हथकरघा तथा दस्तकारी वस्तुएं

*184. **श्रीमती वसुंधरा राजे :**

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हथकरघा तथा दस्तकारी वस्तुओं के निर्यात के लिये गत तीन वर्षों के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा उसकी कहां तक पूर्ति हुई ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान हथकरघा तथा दस्तकारी वस्तुओं के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य रखा गया है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है ;

(घ) क्या राजस्थान में उत्पादित ऐसी किन्हीं वस्तुओं के निर्यात का विचार किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ) एक विवरण–पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

(क) और (ख) संबद्ध ब्यौरे निम्न अनुसार हैं :

(आकंड़े मिलियन अमरीकी डालर में)

	1991-92			1992-93			1993-94		
	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत लक्ष्य उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्र.श. लक्ष्य उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्र.श. लक्ष्य उपलब्धि
सूती हथकरघा फैब्रिक और मेड–अप्स	201	275.22	136.9	316	356.89	112.9	410.56	413.75	100.8
हस्तशिल्प	650	729.22	112.2	839	830.04	98.9	946.83	1071.30	113.1

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान सूती हथकरघा फैब्रिक और मेड–अप्स और हस्तशिल्प मदों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 475 मिलियन अमरीकी डालर, तथा 1234 मिलियन अमरीकी डालर हैं। ऐसी आशा है कि ये लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे।

(घ) और (ङ) भारत से निर्यात की गई हथकरघा और हस्तशिल्प की मदों में राजस्थान में निर्मित मदें भी शामिल हैं। राजस्थान से निर्यात की गई मदों में टाई और डाई टैक्सटाईल्स, पौराणिक परिधान (भारत की मदें), पत्थर पर नकाशी, काष्ट, अस्थि, चर्म, धात्विक हस्तशिल्प, ऊनी कालीन तथा दरियां आदि शामिल हैं।

श्री एस.बी. सिदनाल : इस देश में हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में प्राप्त होने वाले लक्ष्य के आंकडों को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग इन्हीं दो क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यह क्षेत्र इसलिए भी महत्वपर्ण है क्योंकि यह रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कौन से विशेष कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न हैंडीक्राफ्ट के लिए किया गया है। यह मैंने बताया है कि लांग टर्म के लिए 200-300 परसेंट का टार्गेट हमने फिक्स किया है खासतौर से माननीय सदस्य का सवाल यह है कि इसको और इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि राज्यों में हमने क्राफ्टसमैन की ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए काम शुरू किया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 50 लाख क्राफ्टसमैन हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं। इसी तरह से कारपेट के एक्सपोर्ट में भी बहुत सारी बाधाएं हुई हैं। इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैं फीगर्स को रिपीट नहीं करना चाहता हूं, यदि कोई खास फीगर है तो मैं उनको बता सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.बी. सिदनाल : मुझे इस बात की खुशी है और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। परन्तु अपने मंत्री से मेरा विशेष अनुरोध यह है कि ये दो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील हैं। यह निर्यातोन्मुख क्षेत्र भी हैं।

परन्तु कई बार धागे की सप्लाई नहीं हो पाती। हालांकि विभिन्न सहकारी क्षेत्रों में अनेक केन्द्रों की स्थापना की गई है। परन्तु वे गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं जिससे कि उन्हें समय पर धागे मिल सकें।

इसलिए, वे अधिकांश समय बेरोजगार ही रहते हैं। इस तथ्य की जानकारी भारत सरकार को कई बार दी गई। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बुनकरों को अपर्याप्त धागे की सप्लाई से संबंधित इस शिकायत को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि

आठवें फाइव इयर प्लान में प्राइम मिनिस्टर ने इसमें खास तौर से इंटरस्ट लिया कि एग्रीकल्चर लेबर के बाद हैंडलूम विवर्स के लिए हमको कुछ करना चाहिये। सातवें फाइव ईयर प्लान में तीन सौ करोड़ रुपया वेलफेयर के लिए था। माननीय सदस्य ने जो हैंडलूम विवर्स के लिये सवाल किया है वह बिल्कुल ठीक है कि उनको हैंकयार्न पहुंचाना बहुत जरूरी है और खास तौर से डाइज, कलर्स की सप्लाई उनको ठीक तरह से की जाये तो वे लोग अच्छी तरह से अपना वेज कमा सकते हैं। आबिदहुसैन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हैंडलूम डेवलपमेंट सेन्टर्स विवर्स की पोजिशन बहुत ही खराब है। इसलिये तीन हजार सेंटर हैंडलूम हैंकयार्न हैंडलूम वर्कर्स के लिये गवर्नमेंट ने शुरू किये हैं, और काम शुरू भी हो गया है। उसी तरह से पांच सौ सेंटर्स डाइज के शुरू किये हैं, विवर्स के लिये खास तौर से हैंकयार्न और डाइज का मिलना बहुत जरूरी है यह काम शुरू हो गया है। यही नहीं रूरल डेवेलपमेंट से 682 करोड़ लिया, जो मजदूर के पास, बुनकर के पास लूम नहीं है उनको 3 लाख 75 हजार लूम्स आई आर डी पी के तहत लोन देकर एम्पलायमेंट दिलाने का भी स्कीम हमने शुरू किया है। हाउसिंग स्कीम भी शुरू किया है और साथ ही साथ उनको मार्केटिंग के एक्सपोर्ट के लिये भी तय किया है। इस तरह से उनका स्टैण्डर्ड कास्ट ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है और ज्यादा अच्छे से अच्छा कपड़ा बनाने की तरफ गवर्नमेंट उनको स्कीम दे रही है। आज एक्सपोर्ट 13 सौ करोड़ रुपए हैंडलूम का है उसको हम और आगे बढ़ाने के लिये पूरी कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री डी.के. नायकर : महोदय, कहा जाता है कि भेडों को उनके प्रजनन के अनुपात से अधिक काटा जाता है, इसलिए ऊनी वस्तुओं के निर्यात में प्रति वर्ष कमी आती जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है और निर्यात में वृद्धि के लिए वह क्या कदम उठाएंगें।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि रशिया को हमारा वूलन ज्यादा जाता था। अभी दो साल से जरा पीछे हो गया है और इस साल फिर पिक अप किया है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हम एक्सपोर्ट के लिए और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

[अनुवाद]

डा. एन. मुरूगेसन : महोदय, हथकरघा निर्मित तथा मिल निर्मित वस्त्र उत्पादन में तमिलनाडु का स्थान पहला है। तमिलनाडु में मेरे चुनाव क्षेत्र करूर, तिरूपुर तथा ऐसे अनेक स्थानों में हथकरघा निर्मित वस्तुओं का उत्पादन अधिक होता है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री से अपने क्षेत्र में निर्यात संवर्धन केन्द्र खोलने का अनुरोध किया था जिससे कि लघु उद्योग क्षेत्र में हथकरघा से तैयार होने वाली वस्तुओं के उत्पादन में लगे लोगों को लाभ मिल सके और विचौलियों तथा दलालों को होने वाले लाभ को रोका जा सके। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह मेरे क्षेत्र में निर्यात संवर्धन केन्द्र खोलने जा रहे हैं।

श्री जी. वेंकट स्वामी : महोदय , तमिलनाडु में पहले से ही एक हथकरघा वस्त्र, निर्यात संवर्धन परिषद है।

अध्यक्ष महोदय : वह पूछ रहे हैं कि क्या आप उनके क्षेत्र–उनके चुनाव क्षेत्र में ऐसी किसी परिषद का गठन करेंगे ?

श्री जी. वेंकट स्वामी : महोदय, हम चुनाव क्षेत्र–वार इनकी स्थापना नहीं कर सकते।

डा. एन. मुरूगेसन : महोदय, मद्रास में पहले से ही एक निर्यात संवर्धन केन्द्र है परन्तु मिल वाले कपड़े तथा हथकरघा वस्तुओं का उत्पादन करने वाले अधिकांश केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कपड़ा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वाराणसी में बनारसी साड़ियां और भदौही में बना हुआ कारपेट, वाराणसी के बने हुए लैंपशैड तथा मिर्जापुर में लकड़ी के खिलौने और पीतल के सामान की विदेशों में काफी मांग है। जब वहां विदेशी आते हैं तो इन सामानों में काफी रूचि लेते हैं। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 13 करोड़ की हमारी सप्लाई पूरे देश में है, मैं समझता हूं कि आधे से अधिक इन्हीं सब सामानों की विदेशों में सप्लाई हो सकती है लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ ऐसी पॉलिसी है तथा सरकार की भी कुछ ऐसी नीति है कि इसके बनाने वाले जो छोटे–छोटे कारीगर हैं वे भी सप्लाई करना चाहते हैं लेकिन वे सप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि बीच में बिचौलिये खा जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई सुव्यवस्था आप वाराणसी क्षेत्र में करने जा रहे हैं जिससे कि इन छोटे–छोटे निर्माताओं को सीधे प्रोत्साहन मिले और ये अपना माल विदेशों में रूचि के मुताबिक सप्लाई कर सकें **(व्यवधान)**

श्री जी. वेंकट स्वामी : अध्यक्ष महोदय, मैं ये सारी फीगर्स माननीय सदस्य को दे देता हूं। खास तौर से हैंडीक्राफ्ट्स का जो इनक्रीस हुआ वह लगभग दो तीन सौ परसैंट हुआ है तो आज हम 3300 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि कॉटन यार्न में 1664.17 करोड़ का हमारा अगले साल का एक्सपोर्ट टारगेट है। कॉटन फैब्रिक्स और मेड–अप्स के लिये 3764.40 है, उसी तरह से कॉटन हैंडलूम फैब्रक एंड मेड–अप्स का 1419.08 है।

मैनमेड फाइबर टैक्साटाइल में 2026.50, वूलन टैक्सटाइल में 726.22, सिल्क टैक्सटाइल में 831.31 रेडीमेड गारमेंण्ट्स में 13,371.14, हैण्डीक्राफ्ट्स में 3,871 और इसी तरह से जूट में 345.07 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट हुआ। तीन साल के अन्दर हमने एक्सपोर्ट 151% बढ़ाकर 23,014 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट किया है। टोटल एकसपोर्ट में टैक्सटाइल मिनिस्ट्री का ही 26 परसेण्ट एक्सपोर्ट हुआ है, जिसमें आनरेबल मैम्बर ने जो सवाल किया है, उसमें कारपैट्स में भी काफी इम्प्रुवमेंट हुआ है और बनारसी साड़ियों का भी काफी एक्सपोर्ट हुआ है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि निर्यात में कमी आती जा रही है क्योंकि वर्ष 1992-93 में यह 112 प्रतिशत था जबकि इस वर्ष यह 100 प्रतिशत है। मेरे विचार से इसका एक कारण विदेशों में विशेषरूप से पश्चिमी यूरोपीय देशों में कपड़े का फैशन बदलना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फैशन शुरू करने वाला कहते हैं जो दो तीन वर्ष पूर्व ही आने वाले वर्षों के लिए फैशन बनाते हैं और अन्य सभी देश उन फैशन चलाने वालों की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं।

क्या सरकार हमारे बुनकरों को भी पश्चिमी यूरोपीय देशों के उन फैशन प्रवर्तकों द्वारा दी गई सुविधायें और जानकारियां उपलब्ध करायेगी जिससे कि उन्हें ऐसी चीजें काफी पहले बनाने में समर्थ बनाया जा सके और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र दूसरे देशों को निर्यात किया जा सके।

[हिन्दी]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : अध्यक्ष जी, हैण्डलूम और हैण्डीक्राफ्ट्स के लिए हमने काफी देशों के अन्दर फेयर्स में पार्टीसिपेट करने के लिए वीवर्स आर्गेनाइजेशंस को और हैण्डीक्राफ्ट्स आर्गेनाइजेशंस को पार्टीसिपेशन के लिए भेजा है। सिर्फ यही नहीं, हमने यहां पर इण्टरनेशनल एग्जीबीशन शिफ्ट्स और हैण्डीक्राफ्ट्स की आर्गनाइज की, जिसमें 900 बायर्स यहां पर आये और तीन दिन के अन्दर 300 करोड़ रुपये का आर्डर देकर गये हैं। हम हैण्डलूम सैक्टर में और हैण्डीक्राफ्ट्स सैक्टर में काफी फैसिलिटी दे चुके हैं और आगे भी दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री विजय कृष्ण हान्डिक : अध्यक्ष महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के हस्तशिल्प और हथकरघा–निर्मित वस्तुओं की निर्यात क्षमताओं को वांछित प्रोत्साहन नहीं दिया जा सका है। मेरा कहना यह है कि इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र के हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्मित वस्तुओं के प्रोत्साहन के लिए कोई विशेष योजना है?

अध्यक्ष महोदय : आप इस सुझाव पर विचार कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री पी. वेंकट स्वामी : हैंडलूम की ट्रेनिंग के लिए विशेषकर नार्थ–ईस्ट में एक सेंटर कायम किया गया है। यह सही है कि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा हैंडलूम वीवर्स नार्थ–ईस्ट में हैं। उनके लिए यह सेंटर कायम किया गया है ताकि उनमें और सुधार लाया जा सके। हैंडीक्राफ्ट्स में भी कार्यवाही जारी है।

[अनुवाद]

डा. के.वी.आर. चौधरी : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि "गैट" के प्रभावी होने के बाद निर्यात क्षमता कितनी होगी और वस्त्र मंत्रालय विदेशों को अपना निर्यात बढ़ाने कि लिए क्या कदम उठा रहा है?

अध्यक्ष महोदय : यह अत्यन्त बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर संक्षेप में दिया जा सकता है कि सभी संभव कदम उठाए जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं लिखकर भेज दूंगा।

[हिन्दी]

प्रशिक्षु पायलट

*185. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में, केन्द्रवार कितने पायलट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) इस पाठ्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की जाती है ; और

(घ) इसमें महिला प्रशिक्षुओं की संख्या कितनी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) एक अनुबंध संलग्न है।

(ख) निजी पायलेट लाइसेंस (पी.पी.एल) और वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (सी.पी.एल.) प्राप्त करने के लिए फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की कोई निश्चित कालावधि नहीं है। यह मुख्यतः प्रशिक्षु की प्रगति, विमानों और अनुदेशकों की उपलब्धता तथा फ्लाइंग क्लब/संस्थान में पंजीकृत प्रशिक्षुओं की संख्या पर भी निर्भर करता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्नुआ), पी.पी.एल. के बाद सी.पी.एल. के लिए प्रशिक्षण देने हेतु लगभग 18 से 30 महीने लगाती है।

निजी संस्थान पी.पी.एल. और सी.पी.एल. के लिए प्रशिक्षण देने हेतु 12 से 18 महीने लेते

(ग) उड़ान प्रशिक्षण के संबंध में प्रशिक्षु द्वारा सामान्यतः निम्नानुसार लगभग व्यय वहन कि जाता है :

I	पी.पी.एल और सी.पी.एल. के लिए फ्लाइंग क्लब	-2.50 लाख रुपये
II	पी.पी.एल. के बाद सी.पी.एल. के लिए इग्रुआ	-4.00 लाख रुपये
III	पी.पी.एल. और सी.पी.एल. के लिए निजी संस्थान	-3.75 लाख रुपये

(घ) विभिन्न फ्लाइंग क्लबों/संस्थानों में 135 महिला प्रशिक्षु पायलेट प्रशिक्षण पा रही हैं।

विभिन्न केन्द्रों में प्रशिक्षुओं की सूची

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	कुल प्रशिक्षु
1.	दिल्ली फ्लाइंग क्लब, दिल्ली	28
2.	करनाल एवीएशन क्लब, करनाल	43
3.	हिसार एवीएशन क्लब, हिसार	23
4.	पिनजोर एवीएशन क्लब, पिनजोर (हरियाणा)	30
5.	पटियाला एवीएशन क्लब पटियाला (पंजाब)	36
6.	अमृतसर एवीएशन क्लब, अमृतसर	18
7.	नॉर्थन इंडिया फ्लाइंग क्लब, जालंधर	10
8.	लुधियाना एविएशन क्लब, लुधियाना	30
9.	राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, जयपुर	31
10.	गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर, लखनऊ (ब्रांच सहित)	36
11.	बिहार फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर, पटना	27
12.	जमशेदपुर कोपरेटिव फ्लाइंग क्लब, जमशेदपुर	18
13.	मध्यप्रदेश फ्लाइंग क्लब, इंदौरा ब्रांच	62
14.	गुजरात फ्लाइंग क्लब, बड़ौदा	40

15.	बंबई फ्लाइंग क्लब, बंबई	35	
16.	गर्वनमेंट फ्लाइंग ट्रैनिंग स्कूल, बंगलौर	49	
17.	आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब, हैदराबाद	36	
18.	मद्रास फ्लाइंग क्लब, मद्रास	33	
19.	गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर, भुवनेश्वर	30	
20.	गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, वोहाला, कलकत्ता	35	
21.	नागपुर फ्लाइंग क्लब, नागपुर	30	
22.	केरल एविएशन एकेडमी, त्रिवेन्द्रम	25	
23.	औरंगाबाद फ्लाइंग क्लब, औरंगाबाद		सेवा योग्य विमान के अनुदेशक को गैर उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न कारणों से कार्य नहीं कर रहे हैं।
24.	वनस्थली विद्यापीठ बनस्थली, राजस्थान		
25.	असम फ्लांग क्लब, गुवाहाटी		
26.	अंडमान और निकोबार फ्लाइंग क्लब, बोर्टब्लेयर		
27.	कोयम्बतूर फ्लाइंग क्लब, कोयम्बतूर		
28.	इंदरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज	28	
29.	उड़ान रिसर्च एंड फ्लाइंग इस्टीच्यूट, इंदौर	45	
30.	बंगलौर एरोनोटिक्स एंड टेक, सर्वि. बंगलौर	13	
31.	अहमदाबाद एविएशन अकादमी, अहमदाबाद	05	
		796	

* क्रम सं. 29. 30. 31 पर अंकित संस्थान/फ्लाइंग क्लब निजी क्षेत्र हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, इस समय मुझे यह सूचित करते हुए खेद है कि प्रश्न के भाग (ग) में एक गलती रह गयी है, उसमें एक बात छूट गई है। जहां तक पी.पी.एल. और सी. पी.एल. के लिए निजी संस्थानों के संबंध में प्रश्न के भाग (ग) का संबंध है, इसे 3.75 लाख रुपये से 5 लाख रुपये पढ़ा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रशिक्षुओं पर ये व्यय करते हैं क्या उसके अतिरिक्त भी सरकार का खर्चा आता है? इसके अतिरिक्त

में यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार ने निजी क्षेत्र में विमान चलाने की अनुमति दी है, उसमें इंडियन एयरलाइंस के पायलट अपनी नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। उन पर जो खर्चा आता है क्या उसको वसूल करने के लिए सरकार द्वारा कुछ किया जा रहा है और उनको रोकने के लिए उनकी तरख्वाह बढ़ाने या अन्य सुविधायें देने का भी क्या प्रयास किया जा रहा है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : दो अलग–अलग सवाल हैं। फ्लाइंग क्लब्स में हमारी सब्सिडी है। हमारे देश में 31 फ्लाइंग क्लब हैं और चार शाखायें हैं, कुल मिलाकर 35 हैं। इनमें से एक सरकार का है। एक इंदिरा एग्रुआ है और तीन निजी हैं। इन चारों को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिलती है। बाकी को पी.पी.एल. हैल्डर में पहले 60 घंटे के लिए चार करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलती है। वह अच्छी खासी मिलती है। हरेक स्टूडेंट को एक घंटे के लिए 150 रुपये देने पड़ते हैं, पी.पी.एल. होल्डर के लिए सरकार 601 रुपया देती है। जहां तक इंडियन एयरलाइंस से लोगों के पलायन की बात है तो पिछले एक–दो साल से जब से उदारीकरण की नीति शुरू की है तब से इंजीनियरिंग लाइन में 120 के करीब पायलट इंडियन एयरलाइंस छोड़कर निजी एयरलाइंस में चले गये हैं। हर पायलट को ट्रेंड करने के लिए कमांडर बनाने के लिए सरकार का 40 से 50 लाख रुपया खर्च आता है। और पिछले एक साल में हमने कुछ निर्णय लिये हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों के जाने में कमी हुई हैं। जब शुरू शुरू मे रूल्स अमेंड नहीं हुये थे तो काफी संख्या में चले गये और कोई भी पायलट एक महीने का नोटिस देकर जा सकता था लेकिन सर्विस रूल्स में तबदीली के बाद अब 6 महीने का नोटिस देना पड़ता है। जो बांड देना पड़ता है, उसको भी बढ़ाकर 10 लाख का कर दिया गया है। इसी तरह से डी.जी.सी.ए. ने तमाम आप्रेटर्स को बुलाकर एक मीटिंग में बताया है कि कोई भी आप्रेटर दूसरे आप्रेटरर्स के पायलट या इंजीनियर्स नहीं लेंगे। इंडियन एअरलाईन्स में एक प्रॉडक्टिव लिंक स्कीम बनायी गयी है जिसके तहत जो ज्यादा फ्लाई करेंगे, उसको ज्यादा पैसा मिलेगा और यही वजह है कि पायलट इंडियन एअरलाईन्स से रूके हुये हैं।

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये हैं, उनमें 796 पायलट में से 135 महिलायें हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महिलाओं को और बढ़ावा देने के लिए सरकार कया कदम उठा रही है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, आप सुनकर हैरान होंगे कि पिछले 40 सालों में कोई महिला पायलट नहीं थी और अब उनकी संख्या 135 है हम आशा करेंगे कि आने वाले समय में ज्यादा लड़कियां इस क्षेत्र में ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगी।

श्री भेरू लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या ट्रायबल से भी कोई पायलट हैं और नहीं हैं तो क्या उनको ट्रेनिंग देकर विमान सेवा में लिया जायेगा ?

श्री गुलाम नबी आजाद : अध्यक्ष महोदय, हमारे IGRUA में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जहां तक SC ST का सबंध है, उनसे सिर्फ 2 लाख रुपया लिया जाता है और उनके लिये स्कालरशिप सबसिडी स्कीम के अन्तर्गत पूरे भारत में 40 लोगों को इस तरह की स्कालरशिप दी जाती है लेकिन इसके लिये भी मिनिमम क्वालिफिकेशन यह रखी गयी है कि उनके पेरेंट्स की इनकम 20 हजार रुपये होनी चाहिये। उसके बाद उनका रिटन और

ओरल टैस्ट होता है और जब सलैक्ट हो जाते हैं तो उनका इंटरव्यु लिया जाता है। इंटरव्यु के लिये आने पर किराया दिया जाता है। फिर ट्रेनिंग के दौरान मेल मैम्बर को 350 रुपये प्रतिमाह और फिमेल मैम्बर को 450 रुपये प्रति माह सरकार की तरफ से दिया जाता है। यह सब DGCA के लैवल से होता है। देश में जब ट्रेनिंग के लिये भेजे जाते हैं तो 3 स्टूडेंट्स के लिये पायलट ट्रेनिंग मुफ्त की गुंजायश रखी जाती है।

[अनुवाद]

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : हमने अखबारों में पढ़ा है कि वह रूसी तथा ब्रिटिश एयरोनाटिक्स के संबंध में प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बोईंग के आधुनिक विमानों के लिए प्रयास करने की बात कही है। इन सभी वक्तव्यों को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि इन विमानों में विमान चालकों के प्रशिक्षण की कोई योजना है। हम अभी प्रशिक्षण के लिए जाने वाले विमान चालकों की बात समझ सकते हैं। वह प्रशिक्षण लेकर आ जाता है परन्तु उसे एयरबस 300 अथवा एयरबस 320 चलाने के लिए 'टुलोज' का भी प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। क्या रूसी विमान के लिए ऐसा कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम है ? यदि कोई विमान चालक बोईंग विमान उड़ाना चाहता है तो क्या ऐसा कोई कार्यक्रम है? आगामी दस वर्षों में विमानों तथा 'फोर लेन्डिंग एण्ड फोर टेक ऑफ' के वर्तमान नियम को देखते हुए आपको कितने विमान चालकों की आवश्यकता होगी ? क्या ऐसी कोई योजना है अथवा जब और जैसे ही आपको विमान चालकों की आवश्यकता होती है आप रिक्त पद भर लेते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या योजना है?

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, जहां तक विमान--चालकों के प्रशिक्षण का सम्बन्ध है, हमने कई दशकों बाद पिछले वर्ष पहली बार, विमान–चालकों से परामर्श करके प्रशिक्षण कार्यक्रम में परिवर्नन किया है। इसके पूर्व किसी विमान चालक को पहले बोईंग 737 का कमान्डर होना पड़ता था, तत्पश्चात उसे ए-320 का सहचालक होना पड़ता था, पुनः उसे ए -320 का कमान्डर होना पड़ता था और तब उसे ए-320 का सहचालक बनना पड़ता था। इस प्रकार इसमें काफी समय लग जाता था, जिसके कारण हमारे पास विमान चालकों की कमी रहा करती थी और हम स्थिति का सामना नहीं कर पाते थे। इसलिए विमान चालकों की कमी रहती थी। उस कमी को पूरा करने के लिए हमने विमान चालकों से एक समझौता किया था और परिणामस्वरूप हमने पूरी व्यवस्था बदल दी थी। अब बोईंग 737 का सहचालक ए-320 अथवा ए-300 का विमान चालक बन सकता है। सह चालकों के पहले दल ने पहले ही प्रशिक्षण पूरा कर लिया था और दूसरा दल इस समय प्रशिक्षण ले रहा है।

[हिन्दी]

श्री सूरजभानु सोलंकी : माननीय मंत्री महोदय ने विभिन्न फ्लाइंग क्लब्स में ट्रैनिंग लेने वाले स्टूडेंट्स के नंबर्स बताए और यह भी बताया कि जो क्लब बंद पड़े हैं, उनके अंदर एअर क्राफ्ट्स पड़े हुए हैं। जेसा कि विदित है कि प्राइवेट सेक्टर्स में जो एअर टैक्सी आपरेटर्स हैं, वे भी ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। तो क्या उन एअर क्राफ्ट्स को प्राइवेट सेक्टर को देने की कोई व्यवस्था की जाएगी ?

श्री गुलाम नबी आजाद : जैसा कि मैंने बताया है कि केन्द्रीय सरकार का केवल एक फ्लाइंग क्लब अग्रोहा में है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशंस के हैं। तो एअर–क्राफ्ट्स देने के बारे में निर्णय प्रदेश सरकारें ही कर सकती हैं। **(व्यवधान)**

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि हमारे देश में पायलट प्रशिक्षण के दौरान ढ़ाई लाख से 4 लाख रुपये का खर्च आता है। इसके लिए कुछ सबसिडी और कुछ स्कालरशिप भी दी जाती है। इस परिस्थिति में गांव का रहने वाला गरीब आदमी या एस.सी. एस.टी के जो बच्चे हैं, उनके लिए यह प्रशिक्षण प्राप्त करना संभव नहीं है। क्या मंत्री महोदय गरीब आदमी, एस सी एस टी के लिए कोई इस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, जिससे ये लोग भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें और इनका कोटा भी पूरा हो सके।

श्री गुलाम नबी आजाद : जैसा कि मैंने बताया है कि 40 प्रशिक्षणार्थियों के लिए तो स्कालरशिप की व्यवस्था है और अग्रोहा में 3 को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन मुझे खेद है कि इन सुविधाओं के बावजूद भी लोग नहीं आते हैं।

[अनुवाद]

हज यात्री

***187. श्री आर. अन्बारासू** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रति वर्ष भारत से बड़ी संख्या में लोग हज यात्रा पर विमान से जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या प्रबंध किए गए हैं और प्रतिवर्ष कितना किराया वसूल किया गया ;

(ग) प्रत्येक उड़ान पर कितनी राशि व्यय की गई और इन उड़ानों को संचालित करने वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस बारे मे प्राप्त शिकायतों/सुझावों का सार क्या है और इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) एक विवरण–पत्र सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) एयर इंडिया केन्द्रीय हज समिति के साथ परामर्श करके यात्रा प्रबन्ध करता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक तीर्थयात्री के वहन के लिए कुल राउण्ड ट्रिप किराये

के ब्यौरे और चार्टर उड़ानें प्रचालित करने वाली एयरलाइनो के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1992 एयर इंडिया/इंडियन एंयरलाइंस द्वारा स्वयं के विमान से प्रचालन किराया बम्बई/दिल्ली से प्रति तीर्थीयात्री 15,300 रुपये

मद्रास से प्रति तीर्थयात्री 17.474 रुपए

कलकत्ता से प्रति तीर्थयात्री 16,770 रुपए

1993 एयरोफ्लोट से पट्टे पर लिए गए विमान से प्रचालन।

किराया प्रति तीर्थयात्री 18,000 रुपए सभी चारों स्थानों से एक समान किराया

1994 मैसर्स यूरोपियन एयरलाइंस से वैटलीज पर लिए गए विमान से प्रचालन किराया प्रति तीर्थयात्री 17,000 सभी चारों स्थानों से एक समान किराया। प्रत्येक उड़ान पर खर्च की गयी राशि की मात्रा बताना कठिन है क्योंकि हज चार्टर दरों का निर्धारण सम्पूर्ण प्रचालानों के लिये किया जाता है।

(घ) प्राप्त शिकायतें अपर्याप्त विमानगत सेवाओं सामान ले जाने के लिए अपर्याप्त क्षमता विशेष रूप से वापसी की यात्रा के समय संचार संबंधी कठिनाइयों, विमान में अपर्याप्त जल पूर्ति इत्यादि से सम्बधित थी। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। कुल मिलाकर, 1994 में हज चार्टर प्रचालनों के लिए प्रदान की गई सेवाओं के बारे में सामान्य रूप से संतोष रहा है।

श्री आर. अन्बारासु : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न का विस्तृत उत्तर देने के लिए माननीय मंत्री जी का आभारी हूं। साथ ही, मैं अपने प्रश्न के भाग (ग) के लिए दिए गए उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। विमान में, विशेषतः लौटती बार में, पानी की अपर्याप्त आपूर्ति और सामान लाने की अपर्याप्त क्षमता को लेकर यात्रियों से काफी शिकायतें मिली हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

मुझे यह भी पता चला है कि गत तीन वर्षों के दौरान हज यात्रियों की संख्या में धीरे–धीरे कमी हो रही है। इसका क्या कारण है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, जहां तक पानी की कमी होने का संबंध है, तो मैं हजयात्रियों के संबंध में माननीय सदस्य की चिंता का सहभागी हूं। मैं भी यात्रियों के सामान संबंधी समस्याओं से सहमत हूं। लेकिन इन समस्याओं का सामना करना किसी भी एयरलाइन के लिए कठिन है। यह हज यात्रियों पर शत प्रतिशत भार होता है। जैसा कि आपको मालूम है, हज यात्री हवाई जहाज में भी नमाज पढ़ते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हवाई जहाज में भी झुककर सिजदा किया जाए। बैठे–बैठे भी नमाज पढ़ी जा सकती है। हज पर जाते समय भी नमाज पढ़ने के पहले गुसलखाने में हाथ–मुंह धोना पड़ता है। सामान्य उड़ान में कोई इस सुविधा का उपभोग नहीं कर सकता।

इस मामले में शत–प्रतिशत हाजी इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हर कोई नमाज ही पढ़ता है। आप समझ सकते हैं कि इसमें पानी की कुछ खास मात्रा का तो उपयोग होता ही है। यह एक स्थाई बात है जिसे मेरी समझ से कोई भी बहक नहीं सकता है।

जहां तक सामान का प्रश्न है तो यहां से हज जाते समय कोई समस्या नहीं होती। मैं यह नहीं कहता कि हज से लौटने वाले यात्रियों से कोई गलती होती है। वे वहां दो–ढाई महीने रूकते हैं। वहां रहते हुए हाजी को या हाजियों के समूह को सम्भवतः अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी ही पड़ती हैं। लौटते समय वे ये सारी चीजें वापस ले आना चाहते हैं। जो चीजें उन्हें वापस लाने लायक लगती है, उन सभी चीजों को ढोना बहुत ही मुश्किल होता है। वे जो लाना चाहते हैं, उन्हें हम ले आएं, तो उद्‌भरण प्रभार लगता है। हमें यात्रियों को वहां छोड़ना पड़ता है। यह एक अन्तर्मूल परेशानी है।

अपने स्तर पर हम भरसक कोशिश कर रहे हैं। पिछले वर्ष वहां कुछ सामान छूट गया था। हमें वह सामान दूसरे हवाई जहाज से लाना पड़ा था।

यह सही नहीं है कि हाजियों की संख्या कम हो रही है। उल्टे, हर वर्ष हाजियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। देश की बढ़ती आबादी के अनुसार इनमें बढोत्तरी हो रही है। 1991 में हाजियों की संख्या 26,000 से अधिक है। उनमें से 4.5 प्रतिशत समुद्री जहाज से जाते हैं। 1992 में 19,495 हाजी विमान से गए। 1993 में, 20693 हाजी विमान से गए। 1994 में 20933 हाजी विमान से ही गए। इस प्रकार प्रतिवर्ष इनकी संख्या बढ़ रही है।

श्री आर. अन्बारासु : मैं माननीय मंत्री जी से विशेष तौर पर यह जानना चाहूंगा कि हज तीर्थ यात्रियों को एयर इंडिया की ओर से क्या सुविधाएं दी जाती हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है तो एयर इंडिया दो तीन सुविधाओं दे रही हैं। सामान्यतः हर यात्री अपने साथ 20-30 कि. ग्रा. सामान ले जाता है। पर हम उससे थोड़ा अधिक 35 कि. ग्रा. सामान ले जाने की अनुमति दे रहे हैं। 35 कि.ग्रा. सामान के अतिरिक्त 10 कि.ग्रा. तक ज़म ज़म पवित्र जल मुफ्त ले आने की अनुमति दी जाती है। इन बातों के अलावा, एयर इंडिया द्वारा प्रत्येक हाजी को एक स्लिंग बैग और एक छाता दिया जाता है। साथ ही जब कि एयर इंडिया देश के अंतर्गत उड़ान में भोजन के लिए प्रभार लगाती है, वह जेद्धा उतरने के पहले दिए गए भोजन के लिए कोई शुल्क नहीं लेती है।

श्री बी. अकबर पाशा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि नागर विमानन मंत्रालय ने हज तीर्थ यात्रियों को एयर इंडिया की सुविधाएं प्रदान करने के बदले अलग से हवाई जहाज़ पट्टे पर क्यों लिया।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपेक्षित संख्या में हवाई जहाज उपलब्ध नहीं थे।

श्री गुलाम नबी आजाद : वर्ष 1992 तक एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स यह काम करते थे। तब हमने यह महसूस किया कि हमें एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की कई उड़ानें बदलनी चाहिए। अतः भारत सरकार ने पट्टे पर विमान लेने का निर्णय लिया है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यात्री और दोनों एयरलाइन, अर्थात, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स इस व्यवस्था से प्रसन्न हैं। 1992 में, 120 से अधिक उड़ानें अस्त व्यस्त करनी पड़ी हैं। किराए की इस व्यवस्था से हम निश्चित उड़ानों की अस्त व्यस्तता की समस्या हल कर सके हैं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : वस्तुतः सरकार हज तीर्थ यात्रियों के लिए यथासंभव कार्य कर रही है। पर ये सारी शिकायतें एयरफ्लोट और अन्य कम्पनियों से विमान किराए पर लेने की प्रणाली आरम्भ करने से शुरू हुई हैं। एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स बोइंग 747 और ए–300 एयर बसों का प्रयोग कर रहे थे जिनमें पर्याप्त स्थान और अन्य सुविधाएं होती हैं। पर हज यात्रियों के लिए पट्टे पर मिल रहे विमानों में पर्याप्त स्थान नहीं होता है और एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइन्स द्वारा चलाए जा रहे विमानों की तुलना में अन्य अपेक्षित सुविधाएं भी कम हैं। शिकायतों के ये कारण हो सकते हैं। पर एक तरीके से इन समस्याओं का बड़े अच्छे ढंग से समाधान हो सकता है। एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स हज काल में तीर्थयात्रियों की देखभाल के लिए जेद्दाह में कुछ और कर्मचारी लगा सकते हैं। अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनें केवल हज तीर्थ यात्रियों की देखभाल के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था कर रही हैं, जबकि हमें वर्तमान में उपलब्ध कर्मचारियों से ही काम चलाना पड़ रहा है। मुझे तो यही समझ आया है। ऐसा लगता है कि हाजियों के हितों की देखभाल के लिए एयरइंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारियों की संख्या यथेष्ट नहीं हैं। आखिर, हजयात्री इन सभी वर्षों में तीर्थ यात्रा करते ही रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, अभी प्रश्न काल चल रहा है। कृपया संक्षेप में बोलते हुए अपना प्रश्न रखें।

श्री ई. अहमद : मेरा प्रश्न यह है कि ये हज तीर्थयात्री विमान में पहली बार नमाज आदि नहीं पढ़ रहे हैं। केवल किराए के विमानों के कारण ये असुविधाएं उत्पन्न हुई हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : जैसा कि पहले कहा गया, हवाई जहाज का बदला जाना आवश्यक था। मैंने 1992 का केवल एक उदाहरण दिया है जिसमें एयर इंडिया को 55 उड़ानें रद्द करनी पड़ी और 110 से अधिक उड़ानों का पुनर्नियोजन करना पड़ा था। हम ऐसा कई वर्षों तक जारी नहीं रख सकते हैं। अतः हमने यह निर्णय लिया है ताकि यात्रियों को भारी परेशानी और एयर इंडिया एवं इंडियन एयर लाइन्स को घाटा उठाना न पड़े।

माननीय सदस्य ने हज तीर्थयात्रियों के लिए अतिरिक्त कर्मचारी दिए जाने की चर्चा की हैं हज यात्रियों की देखभाल के लिए हम बम्बई और दिल्ली से जेद्दा में अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था कर रहे हैं और यदि आवश्यकता हुई तो हम भविष्य में और भी कर्मचारी देंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, पिछले वर्ष संसद की विदेशी मामलों की स्थाई समिति ने अपने रिपोर्ट में हज यात्रियों को यहां से हवाई यात्रा पर दी जाने वाली भारी राज सहायता पर आपत्ति की थी और सिफारिश की थी कि यह राजसहायता क्रमशः कम की जाए और अंततोगत्वा समाप्त कर दी जाए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हाजियों के लिए विमान यात्रा पर राज सहायता में क्या क्रमशः कमी की गई है और यदि हां,तो इसे कहां तक समाप्त किया गया है।

श्री गुलाम नबी आजाद : मुझे समिति की सिफारिश की जानकारी नहीं है। समिति की सिफारिश के बिना भी, हमने हज समिति से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि यह राज सहायता लम्बी अवधि तक जारी नहीं रहेगी और हमें क्रमशः इसमें कमी लानी है। माननीय सदस्य को यह

जानकर खुशी होगी कि हमने इस वर्ष प्रत्येक हज यात्री पर 2,000 रुपये तक राज सहायता कम की है और आने वाले वर्षों में और भी कम की जायेगी।

श्री ई. अहमद : उस पर विरोध हुआ था।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, यह अनुरोध पिछले वर्ष सदन को प्रस्तुत एक औपचारिक रिपोर्ट में किया गया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सरकार दोनों पक्षों पर विचार करेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंक

***183. श्री सत्यदेव सिंह :**

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी और विदेशी बैंकिंग संस्थानों से समान नियमों और शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए निर्देश देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ग्राहकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में प्रमुख बैंकरों और ट्रेड यूनियनों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) देश में कार्यरत निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की तरह सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में दी गई सांविधिक अपेक्षाओं और अन्य संगत सांविधियों का अनुपालन करना होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेश, जब तक कि अन्यथा कहा न जाये, सभी बैंकों पर समान रूप से लागू होते हैं।

तथापि, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से जोर देकर अपनी उत्पादकता, कार्यक्षमता और लाभप्रदता में तत्काल सुधार लाने की बात कही है। इस संबंध में किये जा रहे प्रयासों के भाग के रूप में पुनर्पूंजीकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत बैंकों को पर्याप्त निधियां उपलब्ध करायी गयी हैं। अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकता में सुधार और चुने हुए क्षेत्रों में मशीनीकरण पर जोर देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ कार्य निष्पादन समझौते

किये गये हैं। सुधरे हुए लाभ प्रदता स्तर के साथ यह अपेक्षा की जाती है कि इन कदमों से राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

ग्राहक सेवा पर इन उपायों के प्रभाव के बारे में बैंकरों या ट्रेड यूनियनों से कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

चाय उद्योग

***186. डा. वसन्त पवार :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चाय उत्पादक राज्य सरकारों से करों में राहत देकर चाय उद्योग की मदद करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने चाय की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इन राज्य सरकारों से चाय के उत्पादन हेतु और अधिक भूमि आबंटित करने का भी अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार और चाय–उत्पादक राज्यों की सरकारों के बीच चाय उद्योग के कुल विकास के लिए चाय पर कर लगाने और ऐसे ही विभिन्न मामलों पर चर्चा और अन्तःक्रिया लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। करों के संबंध में वर्तमान कानून के अनुसार, चाय–बागानों की 40% आय कार्पोरेट टैक्स के अधीन आती है जिसे केन्द्र सरकार लगाती है तथा बाकी 60% आय पर राज्यों का कृषि आय–कर लगता है जिसे संबंधित राज्यों की राज्य सरकारें लगाती हैं। चूंकि कर की दरों में काफी अन्तर है, इसलिए केन्द्र सरकार ने चाय उत्पादक राज्यों से अनुरोध किया है कि चाय उद्योग पर लगाए जाने वाले कर युक्तिपूर्ण बनाए जाएं ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके।

असम सरकार ने कृषि आय–कर की दर 75% से घटाकर 60% कर दी है। इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में भी रिपोर्ट है कि उन्होंने कृषि आय–कर की दर 83% से घटाकर 70% कर दी है। अन्य राज्य–सरकारों का उत्तर या प्रतिक्रिया अभी नहीं मिली है।

चाय–उत्पादक राज्यों से समय–समय पर यह अनुरोध भी किया गया है कि चाय की खेती के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने की संभावनाओं का भी पता लगाएं। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने यह निर्णय लिया है कि चाय की खेती के लिए अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई जाए।

प्रत्यक्ष करों की उगाही

*188. **श्री छेदी पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक प्रत्यक्ष करों की उगाही से संबंधित कार्य–निष्पादन की पुनरीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक प्रत्येक प्रत्यक्ष कर की कितनी–कितनी धनराशि की उगाही की गयी ; और

(घ) चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान प्रत्यक्ष करों की उगाही में और वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) वर्ष 1994-95 (जून, 1994 तक) के दौरान प्रत्यक्ष करों की वसूली नीचे दी गई है :

	(रुपये करोड़ों में)
निगम कर	1509.67
आयकर	1458.00
ब्याज कर	32.11
व्यय कर	58.00
धन कर	15.32
उपहार कर	1.70

जून, 1993 तक की गई वसूली की तुलना में निगम कर में 283% की वृद्धि हुई है। जून, 1993 तक की आयकर की वसूली की तुलना में 27% की वृद्धि हुई है। जून, 1993 तक की तुलना में जून, 1994 तक अन्य प्रत्यक्ष करों की वसूली में 6% की वृद्धि हुई है।

(घ) प्रत्यक्ष करों से होने वाली वसूली की स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है। अग्रिम कर और स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) के रूप में वसूलियों पर जोर दिया जा रहा है। वर्ष के दौरान की चालू मांगों तथा जारी की गई पिछली मांगों में से नकद वसूली के लिए भी कार्य योजना लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कर–निर्धारण प्रक्रिया की उदारीकृत नई स्कीम के संबंध में प्रचार किया जा रहा है। छोटे दुकानदारों आदि के लिए पूर्व–अनुमानित कर संबंधी स्कीम को सफल बनाने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

जवाहरात औद्योगिक परिसर

*189. **श्री राजेश कुमार :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी जवाहरात औद्योगिक परिसरों की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम का ऐसे कुछ औद्योगिक परिसर स्थापित करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ; और

(ङ) ये परिसर कब से चालू हो जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। एम.एम.टी.सी. ने 1987 में झंडेवालान, नई दिल्ली में आभूषणों के निर्माण और निर्यात के लिए ए 100% निर्यात अभिमुख काम्प्लेक्स स्थापित किया था। इस काम्प्लेक्स में सोने के आभूषणों के निर्माण और निर्यात के लिए जो यूनिट स्थापित किए गए हैं उनको सोने की सप्लाई एम.एम.टी.सी. करता है। झंडेवालान स्थित यह काम्प्लेक्स नोएडा निर्यात संसाधन जोन के विकास आयुक्त के अधीन काम करता है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बकाया आयकर

*190. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यक्तियों पर एक लाख रुपये और इससे अधिक राशि का आयकर बकाया है ;

(ख) कितने व्यक्तियों पर एक करोड़ रुपये और इससे अधिक राशि का आयकर बकाया है ;

(ग) आयकर की कुल कितनी निबल बकाया राशि इस समय वसूल किए जाने योग्य है ; और

(घ) इन बकाया राशियों की समयबद्ध वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) दिनांक 31-12-93 की स्थिति के अनुसार 45,828 मामले ऐसे थे, जिनमें 1 लाख रु. से अधिक की आयकर की राशि बकाया थी।

(ख) दिनांक 31-3-94 की स्थिति के अनुसार 934 ऐसे नाम थे, जिनकी तरफ 1 करोड़ रु. से अधिक की आयकर की राशि बकाया थी।

(ग) दिनांक 1 अप्रैल, 1994 की स्थिति के अनुसार आयकर (निगम कर सहित) की वसूली योग्य बकाया मांग 6047 करोड़ रु. है। इस धनराशि में न्यायालयों, समझौता आयोग, न्यायाधिकरण द्वारा स्थगित मांगें और बकाया न हुई मांगें तथा भुगतान की गई परन्तु सत्यापन के लिए लम्बित मांगें शामिल नहीं हैं।

(घ) बकाया मांग को कम करने संबंधी कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जाती है और इसे कम करने के लिए उचित प्रशासनिक, कानूनी और दूसरे उपाय किये जाते हैं। बड़े मामलों में डोजियर रखे जाते हैं और स्थिति की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। मामलों का जल्दी निपटान करने के लिए संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है। जहां कहीं न्यायालयों द्वारा वसूली की कार्यवाही स्थगित की जाती है वहां स्थगन रद्द करने के लिए उपाय किए जाते हैं। मांग की शीघ्र वसूली के लिए उचित मामलों में विभाग द्वारा सम्पत्ति की कुर्की एवं बिक्री, दंड लगाने आदि जैसे बाध्यकारी उपाय भी किए जाते हैं।

[अनुवाद]

निजी एयरलाइनें

***191. श्री अनन्त राव देशमुख :**

श्री राजवी सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1994 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित "निजी एयरलाइनों द्वारा वैमानिक सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन" किये जाने के कतिपय मामलों से संबंधित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन एयरलाइनों के विरूद्ध नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जांच करने पर यह पाया गया था कि प्रेस रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ मामलों में कोई सुरक्षा संबंधी उल्लंघन ग्रस्त नहीं था। अन्य मामलों के बारे में जहां सुरक्षा संबंधी उल्लंघन

जानकारी में आए थे, उनमें नागर विमानन महानिदेशालय तथा एयरलाइन प्रचालकों द्वारा गलती करने वाले विमानचालकों/कार्मिकों के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाई की गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने ऐसी घटनाओं के पुनः घटित होने से बचने के लिए, यथावश्यकता प्रचालकों को उपयुक्त अनुदेश भी जारी किए हैं।

विमान सेवाएं

***192. श्री ई. अहमद :**

श्रीमती सरोज दुबे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों की राजधानियों से दिल्ली के लिए सीधी उड़ानें हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों की राजधानियां विमान सेवा के जरिए दिल्ली से जुड़ी हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार 1994-95 और 1995-96 के दौरान एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, वायुदूत और पवन हंस लिमिटेड की नई उड़ानें/हैलीकाप्टर सेवाएं शुरू करने अथवा वर्तमान उड़ानों का विस्तार करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) निम्नलिखित राज्य राजधानियां दिल्ली से जुड़ी हुई हैं : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुबनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, चण्डीगढ़, डेबोलिम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मद्रास, पटना, शिमला, श्रीनगर और त्रिवेन्द्रम।

(ग) और (घ) इस समय, इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की नई सेवाएं शुरू करने की कोई योजना नहीं है। सरकार ने नागालैण्ड और अरूणाचल प्रदेश राज्यों में हेलीकाप्टर सेवाएं शुरू करने की मंजूरी दे दी है।

वित्तीय घाटा

***193. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के वित्तीय घाटे के प्रबन्धन में गत वर्ष कुछ भारी खामियां रह गईं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) 1993-94 के दौरान वित्तीय घाटा कुल कितना था ;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने 1994-95 के दौरान इस घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ; और

(ङ) अब तक उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) विश्व बैंक के देश संबंधी आर्थिक ज्ञापन, 1994 में यह बताया गया है कि राजस्व में कमी होने और व्यय अधिक बढ़ जाने के परिणामस्वरूप 1993-94 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के निर्धारित लक्ष्य 4.7 प्रतिशत से बढ़कर अनुमानतः सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 7.3 प्रतिशत तक हो गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट 1993-94 के संशोधित अनुमानों से संबंधित आंकड़ों पर आधारित है। वित्त मंत्री ने 1994-95 के अपने बजट भाषण में राजकोषीय घाटे की अनुमानित वृद्धि के कारणों का विस्तृत ब्यौरा दिया है। यह घाटा 1993-94 के बजट अनुमानों में 36959 करोड़ रुपए था जो 1993-94 के संशोधित अनुमानों में बढ़कर 58551 करोड़ रुपए हो गया अर्थात इसमें 21592 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। राज्यों को उनकी योजनाओं की वित्त व्यवस्था हेतु अतिरिक्त निधियों का अन्तरण करना, खाद्य एवं उर्वरक पर आर्थिक सहायता देने के लिए और अधिक प्रावधान करना ही वृद्धि के मुख्य कारण थे। दूसरी ओर, मुख्यतः आयातों में आरंभिक अनुमानों के अनुसार वृद्धि न होने के कारण सीमा–शुल्क राजस्व में कमी हुई और अर्थव्यवस्था के कतिपय अधिक राजस्व प्रदान करने वाले क्षेत्रों में उत्पादन में हुई कमी की वजह से उत्पाद शुल्क की उगाही भी कम हुई।

(ग) इस वर्ष के अन्त में महालेखा नियंत्रक द्वारा खातों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही 1993-94 के वास्तविक राजकोषीय घाटे का पता लग पाएगा।

(घ) और (ङ) 1994-95 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 54915 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। यह 1993-94 के संशोधित अनुमानों में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के लगभग 7.3 प्रतिशत के अनुमानित राजकोषीय घाटे की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के 6.0 प्रतिशत के लगभग है। मई, 1994 तक राजकोषीय घाटा 13693 करोड़ रुपया रहा। सरकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय में अत्यधिक कमी करके तथा राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि करके राजकोषीय घाटे को बजट स्तर पर लाने का प्रयास करेगी।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पायलट

***194. श्री राम विलास पासवान** : क्या नागर विमान और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पायलट बनने के लिए अनिवार्य अर्हताएं क्या हैं ;

(ख) देश में इस समय कितने पायलट हैं ;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने पायलट हैं ;

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध कितने पायलट क्रमशः एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत में कार्यरत हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों को पायलट प्रशिक्षण देने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) कोई व्यक्ति जिसने मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो या जिसके पास समकक्ष अर्हता हो, वह प्राइवेट पायलट लाइसेंस रखने के लिए पात्र हैं। वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस और अन्य उच्च श्रेणी लाइसेंसों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से भौतिकी और गणित सहित 10+2 या समकक्ष योग्यता है।

(ख) से (घ) नागर विमानन महानिदेशालय ने अभी तक कुल 9703 पायलट लाइसेंस जारी किए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को जारी किए गए ऐसे लाइसेंसों के आकंड़े अलग से नहीं रखता है। एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और वायुदूत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पायलेटों की संख्या इस प्रकार है :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
एयर इंडिया	12	01
इंडियन एयरलाइंस	19	04
वायुदूत	-	02

(ङ) और (च) नागर विमानन महानिदेशालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे उम्मीदवारों को प्राइवेट पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर प्रति वर्ष 40 छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करता है जिनके माता पिता/अभिभावकों की आय 30,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है और जिनकी आयु 17-20 वर्ष के बीच है तथा जो वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं रखते हों। छात्रवृत्ति धारक निःशुल्क उड़ान प्रशिक्षण के अलावा, 330/- रु. प्रति महीने (पुरुष) और 450/- रु. प्रति महीने (महिला) पाने तथा पुस्तकों की खरीद के लिए अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष 100/- रु. पाने के हकदार हैं। इसके अतिरिक्त, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम के लिए सामान्य उम्मीदवारों से 4 लाख रुपए की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों से 2 लाख रुपए का इमदादी प्रशिक्षण शुल्क चार्ज करती है। यह प्रति पाठयक्रम 3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों तक प्रशिक्षण शुल्क पर 100% इमदाद की भी व्यवस्था करती है।

[अनुवाद]

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

*195. **श्री शरद दिघे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है.;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उसके कार्यकरण में कौन–कौन सी कमियां सरकार की जानकारी में आई हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का समापन/पुनर्गठन करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, जो कि एक अर्ध न्यायिक निकाय है, का गठन रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस.आई.सी.ए) के प्रावधानों के तहत किया गया था। इसने मई 1987 से अपना कार्यारम्भ किया था। इसका गठन इसलिए किया गया था कि रुग्ण और सम्भावित रुग्ण कम्पनियों का पता समय से चल सके, ऐसी कम्पनियों के लिए अपेक्षित निवारक, सुधारक और उपचारी उपाय विशेषज्ञों के बोर्ड द्वारा किया जा सके और उन्हें शीघ्रता से लागू किया जा सके। बी.आई.एफ.आर. ने सूचित किया है कि 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार, उनके पास 1537 रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के मामले दर्ज थे। इनका वर्गीकरण निम्नलिखित है :

1.	दर्ज संदर्भ	1537
2.	न चलाए जाने योग्य होने के कारण खारिज	326
3.	बी आई एफ आर द्वारा पुनर्वास पैकेज अनुमोदित/ मंजूर	*455
4.	बी आई एफ आर द्वारा बन्द करने की सिफारिश	319
5.	अन्य	12
6.	निर्णय लिए गए (2 से 5 का योग)	1112
7.	विभिन्न स्तरों पर लम्बित	425

* इसमें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपील प्राधिकरण द्वारा मंजूर 17 योजनाएं शामिल हैं।

बी आई एफ आर ने सूचित किया है कि मामलों के निपटान के लिए लगने वाले समय में लगातार कमी आ रही है। जबकि 1987, 1988 और 1989 के दौरान दर्ज मामलों के निपटान में लगा औसत समय 730 दिन था, 1990,1991 और 1992 के दौरान यह औसत समय 585 दिन था। 1993 के दौरान निपटाए गए मामलों पर औसतन 165 दिनों का समय लगा।

(ग) और (घ) बी आई एफ आर को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अलबत्ता, औद्योगिक रुग्णता से और प्रभावी रूप से निपटने के लिए एस आई सी ए में फरवरी 1994 में फिर संशोधन किया गया था। सरकार ने औद्योगिक रुग्णता और निगमित पुनर्संरचना पर 1993 में एक समिति भी गठित की थी जिसके अध्यक्ष डा. ओंकार गोस्वामी थे। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ रुग्णता का शीघ्र पता लगाने तथा बी आई एफ आर की "फास्ट ट्रे फेसिलिटेटर" के रूप में पुरर्संरचना करने की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

वेस्टलैंड हेलीकाप्टर

*196. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने वेस्टलैंड-हेलीकाप्टरों को असुरिक्षित घोषित किया गया है और जिनका निपटान किया जाना है ;

(ख) इन हेलीकाप्टरों को किस तारीख को असुरक्षित घोषित किया गया था ;

(ग) इन हेलीकाप्टरों का निपटान करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इनके कोई खरीदार न मिलने के क्या कारण हैं ;

(घ) इन हेलीकाप्टरों के निपटान में विलम्ब के कारण अनुमानतः कितनी हानि होगी ; और

(ङ) इन हेलीकाप्टरों का निपटान किस तरह किया जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) क्षतिग्रस्त हालत वाले एक हेलीकाप्टर को मिलाकर 19

(ख) 9.2.1991

(ग) पहले यह निर्णय लिया गया था कि पूरे बेड़े को विश्वव्यापी निविदाओं के जरिए बेच दिया जाय परन्तु निर्धारित तारीख तक कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी।

(घ) कोई वित्तीय हानि नहीं होगी क्योंकि इनकी खरीद के लिए वित्त-व्यवस्था अनुदान के जरिए की गई थी। तथापि, कम्पनी को वर्ष 1994-95 के दौरान वैस्टलैंड बेड़े के मूल्य ह्रास और अप्रचालित पड़े रहने के कारण लगभग 14.68 करोड़ रुपये की हानि होगी।

(ङ) यह निर्णय लिया गया है कि जो पार्टियां इन हेलीकाप्टरों और उपांगों को खरीदने मे रूचि रखती है, उनके साथ बातचीत करके इन हेलीकाप्टरों को बेच दिया जाय।

विशाखापत्तनम निर्यात प्रोसेसिंग जोन

*197. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम निर्यात प्रोसेसिंग जोन का निर्माण कार्य इस समय किस चरण में है और इस परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) इस जोन के निर्माण की स्वीकृत लागत कितनी थी और संशोधित लागत कितनी है ;

(ग) इसमें एककों की स्थापना के लिए अब तक कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए हैं तथा कितने आवेदन पत्रों को अन्तिम रूप दिया गया है ;

(घ) निर्यात बढ़ाने के लिए किस प्रकार के एकक स्थापित करने का विचार किया गया है ;

(ङ) क्या भावी निवेशकों ने बिजली और पानी तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के उपलब्ध न होने के बारे में कोई शंका व्यक्त की है ; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) विशाखापटनम निर्यात संसाधन जोन में 163 एकड़ भूमि पर प्रथम–चरण की बुनियादी आधार–भूत सुविधाएं पूरी हो जाने पर वहां 1.4.1993 से काम शुरू कर दिया गया था। राज्य सरकार ने एक समेकित ब्लॉक के रूप में जोन के लिए भूमि हस्तांतरित कर दी थी और उसके बाद जोन का विकास कार्य संतोषजनक तरीके से बढ़ रहा है।

(ख) जोन के पहले चरण की आधार–भूत सुविधाओं के विकास के लिए 17 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया है और इस समय इस लागत में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जोन में इकाइयों की स्थापना के लिए अब तक 9 परियोजना–प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन सभी का अनुमोदन कर दिया गया है।

(घ) यह जोन एक बहु–उत्पाद जोन है और यहां अब तक अनेक तरह के सामानों के उत्पादन के लिए अनुमोदन प्रदान किए गए हैं, जैसे– कंप्यूटर सिस्टम और फैक्स पेपर रोल्स, रत्न और आभूषण, इंट्रावीनस, फ्लूइड्स, आई क्यू एफ सब्जियां, पत्थर/चंदन के उत्पाद और इंजीनियरी सामान।

(ङ) और (च) उद्यमियों को यह आश्वासन दिया गया है कि उन्हें ऐसी पूरी सुविधाएं मिलेंगी जिनसे वह अपनी बिजली और पानी की तथा अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की सामान्य जरूरतें पूरी कर सकें।

राज्यों पर ऋण भार

*198. **श्री चित्त बसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्यों की ओर भारी ऋण देय है और उनका ऋण भार निरन्तर बढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य सरकारों पर ऋण का भार कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य, आयकर, उत्पाद एवं अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों संबंधी केन्द्रीय करों में हिस्सा प्राप्त कर रहे हैं। राज्य, योजनागत और योजना–भिन्न राजस्व घाटा अनुदानों, आपदा राहत कोष में अनुदानों के साथ–साथ कुछेक मामलों में उन्नयन अनुदान भी प्राप्त करते हैं। ये सभी केन्द्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत अनुदान के रूप में हैं।

भारत सरकार राज्यों को योजना आयोग द्वारा यथा आबंटित योजनागत सहायता भी देती है और यह सहायता कुछ अंश तक अनुदान के रूप में तथा कुछ अंश तक ऋण के रूप में होती है। विशेष श्रेणी के राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, जम्मू–कश्मीर तथा सिक्किम) के लिए ये सहायता 10 प्रतिशत ऋण के रूप में और 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में है। अन्य राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के मामले में ऋण का हिस्सा 70 प्रतिशत और अनुदान का हिस्सा 30 प्रतिशत होता है। मौजूदा शर्तों के अनुसार केन्द्रीय सहायता के ऋण के हिस्से पर 12% प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज लगता है, जिसमें ऋण के 50% हिस्से को 20 वर्षों में तथा शेष 50% हिस्से की 5 वर्ष के स्थगन के बाद 15 वर्षों में वसूल किया जाना होता है।

केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्यों में लघु बचतों के अंतगर्त की गई निवल वसूलियों का 75% भाग भी राज्यों को ऋण स्वरूप जारी करती है। लघु बचतों के प्रति जारी किए गए इस ऋण पर 14.5 प्रतिशत ब्याज लगता है और जिसे 25 वर्षों में वापस किया जाना होता है तथापि, मूल राशि की वसूली में शुरू में 5 वर्षों का स्थगन दिया जाता है (संलग्न विवरण देखें)। लघु बचतों में जमाकर्ताओं को वापसियां केन्द्र सरकार द्वारा की जाती हैं।

इस तरह केन्द्र की ओर से राज्यों को मिलने वाली राशि का अधिकांश हिस्सा ऋण के रूप में होता है जिसे राज्यों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार केन्द्र को वापस करना होता है। इस प्रकार किसी भी निर्धारित समय बिन्दु पर राज्य सरकारें इन ऋणों की वापसी करने की लिए केन्द्र की कर्जदार होंगी।

राज्य सरकरों को इस बात के लिए भी प्राधिकृत किया गया है कि वे केन्द्र सरकार के साथ परामर्श करके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं तक बाजार उधारों को प्राप्त कर सकते हैं। योजना आयोग भी ऐसी सीमाएं निर्धारित करता है जिन तक राज्य, विभिन्न वित्तीय संस्थानों, जैसे जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम आदि से कतिपय स्कीमों के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु वार्ता कर सकते हैं। राज्यों द्वारा शुरू किए गए विभिन्न क्रियाकलापों के कारण बाजार उधार और बातचीत द्वारा तय किए जाने वाली ऋण राशियों में भी वर्ष दर वर्ष वृद्धि होती जा रही है।

इस तरह राज्यों की ऋण राशियों में वृद्धि का रूख रहा है। ऋण की राशियां, जोकि पूंजीगत प्राप्तियों के स्वरूप में होती हैं, योजनागत व्यय के लिए तथा परिसम्पत्तियों का सृजन करने के लिए उपयोग की जाती हैं इससे राज्यों में विकास की गति में तेजी लाने तथा राजस्व उत्पन्न करने वाली परिसम्पत्तियों का सृजन करने में मदद मिलती है। राज्यों में होने वाले सामान्य आर्थिक विकास से राज्यों को उच्चतर चालू राजस्वों की प्राप्ति होने के साथ–साथ उनमें उनके द्वारा अपनी योजनाओं

को वित्त पोषित करने के लिए हासिल किए गए ऋणों की वापसी करने की क्षमता विकसित होने में भी मदद मिलनी चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा अपने जोखिमों वाले कार्यों पर किए गए निवेशों से भी उनके ऋण भारों में वृद्धि होती है लेकिन साथ ही साथ उनकी परिसम्पत्तियों में भी वृद्धि होती है।

यह स्वतः सिद्ध है कि राज्यों के ऋण भार में वृद्धि होना कोई गलत नहीं है क्योंकि ऋण के रूप में ली गई राशि विकास करने तथा परिसम्पत्तियों का सृजन करने तथा राज्यों की सामान्य आर्थिक स्थिति में सुधार करने के प्रयोजन हेतु होती है और राज्यों को अपने ऋणों की वापसी करने में आमतौर पर कोई परेशानियां नहीं होनी चाहिए। तथापि, कुछ राज्यों को ऋणों की वापसी करने में परेशानी हो सकती है। दसवें वित्त आयोग के समक्ष रखे गए विचारार्थ विषय से आयोग राज्यों की 31.3.1994 की स्थिति अनुसार ऋण की स्थिति का मूल्यांकन कर सकता है तथा केन्द्र की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यथा आवश्यक उपयोगी सुझाव भी दे सकता है। राज्य सरकारों द्वारा उनके ऋण दारों में कमी किए जाने के लिए दसवें वित्त आयोग के समक्ष अपने मामले प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों की शर्तें

मदें	राज्य योजनागत स्कीमों के लिए सकल ऋण एवं अन्य योजनागत ऋण	लघु बचत ऋण
1. ब्याज की दर	12%	14.5%
2. ऋण की परिपक्वता अवधि	20 वर्ष	25 वर्ष
3. प्रारम्भिक स्थगन	ऋण के 50% पर 5 वर्ष	ऋणों की वसूली पर 5 वर्ष
4. दंड स्वरूप ब्याज दर	सामान्य दर से 2.75% अतिरिक्त	सामान्य दर से 2.75% अतिरिक्त

[हिन्दी]

उक्रेन में निवेश

***199. श्री चेतन पी.एस. चौहान :**

डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्रेन सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों को अपने देश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय उद्योगपतियों को किन–किन क्षेत्रों में निवेश हेतु आमंत्रित किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किन्हीं प्रस्तावों को स्वीकृति दी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या उक्रेन सरकार ने उद्योगपतियों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) उक्रेन सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों को उक्रेन में पूंजी–निवेश के लिए कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं दिया है। परंतु अप्रैल, 1994 में जब उक्रेन के विदेश मंत्री श्री ज्लेन्को भारत आए थे तो भारत के व्यापारियों से यह कहा गया था कि वे उक्रेन में विभन्न क्षेत्रों में और विशेषकर भेषजों के क्षेत्र में पूंजी–निवेश पर विचार करें।

इस संबंध में, जब उक्रेन दिसंबर, 1991 में स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार ने पटना के मैसर्स स्पार्क टेक प्रा. लि. के एक संयुक्त उद्यम की परियोजना को 20.11.1992 को अनुमोदित किया था। यह परियोजना एक रेस्टोरेंट की स्थापना के लिए थी और इसमें उनकी इक्विटी 49% थी जो संयुक्त राज्य अमरीकी डालर 60,000 बनती है। इसके बाद 2 जून, 1994 को सरकार ने गुजरात के वापी स्थित मै. सन फार्मास्युटिकल ऐंड इंडस्ट्रीज लि. के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जो भेषजों के व्यापार के लिए एक पूर्ण–स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी स्थापित करने के लिए है। इसमें इक्विटी संयुक्त राज्य अमरीकी डालर 5000 है।

उक्रेन की सरकार ने भारतीय उद्योगपतियों को सुरक्षा का कोई औपचारिक आश्वासन नहीं दिया है किंतु वहां की सरकार ने उस देश में सुरक्षा के वातावरण में सुधार करने के लिए उपाय किए हैं। दिनांक 21 जुलाई, 1994 को राष्ट्रपति कुचमा ने एक डिक्री पास की है जो "अपराधी प्रवृत्तियों के खिलाफ लड़ाई को सघन बनाने के लिए अति आवश्यक उपायों के बारे में है। उक्रेन सरकार ने इस तरह के जो उपाय किए हैं उनसे उस देश में भारतीय निवेशकों के लिए स्थिति अधिक सुरक्षित हो जानी चाहिए।

[अनुवाद]

वायुदूत के कर्मचारी

***200. श्री दत्ता मेघे :**

श्री रामपाल सिंह :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस वायुदूत के 300 कर्मचारियों को नियुक्त करने पर सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा शेष कर्मचारियों की सेवाओं के उचित उपयोग हेतु क्या योजना है ;

(ग) वायुदूत का अब तक का संचित घाटा कितना है ; और

(घ) वायुदूत के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा वायुदूत के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को नये बनाये गए "अल्प दूरी प्रचालन विभाग" में खपाया जाना है। शेष कर्मचारियों को नागर विमानन विभाग के अन्तर्गत अन्य संगठनों द्वारा खपाये जाने के लिए उनमें बांटा जाएगा।

(ग) वायुदूत को अपने आरम्भ से वर्ष 1993-94 तक 205.95 करोड़ रुपये की अनुमानित संचित हानि हुई है।

(घ) वायुदूत के इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय के निर्णय के परिणामतः अब तक वायुदूत द्वारा निष्पादित प्रचालन–गतिविधियों को इंडियन एयरलाइंस में नवसृजित अल्पदूरी प्रचालन विभाग द्वारा संचालित किए जाने का प्रस्ताव है।

इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों का निर्यात

1794. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान सरकार द्वारा इलेक्ट्रानिक्स उत्पादों के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष देश ने अभी तक कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ;

(ग) क्या इन उत्पादों के निर्यात में कुछ कमी आई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा इन उत्पादों के निर्यात हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1994-95 के लिए इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर के निर्यात लक्ष्य को व्यापार तथा उद्योग के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है। ऐसा करते समय वर्ष के पहले कुछ महीनों में हुए वास्तविक निष्पादन को ध्यान में रखा जा रहा है।

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर के निर्यात से देश को प्राप्त विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

	(मिलियन अमरीकी डालर में)
1991-92	336
1992-93	316
1993-94	348

(स्रोत : इलैक्ट्रानिक्स ऐंड कंप्यूटर सफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद)

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 के दौरान इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर के निर्यात में मामूली गिरावट आई थी। ऐसा मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत संघ के बाजारों में कठिनाइयों की वजह से हुआ था।

(ङ) सरकार ने इन उत्पादों के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जो विविध कदम उठाए हैं उनमें शामिल हैं : अनन्य भारतीय इलैक्ट्रानिक प्रदर्शनों में भागीदारी, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी, बाजार सर्वेक्षणों का प्रायोजन, आदि। इसके अलावा निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गये सामान्य उपायों में शामिल हैं : इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नालॉजी पार्क (ई एच टी पी) स्कीम को शुरू करना, रुपया ऋण पर ब्याज दरों में कमी करना, मशीनरी तथा अन्य निविष्टियों के आयात पर टैरिफ दरों में कमी करना, आदि।

दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की आय

1795. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने अधिवक्ताओं ने आयकर अधिकारियों से अपनी आय छिपाई है ;

(ख) उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की आय का पता लगाने के लिए कोई प्रस्ताव है जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि वे तद्नुसार आयकर और अन्य करों का भुगतान कर रहे हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पूंजी निवेश के संबंध में सी.बी.आई. जांच

1796. श्री. राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डाक अधिनियम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों की कमियों का लाभ उठाकर पूंजी निवेश में करोड़ों रुपये की धोखा-धड़ी की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच कराने के आदेश दिए गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) धन वापसी आदेशों, लाभांश वारंट और अन्य भुगतान लिखतों के धोखाधड़ी पूर्ण भुनाई के उदाहरणों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को शिकायतें मिली थी। आमतौर पर इन धोखाखड़ी पूर्ण लेन–देनों में अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली निम्नानुसार थी :

(क) फर्जी खाते खोलना और उनमें जुटाए गए/उठाईगीरी की/बेनामी लिखतों को जमा करना/उनका संग्रहण करना तथा बाद में इनकी धनराशियों को निकालना,

(ख) उचित ढ़ंग से खोले गये चालू खातों में अन्य पक्ष लिखतों का समाहरण/जमा किया जाना और उसकी धनराशि का उत्तरवर्ती आहरण।

(ग) भुगतान लिखतों की भुनाई जिसमें आदाता का नाम और परिपक्वता राशि को रासायनिक तरीके से बदल दिया गया हो और लिखतों को फर्जी खातों के माध्यम से समाहरित किया जाना।

(ख) से (घ) धोखाधड़ी पूर्ण लेनदेनों से प्रभावित मुख्य महा डाकपाल (पोस्टमास्टर जनरल), बम्बई और सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों ने पूरी छानबीन किये जाने हेतु इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा है।

एयर इंडिया की उड़ानें

1797. श्री गोविन्दराव निकम :

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया की उड़ानें उन सभी मार्गों पर चलती हैं जहां उसे उड़ान भरने का अधिकार प्राप्त है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे मार्गों का ब्यौरा क्या है जहां उड़ानें नहीं भरी जाती हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे अधिकार को इंडियन एयरलाइन्स को सौंप देने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) जिन देशों में प्रचालन करने के लिए एयर इंडिया के पास यातायात अधिकार हैं और इस समय वह वहां प्रचालन नहीं कर रहे हैं, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) से (ङ) इंडियन एयरलाइन्स विदेशों के लिए केवल उसी दशा में प्रचालन कर सकती है यदि संगत द्विपक्षीय हवाई सेवा करार में उसे भारतीय वाहक के रूप में नामित किया गया हो। जहां कहीं इस प्रकार का नामन उपलब्ध होता है वहां एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स अपनी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे के साथ समन्वय करते हैं। इंडियन

एयरलाइन्स पहले से ही नेपाल, बंगलादेश और श्रीलंका को अपनी सेवाओं का प्रचालन कर रही है, जहां यातायात अधिकारों के होते हुए भी एयर इंडिया इस समय विमान सेवाएं प्रचालित नहीं कर रही है। तथापि इंडियन एयरलाइन्स को और देशों के लिए नामित करने के भी प्रयास किए जाते हैं बशर्ते उनके विमानों को प्रचालनात्मक कठिनाईयां नहीं हों।

विवरण

जिन देशों के लिए एयर इंडिया के पास यातायात अधिकार हैं लेकिन वहां पर प्रचालन नहीं किया जाता उनके नाम।

1.	आस्ट्रेलिया	23.	लिसोथो
2.	आस्ट्रिया	24.	नेपाल
3.	बंगलादेश	25.	नीथरलैंड
4.	बेलजियम	26.	नाइजेरिया
5.	भूटान	27.	फिलीपाइन्स
6.	बल्गारिया	28.	पोलैंउ
7.	बर्मा (मेयनमार)	29.	रोमानिया
8.	चीन	30.	सेयचिल्ली
9.	चिकोस्लोबकिया	31.	साऊथ कोरिया
10.	इजिप्ट	32.	स्पेन
11.	इथोपिया	33.	श्रीलंका
12.	फिजी	34.	सीरिया
13.	फिनलैंड	35	ताजिकिस्तान
14.	गुना	36.	टुर्की
15.	हंगरी	37.	तुर्किनिस्तान
16.	ईरान	38.	उक्रेने
17.	ईराक	39.	उजबेकिस्तान
18.	आयरलैंड	40.	वियतनाम
19.	इजराइल	41.	येमन (नार्थ)
20.	जोर्डन	42.	येमन (साऊथ)
21.	कजाकिस्तान	43.	यूगोस्लाविया
22.	लेबनान	44.	जिम्बाबे

[हिन्दी]

गुजरात में निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित करना

1798. श्री एन.जे. राठवा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक वर्ष स्थापित किए गए निर्यात संसाधन क्षेत्रों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का गुजरात में एक निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) कोई निर्यात संसाधन जोन स्थापित नहीं किया गया है। किंतु, देश में सात निर्यात संसाधन जोन हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें से किसी जोन की स्थापना नहीं हुई।

(ख) काण्डला में एक निर्यात संसाधन जोन कार्य कर रहा है। गुजरात में किसी नए निर्यात संसाधन जोन की स्थपना का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

यू. टी. आई. मास्टर गैन-92

1799. श्री विश्वनाथ शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की मास्टर गैन-92 देश के इतिहास में धन का अकेला सबसे बड़ा अंशदान था ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान यू.टी.आई. द्वारा जारी किए गए अन्य म्यूचुअल फण्डों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन म्युचुअल फण्डों की यूनिटों की बाजार दरें वास्तविक परिसम्पत्ति मूल्य से काफी कम है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा अपनी यूनिटों में निवेशकों का विश्वास पुनः पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की मास्टरगैन-92 योजना में 62 लाख से अधिक निवेशकों से 4712 करोड़ रुपए एकत्र किए

और अभी तक देश में एकमात्र सबसे बड़ा इश्यू रहा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए अन्य म्युचुअल फण्ड योजनाओं का विवरण, उनके द्वारा जुटाई गई निधियों के साथ नीचे दिया जा रहा है :

म्युचुअल फण्ड/योजना	राशि (करोड़ रुपए)
1.	2.
यूनिट ग्रोथ स्कीम 5000	277
मास्टर प्लस 91	1000
मास्टर इक्विटी प्लान 92	1274
मास्टर गेन -92	4712
यूनिट स्कीम 92	302
मास्टर इक्विटी प्लान 93	392
मास्टर ग्रोथ 93	446
ग्रण्ड मास्टर 93	68
मास्टर इक्विटी प्लान 94	738

(ग) और (घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की सूचीबद्ध योजनाओं की यूनिटों का बाजार मूल्य उनके निवल परिसम्पति मूल्यों से कम है। खरीद की गई यूनिटों की बाजार दरें मौजूदा निवल परिसम्पत्ति मूल्यों से कम होने के कारणों में अन्य बातों के साथ–साथ इन खरीद की गई प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण मांग और पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा तथा इस योजना के क्लोज एण्ड स्वरूप का होना है जो नियमित पुनः खरीद सुविधा आदि प्रदान नहीं करती ।

(ङ) निवेशक को बेहतर बाजार मूल्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान के लिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट बाजार से अपनी योजनाओं की यूनिटों की वापसी खरीद कर रहा है जहां पर इन्हें निवल परिसम्पत्ति मूल्य से कम से कम 10 प्रतिशत नीचे उद्घृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, इसमें अपनी चयनित निवेश योजनाओं के अन्तर्गत निवल परिसम्पत्ति मूल्य पर आधारित कीमत पर नवीन अथवा मौजूदा निधियों में यूनिटों के परिवर्तन की अनुमति का प्रस्ताव भी है। यह उपाय निवेशकों को बेहतर गतिशलीता प्रदान करने में सहायक होगा।

[हिन्दी]

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन

1800. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन में यात्रियों तथा निजी/सरकारी/विदेशी विमान कम्पनियों के लिये सुविधाओं में सुधार करने हेतु इस समय शुरू किये जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिये निर्धारित तिथि क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने जिम्मे लिए गए/जिम्मे लेने के लिए प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा।

क्र.सं.	कार्य का नाम	पूरा होने की संभावित तिथि
1.	कार्गो परिसर में सार्वजनिक सुविधा प्रखण्ड का निर्माण (अनुमानित लागत – 1.44 करोड़ रुपए)	नवम्बर, 1994
2.	एयर टैक्सी प्रचालकों आदि के लिए हैंगर, उपभवन तथा एप्रेन का निर्माण (अनुमानित लागत–6.98 करोड़ रुपए)	मई, 1995
3.	जंक्शन एन.एच.–8 से टर्मिनल-II तक मुख्य पहुंच मार्ग को चौड़ा करना (अनुमानित लागत -0.70 करोड़ रुपए)	कार्य पूरा हो गया।
4.	धावनपथ 10/28 - एस.एच. पर ग्लाइड पथ का संस्थापन। सड़क का निर्माण तथा क्षेत्र को समतल करना (अनुमानित लागत - 0.98 करोड़ रुपए)	–यथोपरि–
5.	नया अंतर्देशीय टर्मिनल परिसर, चरण-I (अनुमानित लागत -330.00 करोड़ रुपए)	परिशोधित साध्यता अध्ययन तैयार किया जा रहा है।
6.	अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बहुस्तरीय कार–पार्क का निर्माण (अनुमानित लागत - 22.00 करोड. रुपए)	योजना बी.ओ.टी. हेतु विचाराधीन है।
7.	टैक्सी ट्रैक के नीचे नए अंतर्देशीय टर्मिनल परिसर की ओर जाने वाले भूमिगत पार–पथ का निर्माण।	योजना बनाई जा रही है।
8.	टर्मिनल-II पर अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान पट्टियों का प्रतिस्थापन	अगस्त, 1994
9.	इंडियन एयरलाइन्स के सम्पूर्ण प्रचालन को टर्मिनल आई.बी. से टर्मिनल–आई.ए. में स्थानान्तरित करने के लिए टर्मिनल–आई.ए. का पुनरूपान्तरण। (अनुमानित लागत -10.00 लाख रुपए)	दिसम्बर, 1994

10.	अंतर्देशीय कूरियर टर्मिनल के रूप में प्रयोग करने हेतु वर्तमान सुविधाओं का पुनर्प्रतिरूपण। (अनुमानित लागत - 13.50 लाख रुपए)	कार्य पूरा हो गया।
11.	पूर्णतया स्वचालित प्रसारण प्रणाली एवं आवधित अग्निशमन तथा बचाव क्षमता युक्त, देश में विकसित अत्याधुनिक त्वरित अंतःक्षेपी वाहन शुरू करना।	सितम्बर, 1994
12.	आगन्तुकों के लिए टर्मिनल-II के नगर की तरफ स्प्लिट फ्लैप एफ.आई.डी. पट्टों का प्रावधान।	सितम्बर, 1994
13.	टर्मिनल-II पर उच्च क्षमता वाले एक्कालिक द्विभाषिक प्रदर्शन, कम्प्यूटरीकृत उड़ान सूचना बोर्ड सहित रंगीन क्लोज सर्किट टी.वी. मोनीटरों को लगाना।	कार्य पूरा हो गया है।

[अनुवाद]

कर्मचारी भविष्य निधि धनराशि

1801. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुग्ण एककों और विशेषकर महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबंध में ली गई एककों जैसे राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन एककों द्वारा सेवा निवृत्त श्रमिकों की भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के विरूद्ध की गई कार्यवाही/की जाने वाली दण्डात्मक कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्राकृतिक रबड़ का लागत मूल्य

1802. श्री पी.सी. थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981 से 1991 के दौरान प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान रबड़ की खेती की लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ग) प्राकृतिक रबड़ से निर्मित औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(घ) सरकार ने रबड़ को उत्पादन लागत में वृद्धि को देखते हुए किसानों को प्राकृतिक रबड़ के लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) वर्ष 1981 से 1991 के बीच प्राकृतिक रबड़ की उचित कीमत में प्रतिशत वृद्धि दर 167% थी।

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान रबड़ की खेती की लागत में प्रतिशत वृद्धि दर 150% थी।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1980-81 से 1990-91 के बीच टायर तथा ट्यूबों के थोक कीमत सूचकांक में 51.31% की वृद्धि हुई इसी अवधि के दौरान रबड़ तथा प्लास्टिक उत्पादों में 64.9% की वृद्धि हुई।

(घ) सरकार वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा की सिफारिशों के आधार पर प्राकृतिक रबड़ की बेंच मार्क कीमत की आवधिक घोषणा करती रही है। उक्त लागत लेखा शाखा प्राकृतिक रबड़ की खेती के लिए रबड़ उपजकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त विविध अन्तर्निविष्ट साधनों की लागत में समय-समय पर हुई वृद्धि को ध्यान में रखकर आवश्यक लागत का अध्ययन करती है। सरकार ने अन्तिम बेंच मार्क कीमत 22.2.94 की घोषित की और यह नवीनतम लागत अध्ययन रिपोर्ट पर आधारित है जिसमें कृषि की सम्बन्धित लागत और किसानों द्वारा प्रयुक्त अन्तर्निविष्टियों की लागत को ध्यान में रखा गया है।

[हिन्दी]

शीशे का आयात

1803. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीशे की एक किस्म जिसे विकसित देशों में मानव जीवन के लिए खतरनाक घोषित कर दिया गया है उसका भारत में आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने शीशे का आयात किया जा रहा है तथा इसका मूल्य क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की शीशे का आयात करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार को भारत में ऐसी किसी भी किस्म के ग्लास के आयात के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है जिसको विकसित देशों में मानव जीवन के लिए तथाकथित रूप से हानिकारक घोषित किया गया हो।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा विमानपत्तन

1804. श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा विमानपत्तन को बोइंग विमान के आवागमन के उपयुक्त बनाने हेतु किये जा रहे विकास कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) इस संबंध में उसकी तकनीकी और वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 79.57 एकड़ भूमि सौंपी है। इस भूमि पर चार दीवारी के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की 18 करोड़ रुपए की लागत से धावनपथ के विस्तार और सुदृढ़ीकरण एक टर्मिनल भवन के निर्माण तथा आधुनिक दिक्चालन सुविधाओं की व्यवस्था करने की योजना है। इंडियन एयरलाईन्स विजयवाड़ा हवाई अड्डे के लिए/से होकर यातायात संभाव्यता का पता लगा रही है।

बैंक हड़ताल

1805. **श्री बापू हरि चौरे :**

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बैंक कर्मचारियों की कई बार हड़तालें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है और उनके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार को इससे कितना घाटा हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) 1992-93 की अवधि के दौरान (जुलाई 1994 तक) बैंकिंग उद्योग में 12 हड़तालें हुईं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) बैंकिग उद्योग में होने वाली हड़तालों से जनता को बहुत अधिक असुविधा और व्यापार तथा उद्योग को बहुत अधिक वित्तीय हानि होती है। इसका कारण यह है कि हड़ताल के दिनों कारबार नहीं हो सकता है और समाशोधन गृह काम नहीं करते हैं। परन्तु इस कारण धन संबंधी हानि की मात्रा बताना संभव नहीं है।

विवरण

वर्ष 1992-94 के दौरान बैंकिंग उद्योग में हुई हड़तालों का उद्योग-वार विवरण

क्र. सं.	हड़ताल की तारीख	उन यूनियानों/ ऐसोसियेशनों के नाम जिन्होंने हड़ताल का आह्वान किया	मुद्दे/मांगें
1	2	3	4
1.	27 मार्च, 1992	एन.सी.बी.ई	नरसिंहम समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें और अन्य मुद्दे

2.	30 अप्रैल, 1992	एन.सी.बी.ई, बी.ई एफ आई, ए आई बी ओ सी	उपदान और अंशदायी भविष्य निधि के साथ पेंशन
3.	16 जून, 1992	ए.आई.बी.ई.ए, ए.आई बी ओ सी	नयी औद्योगिक नीति, नरसिंहम समिति, वेतन संशोधन, पेंशन योजना
4.	18 मार्च, 1993	ए.आई.बी.ई.ए	पेंशन शुरू करना, छटे द्विपक्षीय समझौते का शीर्ष निर्णय, आर आर बी कर्मचारियों को बकाये का भुगतान
		ए.आई.बी.ओ.ए	पेंशन शुरू करना, छठे द्विपक्षीय समझौते का शीघ्र निर्णय, आर आर बी कर्मचारियों को बकाये का भुगतान, संशोधित मार्ग निर्देश विनियम 20 (1) को वापस लेना
5.	29 मार्च, 1993	एन.सी.बी.ई, बी.ई एफ.आई, ए.आई. बी.ओ.सी, एन.ओ.बी.ओ, एन.ओ.बी.डब्ल्यू (जेएसी)	पेंशन योजना, वेतन संशोधन, सभी के लिए बोनस, निजीकरण करने के विरूद्ध
6.	2 सितम्बर, 1993	एन.सी.बी.ई, बी.ई एफ.ओ, ए.आई.बी. ओ.सी	सी.पी.एफ और उपदान सहित पेंशन, वेतन संशोधन, बैंकों का निजीकरण,अंतिरम राहत, लम्बित वेतन संशोधन, पेंशन शुरू करना, मूल वेतन के अनुसार पी.एफ. अंशदान और डी ए. अवशिष्ट मुद्दों पर अन्य मांगें।
7.	9 सितम्बर, 1993	ए.आई.बी.ओ.ए	निजीकरण के संबंध में सरकार के रवैये के विरूद्ध
8.	4 अक्तूबर, 1993	एन.सी.बी.ई,	सी.पी.एफ और उपदान सहित पेंशन, वेतन संशोधन, बैंकों का निजीकरण, अंतरिम राहत, लम्बित वेतन संशोधन, पेंशन शुरू करना, मूल वेतन के अनुसार पी.एफ में अंशदान और डी.ए. अवशिष्ट मुद्दों पर अन्य मांगें
9.	17 फरवरी, 1994	ए.आई.बी.ई.ए, ए.आई. बी.ओ.ए., बी.ई.एफ.आई	विरूद्ध : बैंकों के निजीकरण, शाखाओं को बंद करने, रोजगार के अवसर कम करने और रोजगार की सुरक्षा

		समर्थन में : शीघ्र वेतन संशोधन, आर. आर.बी. कर्मचारियों 1.9.87 से बकाये का भुगतान, दूसरी वित्तीय संस्थाओं पर सूचकांक से जुड़ी पेंशन योजना लागू, बैंक जमाराशि के वसूलकर्ताओं के मुद्दे का समझौता
10. 8 अप्रैल, 1994	जे.ए.सी, ए.आई.बी.ई.ए, एन.ओ.बी.डब्ल्यू, एन.सी बी.ई, बी.ई.एफ.आई, ए.आई.बी.ओ.सी	**विरूद्ध:** बैंकों का निजीकरण, शाखाओं को बंद करना, रोजगार के अवसर कम करने, रोजगार की सुरक्षा, शीघ्र वेतन सेंशोधन।
11. 5 मई, 1994	ए.आई.बी.ओ.सी, एन.ओ.बी.ओ	**समर्थन में:** एक अग्रिम वेतन वृद्धि, बैंक अधिकारियों को बेहतर चिकित्सा का लाभ
12. 11 मई, 1994	ए.आई.बी.ई.ए, ए.आई बी.ओ.ए, बी.ई. एफ.आई	**विरूद्ध:** बैंकों का निजीकरण, शाखाओं को बंद करना, रोजगार के अवसर कम करने और रोजगार की सुरक्षा, शीघ्र वेतन संशोधन।

चमड़ा के रुग्ण औद्योगिक एकक

1806. श्री मणिकराव होडल्या गावीत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से चमड़ा के रुग्ण औद्योगिक एककों की समस्याओं की जांच करने तथा उसे सुलझाने हेतु कोई प्रयास किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चमड़ा उद्योग में रुग्ण/कमजोर एककों की समस्याओं के अध्ययन के लिए और इन्हें दूर करने के उपायों का सुझाव देने के लिए उसने दिसम्बर 1992 में स्वयं ही एक समिति गठित की थी। समिति ने दिसम्बर 1993 में अपनी रिपोर्ट दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट की प्रतियां परीक्षण के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय को भेजी हैं।

बांगलादेश से हिल्सा मछली का आयात

1807. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल द्वारा बंगलादेश से हिल्सा मछली के आयात में समस्या पैदा हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य मधुआरा सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा बांगलादेश से हिल्सा मछली के सड़क, समुद्री और हवाई मार्गों से आयात की अनुमति देने के संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हिल्सा मछली के आयात की अनुमति वर्तमान आयात–निर्यात नीति के तहत नहीं है लेकिन इसे किसी लाइसेंस पर ही आयात किया जा सकता है।

भारतीय स्टेट बैंक और मारगन स्टेनले के विरूद्ध शिकायत

1808. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को भारतीय स्टेट बैंक तथा मारगन स्टेनले के पब्लिक इश्यू के निवेशकों से उनके विरूद्ध शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और किस प्रकार की शिकयतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच आदेश दिए गए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) निवेशकों की शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता विमानपत्तन के नए टर्मिनल कॉम्पलेक्स का चालू होना

1809. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता विमानपत्तन के नए टर्मिनल कॉम्पलेक्स को चालू करने हेतु क्या तिथि निर्धारित की गई है ;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) कलकत्ता विमानपत्तन का नाम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) कलकत्ता में नये टर्मिनल परिसर के चालू होने का लक्षित समय दिसम्बर, 1994 है। 96 प्रतिशत कार्य पहले ही पूरा हो गया है।

(ग) सरकार ने कलकत्ता हवाई अड्डे का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर रखन का निर्णय पहले ही ले लिया है। तथापि जब तक यहां पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया नहीं करवा ली जाती तब तक औपचारिक पुनर्नामांकन स्थगित रखा जाएगा।

ताड़ी के पेड़ों के फाइबर तथा डंठल का निर्यात

1810. श्री धर्मभिक्षम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ताड़ी के पेड़ों के फाइबर तथा डंठल को कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उससे देश–वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : सरकार ताड़ी के पेड़ों के फाइबर तथा डंठल के निर्यात आंकड़े अलग से नहीं रखती है। किन्तु, ब्रुशों के लिए पाम फाइबर के निर्यात के ब्यौरे रखे जा रहे हैं, जिसके आंकड़े निम्नलिखित हैं :

मात्रा : एम टी में
मूल्य : हजार रुपये में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1992-93	3981	81406
1993-94 (अनन्तिम)	3411	59575

स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस

इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखाएं

1811. डा. पी. बल्लल पेरुमान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 तक की स्थिति के अनुसार इंडियन ओवरसीज बैंक की प्रत्येक क्षेत्र में कितनी शाखाएं हैं ;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र की कितनी शाखाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग शाखा प्रबंधक हैं ; और

(ग) इंडियन ओवरसीज बैंक में शाखा प्रबंधकों के पद पर नियुक्ति में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार इण्डियन ओवरसीज बैंक की शाखाओं की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना प्रणाली से मांगी गयी सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, इसे इण्डियन ओवरसीज बैंक से एकत्र किया जा रहा है और यथा उपलब्ध सूचना सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

31.3.1994 की स्थिति के अनुसार इण्डियन ओवरसीज बैंक की शाखाओं की राज्यवार संख्या

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	2.	3.
1.	आन्ध्र प्रदेश	107
2.	अरूणाचल प्रदेश	-
3.	असम	8
4.	बिहार	16
5.	गोवा	11
6.	गुजरात	50
7.	हरियाणा	8
8.	हिमाचल प्रदेश	4
9.	जम्मू और कश्मीर	1
10.	कर्नाटक	57
11.	केरल	99
12.	मध्य प्रदेश	8
13.	महाराष्ट्र	60
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	1
16.	मिजोरम	-

1.	2.	3.
17.	नागालैण्ड	-
18.	उड़ीसा	68
19.	पंजाब	36
20.	राजस्थान	9
21.	सिक्किम	-
22.	तमिलनाडु	627
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	64
25.	पश्चिम बंगाल	55
26.	अंडेमान और निकोबार	1
27.	चण्डीगढ़	1
28.	दादरा और नागर हवेली	-
29.	दमन और दीव	-
30.	दिल्ली	26
31.	लक्षद्वीप	-
32.	पाण्डिचेरी	7
	जोड़ :	1326

हिन्दी]

बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1812. श्री ललित उसांव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ग्रमीण क्षेत्रों में कितने ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं और उनकी कुल जमाराशि और कार्यकारी पूंजी पृथक-पृथक कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों से कितने ग्राहक लाभन्वित हुए हैं ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा अलग-अलग कितनी राशि ऋण के रूप में

वितरित की गई और कितनी राशि वसूली गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मार्च 1993 के अंत तक की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध आंकड़े) बिहार राज्य में बाईस क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक कार्य कर रहे हैं। इन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई राशियां और उनकी कार्यशील पूंजी क्रमशः 870.15 करोड़ रुपए और 1020.48 करोड़ रुपए थी।

(ख) और (ग) सूचना नीचे की सारणी में दी गई है :

31 मार्च की स्थिति

क्रम सं.	विवरण	1991	1992	1993
1.	पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभ प्राप्त करने वाले ग्रामीण ग्राहकों की संख्या	279170	107738	93300
		(लाख रुपए)		
2.	संवितरित ऋण राशि	6468.92	4473.13	3958.98
3.	वसूल की गई ऋण राशि	6690.58	3078.58	3265.47

[अनुवाद]

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिये विवेकपूर्ण मानदण्ड

1813. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जून 1994 में विवेकपूर्ण मानदण्ड लागू किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या लीजिंग कंपनियों के संघ ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से यह अनुरोध किया है कि गैर–बैंकिंग वित्तीय समितियों को दो वर्ष की अवधि में उपयुक्तता संबंधी मानदण्डों के लागू करने तथा उनका पालन करने की अनुमति दी जाये ;

(घ) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है तथा छूट/रियायत किन–किन आधारों पर मांगी गयी है ; और

(ङ) गैर–बैंकिंग वित्तीय समितियों के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि वित्तीय कम्पनियों से संबंधित कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में उन्होंने उन गैर–बैंककारी वित्तीय कम्पनियों और अवशिष्ट गैर–बैंककारी कम्पनियों के लिये विवेकपूर्ण मानदण्ड वाले दिशानिर्देश जारी किये हैं जिनके पास 50 लाख रुपए की स्वामित्व वाली निवल निधियां हैं और जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत हैं। ये दिशानिर्देश जिनकी मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं, का लक्ष्य जनता में अधिकाधिक विश्वास पैदा करना, वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और सुदृढ़ता सुनिश्चित करना, परिचालन में अधिकाधिक स्पष्टता और जिम्मेदारी लाना और अर्थव्यवस्था में बढ़े हुए संसाधन जुटाने को प्रोत्साहित करना है।

(ग) से (ङ) विवेकपूर्ण मानदण्डों से संबंधित दिशानिर्देश जारी किये जाने के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक को लीजिंग कम्पनियों के संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

विवेकपूर्ण मानदण्डों से संबंधित मार्ग निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं

1. आय और अनुपयोज्य आस्तियों की गणना करना

पहले से देय लेकिन छः महीने की अवधि के अन्दर प्राप्त न होने वाली आय को उस समय तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि इस प्रकार की आय वास्ताव में प्राप्त नहीं हो जाती। आस्तियों को वसूली के रिकार्ड के आधार पर अनुपयोज्य आस्ति (एन.पी.ए) के रूप में वर्गीकृत करना होता है। यदि मूलधन/किस्तों की अदायगी पहले से ही देय है, लेकिन छः महीने की अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होती है, तो इस प्रकार के ऋणों या अग्रिमों को अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करना होता है। पट्टा लेखा, मूल्यह्रास आदि के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए समस्त लेखा मानकों तथा मार्गदर्शन टिप्पणियों का अनुसरण किया जा सकता है।

2. निवेशों के लिए लेखा प्रक्रिया

निवेशों को दो श्रेणियों में वगीकृत करना होता है – दीर्घावधिक निवेश और चालू निवेश। चालू निवेश वे हैं, जो तत्काल वसूली योग्य होते हैं और जिन्हें निवेश की तारीख से एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं रोका जाता। दीर्घावधिक निवेश चालू निवेश नहीं है। जबकि दीर्घावधि निवेशों का मूल्य लागत के अनुसार लगाना होता है, लेकिन चालू निवेशों का मूल्य लागत से कम और बाजार मूल्य पर लगाना होता है।

3. परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और प्रावधान

परिसम्पत्तियों को चार श्रेणियों में वगीकृत करना होता है :-

(I) मानक परिसम्पत्तियां, (II) अव–मानक परिसम्पत्तियां,

(III) संदिग्ध परिसम्पत्तियां और (IV) हानि वाली परिसम्पत्तियां।

अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान संबंधी मानदण्ड अंतिम तीन श्रेणियों की परिसम्पत्तियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। तुलन–पत्र वाली परिसम्पत्तियों पर जोखिम भार और तुलन–पत्र बाह्य एक्सपोजर मदों के लिए ऋण रूपांतरण घटक भी निर्धारित किए गए हैं।

जबकि बैंक में जमा शेष नकदी और सरकारी एवं अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों को "शून्य" वेटेज प्रदान किया गया है, अन्य परिसम्पत्तियों को शतप्रतिशत बेटेज प्रदान किया गया है। तुलन–पत्र बाह्य एक्सपोजर मदों में 50 से 100 प्रतिशत के बीच ऋण रूपांतरण घटक होता है।

4. पूंजी पर्याप्तता अनुपात

पंजीकृत वित्तीय कंपनियों से कहा गया है कि वे जोखिम–भारित परिसंपत्तियों और तुलन–पत्र बाह्य एकसपोजरों के रूपांतरण के आधार पर 31 मार्च, 1995 तक छः प्रतिशत और 31 मार्च, 1996 तक आठ प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्राप्त करें।

5. पूंजी की संरचना

पूंजी की दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। पहली श्रेणी में चुकता इक्विटी पूंजी और निर्बंध प्रारक्षित निधियां, शामिल होंगी। दूसरी श्रेणी की पूंजी में अधिमान शेयर, पुनर्मुल्यांकन प्रारक्षित निधियां, सामान्य प्रावधान और हानि वाली प्रारक्षित निधियां शामिल होंगी जो अपेक्षित राशियों और मिश्रित ऋण पूंजी लिखतों/गौण ऋण, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होंगी। दूसरी श्रेणी की पूंजी पहली श्रेणी की पूंजी से अधिक नहीं होगी। पहली श्रेणी की पूंजी का हिसाब लगाते समय, अनुषंगी कंपनियों और उसी समूह की कंपनियों तथा अन्य बैंककारी वित्तीय कंपनियों में पंजीकृत वित्तीय कंपनियों की स्वाधिकृत निधियों के 10% से अधिक के निवेश और ऋणों तथा अग्रिमों को कम कर दिया जाएगा।

6. ऋण/निवेशों का संकेन्द्रण

पंजीकृत वित्तीय कंपनियों को किसी एक पार्टी को अपनी निवल स्वाधिकृत निधियों के पन्द्रह प्रतिशत या पार्टियों के एक समूह को अपनी निवल स्वाधिकृत निधि के पच्चीस प्रतिशत से अधिक उधार नहीं देना चाहिए। यदि इन सीमाओं से अधिक उधार, यदि कोई हो, दिया गया हो, तो उसे अनुसूची के अनुसार देय राशियों की वापसी अदायगी के दौरान कम किया जाना चाहिए। किसी वित्तीय कंपनी को दूसरी कंपनी के शेयरों और डिबेंचरों में अपनी स्वीधिकृत निधियों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं करना चाहिए। किसी समूह से संबंधित कंपनियों में या किसी विशेष उद्योग में निवेश के संबंध में अनुवर्ती जोखिम को ध्यान में रखते हुए वित्तीय कंपनी की पोर्टफोलियो का विविधीकरण करने का प्रयास करना चाहिए।

7. अनुपालन की सूचना देना

पंजीकृत वित्तीय कंपनियों द्वारा मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक रिपोर्टिंग फार्मेट किया गया है जिसे लेखा परीक्षक के प्रमाण–पत्र सहित प्रत्येक वर्ष सितम्बर और मार्च के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रस्तुत करना होता है।

8. ऋण पात्रता निर्धारण

पंजीकृत वित्तीय कंपनियों के लिए चरणबद्ध रूप से एक अनिवार्य ऋण–पात्रता निर्धारण प्रणाली भी शुरू की गई है। कंपनियों से कहा गया है कि वे पहला निर्धारण 31 मार्च, 1995 तक प्राप्त करें और इसे संबद्ध छमाही विवरणी के साथ प्रस्तुत करें। वर्ष में कम से कम एक बार नया निर्धारण प्राप्त करना होता है। अलबत्ता, जिन कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधियां 2 करोड़ रुपए से कम हैं, उन्हें यह निर्धारण अधिक से अधिक 31 मार्च, 1996 तक प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल

1814. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों की राज्य–वार संख्या कितनी है ; और

(ख) इन होटलों में पर्यटन मौसम के समय लोगों के ठहरने का प्रतिशत क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकरी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

लोक सभा में दिनांक 5.8.94 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 1814 के उत्तर में उल्लिखित विवरण–पत्र जिसमें भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न होटलों में वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में मौसम की अवधि (अक्तूबर से मार्च) के दौरान होटलों के प्रतिशत अधिभोग को दर्शाया गया है।

राज्य	होटल का नाम और अवस्थिति	अधिभोग (%)		
		1991-92 (अक्तूबर से मार्च)	1992-93 (अक्तूबर से मार्च)	1993-94 (अक्तूबर से मार्च)
1	2	3	4	5
बिहार	1. होटल पाट्लीपुत्र अशोक, पटना	57	38	57
	2. होटल बोधगया अशोक, बोधगया	52	56	58
हिमाचल प्रदेश	1. होटल मनाली अशोक, मनाली	-	10	41
जम्मू और कश्मीर	1. होटल जम्मू अशोक, जम्मू	25	20	20
कर्नाटक	1. होटल अशोक बंगलौर, बंगलौर	54	50	45
	2. ललिता महल पैलेस होटल, मैसूर	69	66	68
	3. होटल हसन अशोक, हसन	30	43	41

1	2	3	4	5
केरल	1. कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट, कोवलम	73	72	80
मध्य प्रदेश	1. होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो	45	37	46
महाराष्ट्र	1. होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	59	44	34
उड़ीसा	1. होटल कलिंगा अशोक, भुवनेश्वर	49	40	33
राजस्थान	1. होटल जयपुर अशोक, जयपुर	48	36	33
	2. लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	70	70	72
तमिलनाडु	1. टेम्पल बे अशोक बीच रिसोर्ट मामल्लापुरम	89	64	58
	2. मदुरै अशोक, मदुरै	60	55	53
उत्तर प्रदेश	1. होटल वाराणसी आशोक, वाराणसी	54	42	40
	2. होटल आगरा अशोक, आगरा	66	58	51
पश्चिम बंगाल	1. होटल एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	48	40	32
दिल्ली	1. अशोक होटल, नई दिल्ली	65	74	68
	2. जनपथ होटल, नई दिल्ली	65	80	84
	3. रणजीत होटल, नई दिल्ली	50	39	56
	4. लोधी होटल, नई दिल्ली	52	57	77
	5. कुतुब होटल, नई दिल्ली	48	66	76
	6. कनिष्क होटल, नई दिल्ली	55	84	84
	7. अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	57	46	49
	8. सम्राट होटल, नई दिल्ली	66	94	95

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किराए पर लिए गए आवास

1815. श्री राम प्रसाद सिंह :

श्रीमती सरोज दुबे :

श्री राजवीर सिंह :

श्री सुधीर सावंत :

श्रीमती बिभू कुमारी देवी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री 29 अप्रैल, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5492 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा भारत में तथा विदेशों में विभिन्न स्थानों पर किराए पर लिए गए कार्यालयों एवं अन्य आवासों से सम्बन्धित सूचना अभी एकत्र की जा रही हैं सूचना प्राप्त होने पर इस सदन के पटल पर रख दिया जाएगा। चूंकि मांगी गई सूचना अत्यधिक व्यापक है इसलिए इसे एकत्र करने एवं मिलने में कुछ और समय लगेगा।

ऋण मेला

1816. श्री एच.डी. देवगौड़ा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1990 तक सरकार ने "ऋण मेला" द्वारा कितनी राशि का ऋण दिया गया ;

(ख) "ऋण मेला" के द्वारा दी गई राशि में अब तक कितनी माफ की गई है ; और

(ग) अभी कितनी धनराशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) की योजना के लिए, ग्राम स्तर पर ऋण शिविर आयोजित किए जा सकते हैं, जहां हिताधिकारियों के मामलों को मंजूरी के स्तर तक अंतिम रूप प्रदान किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत आंकड़ा सूचना प्रणाली से इस प्राकर के ऋण शिविरों के अंतर्गत संवितरित किए गए ऋणों की कुल राशि के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार के ऋण शिविरों के अंतर्गत संवितरित किए गए ऋणों में से माफ की गई राशि और बकाया राशि के संबंध में भी सूचना प्राप्त नहीं होती। बैंक कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए स्वयं भी ऋण शिविर आयोजित कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जून 1993 के

अंत की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में आई.आर.डी.पी. ऋणों की वसूली की प्रतिशतता 30.3 (अनन्तिम) थी।

पुष्प कृषि उत्पादों का निर्यात

1817. श्री अन्ना जोशी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कटे हुए फलों, कृत्रिम कल्चर्ड पौधों और अन्य पुष्प कृषि उत्पादों की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान देशवार पुष्प उत्पादों का कुल कितना निर्यात हुआ और इससे कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ ;

(ग) पुष्प उत्पादकों को दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा पुष्प उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणज्यि मंत्री (श्री प्रवण मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पुष्पोत्पादों का निर्यात निम्नानुसार रहा

(मूल्य : लाख रु.)

	1990-91	1991-92	1992-93
बल्वस, ट्यूबर्स, ट्यूबरस रूट्स	43.30	120.59	78.343
अन्य जीवित पौधे	315.44	401.532	305.663
टूटे फूल	260.29	683.305	844.365
पौधे की पर्ण समूह शाखाएं और अन्य हिस्से	167.74	274.753	262.320
योग	796.40	1480.183	1490.691

उपरोक्त पुष्पोत्पादों के देशवार निर्यात ब्यौरे डी.जी.सी.आई एण्ड एस, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेटिस्टिक्स ऑफ फारेन ट्रेड ऑफ इण्डिया (खण्ड-1) के 1990-1991, 1991-92 और 1992-93 के वार्षिक अंकों में दिए गए हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) और नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड (एन.एच.बी) के पास कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत निर्यात अभिमुख पुष्पोत्पाद परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। ये योजनाएं अवस्थापना एवं सेवाओं, फसल–पश्चात प्रबन्धन, आदि के लिए हैं।

(घ) सरकार द्वारा पुष्पोत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं :

(I) जीवित पौधों तथा अन्य पौधों, बल्बों, जड़ों और समतुल्य हिस्सों, टूटे फूलों और औनामेन्टल फोइलेज पर आयात शुल्क में कटौती। निजाई/रोपण के लिए बीजों, ट्यूबर्स, बल्बों, कटिंग अथवा वालवृक्षों, आदि के आयात पर सीमाशुल्क से छूट है।

(II) पौध संगरोधन क्रियाविधियों को सुव्यवस्थित करना,

(III) किसी पौध मूल के पुष्पों के बीजों और टिश्यू कल्चर सामग्री के आयात की अनुमति अब बिना किसी आयात परमिट के दी जाती है।

(IV) 100% निर्यात अभिमुख एकक योजना पुष्पोत्पादों के लिए भी लागू करना,

(V) वर्ष 1993-94 के दौरान आजमाइशी आधार पर हवाई भाड़ा इमदाद देना,

(VI) दिल्ली, बंबई और बंगलौर विमानपत्तनों पर कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का प्रावधान।

रबड़ की खेती

1818. श्रीमती बिधू कुमारी देवी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा में रबड़ की खेती को बढ़ावा देने की संभावना का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य में रबड़ की खेती के विकास हेतु कोई योजना भी बनायी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। त्रिपुरा में रबड़ रोपण का विकास कार्य सन् 1963 में आरंभ किया गया था। इस समय इस राज्य में रबड़ की खेती में 19,228 हेक्टेयर भूक्षेत्र कवर किया हुआ है और ऐसा अनुमान है कि वहां रबड़ बागान के लिए 5,0000 हेक्टे. अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो जायेगी।

(ग) और (घ) जी हां। रबड़ बोर्ड त्रिपुरा सहित देश में रबड़ बागानों के विकास हेतु एक रबड़ बागान विकास योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना में सामान्य श्रेणी के उपजकर्त्ताओं के लिए 8000/- रु. प्रति हेक्टे. का नकद उपदान तथा 3000/- रु. प्रति हेक्टे. के हिसाब से रोपण सामग्री उपदान और अनु.जाति/अनु.जनजाति के लाभार्थियों के लिए 4000/- रु. प्रति हेक्टे. के रोपण सामग्री उपदान दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा, चौहदी संरक्षण, सिंचाई और उर्वरकों जैसी निर्विष्टियों के लिए भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। विश्व बैंक की सहायता प्राप्त रबड़ परियोजना वाले क्षेत्र त्रिपुरा के लिए 28.2 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय रखा गया है। त्रिपुरा क्षेत्र की एक विशेषता यह है कि आदिवासी विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी जिसका उद्देश्य यह है कि एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर राज्य का समग्र विकास किया जाए।

[हिन्दी]

गुजरात में चाय बागान लगाना

1819. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से गुजरात में चाय बागानों को लगाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितने क्षेत्रों की पहचान की गई है ; और

(ग) किसानों को चाय की खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) चाय बोर्ड ने गुजरात एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन की सहायता से गुजरात में चाय की खेती की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अगस्त, 1990 में एक सर्वेक्षण किया था। गुजरात के तीन जिलों अर्थात सूरत, डांग और वलसाड में किए गए इस सर्वेक्षण में पाया गया कि वहां जलवायु दशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल नहीं हैं। किन्तु, गुजरात राज्य सरकार के अनुरोध पर चाय बोर्ड और आगे अध्ययन के लिए डांग और सूरत जिलों में आजमाइशी बागान लगाने पर सहमत हो गया है। गुजरात राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव के बारे में अभी तक उत्तर नहीं दिया है।

(ग) चाय बोर्ड चाय उद्योग में विकास क्रियाकलापों के लिए ऋण, पूंजी उपदान और बैंक ऋणों पर ब्याज उपदान देकर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चाय की खेती आरंभ करने के लिए छोटे चाय उपजकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु बोर्ड विशेष निविष्टि एवं ब्याज उपदान योजनाएं चलाता रहा है।

[अनुवाद]

हथकरघा विकास केन्द्र

1820. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री रवि राय :

श्री अमर पाल सिंह :

श्री महेश कनोडिया :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने हथकरघा विकास केन्द्र और उत्कृष्ट रंगाई एकक कार्य कर रहे हैं ;

(ख) 1994-95 के दौरान राज्य–वार कितने हथकरघा विकास केन्द्रों और उत्कृष्ट रंगाई एककों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य–वार कितनी धनराशि प्रदान की जायेगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) देश में इस समय मंजूर किए गए हथकरघा विकास केन्द्र और उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की संख्या इस प्रकार है :-

हथकरघा विकास केन्द्र	उत्कर्ष रंगाई इकाईयां
328	87

(ख) वर्ष 1994-95 में प्रस्तावित हथकरघा विकास केन्द्रों और उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की संख्या इस प्रकार है :-

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 1994-95 के लिए लक्ष्य	
		ह.वि.कें.	उ.र.इ.
1.	2.	3.	4.
1.	आंध्र प्रदेश	98	16
2.	अरूणाचल प्रदेश	4	1
3.	असम	88	11
4.	बिहार	44	6
5.	गुजरात	8	2
6.	गोआ	1	-
7.	हरियाणा	8	2
8.	हिमाचल प्रदेश	15	2
9.	जम्मू व कश्मीर	19	3
10.	कर्नाटक	35	5
11.	केरल	23	3
12.	मध्य प्रदेश	21	3
13.	महाराष्ट्र	29	5
14.	मणिपुर	69	9
15.	मेघालय	5	1

1.	2.	3.	4.
16.	मिजोरम	10	2
17.	नागालैंड	14	2
18.	उड़ीसा	63	13
19.	पंजाब	4	1
20.	राजस्थान	13	2
21.	तमिलनाडु	97	14
22.	त्रिपुरा	14	2
23.	उत्तर प्रदेश	109	16
24.	पश्चिम बंगाल	156	21
25.	दिल्ली	4	1
26.	पांडिचेरी	10	2
		961	145

(ग) वर्ष 1994-95 में हथकरघा विकास केंद्रों और उत्कर्ष रंगाई इकाईयों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को राशि जारी की जाएगी।

[हिन्दी]

रुग्ण इकाइयों को पुनः चालू करना

1821. **श्री काशी राम राणा :**

श्री राम टहल चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के पुनर्वास योजना के अंतर्गत बी.आई.एफ.आर. द्वारा कुल कितनी रुग्ण औद्योगिक इकाइयों/सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए सहायता प्रदान की गयी तथा किन शर्तों पर इन इकाइयों को सहायता दी गयी ; और

(ख) बी.आई.एफ.आर. द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र अथवा सरकारी क्षेत्र के उपरोक्त एकक पुनर्वास योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करें, क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर) ने सूचित किया है कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस.आई.सी.ए) के अन्तर्गत रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पुनरूद्धार के लिये सहायता केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, बैंक/वित्तीय संस्थाओं इत्यादि द्वारा दी जाती है। तथापि, वर्ष 1993 के दौरान बी.आई.एफ.आर ने ऐसी कम्पनियों (एक सरकारी उपक्रम सहित) के लिए 90 पुनर्वास योजनाओं को मंजूरी दे दी है। अनुमोदित कर दिया है। अनुमोदित, मंजूर पुरुद्धार योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की बी.आई.एफ.आर द्वारा आवधिक रूप से निगरानी की जाती है।

बेरोजगारी

1822. श्री भगवान शंकर रावत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार कितने बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत थे ;

(ख) 30 जून, 1993 को ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी थी ; और

(ग) सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) 31.3.1992 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की राज्यवार संख्या, यह आवश्यक नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 30.6.1993 की स्थिति के अनुसार देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या 36309.9 हजार थी।

(ग) रोजगार अवसरों का विस्तार आठवीं पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है तथा योजना नीति में रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए उच्च रोजगार संभाव्यता वाले ऐसे सैक्टरों, सब–सैक्टरों और क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि पर बल दिया गया है।

विवरण

31.03.1992 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या।

(हजार में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश		चालू रजिस्टर पर संख्या
1.	2.	3.
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	3268.4
2.	अरूणाचल प्रदेश	5.3
3.	असम	1336.7

1	2	3
4.	बिहार	3645.6
5.	गोवा	102.6
6.	गुजरात	988.3
7.	हरियाणा	630.1
8.	हिमाचल प्रदेश	464.7
9.	जम्मू और कश्मीर	138.1
10.	कर्नाटक	1458.8
11.	केरल	3734.7
12.	मध्य प्रदेश	1994.9
13.	महाराष्ट्र	3187.4
14.	मणिपुर	198.1
15.	मेघालय	24.3
16.	मिजोरम	37.4
17.	नागालैंड	23.8
18.	उड़ीसा	913.0
19.	पंजाब	746.5
20.	राजस्थान	919.7
21.	सिक्किम *	
22.	तमिलनाडु	3506.8
23.	त्रिपुरा	174.0
24.	उत्तर प्रदेश	2698.4
25.	पश्चिम बंगाल	5130.8
संघ शासित प्रदेश		
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.0
27.	चंडीगढ़	160.3

27.	चंडीगढ़	160.3
28.	दादर और नगर हवेली	2.5
29.	दिल्ली	909.4
30.	दमन और दीव	2.4
31.	लक्षद्वीप	6.4
32.	पांडिचेरी	125.1
	योग	36551.4

टिप्पणी :- 1. * इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा।

2. यह हो सकता है कि पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खायें।

[अनुवाद]

बीजों का निर्यात

1823. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94 के दौरान निर्यात किए गए बीजों का कुल मूल्य बीजवार कितना था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महानिदेशक, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा रखे जा रहे आई.टी.सी. (सुमेलित प्रणाली) वर्गीकरणों के अनुसार वर्ष 1993-94 के दौरान निर्यातित बीजों का मूल्य अनन्तिम तौर पर निम्नानुसार आंका गया है :

मात्रा : हजार किग्रा.
मूल्य : हजार रु.

विवरण	मात्रा	मूल्य
1	2	3
आलू बीज	1184	5239
मकई बीज	601	2495
छिल्का सहित चावल (धन अथवा सावुत धान)	184	1470
अन्य चुकन्दर बीज	34	14888
लौंग बीज	120	2562
अन्य चारा पौधों के बीज	1956	11545

शाकीय पौधों के बीज	100	2498
बंदगोभी के बीज	159	1457
फूलगोभी के बीज	7	238
प्याज के बीज	8	664
मूली के बीज	114	3321
अनार के बीज	9	392
टमाटर के बीज	22	40086
इमली के बीज	2484	17518
रोपण हेतु सब्जियों के बीज एन.ई.एस	2062	75477
रोपण हेतु फलों के बीज	437	14764
रोपण हेतु अन्य बीज	1488	61735
योग :	10969	256459

टिप्पणी : इस सारणी में वे कतिपय बीज मदें शामिल नहीं की गई हैं जिनका प्रयोग विशुद्ध रूप से बीज के रूप में नहीं किया जा रहा है जैसे–तिलहन, जीरा और धनिया बीज, आदि।

एन.ई.एस – जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं हुआ हो।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

1824. श्री प्रकाश वी. पाटील :

श्री राम नायक :

क्या वित्त मंत्री 13 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7450 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक की निरीक्षण मंडल दल की रिपोर्ट प्राप्त की है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित ऋण की राशि कितनी है ; और

(घ) इस संबंध में अब तक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों/देशों से प्राप्त ऋण/सहायता की राशि क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) मिशन ने परियोजना निर्माण की प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए सतारा, लातूर, उस्मानाबाद और शोलापुर जिलों का दौरा किया और सभी कार्यान्वयनकारी अभिकरणों के अधिकारियों की बम्बई में परियोजना चलाने के लिए कार्यशाला का संचालन किया। मिशन ने परियोजना के विभिन्न संघटकों और परियोजना के आरम्भिक क्रियाकलापों पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श भी किया तथा विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त महाराष्ट्र आपातिक भूकम्प पुनर्वास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले प्रबंधों का एक विस्तृत मूल्यांकन भी किया।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में भूकम्प राहत के लिए अनुदानों/वस्तुगत सहायता के रूप में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों/देशों (विश्व बैंक सहित) द्वारा अब तक पेश की गयी सहायता की राशि लगभग 895.5 करोड़ रुपये बैठती है।

लघु औद्योगिक क्षेत्र की ऋण आवश्यकताएं

1825. श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं का निरीक्षण करने के लिए विशेष निगरानी एजेंसी का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस एजेंसी का आज तक क्या कार्यनिष्पादन रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) ने सूचित किया है कि जब कि लघु उद्योग क्षेत्र (एस.एस.आई) की वास्तविक ऋण आवश्यकताओं का पर्यवेक्षण करने के लिए कोई विशेष निगरानी एजेंसी स्थापित नहीं की गई है, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण के प्रवाह की पुनरीक्षा करने और अन्य संबंधित मामलों के लिए एक उच्च स्तरीय स्थायी सलाहकार समिति पहले से भारतीय रिजर्व बैंक में कार्य कर रही है। लघु उद्योग क्षेत्र की शिकायतों को देखने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने शिकायत निवारक तंत्र की स्थापना का भी प्रस्ताव किया है।

केरल की पर्यटन परियोजनाएं

1826. श्री वी.एस. विजयराघवन :

श्री रमेश चेन्नित्तला :

श्री पी.सी. थामस :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई लंबित पर्यटन परियोजनाओं के प्रसताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन परियोजनाओं को अनुमति देने संबंधी क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सभी पूरे परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता लेने के लिए अभी तक कोई परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

जीवन बीमा निगम के एजेन्ट

1827. श्री बलराज पासी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के पति/पत्नी को जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी) के एजेन्ट के रूप में काम करने की अनुमति नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण तथा औचित्य है ;

(ग) क्या कुछ एल.आई.सी. एजेन्ट जो सरकारी कर्मचारियों के पति/पतनी हैं, के खिलाफ न्यायालय में मामले लंबित हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) 31.8.1981 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी एक आदेश के आधार पर केन्द्र/राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के पति/पत्नी को जीवन बीमा निगम में एजेन्ट के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं है। यह आदेश जीवन बीमा निगम एजेन्सी प्रणाली के बारे में कदाचार और लोक आलोचना से बचने के लिए जारी किया गया था। उक्त आदेशों के अन्तर्गत 7.12.1993 को जीवन बीमा निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा श्रीमती एम. कलावती, जो एक एजेन्ट हैं, की सेवाएं समाप्त कर दी गयीं। 9.3.1994 को जीवन बीमा निगम बोर्ड ने उनके द्वारा की गयी अपील को अस्वीकार कर दिया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने श्रीमती कलावती द्वारा फाइल विविध याचिका (डब्ल्यू पी एम सं. 8481/94-1994 के डब्ल्यू पी.सं. 6925 में) में जीवन बीमा निगम को संबंधित दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय के उक्त निर्देश का अनुपालन जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम ने सूचना दी है कि इस प्रकार का केवल यही एक मामला न्यायालय में लम्बित पड़ा है।

[हिन्दी]

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990

1828. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन किसानों, काश्तकारों और बुनकरों की ओर 2 अक्तुबर, 1989 तक 10 हजार

रुपए (ब्याज सहित) के बैंक ऋण बकाया थे, कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत उनके ऋणों को माफ करने का कोई प्रावधान है ;

(ख) क्या बिहार के सहकारी बैंकों ने कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत ऋण वितरित करने के पश्चात राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक और प्रमुख बैंकों को अपने दावे भेज दिये हैं ;

(ग) क्या इन बैंकों ने बिहार के सहकारी बैंकों पर ब्याज की बकाया राशि समायोजित की है और नकद भुगतान नहीं किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत बिहार के लिए अब तक कितनी राशि स्वीकृत की है/वितरित की है और कितने दावे अभी भी स्वीकृति के लिए लम्बित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990, भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी थी। यह योजना जानबूझकर चूक न करने वाले ऋणकर्ताओं (किसान, ग्रामीण कारीगर/बुनकर सहित) के 2.10.1989 तक के अतिदेय ऋणों को माफ करने के लिए थी। अतिदेय ऋणों की यह माफी प्रति ऋणकर्ता अधिकतम 10,000/- रुपए (मूलधन और ब्याज) थी। इस योजना का उद्देश्य एक बारगी उपाय था ताकि नए ऋण प्राप्त करने के लिए उन्हें पात्र बनाया जा सके।

(ख) से (ङ) सहकारी समितियों को अपने दावे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के पास प्रस्तुत करने होते हैं। सहकारी बैंकों द्वारा बिहार में कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के पास प्रस्तुत किए कुल दावे और इसके द्वारा मंजूर की गई राशि नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपए)

		एस.सी.बी.	एस.आई.डी.बी.
I.	प्राप्त दावे	400.913	148.151
II.	वे दावे जिन पर मंजूरी के लिए विचार किया गया	129.284	96.606
III.	नाबार्ड द्वारा मंजूर की गई राशि (मंजूरी+ऋण)	186.746	88.00

दावों में शामिल किए गए दंडात्मक और चक्रवृद्धि ब्याज के हिस्सों को लिए प्रावधान करने हेतु 5% की मानक कटौती को ब्याज में रखते हुए दावों का अंतिम समाधान किया जाना है।

[अनुवाद]

मुद्रास्फीति दर

1829. श्री नीतीश कुमार :

श्री सैयद शहाबुद्दीन :

श्री राम पूजन पटेल :

श्री पंकज चौधरी :

श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1993 से 1 जुलाई, 1994 प्रत्येक माह के शुरूआत में मुद्रास्फीति की मासिक दर क्या है ;

(ख) क्या मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि के आसार हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसे नियंत्रण में लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं जिससे मुद्रास्फीति की दर 10 प्रतिशत से कम हो जाये ; और

(घ) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान वार्षिक मुद्रास्फीति की दर क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) अप्रैल, 1993 से प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक (आधार : 1981-82) की प्रवृत्ति द्वारा आंकी गई मुद्रास्फीति की मासिक दर (महीना–दर–महीना) नीचे तालिका में दी गई है ;

महीने के प्रारम्भ में	मुद्रास्फीति की मासिक दर
3.4.1993	0.3
1.5.1993	0.9
5.6.1993	1.2
3.7.1993	1.0
7.8.1993	1.9
4.9.1993	2.0
2.10.1993	0.7
6.11.1993	-0.2
4.12.1993	-0.4
1.1.1994	0.2

5.2.1994	0.9
5.3.1994	1.1
2.4.1994	1.2
7.5.1994	1.8
4.6.1994	-0.5 (अ.)
2.7.1994	1.2 (अ.)

अ.= अनन्तिम

(ख) अप्रैल, 1993 से जुलाई, 1994 तक की अवधि के दौरान इसमें मिश्रित प्रवृत्ति रही।

(ग) हाल के महीनों में सरकार द्वारा अपनाए गए मुद्रास्फीति रोधी उपाय इस प्रकार हैं :

(i) वर्ष 1994-95 के लिए राजकोषीय घाटे को पिछले वर्ष के 7.3 प्रतिशत की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद को 6 प्रतिशत तक सीमित करने का निर्णय लेना।

(ii) वर्ष 1994-95 के दौरान बजटीय घाटे और तदर्थ राजकोषीय हुंडियों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए निवल ऋण को 6000 करोड़ रुपए तक सीमित करना और यह सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यप्रणाली की स्थापना करना कि यह सीमा 10 लगातार कार्य दिवसों से अधिक के लिए 3000 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

(iii) वर्ष 1994-95 में 14 से 15 प्रतिशत की सीमा तक मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि को कम करने की दृष्टि से बैंकों के लिए नकदी प्रारक्षित अनुपात को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना।

(iv) शून्य शुल्क सहित मुक्त सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत चीनी और कपास के आयात की अनुमति देना।

(v) मुक्त सामान्य लाइसेंस पर परिष्कृत पाम्ओलिन का आयात करना और 20 प्रतिशत के रियायती शुल्क पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयात की अनुमति देना।

(vi) कपास/तंतु आपूर्ति को पूरा करने के लिए 7 प्रतिशत शुल्क पर विस्कोस स्टेपल फाइबर के आयात की अनुमति देना।

(vii) खाद्य भण्डारों की विशाल सार्वजनिक धारिताओं से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चावल और गेहूं की खुले बाजार में बिक्री द्वारा खाद्य बाजार में सक्रिय हस्तक्षेप करना।

(viii) कृषि संबंधी कच्चे माल जैसे कपास, खाद्य तेल, तेलहनों एवं दालों के लिए चयनित ऋण नियंत्रण उपाय करना।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिन्दु-प्रति-बिन्दु आधार पर थोक मूल्य सूचकांक

(आधार : 1981-82) के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर नीचे दर्शायी गई है :

	मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (प्रतिशत)
1991-92	13.6
1992-93	7.0
1993-94	10.8

[हिन्दी]

उद्योगों को ऋण

1830. श्री राम टहल चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वित्तीय संस्थाओं द्वारा बिना किसी गारंटी के उद्योगों को दिए गये ऋण का संस्था–वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई) ने सूचित किया है कि वित्तीय संस्थाओं, द्वारा दिये गये सांविधि ऋण प्रायः साम्यिक बंधक/अचल आस्ति/औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्राप्त की गयी/की जाने वाली चल परिसम्पत्ति और उनकी वर्तमान परिसम्पत्तियों, यदि कोई हो, के दृष्टिबंधन के रूप में प्रतिभूत किये जाने हैं। इसके अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के लिये जहां कहीं अपेक्षित हो जोखिम की अवधारणा, संस्थाओं के एक्सपोजर और उद्योग के प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि पर निर्भर करते हुए उपर्युक्त व्यक्तिगत या अन्य गारंटी भी प्राप्त की जाती है। परियोजना का समय पर कार्यान्वयन शुरू करने के लिए संस्थायें कभी–कभी अंतिम निर्धारित प्रतिभूति को लंबित करते हुए अंतरिम/ब्रिज ऋण के रूप में ऋण का एक हिस्सा संवितरित करते हैं। ऐसे मामलों में प्रतिभूति आने वाले समय में तैयार की जाती है।

संस्थायें ये भी सुनिश्चित करती हैं कि सहायता प्राप्त एककों को संवितरित निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिये सहायता मंजूर की गई है। इस उद्देश्य के लिये संस्थायें लेखा–परीक्षकों के प्रमाण पत्र प्राप्त करती हैं जिसमें किये गये/किये जाने वाले खर्च का विस्तृत विवरण होता है। विभिन्न मदों पर किये गये व्यय और लागत और वित्त के साधन का विस्तृत विवरण देने वाली परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्ट भी मंगाई जाती है। परियोजना कार्यान्वयन में प्रगति का सत्यापन करने के लिए आवधिक प्लांट दौरा भी किया जाता है। चूकों, निर्णीत हर्जानों इत्यादि के लिए दंडात्मक ब्याज जैसी सुरक्षा भी, जहां कहीं संस्थाओं द्वारा अपेक्षित होती है, ऋण कागजातों पर दी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होते।

[अनुवाद]

विदेशों द्वारा जैव-विविधता का पेटेन्ट

1831. श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री तरित बरण तोपदार :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री अनिल बसु :

श्री सुदर्शन राय चौधरी :

डा. रवि मल्लू :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि भारतीय पर्यावरणीय/जैव–विविधता के तत्वों को विदेशों में पहले ही पेटेन्ट किया हुआ है जो कि "गैट" समझौते के अनुसार वैध है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जिन देशों से ये सूक्ष्मजीव संबंध रखते हैं उन देशों को इनका लाभ मिले ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या कतिपय विदेशी कंपनियों ने विदेश स्थित जीन बैंक में भारतीय पर्यावरणीय और जैव–विविधता के कुछ नमूनों का भंडारण किया है ; और

(च) यदि हां, तो इन कंपनियों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (च) सरकार विदेशों में स्वीकृत पेटेंटों की जानकारी नहीं रखती है। भारत से जैव–सामग्री के नमूने विदेशों की जोन बैंकों में उपलब्ध हैं। भारत से जैव सामग्री के संग्रह के लिए इस समय सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी, भारत ने जैव विविधता अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसमें जैव सामग्री के राष्ट्रीय सीमाओं के उस पर अन्तरण को विनियमित करने का प्रावधान है। इसमें इस बात का भी प्रावधान है कि किसी जैवकीय स्रोत पर किए गए अनुसंधान की आय में उस जैवकीय स्रोत का भी हिस्सा होगा तथा अनुसंधान के परिणामों पर यदि कोई पेटेंट दिया गया हो तो उसमें भी उसका हिस्सा होगा। सरकार उक्त अभिसमय के प्रावधानों के अनुसार जैव विविधता संरक्षण के लिए विधायन करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा सरकार पौध उगाने वालों के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी एक विधायन बनाने की प्रक्रिया में है।

समुद्री मत्स्यन उद्योग का वित्तपोषण

1832. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी ऑफ इंडिया समुद्री मत्स्यन उद्योग के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था करता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निदेश दिये हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) शिपिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी ऑफ इंडिया द्वारा समुद्री मत्स्यन क्षेत्र में कम निवेश करने के संबंध में जांच करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। एस.सी.आई.सी.आई. ने सूचित किया है कि वे समुद्री मत्स्यन उद्योग में अर्थक्षम परियोजनाओं का वित्तपोषण करते रहे हैं बशर्ते कि, प्रवर्तकगण परियोजना के प्रति प्रतिबद्ध हों और एस.सी.आई.सी.आई. द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हों।

(ग) और (घ) एस.सी.आई.सी.आई. को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जहाज खरीदने हेतु, उनके द्वारा दिए जाने वाले रुपया ऋणों पर ब्याज दर को सब्सिडाइज करने के लिए, सहायता अनुदान दिया जाता है।

(ङ) एस.सी.आई.सी.आई. ने सूचित किया है कि वह मत्स्यन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से लगा हुआ है और समुद्र में मत्स्यन के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देता है। संचित आधार पर, 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार एस.सी.आई.सी.आई. ने समुद्र में मत्स्यन क्षेत्र को 5667 टन के मछली की क्षमता वाले 72 मत्स्यन जहाज प्राप्त करने के लिए कुल 102.31 करोड़ रुपए दिए हैं। अलबत्ता, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों की अधिक संख्या के कारण और बंगाल की खाड़ी में झींगा मछली के स्रोतों के अधिक शोषण के कारण, विद्यमान जहाजों की अर्थक्षमता पर प्रभाव पड़ा है और इसलिए इस क्षेत्र के नए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा

1833. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी और उसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी ;

(ख) इन परियोजनाओं को कहां-कहां कार्यान्वित करने का विचार था ;

(ग) कौन-कौन सी परियोजनायें पूरी हो गयी हैं तथा उनमें से प्रत्येक परियोजना पर कितना धन खर्च हुआ ; और

(घ) शेष परियोजनाओं का काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, महाराष्ट्र राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 83.37 लाख रु. की आठ परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की थीं। परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जिसमें स्वीकृत राशि और अवमुक्त राशि, स्थान जहां वे अवस्थित हैं और परियोजनाओं की स्थिति का उल्लेख है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र को केन्द्रीय वित्तीय सहायता

क्र.सं.	परियोजना/स्कीम	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	स्थिति/पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6
1.	बीबी का मकबरा, औरंगाबाद की प्रकाश पुंज व्यवस्था	1985-86	05.12	05.12	पूरी हो गई।
2.	एलीफेंटा, अजंता, एलौरा में (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जरिए) शौचालय और पेयजल की सुविधाओं की व्यवस्था	1985.86	04.50	03.00	पूरी हो गई।
3.	गणपतिफूले में कुटीरें	1986-87	06.77	06.77	पूरी हो गयी।
4.	शेगांव में यात्री निवास	1986-87	25.98	25.97	पूरी हो गयी।
5.	खोपोली में मार्गस्थ सुविधाएं	1987-88	17.95	16.00	पूरी हो गयी।
6.	महाराष्ट्र के लिए ट्रेकिंग उपकरण	1988-89	04.81	04.76	खरीदी गयी।
7.	जल–क्रीड़ा उपकरण	1989-90	08.31	08.31	खरीदी गई।
8.	तम्बूओं में आवास	1989-90	07.93	07.93	पूरी हो गई।
		जोड़	83.37	79.86	

राष्ट्रीय और कृत्रिम रबड़ का आयात

1834. श्री थाइल जॉन अंजलोज : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय रबड़ का आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 से अब तक कुल कितना रबड़ आयात किया गया है तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार रबड़ की खेती पर राज–सहायता बढ़ाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1993-94 तथा अप्रैल और मई, 1994 के दौरान आयात की रबड़ की मात्रा और मूल्य नीचे दिए जाते हैं :-

	1993-94	
	मात्रा (मी. टन में)	मूल्य (मिलियन रुपये)
प्राकृतिक रबड़	18,832	535.73
सिन्थेटिक तथा रिक्लेमड रबड़	66,780	2860.27
	अप्रैल और मई, 1994	
प्राकृतिक रबड़	1,521	41.18
सिन्थेटिक रबड़	8,855	350.16

(ग) और (घ) नए रोपण तथा पुनर्रोपण के लिए आर्थिक सहायता रु. 5000/- प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर रु. 8000/- प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। पोली बैग प्लांटों के उपयोग के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता रु. 2700/- प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर रु. 3000/- प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। उपर्युक्त दरें 1993-94 से प्रभावी हैं। उपर्युक्त आर्थिक सहायता में कोई और बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव नहीं है।

इंडियन एयरलाइन्स की नई उड़ानें

1835. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने जनवरी, 1994 से कुछ नई उड़ानें शुरू की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन मार्गों पर ये नई उड़ानें शुरू की गई हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने जनवरी, 1994 से निम्नलिखित मार्गों पर नई सेवाएं शुरू की है :

1. दिल्ली–अहमदाबाद–मस्कट
2. दिल्ली–शारजाह–कुवैत
3. मद्रास–कुलालुम्पर सिंगापुर

इसके अलावा इंडियन एयरलाइन्स ने 26 जनवरी, 1994 से निम्नलिखित सैक्टरों पर अपनी सेवाएं पुनः शुरू की हैं :

1. गुवाहाटी–डिब्रूगढ़
2. गुवाहाटी–अगरतला
3. गुवाहाटी–सिल्चर

कलकत्ता हवाई अड्डे का मॉड्यूलर टर्मिनल के रूप में परिवर्तन

1836. श्री तरित वरण तोपदार :

डा. सुधीर राय :

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अलावा नेपाल, भूटान, बंगलादेश के लिए विमानान्तरण केन्द्र के रूप में कार्य करने की क्षमता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पूर्वी क्षेत्र के निर्यातक माल और यात्रियों के बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए कलकत्ता हवाई अड्डे में मॉड्यूल टर्मिनल स्थापित करने की मांग कर रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और बंगलादेश के लिए निकटतम प्रवेश द्वार हवाई अड्डा है। आज की तारीख तक कलकत्ता हवाई अड्डे के माध्यम से भूटान, नेपाल और बंगलादेश के लिए प्रेषित माल की पर्याप्त संख्या में निकासी की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्मना–इजेशन (एफ.आई.ई.डी.), स्कोप एयर आदि जैसे विभिन्न फोरा के माध्यमों से पूर्वीक्षेत्र के निर्यातक कलकत्ता हवाई अड्डे पर आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

(ङ) उपयुक्त कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं के साथ एकीकृत कार्गो टर्मिनल के और विकास के लिए योजनाएं चालू हैं।

[हिन्दी]

बाल श्रमिक

1837. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवैधानिक तथा वैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम करवाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने बाल श्रमिक हैं तथा बच्चों को नियुक्त करने वाले तथा उन्हें बंधुवा मजदूर बनाने के अपराध में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या सरकार का विचार बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ) कतिपय नियोजनों में विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों का कार्य करना प्रतिषिद्ध है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विशिष्ट व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में बाल श्रम प्रतिषिद्ध है। इन कानूनों को राज्य प्रवर्त्तन तंत्र द्वारा लागू किया जाता है। उल्लंघन करने पर समुचित कानूनी न्यायालय में अभियोजन चलाये जाते हैं। बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम के अंतर्गत व्यस्क तथा बाल बंधित श्रम प्रथा को समाप्त कर दिया गया है और अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय अपराध हैं। कामकाजी बालकों की उद्योग–वार संख्या उपलब्ध नहीं है। बाल श्रम प्रथा को क्रमिक रूप से समाप्त करने संबंधी नीति के अनुसरण में, सरकार बाल श्रमिकों के कल्याण, पुनर्वास तथा इस प्रथा को समाप्त करने के लिये राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, सहायता अनुदान योजना तथा बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने के लिए अं. श्र. संगठन द्वारा सहायता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

सिगरेट से राजस्व की प्राप्ति

1838. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगरेट कम्पनियों से उत्पाद शुल्क की वसूली की प्रतिशतता में गत वर्ष की तुलना में कमी आयी है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सिगरेट पर उत्पाद शुल्क के रूप में कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ; और

(ग) सरकार सिगरेट से और अधिक उत्पाद शुल्क प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सिगरेटों पर उत्पाद शुल्क से प्राप्त किये गये राजस्व की राशि इस प्रकार है :-

वर्ष	राजस्व (लाख रुपयों में)
1991-92	238707
1992-93	276766
1993-94	273957 (अनन्तिम)

(ग) वर्ष 1994-95 के बजट में सिगरेटों पर मात्रानुसार उत्पाद शुल्क की दरों को 60 मि. मि. से अनधिक लम्बाई की फिल्टर सिगरेटों से भिन्न सिगरेटों को छोड़कर सभी तरह की सिगरेटों पर बढ़ा दिया गया था।

[अनुवाद]

जनता कपड़े का उत्पादन

1839. डा. साक्षी जी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितनी कपड़ा मिलें जनता कपड़े का उत्पादन करती हैं ;

(ख) 1993-94 के दौरान राज्य में जनता कपड़े के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया था तथा इस लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है ; और

(ग) 1994-95 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जनता कपड़े का उत्पादन वस्त्र मिलों द्वारा नहीं अपितु राज्य हथकरघा विकास निगम, शीर्ष और क्षेत्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है।

(ख) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1993-94 के लिए 80 मिलियन वर्ग मीटर जनता कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य में 42.65 मिलियन वर्ग मीटर जनता कपड़े का उतपादन हुआ। तथापि उत्तर प्रदेश राज्य में 30 मिलियन वर्ग मीटर लक्ष्य छोड़कर पैकेज 2 योजना के अंतर्गत 10.20 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त की।

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 70 मिलियन वर्ग मीटर लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बैंकों में धोखाधड़ी के मामले

1840. श्री श्रीकान्त जेना :

डा. एस.पी. यादव :

श्री काशीराम राणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में धोखाधड़ी के कितने मामलों का पता चला है और इन मामलों में बैंक-वार कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है ;

(ख) अभी तक धोखाधड़ी के कितने मामलों की जांच की गई है और इस जांच के क्या परिणाम निकले ;

(ग) इन मामलों में लिप्त व्यक्तियों की कार्य प्रणाली क्या है ; और

(घ) बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए क्या ठोस उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 31.3.94 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में हुई धोखाधड़ी की घटनाओं की संख्या और उसमें अन्तर्ग्रस्त राशि की, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) जब कभी किसी बैंक को धोखाधड़ी का पता चलता है या उसकी जानकारी में ऐसी कोई घटना आती है, तो बैंक आरंभिक जांच करता है। जांच के आधार पर गहराई से विभागीय जांच करने का निर्णय लिया जाता है या मामले को स्थानीय पुलिस या सी.बी.आई. को सौंपा जाता है। मार्गनिर्देशों के अनुसार, 1 लाख रुपए से अधिक के मामलों को जांच के लिए सी.बी.आई. को भेजना होता है। आंतरिक जांच, पुलिस या सी.बी.आई. से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर बैंक विभागीय कार्रवाई करते हैं और धोखाधड़ी के लिए उत्तरदायी पाए गए कर्मचारियों को दण्ड देते हैं। पुलिस और सी.बी.आई. भी अदालतों में मुकदमा चलाने के लिए आपराधिक मामले दर्ज करते हैं। 1993-94 के दौरान हुई धोखाधड़ियों के उन मामलों की संख्या, जिनकी अब तक जांच की गई है और उनके परिणाम से संबंधित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अधिकांश धोखाधड़ियां बिल पोर्टफोलियों, लिखतों में धोखाधड़ीपूर्ण परिवर्तन करने, बैंक को भारित स्टाकों को हटाने, जमा खातों में धोखाधड़ी पूर्ण निकासी, अदत्त बिलों की वापसी, धनराशि का धोखाधड़ीपूर्ण अंतरण और मांग ड्राफ्टों को भुनाने के क्षेत्र में हुई हैं। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर धोखाधड़ियों को रोकने और उनका तत्काल पता लगाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने समय-समय पर कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में बैंकों के नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत मार्गनिर्देश जारी करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर आधार पर धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा करना, भारतीय रिजर्व बैंक में विशेष जांच कक्ष स्थापित करना, परिचालनात्मक कर्मिकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना आदि शामिल है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे बहियों के मिलान और अंतर-शाखा तथा दूसरे लेखों के

समाधान के बकाया कार्य को निरंतर आधार पर निपटायें ताकि इन क्षेत्रों में धोखाधड़ियों को रोका जा सके। घोष समिति की स्वीकार की गई कई सिफारिशों के कार्यान्वयन में बैंकों की प्रगति पर भारतीय रिजर्व बैंक भी निगरानी रखता है। घोष समिति ने बैंकों में धोखाधड़ियों और कदाचारों के विभिन्न पहलुओं की जांच की थी।

विवरण

31.3.1994 को समाप्त वर्ष (अप्रैल 1993- मार्च 1994) के लिए धोखाधड़ियों की कुल संख्या और उनमें अंतर्ग्रस्त राशि

क्र.सं.	बैंकों के नाम	धोखाधड़ियों की सं.	राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	636	948.75
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	38	411.94
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	25	103.61
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	17	200.06
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	28	55.18
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	21	13.77
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	7	21.71
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	20	25.20
9.	इलाहाबाद बैंक	35	2366.27
10.	आन्ध्रा बैंक	55	2027.04
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	182	2783.79
12.	बैंक ऑफ इंडिया	207	4986.15
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	32	478.31
14.	केनरा बैंक	245	1226.81
15.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	104	3206.11
16.	कारपोरेशन बैंक	29	7.85
17.	देना बैंक	19	154.31

1	2	3	4
18.	इंडियन बैंक	42	638.82
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	78	286.12
20.	न्यू बैंक ऑफ इंडिया	24	68.60
21.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	29	125.02
22.	पंजाब नैशनल बैंक	113	4901.82
23.	पंजाब एंड सिंध बैंक	21	524.20
24.	सिंडिकेट बैंक	112	298.07
25.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	59	787.72
26.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	51	11535.95
27.	यूको बैंक	46	402.45
28.	विजया बैंक	32	112.25
29.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.	1	2.99
30.	ए.एन.जेड ग्रिंडलेज बैंक	65	356.49
31.	बैंक ऑफ अमेरिका	2	0.68
32.	बैंक ऑफ बहरैन एंड कुवैत	1	1.00
33.	बैंक नेशनल द पेरिस	1	0.05
34.	ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिड्ल ईस्ट	1	0.09
35.	बार्कलेज बैंक	1	8.54
36.	सिटी बैंक एन.ए	84	306.35
37.	ड्यूच बैंक	3	173.30
38.	होंगकोंग बैंक	7	27.36
39.	स्टेण्डर्ड चार्टर्ड बैंक	12	43.70

आमों का निर्यात

1841. श्री जगमीत सिंह बराड़ : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान विदेशों में भारतीय आमों की मांग बढ़ी है ;

(ख) यदि हां, तो 1994 के दौरान कुल कितनी मात्रा में और किस किस्म के आमों का निर्यात किया जाएगा ; और

(ग) इससे उपर्युक्त अवधि के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्यातित आमों की मात्रा और मूल्य और वर्ष 1994-95 के लिए अनुमानित निर्यात आंकड़े निम्नानुसार हैं :

(मात्रा : एम.टन)
(मूल्य : करोड़ रु.)

1991-92		1992-93		1993-94		1994-95	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
23104	35.46	25850.39	45.99	23000	45	27000	56.00

वर्ष 1994-95 के दौरान निर्यात किए जा रहे आम ये हैं – अल्फांसो, दशहरी, बंगानापल्ली, तोतापुरी, केसर, चौसा, स्वर्णलेखा, लंगड़ा, आदि।

बैंक अधिकारियों की गिरफ्तारी

1842. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई और जून 1994 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा बड़े पैमाने पर बैंक अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने छापों/जांच के दौरान दस करोड़ से अधिक की सम्पत्ति का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) जिन बैंकों अधिकारियों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के दौरान दोषी पाया गया और जिनकी जांच चल रही है उनकी संख्या और ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) बैंकों में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को रोकने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि मई और जून 1994 के महीनों के दौरान केवल एक बैंक अधिकारी को 15.6.1994 को गिरफ्तार किया गया था। यह बैंक अधिकारी भूतपूर्व न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य प्रबंधक था। इस अधिकारी को सी.बी.आई द्वारा दर्ज किए गए एक नियमित मामले की जांच करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। सी.बी.आई. द्वारा जांच के दौरान बैंक अधिकारी और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर 10 करोड़ रुपए मूल्य की परिसंपत्ति पाई गई।

(ङ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर भ्रष्टाचार को रोकने और धोखाधड़ियों को रोकने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने समय-समय पर कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में बैंको के नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तृत मार्गनिर्देश जारी करना, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर आधार पर धोखाधड़ी के मामलों की समीक्षा करना, भारतीय रिजर्व बैंक में विशेष जांच कक्ष स्थापित करना, परिचालनात्मक कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना आदि शामिल है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे बहियों के मिलान और अंतर-शाखा तथा दूसरे लेखों के समाधान के बकाया कार्य को निरंतर आधार पर निपटायें ताकि इन क्षेत्रों में धोखाधड़ियों को रोका जा सके। घोष समिति की स्वीकार की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन में बैंकों की प्रगति पर भारतीय रिजर्व बैंक भी निगरानी रखता है। घोष समिति ने बैंकों में धोखाधड़ियों और कदाचारों के विभिन्न पहलुओं की जांच की थी।

[हिन्दी]

दोहरे कराधान के संबंध में स्विट्जरलैंड के साथ समझौता

1843. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री पंकज चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हाल ही में दोहरे कराधान को रोकने के लिए समझौता किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह समझौता किस तिथि को लागू किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। करार को अन्तिम रूप दिया चुका है परन्तु इसमें सरकारी स्तर पर हस्ताक्षर किए जाने हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्तावित करार उसमें सरकारी स्तर पर हस्ताक्षर हो जाने और करार को लागू करने के लिए दोनों देशों द्वारा औपचारिकताएं पूरी कर लेने के बाद लागू होगा।

प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण

1844. श्री लाल बाबू राय :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक की स्थिति के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति पर विदेशी ऋण का कितना भार है ; और

(ख) विदेशी ऋण के भार को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मार्च, 1994 के अंत में रक्षा ऋण सहित प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण 102 अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

(ख) सरकार ने राजस्व प्राप्तियों में सुधार लाने, निर्यातों में तेजी लाने के लिए गैर–जरूरी और कम प्राथमिकता वाले खर्चों को निकाल देने, अदृश्य आयों में वृद्धि करने, कारगर आयात प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने, विदेशी निधियों के ऋण न बढ़ने देने वाले अन्तर्वाहों में वृद्धि करने और खर्चों के वित्त पोषण के लिए उधार ली गयी निधियों पर निर्भरता में कमी करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इन उपायों से दीर्घावधि में देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और हमारी निर्यात उपार्जन क्षमता सहित हमारे विकास की प्रक्रिया में नवचेतना आएगी ताकि अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक पर्याप्त मात्रा में निधियों को सृजित करने के लिए और ऋणों की अदायगी करने के लिए तथा उधार ली गयी निधियों पर निर्भरता को कम करने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार किया जा सके।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स के विमान में तोड़-फोड़

1845. श्री मोहन रावले : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री 22 अप्रैल, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4328 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच पूरी कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में दोषी पाए गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) और (च) जी, नहीं। फिर भी, दिल्ली पुलिस ने, जो मामले की जांच कर रही है, कट–वायर को जांच के लिए केन्द्रीय न्यायिक प्रयोगशाला में, जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो का एक विंग है, भेज दिया है।

अग्रिम बकाया राशि

1846. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

श्री रामकृष्ण कोंताला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1992, 1993 और 1994 तक बैंक–वार सभी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की बैंकों के संबंध में कितनी अग्रिम और अतिदेय राशि बकाया थी ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अशोध्य ऋण की बैंक–वार कितनी राशि को बट्टे–खाते डाले गया ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त बैंकों से रुग्ण औद्योगिक एककों द्वारा लिए गए ऋणों को समय पर अदा करने में विलम्ब करने के मामलों में वृद्धि हुई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक वर्ष में ऐसे मामलों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ङ) उपरोक्त अवधि के दौरान वसूली न होने के कारण कितनी धनराशि बट्टे–खाते में डाली गई ; और

(च) सभी क्षेत्रों और रुग्ण औद्योगिक एककों से अग्रिम बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) से प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च, 1992 और मार्च, 1993 (अद्यतन उपलब्ध) के अंत की स्थिति के अनुसार सभी क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया अग्रिमों और अतिदेय रकमों की कुल राशि निम्नानुसार थी :

(रुपए करोड़ में)

	मार्च, 1992	मार्च, 1993
बकाया अग्रिमों की राशि	116260	125955
अतिदेय रकमों की राशि	19901	22989

अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार सितम्बर, 1992 के अंत की स्थिति के अनुसार बैंकों द्वारा माने गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की राशि 8063 करोड़ रुपए थी।

बैंक ऋणदात्री संस्थायें होने के कारण उधार दी गई राशियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सभी प्रणालियों और प्रक्रियाओं के बावजूद कुछ-न-कुछ अशोध्य ऋण हो ही जाते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियंत्रित करने वाली संविधियों के अनुसार और बैंकरों के बीच प्रचलित प्रथाओं और प्रक्रियाओं के अनुसरण में बैंक केवल उन परिस्थितियों को छोड़कर अपने ग्राहकों के मामलों से संबंधित जानकारी प्रकट नहीं करते हैं जिनमें बैंकरों के बीच प्रचलित कानूनों या प्रथाओं और प्रक्रियाओं के अनुसार ऐसी जानकारी प्रकट करना बैंक के लिये अनिवार्य या उचित है। जहां तक बैंकों से लिये गये ऋणों की वापसी अदायगी करने में रुग्ण औद्योगिक एककों की चूकों से संबंधित सूचना का संबंध है यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक रुग्णता में अवरूद्ध कुल बैंक ऋण मार्च, 1991 के 10768 करोड़ रु. से बढ़कर मार्च, 1992 (अद्यतन उपलब्ध) में 11533 करोड़ रु. हो गए जिसमें मार्च, 1992 में औद्योगिक रुग्णता में अवरुद्ध हुई राशि कुल बैंक ऋण का ५.0 प्रतिशत और उद्योग को दिये गये कुल बैंक अग्रिमों का 17.6 प्रतिशत थी। अतिदेय राशियों और अशोध्य ऋणों को कम करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि वे अलग-अलग अग्रिमों की कारगर मानीटरिंग और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए व्यापक और एक समान ग्रेड निर्धारण प्रणाली शुरू करें। उनको बड़े अवरूद्ध खातों की वसूली पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। आम तौर पर वसूली के सभी अवसर समाप्त होने के पश्चात और अपने हितों की रक्षा करने तथा कानून की सीमाओं के अंदर प्रतिभूति लागू करने के लिए बैंक ऋणकर्ताओं द्वारा वापस न की गई राशि की वसूली के वास्ते मुकदमें दायर करते हैं। बैंक कुछ अग्रिमों को अशोध्य ऋणों के रूप में तभी बट्टे खाते डालते हैं जब वे इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं कि अंततः इन अग्रिमों की वसूली नहीं हो सकती है। इस प्रकार चूक वाले खातों को निरंतर रूप से निगरानी में रखा जाता है और बैंकों के हितों की रक्षा करने के लिए समीक्षा की जाती है। हाल ही में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 को बैंकों को देय ऋणों के शीघ्रन्यायनिर्णयन और वसूली के लिए और उससे जुड़े हुए और उससे प्रासंगिक मामलों के लिये विनियमित किया गया है।

गुजरात में रुग्ण कपड़ा मिलें

1847. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने राज्य में रुग्ण कपड़ा मिलों को अनिवासी भारतीयों की वित्तीय सहायता द्वारा पुनः चालू करने हेतु कोई योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इंजीनियरिंग माल

1848. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग माल के निर्यात में, जिन्हें अप्रैल तथा मई के दौरान अनन्तिम रूप से 975 करोड़ रुपये आंका गया था, डालरों के संदर्भ में 12 प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य की तुलना में केवल चार प्रतिशत की साधारण वृद्धि ही हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इस क्षेत्र में निर्यात वृद्धि दर में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल और मई, 1994 के दौरान इंजीनियरी निर्यात में डालर के रूप में 4.36% की वृद्धि हुई है।

(ख) वृद्धि में मन्दगति प्राथमिक और अर्द्ध–परिष्कृत लोहा और इस्पात मदों के निर्यातों में गिरावट के कारण आई है।

(ग) निर्यात संवर्धन करना सरकार का सतत प्रयास रहा है। निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं ; शुल्क छूट योजना, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना, स्पेशल आयात लाइसेंसों आदि सहित निर्यात–आयात नीति के तहत विभिन्न प्रोत्साहन, शुल्क–वापसी योजना, आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच.सी. के अन्तर्गत छूट, बाजार विकास निधि से सहायता, और निर्यात को आसान बनाने के लिए आस्थगित ऋण और अन्य ऋण उपलब्ध कराना। इंजीनियरी माल के निर्यातक इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के विभिन्न क्रियाकलापों के अधीन संवर्धनात्मक सहायता भी प्रदान करते हैं।

जनता कपड़ा

1849. श्री सैयद शहाबुद्दीन :

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता कपड़े पर दी जाने वाली राजसहायता कम कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उइसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1993-94 के दौरान राज्य–वार कितने जनता कपड़े का उत्पादन हुआ और इस पर

मिलने वाली अनुमानित राज सहायता कितनी है ;

(घ) 1 अप्रैल, 1994 तक बुनकरों को कितनी राज सहायता देय थी ; और

(ङ) जनता कपड़े के उत्पादन में लगे बुनकर, तथा बुनकर परिवार कितने हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) 1.4.1994 को कोई वांछनीय सब्सिडी देय नहीं थी।

(ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान जनता कपड़ा योजना से लगभग 4.36 लाख लोगों को रोजगार अर्जित किया गया।

विवरण

1 वर्ष 1993-94 के दौरान जनता कपड़े के उत्पादन की राज्यवार ब्यौरा

(मात्रा मिलियन वर्ग मीटर में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	उत्पादन
1.	आंध्र प्रदेश	37.16
2.	असम	28.00*
3.	बिहार	10.00*
4.	गुजरात	3.92
5.	जम्मू–कश्मीर	0.40
6.	कर्नाटक	22.86
7.	मध्य प्रदेश	14.43
8.	महाराष्ट्र	20.02
9.	उड़ीसा	10.09
10.	पंजाब	1.05
11.	राजस्थान	5.35
12.	तमिलनाडु	39.89
13.	त्रिपुरा	1.18
14.	उत्तर प्रदेश	42.65
15.	पश्चिम बंगाल	16.28
	कुल	253.28

(अनुमानित)

II. जनता कपड़े के 253.28 वर्ग मीटर उत्पादन के लिए अनुमानित सब्सिडी 3.40 रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से (करोड़ रुपयों में)

भारतीय चाय व्यापार निगम द्वारा भविष्य निधि जमा किया जाना

1850. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय व्यापार निगम (टी.टी.सी.आई.) के अंतर्गत चाय व्यापार प्रबंधन श्रमिकों से वसूल की गई भविष्य निधि की राशि को भविष्य निधि आयुक्त के कार्यलय में जमा करने में विफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस राशि का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त राशि को वसूल किए जाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बैंकिंग प्रणाली के संबंध में विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सुझाव

1851. श्री अमल दत्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देश की बैंकिंग प्रणाली में कुछ मूलभूत परिवर्तन करने संबंधी सुझाव दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, नहीं। अगस्त, 1991 में वित्तीय क्षेत्र सुधारों पर स्थापित की गयी एक उच्च अधिकार प्राप्त नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र सुधारों के क्षेत्रों, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र में सुधार भी शामिल हैं, का विश्लेषण किया गया है। इस समिति की सिफारिशों को चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

सिल्चर हवाई अड्डा

1852. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलचर हवाई अड्डा इस समय पूर्णतः असैनिक हवाई अड्डा है और देश के इस सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस हवाई अड्डे को राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सिलचर का हवाई अड्डा वायुसेना हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण केवल सिविल विदेशी अंतःक्षेत्र का अनुरक्षण कर रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

हिमाचल प्रदेश को विशेष अनुदान

1853. प्रो. प्रेम धूमल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से राज्य में वित्तीय संकट से निपटने के लिए विशेष अनुदान/सहायता प्रदान करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का राज्य को विशेष अनुदान/सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो यह अनुदान कब तक जारी कर दिया जाएगा ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में वित्तीय संकट से निपटने के लिए 550 करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता हेतु अनुरोध किया गया है जो राज्य के अपने पड़ोसी राज्यों की ओर बकाया 1100 करोड़ रुपये की राशि के 50% के बराबर है। इसमें 1000 करोड़ रुपये भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) प्रणाली से विद्युत लाभों के हिस्से की बकाया राशि के रूप में है तथा 100 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम (डेसू) को बेची गयी ऊर्जा से संबंधित है।

(ग) से (ङ) केंद्र के अपने संसाधनों में कमी को देखते हुए और इस बात की वजह से भी कि राज्य सरकार की ओर से अन्य राज्यों की ओर बकाया राशि होने के उक्त दावे की अभी पुष्टि होनी है, राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है। तथापि, राज्य की संसाधन स्थिति में सुधार करने के लिए राज्य को 1993-94 के दौरान 23.94 करोड़ रुपये के बाजार उधार आवंटनों के मुकाबले 1994-95 के दौरान 34.44 करोड़ रुपये का बाजार उधार आवंटित किया गया है जो एक ही वर्ष में 43.9% की वृद्धि को दर्शाता है। केन्द्र सरकार ने राज्य को वर्ष 1994-95 के लिए 34.44 करोड़ रुपये की समस्त बाजार ऋण की राशि अप्रैल, 1994 में एक बार में ही प्राप्त करने की मंजूरी दे दी है।

विमान दुर्घटनाएं

1854. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :**

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1994 से 15 जुलाई, 1994 के दौरान देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर कई विमान दुर्घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ;

(घ) जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) हताहत हुए यात्रियों, चालक दल आदि के सदस्यों का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप राजस्व विभाग को कितनी हानि हुई ;

(च) दर्घटना के शिकार प्रत्येक व्यक्ति को कितना मुआवजा दिया गया अथवा दिया जाएगा ; और

(छ) इस प्रकार की विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ताकि विमान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) तथा (ख) 1.1.94 से 15.7.94 तक की अवधि के दौरान भारत में सिविल विमान की तीन मुख्य दुर्घटनाएं हुईं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) तथा (घ) दुर्घटनाओं की जांच की जा रही है।

(ङ) इन दुर्घटनाओं में 9 कर्मीदल के सदस्यों, 11 यात्रियों और 5 अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तीन में से दो विमान निजी व्यक्ति/प्रचालक के थे। पंजाब सरकार का विमान इस दुर्घटना में पूरी तरह नष्ट हो गया था।

(च) वायु वहन अधिनियम 1972 और उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाएं के अंतर्गत मुआवजे के भुगतान के प्रावधान इन मामलों में लागू नहीं होते।

(छ) हवाई सुरक्षा के स्तर में वृद्धि के लिए उठाए गए कदमों में, विमान दुर्घटनाओं और जोखिमी घटनाओं की जांच से प्राप्त सिफारिशों का कार्यान्वयन, सुरक्षा सूचना का प्रसार, काकपिट वाइस रिकार्डरों की मानीटरिंग उड़ान निरीक्षकों द्वारा निगरानी विमान क्षेत्रों का आवधिक निरीक्षण और हवाई अड्डों इत्यादि पर पक्षी उत्पात को दूर करने के उपायों का कार्यान्वयन करना आदि शामिल है।

विवरण

क्र.सं.	तारीख और स्थान	विमान और पंजीकरण	प्राचलक	हताहत/घायल
1.	8.3.94 दिल्ली एयरपोर्ट	बी 737	सहारा इंडिया एयरलाइन्स	हताहत -9 (4 कर्मीदल सदस्य तथा 5 बाहरी व्यक्ति) घायल-4
2.	9.6.94 मंतालाई (उद्यमपुर)	मोउल	एयर अर्पणा लि.	हताहत -3 (2 कर्मीदल सदस्य तथा 1 यात्री) घायल – कोई नहीं
3.	9.7.94 सुन्दर नगर (हिमाचल प्रदेश)	बीचक्राफ्ट बी–200 सुपर किंग एयर वीटी–ईयूजे	पंजाब सरकार	हताहत -13 (3 कर्मीदल और 10 यात्री) घायल–कोई नहीं

बीड़ी उद्योग में बाल मजदूर

1855. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के तमिलनाडु राज्य में विशेष रूप से बीड़ी एजेंटों को ठेका श्रमिक के रूप में बच्चों को दिए जाने के मामलों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा कोई अध्ययन किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

1856. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

श्री राम कापसे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या 51) में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों के संबंध में शीघ्र निर्णय देने तथा उनकी वसूली के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं तथा प्रत्येक न्यायाधिकरण में कितने न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं ;

(ग) भारत में विभिन्न न्यायालयों में से प्रत्येक में ऐसे कितने मामले विचाराधीन हैं, जिन्हें इन न्यायाधिकरणों के अन्तरित किया गया है अथवा अन्तरित करने का विचार है और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त हैं ; और

(घ) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली के लिए विचाराधीन लाखों मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 की संख्या

51)" में एक या एक से अधिक ऋण वसूली अधिकरणों और एक या एक से अधिक ऋण की वसूली अपीलीय अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान है। अब तक दिल्ली और कलकत्ता में अधिकरण स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण बम्बई में स्थापित किया गया है। जबकि कलकत्ता के अधिकरण का अधिकार–क्षेत्र पश्चिम बंगाल एंव अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तक है, दिल्ली के अधिकरण का अधिकार–क्षेत्र दिल्ली तक है। अपीलीय अधिकरण का अधिकार–क्षेत्र जम्मू व कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण देश है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना पटल पर रख दी जाएगी;

(घ) अधिनियम के अंतर्गत अधिकरणों की स्थापना, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूलियों से शीघ्र निबटाने के लिए एक कदम है। आशा है कि वर्ष के दौरान 8 और अधिकरणों की स्थापना की जाएगी। अधिनियम में वर्णित उपबन्धों की शर्तों के अनुसार, अधिकरणों को दिए गए आवेदन–पत्र जहां तक सम्भव होगा उनके द्वारा तेजी से निपटाए जाएंगे और आवेदन–पत्रों को उनके प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने के अन्दर अन्तिम रूप से निपटाने के लिए संबंधित अधिकरणों द्वारा प्रयास किए जायेंगे।

•

सूती वस्त्रों का उत्पादन

1857. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990-91 की तुलना में 1991-92 और 1992-93 के दौरान सूती कपड़े का उत्पादन कम हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सूती कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान केवल सूती कपड़े के उत्पादन में मामूली गिरावट आई थी।

(ख) सूती कपड़े के उत्पादन में गिरावट आने के कारण मुख्यतः कपास के उत्पादन में गिरावट आना तथा अपरिष्कृत कपास की कीमतों में परिणामी वृद्धि होना माने जा सकते हैं।

(ग) सरकार ने सूती कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पहले से ही आवश्यक कदम उठाए हैं जैसे सरकार की स्थानिक नीति के अध्यधीन क्षमता के सृजन और विस्तार पर लगे प्रतिबंधों को हटाना, लाइसेंस संबंधी उपबंधों का उदारीकरण, ओ.जी.एल के अंतर्गत वस्त्र मशीनों के आयात की अनुमति, वस्त्र मशीनों के आयात पर शुल्क में कटौती आदि।

क्षेत्री ग्रामीण बैंकों में घाटा

1858. श्री फूल चंद वर्मा :

श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निरंतर घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) 1992-93 की तुलना में 1993-94 के दौरान राज्य–वार इन बैंकों को कितना घाटा हुआ ; और

(घ) इन बैंकों को लाभार्जन की स्थिति में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे अधिकांश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निरंतर घाटा हो रहा है। मार्च, 1993 के अंत तक की स्थिति के अनुसार 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 172 को 327.76 करोड़ रुपए की हानि हुई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को होने वाली हानि में कई कारक शामिल हैं जिनमें ग्राहकों का सीमित क्षेत्र, परिचालन का सीमित क्षेत्र, कम ब्याज मार्जिन और बढ़ते हुए स्थापना खर्च जैसे कारक शामिल हैं।

(ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि 1993-94 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुई राज्य–वार हानि की मात्रा उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि कई ग्रामीण बैंकों को अभी अपनी वार्षिक रिपोर्ट/तुलन–पत्र प्रस्तुत करने हैं। तथापि, 1991-92 और 1992-93 के दौरान हुई हानियां अनुबंध में दी गई हैं।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को होने वाली, हानियों को रोकने और सामान्य रूप में उनकी अर्थक्षमता में सुधार करने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(I) सितम्बर, 1992 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके नये ऋणों के 40% से अनधिक ऋणों को गैर लक्ष्य समूह के ऋणकर्ताओं को वित्तीय सहायता देने की अनुमति दी गई है। इसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।

(II) सभी प्रायोजक बैंकों को निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा की गई सभी एस.एल.आर सावधि राशियों और अल्पावधिक जमा राशियों पर कम से कम 13.5% ब्याज का भुगतान करें।

(III) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखे गए चालू खाता बकाया राशि पर ब्याज दरों को अप्रैल, 1993 से 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दें।

(IV) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 15 लाख रुपए से अनधिक परिव्यय वाले लघु और अति लघु औद्योगिक इकाइयों के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए शत प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता आहरित करने की अनुमति दी गई है।

(V) लघु, सड़क परिवहन परिचालकों का वित्तपोषण करने के लिए भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शत प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध है।

(VI) इसके साथ ही अल्पावधि में उनकी अर्थक्षमता में सुधार करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1993 में कुछ उपायों की घोषणा की थी। इन उपायों में गैर–लक्ष्य समूह वित्त–पोषण को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करना, गैर–निधिबद्ध कारबार बढ़ाना, उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र बाध्यता से मुक्त करना जिनका 1992-93 के दौरान 2 करोड़ रुपए से कम का संवितरण था और हानि उठाने वाली शाखाओं को मंडियों, तालुका/जिला मुख्यालयों, कृषि उत्पाद केन्द्रों आदि जैसे स्थानों में पुनः स्थापित करना और ऐसी संस्थाओं के परिसरों में विस्तार काउंटर खोलने की अनुमति देना शामिल है जिनके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रमुख बैंकर हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेफ डिपोजिट लाकर स्थापित करने की अनुमति भी दी गई है।

(VI) व्यापक पुनर्गठन के लिए 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पता लगाया गया है।

विवरण

वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उठाये गये घाटे की राशि की राज्य वार स्थिति

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	घाटे की राशि 1991-92	1992-93
1	2	3	4
1.	हरियाणा	390.40	594.63
2.	हिमाचल प्रदेश	103.92	189.97
3.	जम्मू और कश्मीर	406.92	561.91
4.	पंजाब	57.27	39.75
5.	राजस्थान	2494.01	3081.94
6.	अरूणाचल प्रदेश	23.02	12.98
7.	असम	1061.34	1075.03
8.	मणिपुर	55.35	66.15
9.	मिजोरम	62.60	57.17
10.	नागालैण्ड	15.25	15.27
11.	त्रिपुरा	2027.58	1104.86
12.	बिहार	3384.74	4622.04

1	2	3	4
13.	उड़ीसा	1975.98	2694.45
14.	पश्चिम बंगाल	1378.48	2255.33
15.	मध्य प्रदेश	2956.47	4444.88
16.	उत्तर प्रदेश	3834.01	4815.13
17.	गुजरात	730.04	966.39
18.	महाराष्ट्र	1189.32	2020.18
19.	आंध्र प्रदेश	719.18	1210.83
20.	कर्नाटक	1296.43	2118.39
21.	केरल	9.96	201.38
22.	तमिलनाडु	456.23	627.13
23.	मेघालय	13.37	-
	अखिल भारत	24641.87	32775.79

बंधेज वस्त्र

1859. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बंधेज वस्त्र जिसे लोकप्रिय भाषा में संभलपुरी वस्त्र के नाम से भी जानते हैं, की अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन वस्त्रों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी हां। उड़ीसा के बंधेज वस्त्रों, जो संभलपुरी वस्त्र के नाम से भी जाने जाते हैं, की घरेलू बाजार में काफी मांग है। तथापित, जहां तक बन्धेज वस्त्र की अन्तर्राष्ट्रीय मांग का सम्बन्ध है, इस मद को विदेशी व्यापार के आंकड़ों में अलग से नहीं दर्शाया गया है और इसे हाथ–छपाई के वस्त्रों के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से पता चलता है, हाथ–छपाई के वस्त्रों की मांग प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है ;

वर्ष	निर्यात (करोड़ रु. में)
1991-92	149.81
1992-93	196.50
1993-94	354.25

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन मदों के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम हैं : प्रशिक्षण, प्रदर्शनी तथा प्रचार, डिजाइन विकास, विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना, भारत में भारतीय हस्तशिल्प तथा उपहार मेलों का आयोजन करना आदि।

[हिन्दी]

बिहार और पंजाब को वित्तीय सहायता

1860. श्री प्रेम चन्द राम :

श्री हरचन्द सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और बिहार सरकार ने चालू वर्ष के दौरान आवास और शहरी विकास निगम और राष्ट्रीय आवास बैंक से अपने राज्यों में अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

राजस्व और पूंजी खाता

1861. प्रो. अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय बजट के राजस्व और पूंजी खाते में बचत/घाटे का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या पूंजी खाते में बचत की तुलना में राजस्व खाते में घाटे में वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) राजस्व घाटा कम करने हेतु उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) ब्यौरे निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपए)

	1991-92	1992-93	1993-94 (सं.अ.)
पूंजी प्राप्तियां	38538	36178	58646
पूंजी व्यय	29122	29916	33648
पूंजी अधिशेष	9406	6262	24998
राजस्व प्राप्तियां	66047	74128	76166
राजस्व व्यय	82308	92702	110224
राजस्व घाटा	16261	18574	34058

(ख) जी, हां।

(ग) राजस्व घाटा (i) पूर्व ऋणों पर ब्याज देयता (ii) राजस्व खाते पर आयोजन व्यय और (iii) रक्षा संबंधी आर्थिक सहायता, आंतरिक सुरक्षा आदि पर किए जा रहे अधिक प्रावधानों के कारण बढ़ता रहा है।

(घ) व्यय का बारीकी से अनुवीक्षण करके और प्राप्तियां बढ़ाकर राजस्व घाटे को वर्ष 1994-95 के बजट अनुमानों के भीतर ही रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम हेतु विपणन योजना

1862. श्री तेजसिंह राव भोंसले : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए कोई विपणन योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को अन्तिम रूप कब दिया गया था ; और

(ग) भारतीय पर्यटन विकास निगम के लाभ पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 1993 के मध्य में भारत पर्यटन विकास निगम के लिए एक विपणन योजना तैयार की गई थी। प्रतिस्पर्धा, मार्केट अनुसंधान, कीमत निर्धारित करने, पर्यटकों के संभावित आगमन और समग्र मार्केटिंग, दृश्य–विधान को ध्यान में रखते हुए, योजना में अन्य बातों के साथ–साथ भारत पर्यटन विकास निगम के उत्पादों का विक्रय करने के लिए नीतियों और तरीकों का उल्लेख किया गया है। वर्ष 1993-94 में भारत पर्यटन विकास निगम के वित्तीय कार्य–निष्पादन को बहुत अच्छी सफलता मिली है और भारत पर्यटन विकास निगम को वित्तीय लक्ष्यों से आगे निकलने पर "श्रेष्ठ" दर्जा प्राप्त हुआ है।

पर्यटन के लिये राष्ट्रीय कार्य-योजना

1863. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य–योजना तैयार की थी ;

(ख) क्या इस योजना के अंतर्गत विशेष पर्यटन क्षेत्र में पूंजी निवेश हेतु एक विशेष कोष की स्थापना की जानी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कोष की स्थापना कर दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या उपयोग किया गया है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) "विनिर्दिष्ट पर्यटन क्षेत्रों के लिए सहायता" नामक एक स्कीम बनाई गई थी जिसका उद्देश्य पर्यटन के लिए बनाई गई राष्ट्रीय कार्य योजना में घोषित विशेष पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटन योजनाओं, अभिनिर्धारित परिपथों और गंतव्य–स्थानों और विनिर्दिष्ट स्थानों पर अन्य परियोजनाओं को सहायता देना है। इस स्कीम के अन्तर्गत 20 लाख रु. की राशि अवमुक्त की गई है।

बैंक में पेंशन योजना

1864. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारा सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1994 के स्टेट्समैन में "बैंक्स इन ए फिल्म ओवर पेंशन स्कीम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों को पेंशन योजना को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार पेंशन योजना को लागू करने में बैंकों के समक्ष आ रही कठिलाइयों का समाधान करने का है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय-में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां। समाचार में उस समझौते का हवाला दिया गया है जो भारतीय बैंक संघ और बैंकों के कर्मकार यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच अंशदायी भविष्य निधि के स्थान पर पेंशन के बारे में हुआ है और कम्प्यूटरीकरण तथा यंत्रीकरण के बारे में हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ अवार्ड स्टाफ को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने का प्रावधान है।

(ग) से (च) भारतीय बैंक संघ ने सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं दी है कि उसे समझौते पर अमल करने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है। पेंशन के समझौते में निहित प्रावधानों के अनुसार, वे सभी कर्मचारी जो 31.10.93 की स्थिति के अनुसार बैंक के रोल में थे, उन्हें विकल्प देने का मौका दिया जाएगा कि वे अंशदायी भविष्य निधि को चुने जिसके अन्तर्गत वे आते हैं या पैंशन योजना स्वीकार करें और 1-11-93 से वे अंशदायी भविष्य निधि योजना की सदस्यता छोड़ दें और बैंक को या सी.पी.एफ के ट्रस्टी को अन्तिम रूप से प्राधिकृत करें कि वे बैंक के सम्पूर्ण अंशदान को उस पर लगे सम्पूर्ण ब्याज सहित इस प्रयोजन के लिए तैयार की नई पेंशन निधि में जमा करें।

बैंकिंग उद्योग में वेतनमानों और भत्तों का निपटान आम तौर पर भारतीय बैंक संघ (बैंक प्रबंधन का प्रतिनिधित्व) और कर्मकार यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते से होता है। भारतीय बैंक संघ अधिकारी संघों से भी विचार–विमर्श करता है तथा इन विचार–विमर्शों के दौरान जो समझौते होते हैं उसे सरकार के पास जांच करने और आदेश जारी करने के लिए भेजा जाता है। छठे द्विपक्षीय समझौते से संबंधित बातचीत चल रही है और कम्प्यूटरीकरण को देखते हुए एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने का मामला बातचीत की एक मद है। अलबत्ता, वेतन समझौते जैसा कि उनकी प्रकृति से स्पष्ट है, एक लम्बा और दीर्घकालिक विषय है और इसलिए समय सीमा का निर्धारण सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

आई.टी.डी.सी. द्वारा इकानमी क्लास होटलों का निर्माण

1865. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम का विचार कम खर्चे वाले पर्यटकों के लिए इकानमी क्लास होटलों का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार ऐसे निर्मित किए जाने वाले होटलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम की अनुमोदित 8वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में "नई स्कीमें" शीर्ष के तहत 7.70 करोड़ रु. का एकमुश्त प्रावधान शामिल है। यह प्रावधान अन्य बातों के साथ–साथ ग्वालियर, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप (संघ शासित प्रदेश), अहमदाबाद, गुजरात और कानपुर उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित सस्ते होटलों के लिए भी है। तथापि, इन योजनाओं का कार्यान्वयन, पारस्परिक प्राथमिकता, उचित स्थलों की उपलब्धता, आर्थिक लाभप्रदता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चमड़े का उत्पादों के निर्यात

1866. श्री प्रभूदयाल कठेरिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान चमड़े के सामान के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चमड़े के सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के लिए चमड़ा उत्पादों के निर्यात के लक्ष्य को व्यापार तथा उद्योग क्षेत्र से परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है। ऐसा करते समय वर्ष के पहले कुछ महीनों में हुए वास्तविक निष्पादन को ध्यान में रखा जा रहा है।

(ग) सरकार ने चमड़ा तथा चमड़ा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक नीतिगत उपाय किये हैं। इनमें अन्य बातों के साथ–साथ एकीकृत उत्पाद विकास शामिल है जिससे कि मूल्यवर्धित क्वालिटी उत्पादों के लिए आपूर्ति आधार मजबूत हो सके। इसके अलावा चमड़ा उद्योग के उपयोग में आने वाले कच्चे माल संघटकों तथा उपभोग की वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता में आने वाली बाधाओं को दूर करना और संयुक्त उद्यमों का संवर्धन करना शामिल है। चमड़ा उद्योग में काम आने वाली अनेक आवश्यक अन्तर्निविष्टयों कच्चे माल संघटकों तथा अन्य उपभोक्ता सामान पर सीमाशुल्क में पर्याप्त कमी की गई है। सरकार ने हमारे बड़े बाजारों अर्थात यू.एस.ए., जर्मनी, यू.के. फ्रांस तथा इटली में विपणन को मजबूत करने और छवि बनाने के प्रयासों के लिए भी कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण

1867. डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उड़ीसा में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण कितना था और देश में प्रति औसत बैंक ऋण कितना था ;

(ख) सरकार ने उड़ीसा में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किये हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या उपलब्धि रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एस.एल.बी.सी) के संयोजक, यूको बैंक ने सूचित किया है कि पिछले दो वर्षों के दौरान समग्र रूप से पूरे देश में प्रति व्यक्ति औसत बैंक ऋण के मुकाबले उड़ीसा में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण निम्नानुसार था :

वर्ष	प्रति व्यक्ति बैंक ऋण की राशि	
	उड़ीसा (रुपए)	अखिल भारत (रुपए)
1992-93	1007	1874
1993-94	1042	1957

बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि वर्ष 1993-94 में उड़ीसा में सभी बैंकों द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों की राशि 335 करोड़ रुपए थी और मार्च, 1994 के अंत में राज्य के सभी बैंकों का ऋण जमा अनुपात 71:72 प्रतिशत था। वर्ष 1994-95 के लिए सेवा क्षेत्र योजना और गैर–सेवा क्षेत्र योजना दोनों के अंतर्गत लगभग 500 करोड़ रुपए का वित्तीय लक्ष्य रखा गया है जिससे वर्ष 1994-95 के दौरान लगभग 165 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की जाएगी। आशा की जाती है कि वर्ष 1994-95 के लिए उपर्युक्त लक्ष्य से वर्ष के दौरान उड़ीसा में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण में और वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों को ऋण

1869. श्री हरचन्द सिंह :

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार ने कुल कितने ऋण की मांग की है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को कुल कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई ; और

(ग) राज्य सरकार को अपेक्षित ऋण की राशि स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

गुलबर्गा में हवाई अड्डा

1869. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गुलबर्गा में एक हवाई अड्डे का निर्माण कराने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए भूमि और अन्य ढांचागत सुविधायें उपलब्ध कराना स्वीकार किया है ;

(ग) क्या हवाई अड्डे के निर्माण के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) संसाधनों की कमी के कारण राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस परियोजना को लेने में असमर्थ है। कर्नाटक सरकार ने गुलबर्ग पर एक हवाई अड्डे के निर्माण का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तकनीकी सलाह दे रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। कर्नाटक राज्य सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 1988 में गुलबर्ग पर हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एक सर्वेक्षण किया था।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शुल्क सारणी

1870. श्री रवि राय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मराकश सम्मेलन में प्रमाणीकृत नई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार शुल्क सारणियां प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सर्वाधिक निर्यात संभावनाओं वाले उत्पादों और क्षेत्रों का पता लगाने के लिए इन सारणियों का शोध संस्थानों द्वारा विश्लेषण किया जाएगा ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) माराकेश में अधिप्रमाणित बाजार पहुंच की अनुसूचियों का एक सेट भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया है जिसकी प्रतियों का मुद्रण कराया जा रहा है ताकि उन्हें शीर्षस्थ उद्योग एसोसियशनों को विश्लेषण तथा उपयोग के लिए, भेजा जा सके। जिन क्षेत्रों, वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में हमारी निर्यात संभाव्यता का पूरी तरह से दोहन हो सकता है उनका पता लगाने के लिए आद्योगिक सामान, कृषिजन्य उत्पाद तथा सेवाओं के संबंध में तीन परियोजनाएं हाथ में लेने का निश्चय किया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में कताई मिलों को फिर से चालू करना

1871. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश की रुग्ण कपड़ों मिलों को फिर से चालू करने के लिए 10 करोड़ रु. स्वीकृत किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त धन राशि कब तक दे दी जायेगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) भारत सरकार ने गुंटाक्ल और अन्थरगांव स्थित कोआपरेटिव स्पिनिंग मिलों का पुनरूद्धार करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को ब्याज की रियायती दर पर ऋण के रूप में 10 करोड़ रु. रिलीज करने की सहमति निम्नलिखित शर्तों पर दी है :-

–यह राशि प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थानों द्वारा विधिवत परीक्षित सर्वांगीण सुधार संबंधी पैकेज के आधार पर केवल इन 2 स्पिनिंग मिलों के पुनरूद्धार पर ही प्रयुक्त की जाती है।

–राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त शर्त को स्वीकार किए जाने पर ही राशि रिलीज की जाएगी।

गुजरात में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

1872. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार की ओर से राज्य में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण करने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ;

(ग) उस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है ; और

(घ) इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (घ) गुजरात राज्य सरकार से राज्य में हवाई अड्डों को आधुनिक बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, गुजरात में हवाई अड्डों को आधुनिक बनाने के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजनाएं हैं :

(1) **बडोदरा** : 18.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक नए टर्मिनल भवन, नियंत्रण टावर का निर्माण, धावनपथ की रिकार्पेटिंग, एप्रेन का विस्तार, उपस्कर अवतरण प्रणाली को हाथ में लिया गया है। यह परियोजना अक्तूबर 1995 तक पूरी हो जाएगी।

(2) **राजकोट** : 2.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर उपस्कर अवतरण प्रणाली संस्थापित की जा रही है और संस्थापन का कार्य फरवरी 1995 तक पूरा होने की आशा है।

(3) **भुज** : (1) 3.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक यात्री टर्मिनल निर्मित करने की योजना है और कार्य शुरू करने की तारीख से 2 वर्ष में इसके पूरे होने की आशा है।

(2) 2.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अति उच्चावृत्ति सार्वदिशिक परास और दूरी मापक उपकरण संस्थापित करने का प्रस्ताव है। संस्थापन कार्य अगस्त 1995 तक पूरा होने की आशा है।

(4) **भावनगर** : धावनपथ के विस्तार की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है।

(5) **पोरबंदर** : 2.46 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक नए यात्री टर्मिनल के निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है और कार्य शुरू करने की तारीख से इसके 2 वर्ष में पूरे होने की आशा है।

(6) **जामनगर** : 2.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर अति उच्चावृत्ति सार्वदिशिक परास और दूरी मापक उपकरण संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और अगस्त 1995 तक इसके संस्थापित किए जाने की आशा है।

(7) **अहमदाबाद** : 28.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर प्रमुख और गौण निगरानी राडारों के संस्थापित करने का प्रस्ताव है। संस्थापन का कार्य मई 1995 तक पूरा होने की आशा है।

बैंकरों के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के निदेश

1873. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड ने बैंकरों के लिये हाल ही में इश्युओं से संबंधित नियम तथा विनियम जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस निर्णय द्वारा निवेशक के हित की ओर अधिक सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित करने की आशा की जाती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सैबी) अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्गम के बैंकरों के नियमों और विनियमों को सरकारी राजपत्र में 14 जून, 1994 को अधिसूचित किया गया है।

(ख) और (ग) इन नियमों और विनियमों के अधिसूचित हो जाने के बाद, किसी निर्गम के बैंकरों को "सैबी" के विनियामक कार्यक्षेत्र के अधीन सांविधिक रूप से लाया गया है। इन नियमों में यह शर्त लगाई गई है कि कोई भी बैंकर "सैबी" से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना किसी निर्गम के बैंकर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इन विनियमों में पजींकरण की स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया, सामान्य बाध्यताएं एवं उत्तरदायित्व और किसी निर्गम के बैंकरों के लेखा पंजिकाओं, अभिलेखों, तथा दस्तावेजों के निरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। किसी निर्गम के बैंकरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विनियमों में विनिर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करें। इन विनियमों द्वारा "सैबी" को यह अधिकार प्राप्त है कि वह निवेशकों की शिकायतों के समाधान में असफल होने की स्थिति में किसी निर्गम के बैंकर के पंजीकरण प्रमाण–पत्र को निरस्त कर दें। इस प्रकार, इन विनियमों में किसी निर्गम के बैंकरों की जबाबदेही सुनिश्चित करने और निवेशक के बेहतर संरक्षण के पर्याप्त रक्षोपायों की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

खेलकूद उपकरणों के लिए डिजाइन और विकास केन्द्र

1874. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री तेजनारायण सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से आधुनिक प्रौद्योगिकी और अच्छी किस्म का कच्चा माल उपलब्ध करा कर खेलकूद के सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जालन्धर में डिजाइन और विकास केन्द्र खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र ने मशीनों की स्थापना के लिए राज्य व्यापार निगम से स्वीकृति प्राप्त कर ली है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। इस केन्द्र की स्थापना भारतीय राज्य व्यापार निगम ने खेल–कूद का सामान बनाने वाले उद्योगों को विदेशों में उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी से परिचित कराने, आवश्यक कच्चे माल जैसे पी.यू. चमड़ा, विल्लों आदि का आयात करने में सहायता करने के लिए सरकार की स्वीकृति से की थी, यह केन्द्र आयातित और देशी दोनों तरह के कच्चे माल के बारे में, एक ही स्थान से तुरंत उपलब्धता के जरिए, वितरण के लिए, एक "रॉमैटीरियल बैंक" की तरह भी काम करना है।

(ग) से (ङ) डिजाइन और विकास केन्द्र भारतीय राज्य व्यापार निगम के प्रशासनिक नियंत्रण में है जिसके पास 2.89 लाख रुपये मूल्य की मशीनरी और उपस्कर पहले ही लगे हुए हैं और 14.68 लाख रुपए मूल्य की एक मशीन और लगाने की प्रक्रिया चल रही है।

बैंक डकैतियां

1875. श्री तेज नारायण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश मे बैंक डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में इसमें शामिल कुल राशि सहित राज्य–वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या बैंक डकैतियों को असफल बनाने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) बैंक डकैती की घटनाओं में उपर्युक्त अवधि के दौरान गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की राज्य–वार संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (छ) वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान बैंक लूटपाटों/डकैतियों के मामलों की संख्या उनमें अन्तर्ग्रस्त राशियों और इन घटनाओं में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की राज्यवार स्थिति से संबंधित तत्काल उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

स्थान, नकदी की स्थिति, कानून और व्यवस्था की स्थिति जैसे निहित जोखिम वाले तत्वों पर निर्भर करते हुए बैंकों ने अपनी शाखाओं में सुरक्षा मजबूत करने के लिए सशस्त्र गार्ड का प्रावधान करने, चेतावनी प्रणालियां लगाने इत्यिादि जैसे कई कदम उठाए हैं। लूटपाटों, डकैतियों का प्रतिरोध करने के लिए कर्मचारियों, पुलिस और आम जनता को जागरूक बनाने के उद्देश्य से पुरस्कार देने की एक योजना भी जारी है।

विवरण

वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान बैंक लूटपाटों/डकैतियों की संख्या, उनमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि और इन घटनाओं में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की राज्यवार स्थिति संबंधी विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	घटनाओं की संख्या (अन्तर्ग्रस्त राशि लाख रु.)			गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या		
		1991	1992	1993	1991	1992	1993
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र पदेश	4 (20.01)	3 (1.80)	5 (0.20)	-	-	-
2.	अरूणाचल प्रदेश	1 (156.0)	-	-	6	-	-
3.	असम	8 (2.39)	2 (1.18)	7 (96.90)	-	2	1
4.	बिहार	43 (71.33)	44 (120.71)	46 (78.55)	-	4	9
5.	गुजरात	3 (0.17)	-	2 (0.14)	4	-	-
6.	हरियाणा	3 (3.56)	-	-	-	-	-
7.	हिमाचल प्रदेश	1 (0.20)	1 (1.12)	-	-	-	-
8.	मध्य प्रदेश	3 (5.71)	1 (0.38)	1 (3.26)	2	-	-
9.	महाराष्ट्र	2 (2.07)	-	1 (2.06)	6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	मणिपुर	1 (73.20)	-	-	-	-	-
11.	मेघालय	1 (0.45)	2 (0.96)	4 (5.97)	-	-	-
12.	दिल्ली	3 (11.09)	-	2 (49.60)	1	-	6
13.	पंजाब	18 (65.72)	3 (3.73)	1 (-)	1	-	-
14.	उत्तर प्रदेश	8 (9.00)	5 (16.22)	14 (30.24)	4	1	1
15.	पश्चिम बंगाल	22 (54.52)	15 (30.28)	2 (11.80)	4	1	3
16.	जम्मू एवं कश्मीर	-	2 (13.86)	1 (1.37)	-	-	-
17.	कर्नाटक	-	2 (1.22)	-	-	-	-
18.	नागालैंड	-	2 (3.84)	-	-	-	-
19.	उड़ीसा	-	3 (4.60)	1 (2.50)	-	3	-
20.	त्रिपुरा	-	1 (0.47)	1 (0.06)	-	-	-
21.	राजस्थान	-	1 (0.17)	-	-	-	-

[अनुवाद]

चाय उत्पादक फोरम

1876. श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत श्रीलंका द्वारा बनाये गये चाय उत्पादक फोरम में शामिल होने पर सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस फोरम के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) क्या इस फोरम में श्रीलंका के अलावा किसी और देश के शामिल होने की संभावना है ;

(घ) क्या इस फोरम में शामिल होने से भारतीय चाय में मूल्यों में स्थिरता आयेगी और हमारा निर्यात बढ़ेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। श्री लंका द्वारा बनाए गए प्रस्तावित "टी प्रोड्युसर्स एसोसिएशन" में शामिल होन के लिए सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया गया है।

(ख) यह एसोसिएशन मूल रूप में इस उद्देश्य के लिए बनाये जाने का प्रस्ताव है कि उत्पादन, उत्पादकता तथा अनुसंधान के बारे में चाय उत्पादक सदस्य देशों के बीच सार्थक पारस्परिक कार्यवाई के लिए तन्त्र स्थापित हो सके। किन्तु, एसोसिएशन के व्यापक लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) श्री लंका को कुछ चाय उपजकर्ता देशों से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होने के संकेत मिले हैं। किन्तु, इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) चूंकि प्रस्तावित चाय उपजकर्ता एसोसिएशन के उद्देश्यों, आदि के ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं, इसलिए अभी यह बता पाना मुश्किल है कि भारतीय चाय की कीमत स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा भारतीय चाय के निर्यात में कितना सुधार होगा।

[हिन्दी]

गुजरात में पर्यटन संबंधी रिपोर्ट

1877. श्री महेश कनोडिया : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को गुजरात में पर्यटन संबंधी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन स्थानों से संबंधित हैं ; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रम कानून के अंतर्गत विद्युतकरघा एकक

1878. श्री छीतूभाई गामीत : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कामगारों के हितों की रक्षा के लिए देश में विद्युतकरघा एककों के श्रम कानून और फैक्टरी अधिनियम के क्षेत्राधिकार लाने के लिए विद्युतकरघा एककों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए.संगमा) : (क) और (ख) श्रम कानूनों का विद्युत करघा इकाइयों पर विस्तार किये जाने संबंधी एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

10 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली और अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित विद्युत करघा इकाईयों को क.रा.बी. योजना में शामिल किया जाता है। शामिल किए जाने योग्य हैं।

20 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाली विद्युत करघा इकाइयां कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम के अंतर्गत शामिल किये जाने योग्य हैं लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास केवल विद्युत करघा इकाइयों के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

10 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाला विद्युत करघा क्षेत्र कारखाना अधिनियम के अंतर्गत यथा परिभाषित "कारखानों" की परिभाषा के अंतर्गत स्वतः ही आ जाता है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कारखाना अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी करके 10 से कम कर्मकारों को नियोजित करने वाली इकाइयों को भी कारखाना अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। एक नीतिगत मामले के रूप में, सभी जोखिमकारी कारखानों को उनमें नियोजित कर्मकारों की संख्या को ध्यान में रखे बिना ही कारखाना अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाना है। कुछ राज्य सरकारों जैसे तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने कारखाना अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत "विद्युत करघा क्षेत्र" को कारखानों के रूप में अधिसूचित किया है।

चूंकि विद्युत करघा इकाइयां सामान्यतया आकार में लघु होती हैं जिनमें 10 से कम कर्मकार नियोजित किये जाते हैं अतः उन्हें श्रम कानूनों की परिधि के अंतर्गत लाना व्यवहार्य नहीं समझा गया था। तथापि, कर्मकारों के हितों की रक्षा करने से संबंधित मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है और केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया है कि राज्य सरकारों द्वारा श्रम विनियमों को लागू किया जाए तथा विद्युत करघा कर्मकारों के काम काज की परिस्थितियों को उचित बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए।

छापे

1879. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994 में जनवरी और जुलाई के बीच राज्यवार कितने छापे मारे गये ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पाये गये और जब्त किये गये अवैध दस्तावेजों, लेखों, सोने, चांदी तथा अन्य बेनामी लेखों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है और कितने व्यक्ति दोषी पाये गये ; और

(घ) सरकार द्वारा देश में ऐसी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाक और अन्य असमानताओं के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के निदेश

1880. श्री सन्दीपान भगवान थोरात : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने डाक गुम जाने या जाली लेन–देन की घटनाओं को रोकने के लिए निवेशकों को व्याज/लाभांश/रिफण्ड वारंट भेजने के संबंध में कम्पनियों को कुछ दिशा–निर्देश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा प्रस्तावित निवेशकों के अनुकूल अन्य उपायों/नीतियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण के अपने मार्गदर्शी सिद्धान्तों के भाग के रूप में "सैबी" ने निर्गमों के लीड प्रबन्धकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि पब्लिक इश्यूओं के लिए अंशदान विषयक आवेदन पत्रों में आवेदकों के लिए चैक के पिछले भाग पर आवेदन पत्रों की संख्या का उल्लेख करने हेतु अनुदेश दिए गए हों ताकि दुरूपयोग को रोका जा सके। यह भी अनिवार्य बना दिया गया है कि आवेदन पत्र में बैंक खाता संख्या और बैंक का नाम जिसमें ऐसा खाता है, से सम्बद्ध विवरण जोड़ने के लिए अचित स्थान छोड़ा जाए ताकि इश्यू रजिस्ट्रार इन विवरणों को वापसी आदेशों में मुद्रित करा सके। "सैबी" द्वारा उठाए गए इन कदमों से आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के दुरूपयोग की सम्भावना घटी है।

(ग) "सैबी" जिसकी स्थापना निवेशकों के हितों का संरक्षण और पूंजी बाजार को विनियमित करने के मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखकर की गई है, "सैबी" अधिनियम के अन्तर्गत तैयार किए गए विनियमों के स्वरूप के माध्यम से पूंजी बाजार में अधिकांश प्रमुख मध्यस्थों को नियंत्रित कर रहा है। ये विनियम निवेशकों के प्रति मध्यस्थों के दायित्व निर्धारित करते हैं। इन विनियमों के अर्न्तत, "सैबी" को निवेशकों की शिकायतों का समाधान न किए जाने की स्थिति में किसी मध्यस्थ के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति प्राप्त है। मध्यस्थों के लिए विनियमों के अतिरिक्त "सैबी" को प्रकटीकरण तथा निवेशक संरक्षण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किए हैं।

चाय बागान श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा

1881. श्री प्रबीन डेका : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम के चाय बागान श्रमिकों के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) चाय बागान श्रमिकों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम तथा उपदान संदाय अधिनियम के अंतर्गत पहले ही शामिल किया जा चुका है। भविष्य निधि तथा अन्य लाभों के लिए वे असम चाय बागान भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत शामिल हैं। बागान श्रम अधिनियम के अंतर्गत चिकित्सा देख–रेख तथा कतिपय अन्य सुविधाऐं प्रदान की जाती हैं। केवल चाय बागान श्रमिकों के लिए विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के और विस्तार किये जाने से संबंधित कोई भी ठोस प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण विकास के लिये ऋण

1882. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या वित्त मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में "सर्विस एरिया एप्रोच योजना" के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं को कितने–कितने गांवों का आबंटन किया गया है ; और

(ख) उपरोक्त बैंकों ने ग्रामीण विकास हेतु ऋण देने के संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं को सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आबंटित किए गए गांवों की संख्या 71352 है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने, सेवा क्षेत्र योजना के तहत, बैंकों को कई मार्गनिर्देश जारी किये हैं। आम तौर पर, प्रत्येक बैंक शाखा के सेवा क्षेत्र में, विशिष्ट गांव आते हैं और ऋणों की संभाव्यता का मूल्यांकन करने और सहायता के वास्ते हिताधिकारियों का पता लगाने के लिये, सेवा क्षेत्र में गांवों का सर्वेक्षण करने के पश्चात, प्रत्येक शाखा द्वारा वार्षिक ऋण आयोजनाएं तैयार की जाती हैं। यह वांछित क्षेत्रों को ऋणों का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। सेवा क्षेत्र योजना के अधीन ऋण–सुविधाओं में, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले अग्रिम तथा साथ ही कृषि, लघु उद्योग, ग्रामीण कारीगर, ग्रामाद्योग तथा सेवा क्षेत्र आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत दिये जाने वाले अग्रिम भी शामिल हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत, बैंकों द्वारा, सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए निर्धारित किये गये मानदण्डों के अनुरूप ऋण दिये जाते हैं।

[अनुवाद]

पारिस्थितिकी पर्यटन

1883. श्री शरत पटनायक : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में पारिस्थितिकी–पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। प्राकृतिक वातावरण में पर्यटन कार्यकलापों का विकास करने के लिए सरकार पर्वतारोहण, पैदल–भ्रमण, शिविर, जल–क्रीड़ाओं, साइकिल चलाने, हवाई खेलों, वन्यजीव, आदि से संबंधित स्कीमों के लिए धन मुहैया कराती है। साहसिक पर्यटन में लगे यात्रा प्रचालकों को संवर्धनात्मक और प्रचार सहायता प्रदान की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अदायगी योजना (आई.पी.आर.एस.) का दुरुपयोग

1884. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अदायगी योजना (आई.पी.आर.एस.) के दुरूपयोग की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के दुरूपयोग से सरकार को राजस्व की कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय कीमत प्रतिपूर्ति योजना (आई. पी.आर.एस.) वर्ष 1981 से लागू है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, शिपिंग बिल तथा टेस्ट रिपोर्टस आदि सहित निर्यातकों के दावे संबंधी आवेदन पत्रों की इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद (ई.ई. पी.सी.) और विदेश व्यापार महानिदेशक का कार्यालय इन दो अभिकरणों द्वारा जांच पड़ताल की जाती है इसके अतिरिक्त, भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पोस्ट आडिट किया जाता है।

आई.पी.आर.एस. निधियों का दुरूपयोग करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों की पूरी तरह से जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

1885. श्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बैंक ऐसोसिएशन (आई.बी.ए.) ने हाल ही में विभिन्न बैंक कर्मचारी संघों के साथ बैंकों के कम्प्यूटरीकरण के बारे में कोई समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आई.बी.ए. ने बैंकों में डाटा ऐन्ट्री आपरेटरों एवं कम्प्यूटरों के लिए देय विशेष भत्तों की अलग-अलग राशि निर्धारित की है और दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों के द्वारा किये जाने वाले काम के बीच भी स्पष्ट विभेद किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त श्रेणियों के लोगों को उनके कार्य के अनुरूप विशेष भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय बैंक संघ (बैंक प्रबंधनों का प्रतिनिधि) और कर्मकार यूनियनों के बीच 29.10.93 को एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अनुसरण में बैंकों को अपने निम्नलिखित परिचालनों को पूर्णतः या अंशतः कम्प्यूटरीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है :

1. औसतन 750 या अधिक वाउचर लोड वाली शहरी या महानगरीय शाखाएं।
2. विदेशी मुद्रा, मर्चेन्ट बैंकिंग आदि जैसी विशिष्ट कार्य करने वाली शाखाएं।
3. यथापेक्षित प्रशासनिक कार्यालय।
4. बैंक-नेट, स्विफ्ट, आई-नेट आदि जैसी सुविधाओं से शाखाओं का संचार और नेटवर्किंग।
5. पूल्ड आधार पर स्वचालित टेलर मशीनें।
6. ग्राहक सुविधा के लिए एकल खिड़की सुविधा।

(ग) और (घ) बैंकों में डाटा एन्ट्री परिचालन और कम्प्यूटर परिचालक क्रमशः 285/. रु. और 410/- रु. मासिक के विशेष भत्ते के पात्र होते हैं। जबकि डाटा एन्ट्री परिचालकों की ड्यूटी द्विपक्षीय समझौते में परिभाषित की गई है, कम्प्यूटर परिचालकों की ड्यूटी को भारतीय बैंक संघ ने सभी बैंकों के नाम जारी एक परिपत्र में मोटे तौर पर परिभाषित किया है। उन्हीं कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिया जाता है जिनकी ड्यूटी में द्विपक्षीय समझौता/आई.बी.ए के मार्गनिर्देशों के अनुसार ऐसा अपेक्षित हो।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेशकर्ता

1886. श्री साईमन मरान्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा बढ़ते हुए भारतीय शेयर बाजार को देखते हुए अपनी रिपोर्ट में क्या मुख्य टिप्पणियां की गई हैं ;

(ख) भारतीय शेयर बाजार में किन-किन देशों ने रूचि ली है ;

(ग) क्या सरकार विदेशी पूंजी निवेशकर्ताओं को कोई विशेष रियायत/सुविधा प्रदान करेगी ,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान किन भारतीय कम्पनियों ने अन्तर्राष्ट्रीय शेयर बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है और इन कम्पनियों द्वारा किए गए कारोबार का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) "इमार्जिंग स्टॉक मार्केट्स फैक्ट बुक 1994" नामक अपनी रिपोट में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आई.एफ.सी.) ने यह उल्लेख किया है कि 1993 के पूर्वार्द्ध के दौरान हुई हानि तथा इस वर्ष के उत्तरार्द्ध के दौरान हुए सुधार के बाद से, बंबई स्टॉक बाजार को सम्बद्ध वर्ष के अन्त तक आई.एफ.सी. विश्वव्यापी मूल्य सूचकांक पर 17 प्रतिशत और आई.एफ.सी. निवेश योग्य पर 24 प्रतिशत का निवल लाभ प्राप्त हुआ। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय इश्यू जारी करने वाली भारतीय कंपनियों के लिए वर्ष 1993 कारोबार का वर्ष रहा और भारत में निवेश हेतु संचालित समुद्रपारीय निधियों में विदेशी निवेशकों की रूचि भी काफी मात्रा में स्पष्ट तौर पर देखी गई।

(ख) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के साथ पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों में, जिन्होंने भारतीय शेयर बाजार में पर्याप्त रूचि दर्शायी हैं, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमरीका, ग्रेट ब्रिटेन और सिंगापुर से है।

(ग) और (घ) भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेशों के लिए और भारतीय कंपनियों द्वारा जारी यूरो इश्यूओं पर विदेशी निवेश हेतु निम्नलिखित रियायती कर व्यवस्था लागू है :

		विदेशी संस्थागत निवेशक	यूरो-इश्यू
(I)	लाभांश/ब्याज की आय पर कर	20 प्रतिशत	10 प्रतिशत
(II)	पूंजी लाभ पर कर		
	दीर्घकालिक	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
	अल्पकालिक	30 प्रतिशत	आयकर की सामान्य दरें अनिवासियों पर लागू हैं जैसा कि आयकर अधिनियम में निर्धारित किया गया है।

(ङ) वर्ष 1993-94 के दौरान 26 भारतीय कंपनियों ने अपने यूरो-इश्यू जारी किए थे और उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन कंपनियों ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों से कुल 2514.84 मिलियन अमरीकी डालर की राशि जुटाई।

विवरण

1. हिंडाल्को इन्डस्ट्रीज लि.
2. एस्सार गुजरात लि.
3. सदर्न पैट्रोकेलिकल्स इन्ड. कार. लि.
4. आई.टी.सी. लि.
5. शीपिएं क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी ऑफ इण्डिया लि.
6. रिलांयस इन्डस्ट्रीज लि.
7. बम्बई ड्रांईग लि.
8. महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि.
9. गुजरात आम्बुजा सीमेंट लि.
10. जिदंल स्ट्रीप्स लि..
11. स्टरलाइट इन्डस्ट्रीज लि.
12. इन्डो–गल्फ फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.
13. इण्डियन रेयन एण्ड इन्ड. लि.
14. द इन्डास्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेंस्टमेंट कार. ऑफ इण्डिया लि.
15. टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि.
16. विडीओकान इन्टरनेशनल लि.
17. ग्रेड इस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन लि.
18. अरविन्द मिल्स लि.
19. इण्डियन एल्यूमिनियम क. लि
20. जैन इरीगेशन सिस्टमस लि.
21. टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनीज लि.
22. गार्डन सिल्म मिल्क लि.
23. यूनाइटेड फास्फोरस लि.
24. भारत फोर्ज लि.
25. वाखईट लि.
26. निप्पन डेनरो इस्पात लि.

[अनुवाद]

चाय का उत्पादन

1887. श्री के. प्रधानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000 तक चाय के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में अब तक कोई सफलता मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) चाय बोर्ड ने 2000 ई. तक चाय का उत्पादन 1000 मिलियन किग्रा. तक बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है ताकि निर्यात के लिए अधिक चाय प्राप्त की जा सके। इस योजना में जो उपाय शामिल हैं वे निवेश–साधनों को अधिक से अधिक अनुकूल बनाने तथा कृषि के उन्नत तरीके अपनाने जैसे अल्पकालिक उपाय तथा सिंचाई, जल निकास, नवीकरण, कटाई–छटाई, इनफिलिंग आदि में सुधार जैसे मध्यावधि उपाय तथा पुनर्रोपण एवं गहन पौधारोपण जैसे दीर्घकालिक उपाय। वर्ष 1993 के दौरान चाय का उत्पादन वर्ष 1990 के 714.66 मिलियन किग्रा. के मुकाबले 758.06 मिलियन कि.ग्रा. था।

निर्यात पर उपकर

1888. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कालीनों के निर्यात पर उपकर लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) सरकार द्वारा इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गुजरात में रबड़ बोर्ड कार्यालय खोलना

1889. श्री एन.जे. राठवा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में रबड़ बोर्ड कार्यालय खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किस स्थान का चयन किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) रबड़ बोर्ड का एक कार्यालय गुजरात में अहमदाबाद में पहले ही कार्य कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में नागर विमानन का विकास

1890. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में नागर विमानन के विकास हेतु कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में आज तक केन्द्रीय सरकार ने नागर विमानन के विकास हेतु योजनावार राज्य को कितनी धनराशि दी है ; और

(ग) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में शुरू किए गए/किए जा रहे विकासात्मक कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में नागर विमानन विकास के लिए कार्यान्वित की गई प्रमुख महत्वपूर्ण योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) नागर विमानन विकास के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई राशि अनुदान में नहीं दी है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने निजी संसाधनों से वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में किए गए/किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रमुख विकास कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

सातवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा :

(लाख रुपयों में)

1.	**देहरादून**	
	देहरादून हवाई अड्डे के विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण	8.61
2.	**लखनऊ**	
(1)	भा.अ.वि.प्र. प्रा. टर्मिनल भवन का विस्तार	21.45
(2)	अतिविशिष्ट व्यक्तियों के विश्रामगृह की मरम्मत	4.78
(3)	अदिशीय मार्गदर्शक (एन.डी.बी.)	10.00
(4)	उपस्कर अवतरण प्रणाली (आई.एल.एस)	100.00
(5)	डाप्लर अति उच्च आवृत्ति सर्व परास (डी.वी.ओ.आर)	85.00
(6)	ए.एम.एस.एस.	15.00
(7)	टेपरिकार्डर	8.00
3.	**वाराणसी**	
(1)	भा.अ.वि.प.प्रा. द्वारा टर्मिनल भवन का विस्तार और परिवर्धन	39.87
(2)	सहायक पेवमेंट और धावनपथ का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	467.42
(3)	ए.एम.एस.एस.	15.00
(4)	टेपरिकार्डर	8.00

विवरण-II

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए/किए जा रहे विकास कार्यों का ब्यौरा।

हवाई अड्डे का नाम	आठवीं योजना में अनु.जून 94 तक अनंतिम लागत	अपेक्षित	अभ्युक्ति
			(लाख रुपए में)

1	2	3	4	5
1.	**आगरा**			
(1)	टर्मिनल भवन परिसर का विस्तार और परिवर्धन	843.53		सौंपा जा रहा है।
(2)	टैक्सीपथ को चौड़ा करना	13.10	13.10	पूरा हो गया।
(3)	ऐप्रन का विस्तार तथा सम्पर्क टैक्सीपथ की देखरेख	100.00	-	योजना बनने की स्थिति
(4)	डाप्लर अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास/दूरीमापक उपकरण का प्रस्थापन	200.00	-	
2.	**इलाहाबाद**			
(1)	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र भवन का निर्माण	1912.00	549.00	कार्य हो रहा है।
(2)	आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	172.00	-	सौंपा जा रहा है।
(3)	चारदीवारी का निर्माण	33.69	-	
(4)	डाप्लर अति उच्च आवृत्ति दूरी मापक उपकरण का प्रस्थापन	200.00	-	
3.	**देहरादून**			
(1)	धानवनपथ का विस्तार, टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण, भूमि का अधिग्रहण	600.00	-	अभी तक भूमि हस्तांतरित नहीं हुई है।

1	2	3	4	5
4.	**लखनऊ**			
(1)	नए टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण	1034.00	306.00	कार्य हो रहा है।
(2)	धावनपथों एवं सहायक पेवमेंटों का पुनः फर्श बिछाना	297.36	297.00	पूरा हो गया।
(3)	टर्निंग पैंडों का निर्माण तथा शोल्डरों का प्रवीणन	99.81	-	सौंपा जा रहा है।
5.	**पंतनगर**			
(1)	धावनपथ, एप्रन एवं टैक्सी पथ पर पुनः फर्श बिछना	120.00	-	अप्रचालन के कारण कार्य स्थगित किया
6.	**वाराणसी**			
(1)	बेसिक स्ट्रिप की ग्रेडिंग तथा पेवमेंट मरम्मत कार्य	127.15	65.00	कार्य हो रहा है।
(2)	टर्मिनल भवन का विस्तार	300.00	-	योजना बनने की स्थिति
(3)	डाप्लर अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास (प्रतिस्थापन)	120.00	-	-
(4)	उपस्कर अवतरण प्रणाली	100.00		पूरा हो गया
(5)	दूरी मापक उपकरण (एल.पी)	65.00		पूरा हो गया
7.	**गोरखपुर**			
(1)	डाप्लर अति उच्च आवृत्ति सर्वपरास	120.00		चालू परियोजना
(2)	दूरी मापक उपकरण	80.00		चालू परियोजना
8.	**कानपुर**			
(1)	अति उच्च आवृत्ति सार्वदिशिक सर्वपरास (वी.ओ.आर)	120.00		चालू परियोजना
(2)	दूरी मापक उपकरण	80.00		चालू परियोजना
		6737.64		

[अनुवाद]

गुलाबों का निर्यात

1891. श्री रामकृष्ण कौंताला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापतनम में अरकूघाटी निर्यात हेतु विदेशी किस्म के गुलाबों की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हार्टीकल्चर बोर्ड की सहायता से कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस प्रस्ताव की जांच कब तक कर दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) चूंकि न तो ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और न ही नेशनल हार्टीकल्चर बोर्ड ने ऐसा कोई सर्वेक्षण किया है, अतः निर्यात के लिए अरकू घाटी में गुलाब की खेती की संभावना का जितनी जल्दी हो सकेगा आन्ध्र प्रदेश सरकार से पता लगाया जाएगा।

जूट उद्योग के लिए कृतिक बल

1892. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जूट की खेती, विपणन, इसके निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने तथा जूट के अधिकतम उपयोग के उपाय ढूंढने हेतु अन्तर–सरकारीय कृतिक बल गठित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक बल के गठन का स्वरूप क्या है ; और

(ग) इस कृतिक बल के निदेश पद क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर नयायालय तथा स्वर्ण बैंक

1893. श्री राम कापसे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय तथा स्वर्ण बैंक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं ; तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ)

(I) राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस दौरान विधायी आयोग द्वारा अधिकरणों की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 323 ख की व्याख्या पर उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी एक अपील बकाया है जो प्रस्तावित अधिकरण की कार्यप्रणाली को प्रभावित करेगी।

(II) भारत सरकार ने, भुगतान के शेष पर डा.सी. रंगाराजन की अध्यक्षता में स्थापित उच्चस्तरीय समिति को राष्ट्रीय योजना के रूप में स्वर्ण बैंक की शुरूआत का मामला भेजा था। उच्च स्तरीय समिति ने योजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और अन्य विवरणों की जांच की तथा अप्रैल, 1993 की अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ–साथ, सोने का संग्रहण करने के लिए स्थाई संस्थाएं अथवा निगमित निकायों के सृजन में सतर्कता की सिफारिश की है। सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और स्वर्ण बैंक की स्थापना के विषय को फिलहाल छोड़ दिया है।

पान के पत्तों का निर्यात

1894. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1993-94 के दौरान पान के पत्तों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उससे, देश–वार, कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : वर्ष 1993-94 के दौरान पान के पत्तों के देशवार निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1993-94 के दौरान पान के पत्तों का देश–वार निर्यात, (अनन्तिम)

देश का नाम	मात्रा	मात्रा : किग्रा में मूल्य : रुपए में मूल्य
1	2	3
बहरीन	5065	100358
कनाडा	22178	563467
डेनमार्क	77	2190

1	2	3
मिस्र ए.आर.पी	600	13800
फ्रांस	1432	14501
जर्मन संघीय गणराज्य	4300	87716
आइवरी कोस्ट	1200	21603
जापान	124	2910
केन्या	13614	766278
कोरिया गणराज्य	200	15949
कुवैत	20	280
मंगोलिया	5	120
पाकिस्तान	2305391	32967086
पुर्तगाल	1426	55880
सऊदी अरब	24270	814224
सिंगापुर	26	28723
श्रीलंका	38787	2545832
स्वीडन	60	600
स्विट्जरलैंड	1899	25323
तंजानिया गणराज्य	838	33394
टोंगा	238	6600
संयुक्त अरब अमीरात	10912	163946
ब्रिटेन	92391	1941940
यमन गणराज्य	3645	105765
योग	2528698	40278485

स्रोत : डी.जी.सी.आई एंड एस, कलकत्ता।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत मामले

1895. श्री एस.बी. सिंदनाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज किए गए ;

(ख) 1 अप्रैल, 1994 तक उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामले लम्बित थे ;

(ग) 1993-94 के दौरान फेरा के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कितने व्यक्तियों को छोड़ा गया ;

(घ) अप्रैल, 1994 को कितने व्यक्ति हिरासत में/गिरफ्तार थे ; और

(ङ) 1 अप्रैल, 1994 को कितने व्यक्तियों के विरूद्ध मामले निर्णयाधीन हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामलों की संख्या : 5426

(ख) दिनांक 1.4.94 की स्थिति के अनुसार लंबित पड़े मामलों की संख्या : 3316

(ग) व्यक्तियों की संख्या :

(i) वर्ष 1993-94 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए : 235

(ii) माननीय न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने पर जमानत पर छोड़े गए : 11

(iii) न्यायिक हिरासत में लिए गए : 124

(घ) दिनांक 1.4.94 की स्थिति के अनुसार उन मामलों की संख्या जहां न्याय निर्णयन कार्यवाही की जा रही थी : 5062

[हिन्दी]

बिहार स्थित कार्यालयों में लेखापरीक्षा

1896. श्री ललित उरांव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों में कार्यरत महालेखा पालों के माध्यम से राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के कार्यालयों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करती है ;

(ख) यदि हां, तो बिहार राज्य सरकार के हजारों कार्यालयों में दस वर्षों से अधिक समय से लेखापरीक्षा नहीं की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में व्यवस्था को नियमित बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं। केन्द्र और राज्य सरकारों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है, जो एक स्वतंत्र प्राधिकारी हैं।

(ख) और (ग) बिहार राज्य सरकार के कार्यालयों के लेखे की लेखापरीक्षा ऐसा मामला है, जो राज्य सरकार और लेखा परीक्षा विभाग से संबंधित है।

(घ) चूंकि केन्द्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

बहरीन के साथ संयुक्त उद्यम लगाया जाना

1897. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बहरीन के साथ संयुक्त उद्यम लगाने का काई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सरकार ने हाल ही में बहरीन में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए 3 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। ये (1) जहाजों की मरम्मत एवं सेवाओं, (2) समुद्री–उत्पादों के संसाधन (3) कंप्यूटर रिबनों के विनिर्माण से संबंधित हैं।

पी.एन.बी. कैपिटल सर्विसेज

1898. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी.एन.बी कैपिटल सर्विसेज, पंजाब नेशनल बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली व्यापारिक बैंकिग कम्पनी ने हाल में बीमा हेतु दलालों की मदद लेने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) पी.एन.बी. कैप्स द्वारा अपनाई गई बाजार नीति जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के सहायक बैंकों द्वारा नहीं अपनाई जाती है से कौन से उद्देश्य पूरे होंगे ;

(घ) क्या पी.एन.वी. कैप्स द्वारा उपयुक्त कार्यवाही आर.बी.आई दिशानिर्देश के अनुरूप है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पी.एन.बी. कैपिटल सर्विसेज लि. ने सूचित किया है कि उन्होंने हामीदारी के लिए दलालों को अनुरोध नहीं किया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

स्वरोजगार हेतु महिलाओं को बैंक ऋण

1899. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा महिलाओं को स्व–रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा महिलाओं को आसानी से ऋण सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रस्तावित कदम हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंक अपने प्राथमिक क्षेत्र ऋण कार्यक्रमों के भाग के रूप में स्व–रोजगार के लिए महिलाओं को ऋण देते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) के अन्तर्गत महिला हिताधिकारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत सहायता प्राप्त हिताधिकारियों का 40% महिलाएं होनी चाहिए। शहरी व्यष्टि उद्यम योजना (सुमे) में प्रावधान है कि योजना के लिए निर्धारित निधियों का 30% महिला हिताधिकारियों के लिए उपयोग में लाया जाए। सुमे के अन्तर्गत महिला हिताधिकारी सामान्य श्रेणियों के लिए 4,000/- रुपए की तुलना में 5,000/. रुपए की सब्सिडी राशि की पात्र हैं। शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई) के अंन्तर्गत, जो अक्तूबर, 1993 में प्रारम्भ की गई है, में महिलाओं को तरजीह दी गई है।

[हिन्दी]

अफीम और गांजा की खेती

1900. श्री राम प्रसाद सिंह :

श्री मंजय लाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अप्रैल, 1994 को "जनसत्ता" में "अफीम के पट्टों के लिए किसानों के साथ बेजान शर्तें" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने देश में अफीम और गांजा की खेती के लिए क्या नीति अपनायी है ;

(ग) अफीम और गांजा की खेती के लिए कितने राज्यों में लाइसेंस दिये गये हैं और तत्संबंधी कुल पैदावार कितनी है ;

(घ) क्या सरकार दवाओं में इस्तेमाल करने के लिए विधि सम्मत रूप से अफीम उपलब्ध कराती है ;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों में इसकी बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करती है ;

(च) विश्व में ऐसे कितने देश हैं जहां से अफीम का निर्यात किया जाता है ; और

(छ) इन फसलों के निर्यात और पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अफीम–पोस्त की खेती मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यों मे अधिसूचित भू–भागों पर केन्द्रीय सरकार से कड़े लाइसेंस नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अंतर्गत की जाती है। अफीम का उत्पादन मुख्य रूप से निर्यात वचनबद्धताओं को और स्वापक एल्कालायडों के उत्पादन के लिए घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा पोस्त के कास्तकारों को लाइसेंस मंजूर करने संबंधी सामान्य शर्तें वार्षिक आधार पर हर वर्ष सितम्बर/अक्तूबर मास के दौरान निर्धारित की जाती हैं। फसल वर्ष 1993-94 के दौरान, उपर्युक्त तीन राज्यों द्वारा 700 संशक्ति (अनन्तिम) की। लगभग 530 मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन किया गया है। जहां तक गांजे (कैनीविस) की खेती का संबंध है, इसके लिए स्वापक औषध द्रव्य तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अतंर्गत चिकित्सा या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

(घ) और (ङ) औषधीय निर्मितियों के उत्पादन के लिए निर्माणकर्ता रसायनज्ञों तथा पंजीकृत व्यसनियों के प्रयोग के लिए राज्य सरकारों को औषधीय अफीम सरकार द्वारा मुहैया करायी जाती है।

(च) भारत ही एक ऐसा देश है तो विश्व में विधिसम्मत अफीम का निर्यात करता है। यू.एस. ए., जापान, यू.के और रूस भारतीय अफीम के मुख्य क्रेता हैं।

(छ) निर्यात प्रयोजनों के लिए अफीम की आवश्यकता का अनुमान लगाने हेतु बाजार का सर्वेक्षण किया जाता है। भारत में अफीम का उत्पादन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर होता है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधाएं

1901. श्री शरद दिघे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत 'अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा' का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय परिस्थितियों में सुधार करने हेतु तैयार की गयी कार्यवाही योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। 12-13 जुलाई, 1994 को वाशिंगटन में हुई अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सुविधा परिषद ने अपनी बैठक में श्री एन.के.सिंह अमर सचिव, भारत सरकार को कार्यकारी परिषद के चयनित अध्यक्ष के रूप में चुन लिया है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सुविधा विकासशील देशों को उनकी अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने में सहायता देती है और इसने प्रायोगिक अवस्था में भारत के लिए पांच परियोजनाओं की स्वीकृति दी है जिनकी लागत गैर–परम्परागत ऊर्जा क्षेत्र में 45 मिलियन अमरीकी डालर है। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सुविधा को प्रस्तुत किए जाने के लिए तकनीकी सहायता और निवेश परियोजनाओं, दोनों के लिए ही एक स्थायी पाइपलाइन की समीक्षा करने तथा उसको अनुमोदित करने के लिए सचिव (ई एंड एफ) की अध्यक्षता में एक अन्तर–मंत्रालयी कक्ष स्थापित किया गया है।

प्याज के बीज का निर्यात

1902. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय प्याज के बीज का निर्यात प्रतिबन्धित सूची में है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को किसानों से प्याज के बीज की अनुमति देने हेतु कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी हां। प्याज के बीज निर्यातों की निषेधात्मक सूची में हैं। घरेलू खपत के लिए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनका निर्यात केवल लाइसेंसों पर ही किया जाता है। प्याज के बीजों के लिए अभी तक इस तरह के कोई लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

बंधुआ और बाल मजदूर पर राष्ट्रीय कमीशन

1903. श्री अनंतराव देशमुख : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंधुआ और बाल मजदूर के बारे में राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) फिलहाल, सरकार का बंधुआ और बाल श्रम के बारे में एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गंदे नोट

1904. श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में सरकारी क्षेत्र के बैंक गन्दे नोटों को लेने से इन्कार करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इस तरह के नोट स्वीकार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने पहले ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मार्गनिर्देश जारी किए हैं कि वे जनता के सदस्यों से गन्दे करेंसी नोट बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि केरल स्थित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक आम तौर पर जनता से गन्दे नोट स्वीकार करते हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के त्रिवेन्द्रम कार्यालय को 21 जून, 1994 को केरल उपभोक्ता संरक्षण मंच, पेरिनाड, कोल्लम से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के शक्ति–कुलगारा शाखा जनता से गन्दे करेंसी नोट स्वीकार नहीं करती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के नियंत्रक कार्यालय के साथ इस मामले पर उपचारी कार्रवाई करने के लिए उठाया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंक

1905. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने अंशदान में कितनी वृद्धि की गई है ; और

(ख) तत्संबंधी क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकार की वर्तमान ऋण नीति का उद्देश्य समाज के कमजोर और दलित वर्गों के शीघ्र उत्थान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और विशेष रूप से कमजोर वर्गों को ऋण के प्रवाह में वृद्धि करना है। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी भारतीय बैंकों से कहा है कि वे प्राथमिकता क्षेत्र को अपने ऋणों के अनुपात में वृद्धि करके उसे अपने निवल बैंक ऋणों के 40% तक करें और कमजोर वर्गों को दिया जाने वाला अग्रिम कुल ऋणों के 10% या उनके प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के 25% के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए। मार्च, 1992, 1993 और 1994 को समाप्त अवधि के लिए प्राथमिकता क्षेत्र और समाज के कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है :-

(राशि करोड़ रुपए में)
(खातों की संख्या लाख में)
अग्रिमों की बकाया राशि

	मार्च, 1992		मार्च, 1993		मार्च, 1994	
	खाते	राशि	खाते	राशि	खाते	राशि
कृषि क्षेत्र को अग्रिम	211	18265	216	20020	218	21204
लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	29	17398	30	19388	30	21561
अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों को अग्रिम	116	8918	115	9244	117	10432
प्राथमिकता क्षेत्रों को कुल अग्रिम	356	44581	362	48653	365	53197
कमजोर वर्गों को कुल अग्रिम	250	10881	254	11866	262	12779
अनु.जा./अनु.जन.जा. को कुल अग्रिम	90	3629	93	4142	97	4737

"थनर वृक्ष" की छाल

1906. श्री सत्यदेव सिंह :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केंसर में प्रयुक्त होने वाली "थनर वृक्ष" की छाल के अवैध निर्यात की जानकारी है जिससे इस वृक्ष के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और समापटल पर रख दी जायेगी।

विदेशी मुद्रा का जब्त किया जाना

1907. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान विदेशी मुद्रा को तस्करी कर देश से बाहर ले जाने के कितने मामलों का पता लगा ;

(ख) विदेशी मुद्रा की कितनी धनराशि जब्त की गयी ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पेंशन भोगी

1908. **श्री आर. अन्बारासु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवां वेतन आयोग सेवानिवृत्ति की तारीख के दस वर्ष पश्चात् निवृत्ति वेतन के संराशिदान की बहाली, मुफ्त यात्रा सुविधा और अंतरिम राहत देने सहित केन्द्रीय सरकार के पेंशन भोगियों से संबंधित अनेक मुद्दों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पांचवां केन्द्रीय वेतन आयोग अन्य बातों के साथ-साथ मृत्यु-व-निवृत्ति लाभों सहित पेंशनभोगियों के लिए उपयुक्त पेंशन ढ़ांचे को ध्यान में रखते हुए मौजूदा ढ़ांचे की जांच कर रहा है तथा उन से संबंधित ऐसी सिफारिशें करेगा, जो वांछनीय और व्यवहार्य हों।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय रेशम कीट पालन उत्पादन परियोजना

1909. **श्री छेदी पासवान** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में राष्ट्रीय रेशम कीट पालन परियोजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किए गये कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) 1994-95 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 30 जून, 1994 तक किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 से बिहार के किशनगंज, अररिया और पूर्णियां जिलों में क्रियान्वित की जा रही परियोजना में शहतूती रोपण के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने तथा रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए सहायक इन्फ्रास्ट्रक्चर का सृजन करने की परिकल्पना की गई है। समग्र परियोजना के लक्ष्य, वर्ष 1994-95 के लिए लक्ष्य तथा जून, 1994 तक संचयी उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

विवरण

बिहार में राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के अन्तर्गत परियोजना का लक्ष्य, वर्ष 1994-95 के लिए लक्ष्य तथा जून, 1994 तक संचयी उपलब्धियां इस प्रकार है :

क्रम सं.	संघटक	समग्र परियोजना लक्ष्य	1994-95 के लिए लक्ष्य	जून, 94 तक संचयी उपलब्धि
1.	पादपों की सप्लाई (लाख संख्या)	100	40	253.86
2.	शहतूती कृषि का एकड़ क्षेत्र	2000	400	2560.91
3.	रोगमुक्त चक्तों का उत्पादन (संख्या लाख में)	20	5	12.43
4.	कोसों का उत्पादन (मी.टन)	600	121	170.78
5.	कीटपालन संबंधी 'क्ट्स की सप्लाई'	2500	1600	679
6.	कृषक प्रशिक्षण (संख्या)	2500	720	4168
7.	शामिल किए गए लाभ भोगियों की संख्या	2500	600	4000
8.	मूल बीज फार्म की स्थापना	1	-	1
9.	ग्रेनेज	1	-	2
10.	तकनीकी सेवा केन्द्र	4	-	1
11.	चाकी कीट पालन केन्द्र	20	-	20
12.	प्रदर्शन सह–प्रशिक्षण केन्द्र	1	-	1
13.	रेशम उत्पादन प्रशिक्षण विद्यालय	1	-	1
14.	कोसा सुखाने के चैम्बर्स	20	-	4
15.	कोसा बाजार	1	-	1
16.	कोसा प्रशिक्षण तथा ग्रेडिंग यूनिट	1	-	1

निर्यातोन्मुख परियोजनाएं हेतु विदेशी ऋण

1910. श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्यातोन्मुख परियोजनाओं तथा लघु स्तर की इकाइयों हेतु विदेशी ऋण मांगने से संबंधित नियामें में ढील देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकार ने विदेशी ऋण लेने वाले लघु उद्योगों के लिए सितम्बर, 1993 में मानदंडों में ढील दे दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में निर्यातोन्मुख इकाइयों द्वारा विदेशी मुद्रा में ऋण लेने के मानदंडों में ढील दी है। इस समय और कोई परिवर्तन करना अपेक्षित नहीं है।

(ख) दोनों स्कीमों की मुख्य विशेषताएं दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

उन दो स्कीमों की मुख्य विशेषताएं, जिन्हें क्रमशः सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है।

(क) : निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मानदंडों में दी गई ढील।

(i) शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुख से प्राप्त प्रस्तावों पर अनुकूल रूप से विचार किया जाता है चाहे भले ही वे नई इकाइयां हों, जिनके निर्यात का कोई अच्छा निष्पादन रिकार्ड न हो।

(ii) पहले निर्धारित की गई 2 वर्षों से अनधिक न्यूनतम परिपक्वता अवधि की तुलना में परिपक्वता अवधि अब घटाकर न्यूनतम 180 दिनों की कर दी गई है।

(iii) इन ऋणों पर ब्याज के भुगतान को ऋण परिपक्वता और समतुल्य लंदन अंतर्राष्ट्रीय बैंक सरकारी (एल.आई.बी.ओ.आर.) दरों पर निर्भर करते हुए अधिक नमनीय आधार पर युक्तिसंगत बना दिया गया है।

(iv) पहले ऐसे ऋणों पर ब्याज को छोड़कर किसी अन्य प्रभार के भुगतान की अनुमति नहीं थी। अब अन्य प्रभारों तथा कुछ हद तक अतिरिक्त व्यय की अनुमति देने का निर्णय किया गया है।

(v) पूर्ववर्ती मानदंडों के अनुसार, किसी बैंक गारंटी का प्रस्ताव देने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस शर्त में अब ढील ये दी गई है और अगर प्रस्ताव में आस्तियों पर अतिरिक्त प्रभार लगाना शामिल न हो तो बैंक गारंटी जारी करने की अनुमति दी जा सकती है।

(vi) जिन प्रयोजनों के लिए ऐसे ऋणों का लाभ उठाया जा सकता है, उन्हें बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए पहले के महंगें रुपया उधारों की वापसी–अदायगी को शामिल करने के लिए विस्तारित कर दिया गया है।

(ख) 10 लाख अमरीकी डालर तक विदेशी मुद्रा ऋण लेने वाली लघु उद्योग इकाइयों के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देश।

विनिर्याता कंपनियों (लघु उद्योग क्षेत्र वाली कंपनियों सहित) को समय-समय पर बाजार में प्रचलित दरों से अनधिक दरों पर 10 लाख अमरीकी डालर के बराबर राशि उधार लेने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि :

(i) ऋण की न्यूनतम अंतिम परिपक्वता अवधि 3 वर्ष हों ;

(ii) किसी कंपनी के पास किसी भी समय ऐसा केवल एक ऋण बकाया रह सकता है।

[अनुवाद]

काफी बोर्ड में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

1991. श्री बलराज पासी :

डा. रमेश चन्द तोमर :

श्री मुरलीधरन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी बोर्ड को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया में कुल कितनी धनराशि सन्निहित है ; और

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन के कारण बोर्ड के भावी कामकाज पर क्या असर पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां। सरकार ने काफी बोर्ड को काफी बोर्ड के कर्मचारियों के एक वर्ग के संबंध में ऐच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति दे दी है।

(ख) इस प्रक्रिया में कुल मिलाकर लगभग 20000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

(ग) काफी बोर्ड के केवल विपणन प्रभाग में ही कर्मचारियों को कम करने के बारे में सोचा गया है, जहां क्रिया-कलापों में कमी के कारण कर्मचारियों की संख्या बेशी पाई गई है। अब बोर्ड के सामान्य क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विमानपत्तनों के लिए विकास योजनाएं

1912. श्री ई. अहमद :

श्री राजवीर सिंह :

श्री प्रकाश वी. पाटील :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री शांताराम पोतदुखे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विमानपत्तनों के लिये विस्तार/विकास तथा आधुनिकीकरण की योजनाएं तथा अन्य विभाजन सुविधाएं तैयार की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किये गये अथवा शुरू किये जाने वाले ऐसे प्रस्तावों का विमानपत्तनवार तथा राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) टर्मिनल और अन्य आधार–संरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है और इसे प्रायोजित आवश्यकताओं तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रूप से किया जाता है।

आठवीं योजना में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 835.00 करोड़ रुपए तथा भारत अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन ने 731.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

बड़ी परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :–

(1) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बड़ी परियाजनाएं

1. बंबई और दिल्ली हवाई अड्डों पर हवाई यातायात नियंत्रण सेवाओं का आधुनिकीकरण.
2. हवाई अड्डा निगरानी राडार (ए.एस.आर) मोनोपल्स गौण निगरानी राडार (एम.एस. एस.आर) की प्राप्ति तथा संस्थापन।
3. उपकरण अवतरण प्रणाली की प्राप्ति तथा संस्थापन।
4. आदर्श हवाई अड्डों का विकास।

(2) भारत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्त प्राधिकरण की बड़ी परियोजनाएं

1. नया अंतराष्ट्रीय टर्मिनल परिसर (चरण -3) बंबई।
2. नया अंतर्देशीय टर्मिनल परिसर (चरण-3) बंबई।

3. नयां टर्मिनल परिसर, कलकत्ता

4. नया यात्री टर्मिनल परिसर (चरण-1) दिल्ली।

5. नया अंतर्देशीय परिसर (चरण-1) दिल्ली।

6. धानवनपथ और प्रचालनात्मक क्षेत्र का सुधार और उन्नयन। टर्मिनल और कार्गो परिसर।

विदेशी मुद्रा का देश में आना

1913. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा, विशेष रूप से अत्यधिक डालरों का देश में आने से अधिक्य संबंधी नई समस्या पैदा हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा की नई आवाक पर अनौपचारिक रोक लगाई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यह कदम किस हद तक सफल सिद्ध हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उच्चस्तर का प्रारक्षित भण्डार भविष्य की आकस्मिक व्ययों के मुकाबले हमारी सुरक्षा है। तथापि, सरकार की यह मान्यता है कि विदेशी मुद्रा के प्रारक्षित भण्डार के बहुत भारी मात्रा में वृद्धि से मौद्रिक विस्तार पर इसके प्रभाव के जरिए मुद्रा–स्फीतिकारी संभावना हो सकती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

बजट घाटा

1914. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर :

डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान 1994-95 के बजट घाटे की ओर दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने अपने बजट घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 1994 में भारत द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए राजकोषीय समेकन कार्यक्रम और संरचनात्मक सुधारों की प्रशंसा की है जो विदेशी विश्वास बहाल करने, मुद्रास्फीति को घटाने और भुगतान संतुलन के आरंभिक गंभीर संकट के संदर्भ में आर्थिक मंदी को सीमित करने में बड़े कारगर सिद्ध हुए हैं। तथापि, इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि मध्याविध की तुलना में एक ठोस बजटीय स्थिति सुनिश्चित करने के लिए जो राजकोषीय अवस्थिति 1994-95 के बजट प्रस्तावों में प्रस्तुत की गयी है, वह पर्याप्त नहीं होगी।

(ग) सरकार खर्चों में अधिकतम किफायत बरत कर और राजस्व प्राप्तियों को अधिक से अधिक बढ़ाकर बजट घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास करेगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का विलय

1915. श्री चित्त बसु :

श्री फूलचंद वर्मा :

श्री तेजसिंह राव भोंसले :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जून, 1994 के 'राष्ट्रीय सहारा' में 'विलय के बहाने एन. टी.सी. की 43 मिलें बन्द होंगी' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन मिलों का नाम क्या है जिन्हें अन्य मिलों के साथ विलय किया जाएगा ; और

(ग) इन 43 मिलों के कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु क्या योजना शुरू की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) एन.टी.सी. की मिलों का पुनरूद्धार करने के लिए वस्त्र अनुसंधान संघों द्वारा तैयार की गई योजनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ 36 गैर-अर्थक्षम एककों को 18 अर्थक्षम एककों में मिलाकर उनका पुनर्निर्माण करने की परिकल्पना है। इस संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

(ग) वस्त्र अनुसंधान संघों की योजनाओं में पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के माध्यम से कर्मचारियों के पुनर्वासन की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त कामगार स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का भी लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ वे उस योजना का भी लाभ उठा सकते हैं जिसके अन्तर्गत

सुव्यवस्थित कामगारों को विद्युत करघा/रीलिंग एककों की स्थापना करने के लिए सक्षम बनाया जाता है जिसके लिए 6 महीनों के लिए विद्युतकरघा/रीलिंग एककों को सफलतापूर्वक चलाने के पश्चात पूंजीगत लागत के 25 प्र. श. से लेकर 33 प्रतिशत तक का उत्पादन प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि उनके उद्यम को अधिक लाभप्रद बनाया जा सके।

विवरण

36 गैर–अर्थक्षम एककों को 18 अर्थक्षम एककों में मिलाकर के उनका पुनर्निर्माण करने से संबंधित ब्यौरे।

	गैर–अर्थक्षम एकक		परिणामी अर्थक्षम एकक
1.	महालक्ष्मी मिल्स व्यावर	1.	महालक्ष्मी मिल्स, व्यावर
2.	एडवर्ड मिल्स, व्यावर	2.	इंदौर माल्वा मिल्स, इंदौर
3.	इंदौर माल्वा मिल्स, इंदौर	3.	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर
4.	स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर	4.	इंडिया यूनाइटिड मिल्स नं. 3, बम्बई
5.	लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर	5.	इंडिया यूनाइटिड मिल्स नं. 4, बम्बई
6.	अथर्टन मिल्स, कानपुर	6.	आर.एस.आर.जी. मिल्स, अकोला
7.	इंडिया यूनाइटिड मिल्स नं 2. बम्बई	7.	भारत मिल्स, बम्बई
8.	इंडिया यूनाइटिड मिल्स न. 3, बम्बई	8.	मुम्बई मिल्स, बम्बई
9.	इंडिया यूनाइटिड मिल्स नं. 3, बम्बई	9.	गोल्ड मुहर मिल्स, बम्बई
10.	सवतरम मिल्स, अकोला	10.	टाटा मिल्स, बम्बई
11.	आर.एस.आर.जी. मिल्स, अकोला	11.	पोद्दार मिल्स, बम्बई
12.	जुपिटर मिल्स, बम्बई	12.	न्यू सिटी मिल्स, बम्बई
13.	भारत मिल्स, बम्बई	13.	कोहिनूर मिल्स न. 1, बम्बई
14.	न्यू हिन्द मिल्स, बम्बई	14.	राजनगर मिल्स नं. 1, अहमदाबाद
15.	मुम्बई मिल्स, बम्बई	15.	हिमाद्री मिल्स अहमदाबाद
16.	एल्फिन्स्टोन मिल्स, बम्बई	16.	न्यू मानकचौक मिल्स, अहमदाबाद
17.	गोल्डमुहर मिल्स, बम्बई	17.	मिनर्वा मिल्स बंगलौर
18.	जाम मिल्स, बम्बई	18.	रामपुरिया मिल्स, सेरामपुर

गैर–अर्थक्षम एकक

19. टाटा मिल्स, बम्बई
20. सीताराम मिल्स, बम्बई
21. पोद्दार मिल्स, बम्बई
22. मधुसूधन मिल्स, बम्बई
23. न्यू सिटी मिल्स, बम्बई
24. कोहिनूर मिल्स, नं. 1, बम्बई
25. कोहिनूर मिल्स नं. 2, बम्बई
26. कोहिनूर मिल्स नं. 3, बम्बई
27. राजनगर मिल्स नं. 1, अहमदाबाद
28. राजनगर मिल्स नं. 2, अहमदाबाद
29. अहमदाबाद जुपिटर मिल्स, अहमदाबाद
30. हिमाद्री मिल्स, अहमदाबाद
31. न्यू मानकचौक मिल्स, अहमदाबाद
32. मैसूर मिल्स, बंगलौर
33. मिनर्वा मिल्स, बंगलौर
34. बंगाल लक्ष्मी मिल्स, सेरामपुर
35. रामपुरिया मिल्स, सेरामपुर
36. ज्योति मिल्स, कलकत्ता

[हिन्दी]

करों की वसूली

1917. श्री रामटहल चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1994 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आयकर और अन्य केन्द्रीय करों से संबंधित कितनी राशि वसूल की जानी थी ;

(ख) उक्त दिनांक को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार प्रत्येक केन्द्रीय कर से संबंधित कितने मामले न्यायालयों में लम्बित थे ; और

(ग) इन करों की बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बीड़ी श्रमिक

1918. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का एक विशेष प्रकोष्ट पूरे देश के बीड़ी श्रमिकों की समस्या तथा उनके मामलों का निरीक्षण करता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बीड़ी विरोधी विधान लागू किये जाने पर, इस क्षेत्र में रोजगार संबंधी अवसरों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा बीड़ी श्रमिकों के हित की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) बीड़ी, खान (चूना पत्थर और डोलोमाइट, लोह/मैगनीज/क्रीम और अभ्रक) और सिने कर्मकारों के लिए कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए एक श्रम कल्याण संगठन का गठन किया गया है जिसे बीड़ी श्रम कल्याण निधि तथा अन्य निधियों से, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत अधिनियमित किया गया है, वित्त पोषित किया जाता है। महानिदेशक (श्रम कल्याण) मंत्रालय स्तर पर इस संगठन की अध्यक्षता करते हैं। उक्त क्षेत्र में कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए नौ क्षेत्रीय कल्याण आयुक्तों को नियुक्त किया गया है। प्रत्येक कल्याण आयुक्त क्षेत्राधिकार में, जिसके अधीन आवश्यकतानुसार अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, कार्य की मात्रा के आधार पर एक या एक से अधिक राज्य होते हैं।

(ग) ऐसे किसी विधान का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन एयरलाइन्स कर्मियों द्वारा हड़ताल

1919. श्रीमती विभू कुमारी देवी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन–चार माह के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के चालक दल और अन्य विमान कर्मियों द्वारा हड़ताल की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, मई और जून, 1994 के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुईं ;

(ग) क्या यात्रियों ने इस संबंध में शिकायतें की हैं ; और

(घ) इन हड़तालों के कारणों का पता लगाने और इनके समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) इस अवधि में विमान कर्मीदल द्वारा 3.4.94 को कलकत्ता से जाने वाली उड़ानों में व्यवधान की एक घटना हुई थी। उड़ानों में विलंब होने/रद्द होने के विरोध में बाधित उड़ानों के यात्रियों का एक संयुक्त अभ्यावेदन प्राप्त किया गया था।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स का प्रबंधकवर्ग कंपनी की विभिन्न यूनियनों/एसोसिएशनों से लगातार बातचीत कर रहा है जिससे कि उन द्वारा अनुभूत किसी भी समस्या को दूर किया जा सके। यूनियनों/एसोसिएशनों द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों पर प्रबंधकवर्ग ने जितना संभव हुआ उतनी जल्दी कार्रवाई की है। मुख्य लंबित मुद्दे नोट कर लिए गए हैं और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

निर्यातोन्मुख एककों तथा मुक्त व्यापार क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन

1920. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों तथा मुक्त व्यापार क्षेत्रों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रमुख उपलब्धियों और उसकी योजनाओं की प्रचालनात्मक/प्रशासनिक खामियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है/करने का विचार किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) निर्यात संसाधन जोनों के एककों/मुक्त व्यापार जोन और निर्यातोन्मुख एककों ने वर्ष 1991-92 में 2223 करोड़ रुपए का निर्यात किया था जो वर्ष 1993-94 में बढ़कर लगभग 4790 करोड़ रुपए का हो गया। बदलते हुए अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ–साथ चलने के लिए इन योजनाओं के तहत एककों के लिए एक सहज कार्य वातावरण और साथ ही प्रतियोगिता क्षमता बढ़ानें के लिए वित्तीय एवं अन्य सहायता आवश्यक थी। इस संदर्भ में किए गये कुछ उपायों में, अन्य बातों

के साथ–साथ, अपेक्षाकृत अधिक तीव्र अनुमोदन क्रियाविधियां, नीतिगत ढ़ांचे का सरलीकरण, तैयार उत्पाद/अपशिष्ट एवं छीलन के घरेलू निपटान सम्बन्धी–शुल्क ढ़ांचे को युक्तिसंगत बनाना, स्थानीय बाजार के लिए अधिक पहुंच, इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर एककों के लिए लचीले मूल्यवर्धन मानदंड, बान्डिंग समाप्त करने सम्बन्धी औपचारिकताओं को उदार बनाना और सीमाशुल्क संबंधी क्रियाविधियों का सरलीकरण शामिल हैं। व्यापार, पुनः पैकिंग/लेबल लगाकर पुनःनिर्यात, मरम्मत, सुधार और पुनःइंजीनियरी की व्यवस्था द्वारा निर्यात संसाधन जोनों के क्रियाकलाप का क्षेत्र भी बढ़ाया गया है।

बोइंग विमान का आयात

1921. श्री राजवीर सिंह :

डा. के.डी. जेसवानी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एयर टैक्सी चालक अपने बेडे में वृद्धि करने हेतु 400 श्रंखला की बोइंग जहाज लेने जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन एयर टैक्सी चालकों के क्या नाम हैं, नए विमानों से संबंधित आग्रह की वास्तविक तिथि क्या है और यह आग्रह कब प्राप्त हुए और डी.जी.सी.ए. द्वारा कब अनुमति प्रदान की गई ; और

(ग) विमानचालक और चालक दल की व्यवस्था क्या है और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा का उपयोग होता है तथा साथ ही साथ निजी चालकों के प्रति सरकार की नीति क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) किसी विमान को आयात करने की अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रचालक ने प्रशिक्षित विमानचालकों तथा केबिन कर्मी दल के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कर ली हैं। विदेशी मुद्रा का उपयोग पूर्णतया पट्टेदार अथवा विक्रेता के मध्य हुई वाणिज्यिक व्यवस्था पर निर्भर करता है और इसके लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

विवरण

उन एयर टैक्सी प्रचालकों के नाम जो बी 737-400 सीरिज विमान का आयात करना चाहते हैं

क्रमांक	प्रचालक का नाम	बी-737-400 सीरिज विमानों की संख्या जिनके आयात का प्रस्ताव है।	अनुरोध की तिथि/ प्राप्ति की तिथि	प्राप्ति की तिथि अनुमति	अभ्युक्ति
1.	मै. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	6	4.3.94	19.4.94	शून्य
			19.4.94	मामला विचाराधीन है।	
2.	मै. सहारा इंडिया एयरलाइन्स	3	21.4.94	यथोपरि–	
			22.4.94		
3.	मै. मोदी लुफ्त	6	18.7.94/	–यथोपरि	
			18.7.94		
4.	मै. जेट एयरवेज	2	18.2.94	17.3.94 को दो बी 737-400 विमानों के आयात के लिए अनुमति दी गई थी। विमान का आयात किया जा चुका है और परमिट में दर्ज किया गया है।	
			16.3.94		
		4	26.7.94/		
			38.7.94	मामला विचाराधीन है।	

आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखा

1922. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं को खोले जाने का प्रस्ताव है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उक्त शाखाएं कहां–कहां खोली जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वर्ष 1990-95 की शाखा विस्तार नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक शाखाएं खोलने के वास्ते कोई वर्षभार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं। देश में, वर्तमान नीति के तहत वाणिज्यिक बैंकों को आबंटित किये गये 264 ग्रामीण केन्द्रों में से 46 केन्द्र, आन्ध्र प्रदेश में आबंटित किये गये हैं। इन केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जहां तक अर्द्ध–शहरी केन्द्रों का सवाल है, देश में स्थित वाणिज्यिक बैंकों को ऐसे कुल 1285 केन्द्र आबंटित किए गये हैं। बैंक, अखिल भारत स्तर पर आबंटित किये गये कोटे के भीतर, अर्द्ध–शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए स्वतंत्र हैं। अब तक, बैंकों ने, आन्ध्र प्रदेश में अपनी शाखाएं खोलने के वास्ते सात अर्द्ध–शहरी केन्द्रों का पता लगाया है। इन केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। शहरी/महानगरीय/पत्तन नगर केन्द्रों के संबंध में, देश में स्थित बैंकों को 985 केन्द्र आंबंटित किये गये हैं। उनमें से 19 केन्द्र, आन्ध्र प्रदेश में आबंटित किये गये हैं और इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। आबंटित केन्द्रों में शाखाएं उपयुक्त परिसरों, सभी मौसमों के लिए, सड़कों, दूर–संचार आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार खोली जाती हैं।

विवरण-I

	बैंक का नाम	केन्द्र	जिला
	1	2	3
1.	इंडियन बैंक	कुदूर	चित्तूर
2.	बैंक ऑफ इंडिया	मंगलम	चित्तूर
3.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	चार्जिगानिपल्ली	चित्तूर
4.	सिंडिकेट बैंक	मक्कावरिपल्ली	कुडापह
5.	आंध्र बैंक	मुनिकाडलि	पूर्वी गोदावरी
6.	भारतीय स्टेट बैंक	कावुरू	गुंदूर
7.	तदैव	थोटालापालेम	गुंदूर
8.	केनरा बैंक	सेकुर	गुंदूर

1	2	3	
9.	केनरा बैंक	अथोटा	गुंटूर
10.	भारतीय स्टेट बैंक	अमीनासाहेबपालेम	गुंटूर
10.A.	तदैव	अनुडलापल्ली	गुंटूर
11.	सेंट्रल बैंक	लिंगमगुटला	गुटूर
12.	भारतीय स्टेट बैंक	मेरिकापुडि	गुंटूर
13.	तदैव	संगमपालेम	गुंटूर
14.	तदैव	अलुरू	गुंटूर
15.	तदैव	अर्मिन्डा	गुंटूर
16.	तदैव	पेटरू	गुंटूर
17.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	चेल्लापुर	करीमनगर
18.	तदैव	टाडाचेराला	तदैव
19.	तदैव	कवाचेरला	तदैव
20.	तदैव	बंडेलंगपुर	तदैव
21.	तदैव	तारकालमाड्डीकुंटा	तदैव
22.	तदैव	एंडापल्ली	तदैव
23.	तदैव	कोंडापालाकाला	तदैव
24.	इंडिगन बैंक	कोथपल्ली	तदैव
25.	सेन्ट्रल बैंक	यंबुलापुरम	तदैव
26.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	लंकापल्ली	तदैव
27.	केनरा बैंक	वेंडारम	तदैव
28.	भारतीय स्टेट बैंक	वेल्लीगुडी	तदैव
29.	तदैव	मक्कापट्टा	कृष्णा
30.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	रामपुर	मेडक
31.	भारतीय स्टेट बैंक	कल्लाकल	मेडक

	1	2	3
32.	बैंक ऑफ इंडिया	चित्रियाल	नालगुंडा
33.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	नालगेंडागुडम	तदैव
34.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	वंगापल्ली	तदैव
35.	इंडियन ओवरसीज बैंक	पेडावलगाटे	निजामाबाद
36.	भारतीय स्टेट बैंक	बोटलापालेम	प्रकाशम
37.	तदैव	इपारूपालेम	तदैव
38.	तदैव	अनुमन्थईपडु	तदैव
39.	तदैव	राचेरला	तदैव
40.	केनरा बैंक	एलचुर	तदैव
41.	भारतीय स्टेट बैंक	पेड्डापादमपुरम	श्रीकाकुलम
42.	तदैव	पेरूमंडला संकेसा	वारंगल
43.	तदैव	कोटेरू	पूर्वी गोदावरी
44.	तदैव	पेरूगागुडैम	तदैव
44.A	तदैव	माप्पूवरम	तदैव
45.	तदैव	कव्वागुंटम	तदैव
46.	इंडियन ओवरसीज बैंक	तनुकु	तदैव

विवरण-II

आंध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र को आबंटित अर्ध शहरी केन्द्रों की जिलावार स्थिति

	बैंक का नाम	केन्द्र	जिला
	1	2	3
1.	केनरा बैंक	चित्तूर	चित्तूर
2.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	जगतियाल	करीमनगर
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	मनकामेथाटे	तदैव
4.	आंध्रा बैंक	इब्राहिमपटनम	कृष्णा

	1	2	3
5.	केनरा बैंक	जनार्दनपुरम	कृष्णा
6.	केनरा बैंक	इडापल्ली	कृष्णा
7.	पंजाब नेशनल बैंक	टाडापल्लीगुडम	पूर्वी गोदावरी

विवरण -III

आन्ध्र प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आबंटित शहरी/महानगरीय केन्द्रों की जिला–वार स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

	बैंक का नाम	केन्द्र	जिला
	1	2	3
1.	इंडियन ओवरसीज बैंक	मीदुकर	कुड्डापाह
2.	आन्ध्रा बैंक	राजामुंद्री	पूर्वी गोदावरी
3.	बैंक ऑफ इंडिया	आटोनगर	गुंटुर
4.	भारतीय स्टेट बैंक	गुंटुर	गुंटुर
5.	बैंक ऑफ इंडिया	हैदराबाद	हैदराबाद
6.	देना बैंक	हैदराबाद	हैदराबाद
7.	भारतीय स्टेट बैंक	हैदराबाद	हैदराबाद
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	हैदराबाद	हैदराबाद
9.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	हैदराबाद	हैदराबाद
10.	आन्ध्रा बैंक	हैदराबाद	हैदराबाद
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	हैदराबाद	हैदराबाद
12.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	हैदराबाद	हैदराबाद
13.	आन्ध्रा बैंक	अशोकनगर	करनुल
14.	आन्ध्रा बैंक	नेल्लोर	नेल्लोर
15.	आन्ध्रा बैंक	एल.बी. नगर	वरंगल
16.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	वरंगल	वरंगल
17.	बैंक ऑफ इंडिया	माधुरनगर	पूर्वी गोदावरी
18.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्रा	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम
19.	केनरा बैंक	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम

भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यबल की रिपोर्ट

1923. श्री चेतन पी.एस. चौहान :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए विदेशी मुद्रा विनियम के लिए सुझाव देने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गयी मुख्य टिप्पणियों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या अंतिम निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्तमान में फेरा की व्यापक पुनरीक्षा की जा रही है और यदि आवश्यक हुआ तो उस पुनरीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर इसे नए विधान द्वारा प्रतिस्थापित करने के साथ-साथ आगे परिवर्तनों पर भी विचार किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

व्यय नियंत्रण प्रणाली

1925. डा. परशुराम गंगवार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों ने अपनी व्यय नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करने के बाद अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन प्रतिवेदनों के आधार पर सरकारी खर्चों में और कटौती करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) प्रत्येक मंत्रालय के व्यय का नियंत्रण और पुनरीक्षण उसके वित्तीय सलाहकार द्वारा नियमित और अनवरत आधार पर किया जाता है। इस कार्य के एक भाग के रूप में वित्तीय सलाहकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मंत्रालय द्वारा स्थापना नियंत्रण से संबंधित व्यय सहित खर्चे में कटौती करने के लिए समय-समय पर जारी किए गए सामान्य अर्थव्यवस्था संबंधी अनुदेशों और वित्तीय शक्ति के प्रत्यायोजन नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराए।

(ग) "आयोजना" और व्यय की अनिवार्य प्रकृति वाली मदों जैसे ब्याज संदाय, रक्षा, मुख्य आर्थक सहायता, पेंशन आदि के अर्न्तगत आने वाली अपेक्षाओं के अतिरिक्त सरकारी व्यय की अन्य सभी मदों को पहले से ही आवश्यकतानुसार न्यूनतम रखा जाता है।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश

1925. डा. साक्षी जी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भारत पर्यटन विकास निगम ने उत्तर प्रदेश में अपने नए उद्यमों में कितना पूंजी निवेश किया ;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने उत्तर प्रदेश में अपने एककों के विकास हेतु कुछ नई परियोजनाओं का पता लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, भारत पर्यटन विकास निगम ने उत्तर प्रदेश राज्य में किसी नई परियोजना में पूंजी–निवेश नहीं किया है।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम की 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 में "नई स्कीमें" शीर्ष के तहत 7.70 करोड़ रु. का एक मुश्त प्रावधान है, जिसमें कानपुर में एक सस्ता होटल शामिल है। तथापि, इस परियोजना का कार्यान्वयन, पारस्परिक प्राथमिकता, उचित स्थान की उपलब्धता, संतोषजनक संभाव्यता रिपोर्ट और धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

नेशनल इन्स्टीच्यूट फॉर पब्लिक फाइनांस एण्ड पॉलिसी की सिफारिश

1926. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्स्टीच्यूट फॉर पब्लिक फांइनांस एण्ड पॉलिसी ने यह सिफारिश की है कि यदि बिक्री कर सुधार स्वीकार किया जाता है तो यह आश्वासन भी दिया जाना चाहिए कि किसी राज्य को होने वाले बड़े राजस्व घाटे को कम से कम आरम्भ में केंद्र से प्राप्त अनुदान से पूरा किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनांस ने और क्या सिफारिशें की हैं ;

(ग) क्या सरकार ने सभी सिफारिशों की जांच कर ली है ;

(घ) यदि हां, तो कौन–कौन सी सिफारिशें मंजूर की गयी हैं ; और

(ङ) इन सिफारिशों को लागू करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान ने "रिफोर्म ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड टैक्सिज इन इंडिया–इश्यूज एंड आप्शन्स" नामक शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में देश में मूल्य वर्धित कर लागू करने की पद्धति का सुझाव दिया है। रिपोर्ट पर दिल्ली में 27 मई, 1994 को हुए राज्य वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में विचार–विमर्श किया गया था। सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया था कि मूल्य वर्धित कर लागू करने सहित कर सुधारों के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए राज्य वित्त मंत्रियों की एक समिति का गठन किया जाए। संकल्प के अनुसरण में सरकार ने 11 राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है।

विदेशी मुद्रा का जब्त किया जाना

1927. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान मद्रास, कलकत्ता, त्रिवेन्द्रम, दिल्ली और मुम्बई हवाई अड्डों पर कितनी विदेशी मुद्रा जब्त की गई ;

(ख) क्या सरकार ने सूचना देने वालों को किसी प्रकार का लाभ अथवा जब्तशुदा वस्तु के मूल्य को कोई प्रतिशत देना निर्धारित किया है ;

(ग) यदि हां, तो सूचना देने वालों को लाभ का भुगतान कितने दिनों में किया जाता है ;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान इन 5 हवाई अड्डों से ऐसे कार्य के लिए कितनी राशि अदा की गई ;

(ङ) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिन पर अन्तिम निर्णय लिया जाना बाकी है ; और

(च) सूचना देने वालों को ऐसे लाभ की राशि जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाल श्रमिक

1928. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल श्रमिकों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे गृहों में रखने तथा उन्हें शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण देने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचारार्थ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं, सहायता अनुदान योजना एवं अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत कामकाजी बालकों के कल्याण एवं पुनर्वास से संबंधी कार्रवाई कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं में बालकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, चिकित्सा देख–रेख प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के अन्तर्गत विशिष्ट स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ आवासीय प्रकृति के हैं।

वित्तीय संस्थाओं में सेवानिवृत्ति की आयु

1929. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग–अलग है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या बैंकों, जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि जैसी सरकारी क्षेत्र की विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु अलग–अलग है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सेवानिवृत्ति की अलग–अलग आयु निर्धारित करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) जीवन बीमा उद्योग का राष्ट्रीय करण किए जाने से पूर्व प्राइवेट क्षेत्र की बीमा कम्पनियों में कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार की समनुरूप शर्तें नहीं थी। जबकि सामान्यतः सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी तो कुछ एम मामलों में यह कम थी और कुछ अन्य मामलों में यह 60 वर्ष से भी अधिक थी। इसलिए, जब जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण किया गया और भारतीय जीवन बीमा निगम की 1956 में स्थापना की गई तो उन भूतपूर्व प्राइवेट क्षेत्र की कम्पनियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को, जो जीवन बीमा निगम में शामिल किए गए थे और जिन्हें "स्थानान्तरित कर्मचारी" के रूप में जाना गया, 60 वर्ष निर्धारित किया गया जबकि राष्ट्रीयकरण के पश्चात जीवन बीमा निगम की सेवा में आने वाले कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष रहने दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस प्रकार की सेवानिवृत्ति की विभेदीय आयु सीमा की वैधता को कायम रखा। साधारण बीमा निगम में भी इसी प्रकार की सेवानिवृत्ति की विभेदीय आयु सीमा विद्यमान है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित की गयी है। तथापि, जो अधिकारी राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकों में कार्यरत थे उनकी सेवानिवृत्ति राष्ट्रीयकरण से पूर्व संबंधित बैंकों में उस समय प्रचलित सेवानिवृत्ति की आयु के अनुसार ही करने की अनुमति दी गई है।

मेमन भाईयों द्वारा भूमि का सौदा

1930. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिकारियों ने गोवा में मेमन भाईयों द्वारा नौसैनिक अड्डे के निकट तटवर्ती क्षेत्र में भूमि का सौदा किये जाने के बारे में सरकार को सूचना दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है और इसका अनुमानित मूल्य कितना है और इस सौदे में कौन-कौन से स्थानीय व्यक्ति शामिल हैं ; और

(ग) गोवा में इस बेनामी सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में नए हवाई अड्डे

1931. श्री फूलचंद वर्मा : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में नए हवाई अड्डे बनाने संबंधी आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके ऊपर क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

लौह आयस्क

1932. डा. कृपा सिन्धु भोई : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और उड़ीसा से निर्यात हेतु लौह अयस्क की कितनी मात्रा वार्षिक प्राप्त की जा रही है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन राज्यों से लौह अयस्क की कितनी प्राप्ति की गई और कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ;

(ग) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान लौह अयस्क की प्राप्ति और निर्यात में तेजी से गिरावट आई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार ने निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) एक विवरण–पत्र सभा–पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) उड़ीसा क्षेत्र से लौह–अयस्क की अधिप्राप्ति और निर्यात में गिरावट जापानी स्टील मिलों द्वारा इसकी कम मात्रा लेना था, जिसके कारण हैं : इस्पात उद्योग में लगातार मन्दी, बड़े आकार के जहाजों के लिए स्थान प्रतिबन्धित करने से पारादीप पत्तन पर अवस्थापना सम्बन्धी रूकावटें, एम. एम.टी.सी. द्वारा लदान–स्थानों और पाराद्वीप पत्तन पर ऊँचे स्तर पर स्टाक बनाए रखना।

मध्य प्रदेश से लौह–अयस्क की अधिप्राप्ति और निर्यात में गिरावट मुख्यतः विभाग इस्पात संयंत्र तथा स्पंज एवं पिंड लोहे के उत्पादकों द्वारा अधिक घरेलू मांग के कारण निर्यात के लिए बैलेडिला ढेलों की अपेक्षाकृत कम उपलब्धता की वजह से आई थी।

(ङ) निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) जापान को निर्यात में आई गिरावट को पूरा करने के लिए नए बाजारों का पता लगाया गया है।

(2) बाजार मांग के अनुसार उत्पाद–रेंज को बढ़ाया गया है।

(3) मूल्य वर्धित लौह एवं इस्पात उत्पादों का निर्यात बढ़ानें के उद्देश्य से एम.एम.टी.सी. उड़ीसा सरकार और अन्य संवर्धकों के साथ मिलाकर उड़ीसा में संयुक्त उद्यम के रूप में एक लौह एवं इस्पात कांप्लैक्स स्थापित कर रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान एम.एम.टी.सी. द्वारा उड़ीसा और मध्य प्रदेश से अधिप्राप्त एवं निर्यात किए गये लौह–अयस्क की मात्रा निम्नलिखित है :

(मात्रा : लाख टन में)

वर्ष	पूर्वी क्षेत्र में कुल अधिप्राप्ति	इसमें से उड़ीसा से अधिप्राप्ति	पारादीप के जरिए बिहार/ उड़ीसा मूल के लौह–अयस्क का निर्यात	मध्य प्रदेश से अधिप्राप्ति	विजाग पत्तन के जरिए मध्य प्रदेश मूल के लौह अयस्क का निर्यात
1991-92	23.41	19.67	15.72	52.44	50.44
1992-93	13.12	10.87	12.88	43.14	39.55
1993-94 (अनन्तिम)	14.43	11.21	14.30	43.23	41.58

(स्रोत :एम.एम.टी.सी. नई दिल्ली)

[हिन्दी]

स्वर्ण आयात योजना

1933. श्री प्रेम चन्द राम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितना और कितने मूल्य के सोने का आयात किया गया तथा यह आयात किन–किन देशों और किन–किन एजेंसियों के माध्यम से किया गया ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सोने के आयात को हतोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) एक विवरण–पत्र सभा–पटल पर रख दिया गया है।

(ख) तथा (ग) सोने को निर्यात एवं आयात नीति, 1992-97 की आयातों की निषेधात्मक सूची में शामिल किया गया है, अतः इसका मुक्त रूप से आयात नहीं किया जा सकता। इसका आयात केवल निम्नलिखित योजनाओं के तहत ही किया जा सकता है :

(1) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन योजना।

(2) निर्यातकों के पात्र–वर्गों को प्रदत्त विशेष आयात लाइसेन्स।

(3) अप्रवासी भारतीयों द्वारा सोने का आयात।

स्वर्ण आयात योजना के सम्बन्ध में लोक सभा में दिनांक 5.8.1994 को उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1933 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण–पत्र

(क) यात्रियों के सामान के साथ सोने का आयात। यह योजना दिनांक 29.2.1992 से लागू हुई :

1992	92.3 टन
1993	116.2 टन

देश जहां से आयात किया गया :

अफगानिस्तान, अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, बहरीन, बेलिजयम, बोस्तवाना, ब्राजील, कम्बोडिया, कनाडा, क्यूबा, डेनमार्क, मिस्र, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, घाना, हालैल्ड, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इटली, जोर्डन, जापान, केन्या, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, मारीशस, नेपाल, न्यूजीलैन्ड, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, नार्वे, ओमान, पाकिस्तान, पनामा, फिलीपीन्स, कतार, रूस, स्पेन, स्वीडन, सूडान, सऊदी अरब, सीरिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैण्ड, दक्षिण अफ्रीका, श्री लंका, ताइवान, थाइलैण्ड, तुर्की, युगान्डा, यू.ए.ई, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, वेनेजुएला, वियतनाम, पश्चिमी अफ्रीका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे।

(ख) यात्री सामान के अलावा अन्य विभिन्न योजनाओं के तहत सोने का आयात

आयातित सोने का विवरण

अनगढ़ या आंशिक रूप में विनिर्मित/पाउडर रूप में सोना (जिसमें प्लेटिनम युक्त सोना शामिल है) अन्य गैर मौद्रिक अनगढ़ या गैर–मौद्रिक आंशिक रूप में विनिर्मित सोना और मौद्रिक सोना।

1991-92	1992-93	1993-94 (दिसम्बर, 1993 तक)
61.748 कि.ग्रा	18355.908 कि.ग्रा.	10293.326 कि.ग्रा.

निर्यातक देशों के नाम :

ब्राजील, जर्मनी, केन्या, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड, यू.ए.ई, हांगकांग, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, थाइलैण्ड, कनाडा, चीन, फ्रांस, कुवैत, सऊदी अरब, बेल्जियम और मलेशिया।

[अनुवाद]

वित्त सचिव की फ्रांस तथा जर्मनी की यात्रा

1934. श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त सचिव के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने हाल ही के महीनों में फ्रांस तथा जर्मनी की यात्रा की थी जिसका उद्देश्य उन देशों के साथ सहायता–संघ बनाने से पूर्व किए जाने वाले अन्तिम निर्णय मामलों पर उनकी सरकारों के साथ विचार–विमार्श करना था ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर किए गए विचार–विमर्श का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। पिछली प्रथा के अनुसार ही पूर्व–संहायता संघ द्विपक्षीय बातचीत विश्व बैंक द्वारा संयोजित भारत विकास मंच के रूप में पुनर्गठित भारत सहायता संघ की पेरिस में हुई बैठक से पूर्व फ्रांस और जर्मनी सहित प्रमुख दाता देशों के साथ हुई थी। इन देशों के प्रतिनिधियों ने भारत की आर्थिक नीति के बारे में ठोस समर्थन की अभिव्यक्ति की और देश के आर्थि विकास के बारे में लगातार समर्थन देने का आश्वासन भी दिया।

(ग) जर्मन और फ्रांस की सरकारों ने भारत विकास मंच की बैठक में क्रमशः 360.3 मिलियन अमरीकी डालर और 65.0 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता का वचन दिया।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की राज्य सरकारों पर बकाया राशि

1935. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) के होटलों की विभिन्न राज्य सरकारों पर काफी राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इस बकाया राशि का ब्यौरा क्या है और ये कब से बकाया है ;

(ग) क्या सिर्फ दिल्ली में ही आई.टी.डी.सी. के होटलों की कुछ राज्य सरकारों पर बहुत अधिक राशि बकाया है ;

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं तथा उनमें से प्रत्येक पर कितनी राशि बकाया है ;

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन बकाया राशियों को वसूल करने के लिय क्या कदम उठाए गये हैं ;

(च) क्या सरकार ने बकाया अदा न करने वाले ऐसे राज्यों को और अधिक ऋण देना बंद कर दिया है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) तारीख 31.3.94 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों की तरफ 186.86 लाख रु. की धनराशि बकाया है। राज्यवार और अवधिवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) दिनांक 31.3.94 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली स्थित भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का विभिन्न राज्य सरकारों की तरफ 127.95 लाख रु. की धनराशि बकाया है।

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) बकाया राशि को वसूल करना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें बकाया राशि का आवधिक पुनर्विलोकन, अनुस्मारक देकर नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करना, वैयक्तिक सम्पर्क करना तथा आवश्यक समझे जाने पर कानूनी कार्रवाई करना इत्यादि शामिल हैं।

(च) और (छ) दिल्ली स्थित भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में बिहार राज्य सरकार के लिए उधार की सुविधा देनी बन्द कर दी है क्योंकि उसे इन होटलों को भारी बकाया रकम चुकानी है।

विवरण-I

31.3.94 की स्थिति के अनुसार, राज्य सरकारों की तरफ अवधिवार बकाया राशियां

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	एक वर्ष से कम	दो वर्ष से कम	तीन वर्ष से कम	तीन वर्ष से ज्यादा	31.3.94 की स्थिति के अनुसार जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	बिहार सरकार	11.66	5.77	8.20	92.44	118.07
2.	उत्तर प्रदेश सरकार	0.72	1.43	2.92	6.16	11.23
3.	हरियाणा सरकार	-	-	-	0.04	0.04
4.	पश्चिम बंगाल सरकार	2.04	1.29	2.87	7.95	14.15
5.	गुजरात सरकार	-	-	-	0.06	0.06
6.	महाराष्ट्र सरकार	-	-	0.14	1.28	1.42
7.	राजस्थान सरकार	0.73	0.11	0.12	0.79	1.75
8.	आन्ध्र प्रदेश सरकार	0.10	-	0.03	0.04	0.17
9.	मध्य प्रदेश सरकार	1.00	0.30	0.35	1.21	2.86

1	2	3	4	5	6	7
10.	पंजाब सरकार	0.48	0.46	-	0.19	1.13
11.	नागालैण्ड सरकार	-	-	-	0.19	0.19
12.	असम सरकार	-	-	0.05	0.33	0.38
13.	अरुणाचल प्रदेश सरकार	-	0.33	-	-	0.33
14.	जम्मू और कश्मीर सरकार	4.15	0.28	2.06	3.51	10.00
15.	कनार्टक सरकार	11.47	1.63	0.72	1.03	14.85
16.	मणिपुर सरकार	-	-	-	0.03	0.03
17.	केरल सरकार	1.67	1.13	2.42	1.18	6.40
18.	उड़ीसा सरकार	0.81	0.07	0.21	1.49	2.58
19.	तमिलनाडु सरकार	0.39	-	-	0.83	1.22
	जोड़	35.22	12.80	20.09	118.75	186.86

विवरण-II

दिल्ली स्थित होटलों की दिनांक 31-3-94 की स्थिति के अनुसार राज्यवार बकाया स्थिति

क्रम सं.	राज्य का नाम	(रु. लाखों में) कुल देय धनराशि
1.	बिहार सरकार	110.41
2.	जम्मू और कश्मीर सरकार	5.65
3.	उत्तर प्रदेश सरकार	3.03
4.	मध्य प्रदेश सरकार	2.29
5.	कर्नाटक सरकार	1.95
6.	केरल सरकार	1.30
7.	पंजाब सरकार	1.13
8.	असम सरकार	0.38
9.	अरूणाचल प्रदेश सरकार	0.33
10.	आन्ध्र प्रदेश सरकार	0.17
11.	पश्चिमी बंगाल सरकार	0.25
12.	उड़ीसा सरकार	0.20
13.	महाराष्ट्र सरकार	0.18
14.	राजस्थान सरकार	0.36
15.	नागालैण्ड सरकार	0.19
16.	गुजरात सरकार	0.06
17.	मणिपुर सरकार	0.03
18.	हरियाणा सरकार	0.04
	जोड़	127.95

विदेशी संस्थाओं के लिए अभिरक्षक

1936. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारा सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापानी बैंकों से देश में पोर्टफोलियो निवेश कर रही विदेशी संस्थाओं का अभिरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो अभिरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए केवल जापनी बैंकों से ही कहने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या विदेशी संस्थाओं के अभिरक्षक के रूप में कार्यरत वर्तमान विदेशी बैंकों ने मानदंडों का उल्लंघन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल ही नहीं उठता।

आस्ट्रेलिया में भारत व्यापार केन्द्र खोलना

1937. श्री काशीराम राणा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय निर्यातकों को स्थाई व्यापार प्रदर्शनी सुविधा और उनके उत्पादों और सेवाओं के लिए विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) में भारत व्यापार केन्द्र खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में आस्ट्रेलिया सरकार के साथ कोई समझौता किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

पटसन का निर्यात

1938. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्यवार पटसन का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का पटसन उत्पादों का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ; और

(ग) पटसन का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान पटसन का राज्य–वार उत्पादन निम्नानुसार है ;

("000" गांठ में–प्रत्येक गांठ 180 किलाग्राम)

राज्य	उत्पादन	
	1992-93	1993-94
असम	1033.7	675.8
बिहार	789.6	897.6
मेघालय	33.8	36.5
नागालैंड	2.4	2.4
उड़ीसा	272.9	184.7
त्रिपुरा	14.5	14.5
उत्तर प्रदेश	1.3	2.1
पश्चिम बंगाल	5347.2	5569.0
योग	7495.4	7382.6

(ख) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान पटसन उत्पादों का निर्यात इस प्रकार है :

मात्रा : "000" मीट्रिक टन
मूल्य : रु./करोड़

1993-94 अनंतिम		1992-93	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
203.0	370.16	195.8	351.69

(ग) पटसन फाइबर का उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने तथा उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वर्ष 1987-88 में शुरू की गई केन्द्रीय रूप से प्रायोजित विशेष पटसन विकास कार्यक्रम नामक योजना पटसन/मेस्ता उपजाने वाले 8 प्रमुख राज्यों अर्थात, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वर्ष 1994-95 के दौरान 100% केन्द्रीय सहायता से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बीज, उपकरण, आवश्यक पोषक मिनी किट, यूरिया का फोलियर स्प्रे, कच्चे/पक्के रेटिंग टैंकों की खुदाई तथा फुंग कृषि पैकेट आदि जैसी अंतर निविष्टियों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

सरकार ने पटसन और पटसन के सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए भी अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ अंतर–राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, क्रेता–विक्रेता बैठकों का आयोजन करना, बाजार अध्ययन करना, वाणिज्यिक आसूचना और प्रचार अभियानों के बीच संपर्क स्थापित करना, उपभोक्ता की अभिरूचियों के बीच नई श्रृंखला के विविधीकृत पटसन उत्पादों का विकास करने के लिए अनुसंधान व विकास क्रियाकलापों का पोषण करना, पटसन बोरों की आपूर्ति के लिए डी.जी. एस. एंड डी. के आर्डरों को निर्यात दायित्व के साथ जोड़ना, बाह्य बाजार सहायता योजना, विश्व निविदाओं में भागीदारी करने पर हुई हानि को बांटने की योजना आदि शामिल है।

[हिन्दी]

कालीन बुनाई केन्द्र

1939. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार कितने कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र हैं ;

(ख) क्या सरकार ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित व्यक्तियों को कालीन उद्योग लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार जोशीमठ उत्तर प्रदेश में कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) सरकार द्वारा विभागीय और अन्य संगठनों के माध्यम से चलाए जा रहे कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण–पत्र में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रशिक्षित व्यक्तियों को अपने करघे आरंभ करने के लिए जहां आवश्यक हो, तकनीकी मार्ग–दर्शन दिया जा रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्व रोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) तथा राज्य–सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही इसी प्रकार की अन्य योजनाओं के अधीन प्रशिक्षित व्यक्ति इन योजनाओं के अंतर्गत सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

(घ) तथा (ङ) जी, हां। एक कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र जोशीमठ में स्वीकृत किया गया है, जो स्वयंसेवी संगठन द्वारा चलाया जाएगा और इसमें एक वर्ष में 25 कारीगर प्रशिक्षित करने के लिए 1.875 लाख रुपए खर्च होंगे।

विवरण

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय के अन्तर्गत अब तक कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की राज्य-वार संख्या।

क्रमांक	राज्य का नाम	कुल केन्द्र
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	175
2.	बिहार	35
3.	पश्चिमी बंगाल	7
4.	मध्य प्रदेश	41
5.	आन्ध्र प्रदेश	20
6.	कर्नाटक	5
7.	तमिलनाडु	4
8.	राजस्थान	22
9.	हरियाणा	6
10.	पंजाब	25
11.	हिमाचल प्रदेश	9
12.	जम्मू–कश्मीर	175
13.	गुजरात	25

1	2	3
14.	मणिपुर	4
15.	उड़ीसा	14
16.	सिक्किम	1
17.	अरूणाचल प्रदेश	1
		569

पंजाब में रेशम का उत्पादन

1940. श्री हर चन्द सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास राज्य में रेशम के उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी कोई योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

हवाई यातायात नियंत्रक संघ

1941. श्री अन्ना जोशी :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई यातायात नियंत्रक संघ ने 1 अगस्त, 1994 से सीधी कार्यवाही की पुनः धमकी दी है ;

(ख) यदि हां, तो उनके असंतोष के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार इस संघ को अप्रैल, 1994 में हुई द्विपक्षीय बातचीत में दिए गए आश्वासन को लागू करने में असफल रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) हवाई यातायात नियंत्रक संघ के साथ परामर्श करके दिए गए आश्वासनों पर कार्यान्वयन चल रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि

1942. श्री रवि राय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ईस्टर्न पेपर मिल्स, कलकत्ता काफी लम्बे समय से कर्मचारी भविष्य निधि को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ईस्टर्न पेपर मिल्स कलकत्ता फिलहाल बंद पड़ी हुई है। मई, 1993 तक उक्त प्रतिष्ठान पर 1.29 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कलकत्ता ने धारा 7क के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है और उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि देयों की शीघ्र वसूली के लिए धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन मामले भी चलाए हैं।

रबड़ का निर्यात

1943. **श्री पी.सी. थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय रबड़ का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान रबड़ का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ; और

(ग) सरकार द्वारा रबड़ के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) भारत से रबड़ का बहुत ही कम मात्रा का आयात किया जाता है। वर्ष 1993-94 के दौरान, 186 टन रबड़ का निर्यात किया गया, जिसका मूल्य 1,52,966 अमरीकी डालर था।

(ग) वर्तमान आयात–निर्यात नीति के अनुसार, प्राकृतिक रबड़ का मुक्त रूप से निर्यात करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना का दुरुपयोग

1944. श्री सन्तोष कुमार गंगवार : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुल्क छूट योजनाओं के अन्तर्गत मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के कार्यान्वयन के बाद कोई उपलब्धि प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस योजना के अन्तर्गत धोखाधड़ी और "बेनामी" लेन–देन के बारे मे कोई शिकायत मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां।

यह उपलिब्ध संलग्न विवरण–पत्र में उल्लिखित लाइसेंसों की संख्या में वृद्धि एवं अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के दायित्वों से परिलक्षित होती है।

(ग) तथा (घ) एग्जिम नीति के तहत डी.जी.एफ.टी संगठन बेनामी कारोबार के मामले नहीं देखता है ; फिर भी, फर्जी फर्मों द्वारा अग्रिम लाइसेंस प्राप्त करने के कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई थी और उन पर विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत प्रवर्तन कार्रवाही की गई है।

बेनामी कारोबारों के मसले पर ड्राबैक डिपार्टमैंट एवं प्रवर्तन निदेशालय से भी परामर्श किया गया और उनकी सूचना के मुताबिक उन्हें मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस के तहत किसी बेनामी कारोबार का पता नहीं चला है।

उपलब्धि दर्शाने वाला विवरण-पत्र

वर्ष	कुल	मात्रा पर आधारित	मूल्य आधारित	मूल्य आधारित लाइसेंस का %
1992-93	23119	16363	6756	29.22%
1993-94	30489	16935	13554	44.45%

4. सी.आई.एफ.एफ.ओ.बी. और मूल्यवर्धन :

वर्ष	मात्रा आधारित			मूल्य आधारित		
	सी.आई.एफ (करोड़ रुपए में)	एफ.ओ.बी.	मूल्य वर्धन	सी.आई.एफ (करोड़ रुपए में)	एफ.ओ.बी	मूल्य वर्धन
1992-93	5078	9322	84%	3317	9582	188%
1993-94	5625	13134	133%	5550	17367	212%

5. कुल निर्यात में अग्रिम लाईसेंस योजना की भागीदारी :
(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कुल निर्यात	अग्रिम लाइसेंस	प्रतिशत
1991-92	14041	6586	14.95%
1992-93	53350	18904	35.43%
1993-94	69547	30501	43.85%

[अनुवाद]

शेयरों का आनुपातिक आवंटन

1945. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड शेयरों के आनुपातिक आवंटन की वर्तमान प्रणाली की पुनरीक्षा अथवा उसमें परिवर्तन लाने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कब तक नई प्रणाली शुरू की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नये बैंक खोलना

1946. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :

श्री बी. धर्मभिक्षम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को किसी राज्य सरकार से नये बैंक खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1993 और 1994 के दौरान का तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) नये बैंकों को किस क्षेत्र में खोले जाने का विचार है ; और

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए और लम्बित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि नए बैंक स्थापित करने के लिए उन्हें किसी भी राज्य सरकार से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जीवन बीमा निगम की नई बीमा योजना

1947. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने "बीमा किरण" नाम नई सावधिक बीमा योजना की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) इस योजना को कब से कार्यान्वित किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) जी, हां।

15.7.1994 को योजना आरम्भ की गई। योजना के उद्देश्य तथा विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

विवरण

"बीमा किरण" की विशेषताएं

(क) उद्देश्य :

बीमा किरण योजना को आरम्भ करने का उद्देश्य जवान व्यक्तियों की जीवन बीमा संबंधी सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करना है। यह योजना बिना लाभ की है तथा आवधिक मूल्यांकनों में प्रकट किए गये अधिशेष में इसकी कोई भागीदारी नहीं होगी। पालिसी 10,000/- रुपये की बहुगणकों में, कतिपय प्रतिबन्धों के अधीन, बीमित राशि के लिए जारी की जा सकती है।

(ख) मृत्यु संबंधी लाभ

लायलटी परिवर्धन के साथ यदि कोई हो, पालिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर बीमित मूल राशि का भुगतान बशर्ते कि पालिसी मृत्यु की तारीख को पूर्ण रूप से मान्य हो।

(ग) **परिपक्वता लाभ**

संविदा अवधि के बाद बीमित व्यक्ति के जीवित होने पर संविदा अवधि के दौरान अदा किए गए प्रीमियोमों की कुल राशि के बराबर राशि सभी अतिरिक्त प्रीमियमों को छोड़कर, परिवर्धित लायल्टी के साथ, यदि कोई हो, अदा की जायेगी बशर्ते कि परिपक्वता की तारीख को पालिसी पूर्ण रूप से मान्य हो।

(घ) **दुघटना संबंधी लाभ**

(i) संविदा की मूल अवधि के दौरान दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु पर और बशर्ते कि आकस्मिक मृत्यु की तारीख को पालिसी पूर्णरूप से मान्य हो, बीमित मूल राशि के बराबर बीमित राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ii) **दुर्घटना के कारण विकलांगता पर :**

(क) विकलांगता की तारीख से 10 वर्ष तक की अवधि में मासिक किस्तों में मूल बीमित राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ख) भविष्य में भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम को छोड़ दिया जाएगा।

(ङ) **न्यूनतम लायल्टी का संयोजन**

बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अथवा पालिसी के परिपक्व होने पर, बशर्ते कि दावे की तारीख को पालिसी पूर्ण रूप से मान्य हो, पालिसी निम्नलिखित लाभों को प्राप्त करने की पात्र होगी और जैसा भी मामला होगा मृत्यु संबंधी लाभों/परिपक्वता संबंधी लाभों के साथ उनका भुगतान किया जाएगा।

पालिसी अवधि की समाप्ति के पश्चात मृत्यु अथवा परिपक्वता पर *		गारन्टी शुदा न्यूनतम लायल्टी परिवर्धन
15 से 19 वर्ष	सभी अतिरिक्त	25 प्रतिशत
20 से 24 वर्ष	प्रीमियमों को घटा	35 प्रतिशत
25 से 29 वर्ष	कर भुगतान किए	45 प्रतिशत
30 वर्ष	गए कुल प्रीमियमों का	55 प्रतिशत

* (पालिसी की अवधि को उसके आरम्भ होने की तारीख को घटाते हुए मृत्यु की तारीख/परिपक्वता की तारीख के रूप में परिभाषित किया गया है)।

यह नोट किया जाए कि उपयुक्त लायल्टी परिवर्धन की दरें न्यूनतम दरें हैं। अच्छे अनुभव के मामले में लायल्टी परिवर्धन को बढ़ाया भी जा सकता है।

(च) निः शुल्क बीमा कवर :

संविदा की मूल अवधि के विद्यमान रहते हुए जैसा कि नीचे दिया गया है बीमित जीवन पर बीमा की परिपक्वता की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए (दुर्घटना लाभ/विकलांगता लाभ के बगैर) निःशुल्क बीमा कवर उपलब्ध होगा बशर्ते कि पालिसी की परिपक्वता की तारीख को वह पूर्ण रूप से मान्य हो।

पालिसी की अवधि	मूल बीमित राशि के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम निःशुल्क कवर
15 से 19 वर्ष	30 प्रतिशत
20 से 24 वर्ष	40 प्रतिशत
25 से 29 वर्ष	50 प्रतिशत
30 वर्ष	60 प्रतिशत

ऊपर दिए गए प्रतिशत न्यूनतम हैं। अच्छे अनुभव के मामले में निःशुल्क कवर का प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है।

[हिन्दी]

हवाला कारोबार घोटाला

1948. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में करोड़ों रुपये के हवाला करोबार का भंडाफोड़ हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार केन्द्रों की स्थापना

1949. श्री छीतूभाई गामीत : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास व्यापार को बढ़ावा देने और पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने हेतु गुजरात सीमावर्ती क्षेत्र में कोई व्यापार केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रस्तावित केन्द्र कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मेंड्रैक्स की तस्करी

1950. डा. के.डी. जेस्वाणी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष गुजरात में मेंड्रैक्स जब्त किए जाने के कितने मामले दर्ज किए गये ; और

(ख) सरकार ने मेंड्रैक्स के अवैध उत्पादन और तस्करी रोकने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों 1993, 1992 और 1991 के दौरान गुजरात में मैंड्रेक्स की जब्ती के मामले दर्ज होने की सूचना नहीं मिली। तथापि, 1994 में (जुलाई तक) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत 5 मामलें दर्ज किए गए थे।

(ख) सभी प्रवर्त्तन एजेंसियों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन.डी.पी.एस. एक्ट में निहित कड़े प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवर्त्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें। अधिकारियों को, उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन और संचार उपस्कर उपलब्ध करा दिए गए हैं। भारत–पाक सीमा के एक भाग की घेराबंदी कर दी गई है।

[अनुबाद]

बैंक शाखाओं का पुनर्गठन

1951. श्री सन्दीपान भगवान थोरात : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का पुनर्गठन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आगामी वर्षों में भारतीय बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में निरंतर उदारीकरण को समर्थन प्रदान करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक की 1990-95 की शाखा विस्तार नीति के अंतर्गत, बैंकों को अपनी छुट-फुट या अलाभकारी शाखाओं की अन्य बैंकों के साथ अदला-बदली करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। बैंकों से यह भी कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक अच्छी बैंक सुविधाओं वाले शहरी/महानगरीय केन्द्रों में स्थित हानि उठाने वाली शाखाओं को बन्द करने के उनके प्रस्तावों पर विचार करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक को अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बाद में, बैंकों को अपनी गैर--अर्थक्षम ग्रमीण शाखाओं को सैंटेलाइट कार्यालयों में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की गई है। यह निर्णय भी लिया गया था कि जिन ग्रामीण केन्द्रों में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर दो वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं कार्य कर रही हैं, उनमें से संबंधित बैंकों द्वारा पारस्परिक परामर्श से एक शाखा को बन्द करने पर विचार किया जा सकता है। सभी संबद्ध मामलों को निपटाने के बाद, इस प्रकार के प्रस्तावों को पूर्वानुमोदन के लिए संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक को अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। उदारीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत, बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना अपनी शाखाओं को उसी गांव/सेवा क्षेत्र/म्युनिसिपल वार्ड के अंदर स्थानांरिति करने की भी अनुमति प्रदान की गई है। बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना सेवा शाखाएं और विशेषज्ञ शाखाएं खोलने की भी अनुमति प्रदान की गई हैं। उन्हें अपने विवेकानुसार उन संस्थाओं के परिसरों में विस्तार काउंटर खोलने की भी अनुमति प्रदान की गई है, जिनके वे मुख्य बैंकर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय भी लिया है कि उच्च तकनीक वाले कृषि ऋणों पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक राज्य में वाणिज्यक बैंक की कम से कम एक विशेषज्ञ कृषि वित्त शाखा होनी चाहिए, जिसकी स्थापना संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक द्वारा की जाएगी। तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से इस प्रकार की शाखाएं खोलने के लिए उपयुक्त योजना तैयार करने के लिए कहा गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कई प्रमुख सरकारी क्षेत्र के बैंकों का परिचालन पहले से ही सार्वभौमिक है। इस प्रकार के 8 बैंकों की 24 देशों में 102 शाखाएं, 13 प्रतिनिधि कार्यालय, 10 अनुषंगी कंपनियां और 7 संयुक्त उद्यम हैं। सुदृढ़ भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उभरने वाली नई खोली गई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है।

असम को वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण

1952. श्री प्रबीन डेका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा असम को कुल कितना ऋण स्वीकृत किया गया ;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान स्वीकृत राशि में से कुल कितनी राशि वितरित की गयी ; और

(ग) स्वीकृत एवं वितरित किये गये ऋण का संस्थावार तथा क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि 1993-94 के दौरान वित्तीय/निवेश संस्थाओं द्वारा असम की औद्योगिक इकाइयों को मंजूर की गई और संवितरित की गई सहायता क्रमशः 78.8 करोड़ रुपए और 83.5 करोड़ रुपए थी।

(ग) यद्यपित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास क्षेत्र–वार वर्गीकरण तत्काल उपलब्ध नहीं हैं फिर भी 1993-94 के दौरान मंजूर किए गए और संवितरित किए गए ऋणों का संस्था–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

	संख्या	मंजूरियां	संवितरण
1.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	30.3	13.2
2.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.	-	18.1
3.	भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम	24.0	30.7
4.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	14.0	11.1
5.	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	-	0.7
6.	भारतीय जीवन बीमा निगम	-	1.8
7.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट	4.5	6.4
8.	भारतीय साधारण बीमा निगम	6.0	1.5
	जोड़	78.8	83.5

पूर्व क्रय से संबंधित मामले

1953. डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में सम्पत्तियों के पूर्व क्रय से संबंधित कई मामले आयकर प्राधिकारियों के समक्ष निपटान के लिए लम्बित हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस संबंध में निपटान प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, नहीं। 30-6-1994 की स्थिति के अनुसार सम्पत्तियों की पूर्व क्रयाधिकार से संबंधित केवल 1918 मामले आयकर विभाग के उचित प्राधिकारियों के समक्ष निर्णय के लिए लम्बित पड़े थे।

(ग) और (घ) इसे उचित प्राधिकारी के लिए अनिवार्य बनाने के लिए सांविधिक उपबंध पहले ही विद्यमान है कि ऐसे किसी आवेदन-पत्र के प्राप्त होने के महीने के अन्त में तीन माह की छोटी अवधि के भीतर निपटान के लिए आवेदन-पत्र पर वह अपना निर्णय दे।

किसानों को ऋण

1954. डा. पी. बल्लल पेरूमान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान किसानों को कृषि भूमि की खरीद के लिए सावधिक ऋण देती है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान इस प्रकार के ऋण औद्योगिक तथा आवासीय भूमि की खरीद के लिए उपलब्ध कराते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कृषि भूमि की खरीद के लिए भी इस प्रकार के ऋण उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि कंपनी अधिनियम की धारा 4-ए के अंतर्गत अधिसूचित सरकारी वित्तीय संस्थाएं (जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, आदि) सामान्यतया औद्योगिक एककों/सेवा क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। ऐसी वित्तीय संस्थाएं औद्योगिक भूमि, संयंत्र और मशीनरी की खरीद सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक गृह वित्त के लिए शीर्ष पुनर्वित्त संस्था है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), जो कृषि ऋण के लिए शीर्ष वित्तीय संस्था है, ने सूचित किया है कि सामान्यतया परम्परागत भूमि पर आधारित कृषि कार्यकलापों के लिए किसानों द्वारा भूमि को खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती है। परन्तु, उपेक्षित बागान संपदाओं की खरीद के संबंध में वित्तीय सहायता दिया जाना एक अपवाद है। डेरी, मुर्गी पालन और गैर कृषि क्षेत्र के कार्यकलापों और उच्च तकनीक परियोजनाओं, जो भूमि पर आधारित कार्यकलापों में से नहीं है, के मामले में, भूमि की लागत, परियोजना लागत का भाग होती है और इसकी गणना नगद भुगतान के लिए की जाती है। भूमि पर आधारित कार्यकलापों के मामले में, भूमि प्राथमिक परिसम्पत्ति है और इसीलिए भूमि की लागत, परियोजना लागत में सम्मिलित नहीं की जाती है और उसके अभिग्रहण के लिए पुनर्वित्त नहीं दिया जाता है।

जापान के साथ व्यापार

1955. श्री के. प्रधानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने जापान के साथ व्यापारिक संबंधों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत और जापान के बीच प्रतिवर्ष आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जापान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए किये गये उपायों में शामिल हैं, जापानी पक्ष के साथ द्विपक्षीय व्यापार की आवधिक पुनरीक्षा, प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान, जापान में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भाग लेना, बाजार सर्वेक्षण आदि. डी.जी.सी.आई. एंड ए.एस के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान द्वितरफा व्यापार में निम्नानुसार प्रगति हुई :

(करोड़ रुपए में)

1991-92	1992-93	1993-94
7446.89	8296.04	10231.14

(ख) निर्यात एवं आयात के ब्यौरे दर्शाने वाले विवरण–पत्र I और विवरण-II संलग्न हैं।

विवरण -I

भारत से जापान को निर्यात (करोड़ रुपए में)

	चुनिन्दा वस्तुएं	1991-92	1992-93	1993-94
	1	2	3	4
1.	रत्न एवं आभूषण	1138.24	1252.03	1713.91
2.	लौह–अयस्क	380.57	669.29	750.58
3.	समुद्री–उत्पाद	649.06	760.59	1139.57
4.	आर.एम.जी. कपास सहायक सामग्री सहित	200.39	209.14	243.34
5.	अन्य अयस्क एवं खनिज	141.06	108.55	159.72
6.	सूती यार्न, फैब्रिक्स मेडअप आदि	119.01	130.23	190.08
7.	धातु से बनी वस्तुएं	116.91	44.65	76.54

	1	2	3	4
8.	लौह–मिश्रधातुएं	39.31	136.39	113.64
9.	काजू	64.28	56.39	84.92
10.	संसाधित खनिज	61.21	736.73	66.41
11.	अन्य	611.39	736.43	943.51
जापान को कुल निर्यात		4071.43	4160.42	5432.21

विवरण-II

जापान से भारत में आयात (करोड़ रुपए में)

	1	2	3	4
1.	परियोजना माल	718.09	532.73	710.33
2.	मशीनरी–विद्युत एवं मशीन औजार को छोड़कर	503.60	808.64	1086.01
3.	इलैक्ट्रीकल मशीनरी	420.30	537.16	526.55
4.	परिवहन उपकरण	410.09	476.27	460.82
5.	लौह एवं इस्पात	293.40	349.59	305.96
6.	व्यावसायिक उपकरण, चश्मे से सम्बन्धित सामान आदि	188.52	324.47	349.51
7.	कार्बनिक रसायन	166.36	254.68	370.63
8.	कृत्रिम राल, प्लास्टिक सामग्री	79.86	88.18	95.74
9.	टैक्सटाईल यार्न, फैब्रिक्स मेडअप्स, आदि	67.51	84.53	125.88
10.	धातु से बनी वस्तुएं	49.30	69.10	65.51
11.	अन्य	478.13	610.27	652.03
जापान से कुल आयात		3375.13	4135.62	4748.92

श्रमिकों के लिए कल्याण कोष

1956. श्रीमती डी.के. भंडारी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के बीड़ी श्रमिकों के लिए एक कल्याण कोष बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कोष से शुरू किये गये कल्याण कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य श्रमिकों के लिए भी ऐसा ही कोष बनाने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) निर्मित बीड़ियों पर लगाए गए उपकर से एक बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि की स्थापना की गई है। इस निधि को बीड़ी श्रमिकों से संबंधित कल्याण कार्यक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलाई गई कल्याण योजनाओं/कार्यक्रमों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि के अतिरिक्त, संबंधित कल्याण निधियों के अंतर्गत शामिल श्रमिकों के बारे में सदृश कल्याण योजनाएं चलाने के लिए खान (चूना पत्थर और डोलोमाइट, लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क/क्रोम अयस्क, अभ्रक) और सिने कर्मकारों के लिए चार अन्य कल्याण निधियां स्थापित की गई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम
	स्वास्थ्य
1.	बीड़ी श्रमिकों के लिए स्टेटिक-कम-मोबाइल/स्टेटिक एलोपैथिक और स्टेटिक आयुर्वेदिक औषधालय।
2.	बीड़ी श्रमिकों के लिए टी.बी. अस्पतालों में विस्तरों को आरक्षित करने संबंधी योजना।
3.	बीड़ी श्रमिकों के घरेलू उपचार संबंधी योजना।
4.	कैंसर से पीड़ित बीड़ी श्रमिकों के उपचार संबंधी योजना।
5.	मानसिक रोग से पीड़ित बीड़ी श्रमिकों के उपचार संबंधी योजना।
6.	कुष्ठ रोग से पीड़ित बीड़ी श्रमिकों (घर खाता श्रमिकों सहित) के उपचार संबंधी योजना।
7.	चश्मों की खरीद के लिए बीड़ी श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना।
8.	महिला बीड़ी श्रमिकों के लिए प्रसूति प्रसुविधा संबंधी योजना।

9. बीड़ी श्रमिकों के बंध्याकरण के लिये आर्थिक क्षतिपूर्ति की अदायगी संबंधी योजना।

10. हृदय रोग के लिए बीड़ी श्रमिकों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

11. गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए बीड़ी श्रमिकों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

सामाजिक सुरक्षा योजना

1. बीड़ी श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना।

आवास

1. बीड़ी श्रमिकों के लिए अपना घर स्वयं बनाओ योजना।

2. बीड़ी श्रमिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवासीय योजना।

3. वर्कशेडों और गोदामों के निर्माण के लिए बीड़ी उद्योग की सहकारी समितियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

4. बीड़ी श्रमिकों के लिए समूह आवास योजना।

शिक्षा

1. बीड़ी श्रमिकों (घरखाता बीड़ी श्रमिकों सहित) के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना।

2. बीड़ी श्रमिकों के स्कूल जाने वाले बच्चों को एक सैट ड्रेस प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता।

मनोरंजन

1. दृश्य श्रव्य सैटों/सिनेमा वेनों/फिल्म प्रदर्शनियों की स्थापना।

2. बीड़ी श्रमिकों के लिए खेलों, खेल–कूद, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन।

3. बीड़ी श्रमिकों के लिए हॉली डे होम योजना।

4. बीड़ी श्रमिकों के लिए बीड़ी सहकारी समितियों को टी.वी. सैटों की आपूर्ति।

[हिन्दी]

गुजरात में होटल का निर्माण

1957. श्री एन.जे. राठवा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात में विदेशी सहायता से एक नए होटल के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने 24 लाख रुपए की राशि के अनिवासी भारतीयों के 40% इक्विटी सहयोग से मैसर्स पैन पैस्फिक होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, सूरत द्वारा होटल स्थापित करने के विदेशी पूंजी निवेश के एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

पर्यटन क्षेत्रों हेतु सहायता

1958. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने हेतु परियोजना लागत के लिए इक्विटी के रूप में अतिरिक्त धन एकत्र करने के लिए कोई नई योजना शुरू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाली परियोजनाओं और संस्थाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य पर्यटन विकास निगम लाभप्रद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे जिसके लिए वे वित्तीय संस्थाओं से कुल परियोजना लागत के 60% तक रियायती शर्तों पर ऋण प्राप्त करेंगे। शेष 40% राशि राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा इक्विटी सहायता के माध्यम से जुटाई जानी है। केन्द्र का भाग कुल परियोजना लगात का 28% तक है जबकि राज्य का हिस्सा 12% है जिसमें भूमि, संयंत्र मशीनों आदि की लागत शामिल है। वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए इक्विटी सहायता अवमुक्त की है :

		लाख रु. में
1992-93		
1.	शिमला में पार्किंग परिसर का प्रावधान	9.00
2.	सिलीगुड़ी में मैनक लॉज में सुविधाओं का संवर्धन	14.50
3.	दिल्ली में फूड क्राफ्ट बाजार	6.39
1993-94		
1.	हिमाचल प्रदेश द्वारा वातानुकूलित कोचों की खरीद	20.00

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में चमड़ा उद्योग

1959. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़ा निर्यात परिषद ने उनके मंत्रालय से योजना आयोग से यह कहने का अनुरोध किया है कि चौबीस परगना क्षेत्र, जहां पूर्णतः एकीकृत चमड़ा कंपलैक्स के अंतर्गत चमड़ा शोधन शालाओं के कार्य के लिए कलकत्ता चमड़ा शोधन शालाओं की पुनर्स्थापना का विचार है, में सार्वजनिक अपशिष्ट परिशोधन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार हेतु एक अलग कोष बनाया जाये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस समय यह मामला किस चरण में है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) चमड़ा निर्यात परिषद ने हमारा ध्यान चौबीस परगना में एकीकृत चमड़ा कंपलैक्स के प्रस्ताव की ओर आकृष्ट किया था। कलकत्ता चमड़ा शोधन शालाओं की पुनर्स्थापना तथा एक सांझे एफ्लूऐंट परिशोधन प्लान्ट की स्थापना, पश्चिम बंगाल सरकार की एक चमड़ा कांप्लैक्स की स्थापना करने की एकीकृत परियोजना का ही एक हिस्सा है।

राज्य सरकार ने इस परियोजना के वित्त पोषण एवं उपयुक्त सहायता हेतु सीधे ही विभिन्न दानी अभिकरणों/वित्तीय संस्थाओं एवं आर्थिक कार्य विभाग से संपर्क किया है।

विदेशी ऋण

1960. श्री एस.वी. सिंदनाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन माह के दौरान सरकार द्वारा किन–किन देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ कितना ऋण लेने संबंधी करार किए गए हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक से कितना ऋण लेने का प्रस्ताव है और उन योजनाओं का क्या ब्यौरा है जिनके लिए इन ऋणों का उपयोग किया जाएगा ;

(ग) किन–किन देशों और संस्थाओं से ऋण लेने के लिए बातचीत चल रही है ; और

(घ) बातचीत के लिए किन क्षेत्रों का चयन किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दाताओं के साथ सहायता संबंधी बातचीत एक सतत प्रक्रिया है। परियोजनाओं और योजनाओं का ब्यौरा इन दाताओं के साथ सहायता संबंधी यातचीत को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात ही पता चलेगा।

विवरण

अप्रैल से जून, 1994 के दौरान विभिन्न देशों/संस्थानों के समझौतों पर हुए हस्ताक्षर

(राशि मिलियन में)

क्रं.सं.	देश/संस्थान का नाम	समझौते की तारीख	राशि	कारण
1	2	3	4	5
1.	जर्मनी	17.6.94	40.00 ड्यूश मार्क	राजस्थान में विभिन्न गांवों में जल आपूर्ति
2.	आई.एफ.ए.डी.	13.5.94	26.76 अमरीकी डालर	आंध्र प्रदेश सहभागी जनजातीय विकास परियोजना
3.	आई.डी.ए.	24.6.94	88.60 अमरीकी डालर	परिवार कल्याण परियोजना
4.	आई.डी.ए.	19.5.94	117.80 अमरीकी डालर	मोतियाबिन्द अन्धता नियंत्रण परियोजना
5.	आई.डी.ए.	6.4.94	258.00 अमरीकी डालर	हरियाणा जल संसाधन संचयन परियोजना
6.	आई.डी.ए.०	6.4.94	246.00 अमरीकी डालर	महाराष्ट्र आपातकाल भूकम्प पुनर्वास परियोजना
7.	ए.डी.बै.	17.5.94	260.00 अमरीकी डालर	गैस सुधार विस्तार परियोजना

कृषि उत्पादों का निर्यात

1961. श्री एस.एम. लालजान वाशा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यह निर्णय लेने के लिए कि किस कृषि उत्पाद का निर्यात किया जाये और किसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाये, क्या नीति अपनायी जाती है ;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान नीति की समीक्षा करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार की यह नीति है कि आम–उपभोग की मदों के निर्यात की अनुमति इस तरह से दी जाए कि हमारी खाद्य–सुरक्षा प्रणाली प्रभावित न हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार चावल, गेहूं, मोटा अनाज, चीनी, सरसों के बीज और रेपसीड के संबंध में न्यूनतम निर्यात कीमत (एम.ई.पी) और/या मात्रा संबंधी उच्चतम सीमा निर्धारित करती है।

निर्यात नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और नीति का निर्धारण वस्तुओं की मांग/आपूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखकर ही किया जाता है।

विदेशी एयर लाइनें

1962. श्री आर. अन्नबाराजु :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्री शांताराम पोतदुखे :

क्या नागर **विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय एयर लाइनों ने भारत से यातायात संबंधी अतिरिक्त अधिकार देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो 1993 और 1994 के दौरान प्राप्त ऐसे अनुरोधों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या सरकार ने कुछ एयर लाइनों को भारतीय वायु क्षेत्र में उड़ान की अनुमति नहीं दी है जैसा कि दिनांक 13 अप्रैल, 1994 के "हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इसके क्या कारण है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) अधिकार यातायात संबंधी जरूरतों का मूल्यांकन करने के बाद और पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर मंजूर किए जाते हैं। वर्ष 1993 तथा 1994 के दौरान इस प्राकर मंजूर किए गए यातायात अधिकार संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण -I

उन देशों/प्रशासन की सूची जिनसे वर्ष 1993 और 1994 के दौरान अतिरिक्त अधिकारों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं

1.	अल्जीरिया	16.	कुवैत
2.	अर्जेन्टिना	17.	लात्विया
3.	आर्मीनिया	18.	मालदीव
4.	अजरवैजान	19.	माल्टा
5.	बेलारूस	20.	मलेशिया
6.	ब्रुनी	21.	मॉरीशस
7.	बल्गेरिया	22.	मोरक्को
8.	बर्मा (म्यानमार)	23.	नेपाल
9.	मिश्र	24.	नीदरलैंड्स
10.	इथीओपिया	25.	ओमान
11.	फिनलैंड	26.	कतार
12.	जॉर्जिया	27.	रोमानिया
13.	जर्मनी	28.	रूसी महासंघ
14.	हांगकांग	29.	सऊदी अरब
14 (क)	कम्पुचिया	30.	स्कैंडीनेवियन कंट्रीस (नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क)
15.	कजाखस्तान		

31.	सिंगापुर
32.	स्लोवाकिया
33.	दक्षिण अफ्रीका
34.	श्रीलंका
35.	ताजिकिस्तान
36.	थाइलैंउ
37.	तुर्कमेनिस्तान
38.	यू.के
39.	उक्रेन
40.	उजवेकिस्तान
41.	यू.ए.ई.

विवरण -II

वर्ष 1993 और 1994 के दौरान किए गए विमान सेवा करार की संवीक्षा के आधार पर स्वीकृत अतिरिक्त यातायात अधिकार

(वर्णित सभी आवृत्तियां/सीट क्षमताएं/यूनिटें प्रत्येक दिशा में साप्ताहिक आधार पर है)

1.	वुल्गारिया	उसी उड़ान पर दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ना
2.	इथियोपिया	दिल्ली के लिए वी 767 विमान से 2 अतिरिक्त आवृत्तियां
*3.	फिनलैंड	किसी भी प्रकार के विमान से तीन आवृत्तियां (प्रति सप्ताह एक बम्बई के लिए और 2 आवृत्तियां दिल्ली/मद्रास के लिए)
4.	जर्मनी	(क) शीत 93/94 से दसवीं सर्व यात्री आवृत्ति
		(ख) ग्रीष्म 1994 से 11वीं 12वी मद्रास के लिए या मद्रास होकर आवृत्तियां
		(ग) शीत 94/95 से दिल्ली के लिए 13 वीं आवृत्ति
		(घ) ग्रीष्म, 1995 से दिल्ली के लिए 14वीं आवृत्ति
		(ङ) ग्रीष्म, 1995 से कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास के लिए 15वीं आवृत्ति

* 5.	कजाखस्तान	दिल्ली/कलकत्ता के लिए 2 आवृतियां (400 सीटें)
6.	मालदीव	ए–320 विमान से 2 अतिरिक्त आवृतियां
7.	ओमान	त्रिवेन्द्रम के लिए 500 सीटें प्रति सप्ताह
8.	कतार	बम्बई/मद्रास के लिए 6 महीनें की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर 300 सीटें प्रति सप्ताह
9.	रोमानिया	उसी उड़ान पर दिल्ली को कलकत्त से जोड़ना
10.	सऊदी अरब	18वीं 747 क्षमता के समतुल्य सीमा वाले 12 मौजूदा के अतिरिक्त 12 अतिरिक्त आवृत्तियां
11.	सिंगापुर	2.5 वीं 747 क्षमता के समतुल्य अतिरिक्त आवृतियां
* 12.	दक्षिण अफ्रीका	बम्बई/त्रिवेन्द्रम के लिए 2 वी 747 आवृतियां
13.	श्रीलंका	अप्रैल, 1995 से क्षमता हकदारी में प्रति सप्ताह 2700 से 3050 सीट की वृद्धि और इसके आगे अधिकतम 3350 सीटों तक की वृद्धि।
* 14.	ताजिकिस्तान	दिल्ली के लिए 2 आवृत्तियां (480 सीटें)
* 15.	तुर्कमेनिस्तान	दिल्ली के लिए 400 सीटें
16.	यूनाइटेड किंगडम	प्रत्येक 3 आवृतियों पर बम्बई को मद्रास से तथा दिल्ली को कलकत्ता से उसी उड़ान से जोड़ना
* 17.	उक्रेन	दिल्ली के लिए 2 आवृतियां (350 सीटें)
18.	उजवेकिस्तान	मार्च, 1993 से 450 सीटों से 850 सीटों तक वृद्धि

* यातयात अधिकार पहली बार स्वीकृत

राष्ट्रीय कपड़ा निगम

1963. श्री छेदी पासवान :

श्री काशी राम राणा :

श्री अन्ना जोशी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड ने संसाधन जुटाने के लिए अपनी भूमि और भवनों को हाल ही में बेच दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी इकाईवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्य योजना तैयार की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

माल संभलाई

1964. श्री अंनतराव देशमुख : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई के सहार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर माल संभलाई की जिम्मेदारी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अन्य हवाई अड्डों की माल संभलाई से संबंधित गतिविधियां भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) बम्बई हवाई अड्डे पर भारत अंतर्राष्ट्रीय विमान–पत्तन प्राधिकरण कार्गो के अभिरक्षक के रूप में कार्य करता है जबकि कार्गो हैंडलिंग संबंधी गतिविधियां एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा सम्पन्न की जाती है। प्रचालनों को एक ही एजेंसी के अधीन लाने के उद्देश्य से बम्बई हवाई अड्डे के कार्गो हैंडलिंग संबंधी प्रचालन 15-6-94 से भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपने क लिए मई, 1994 में एक निर्णय किया गया था। तथापि, बाद में इस निर्णय का कार्यान्वयन आस्थगित कर दिया गया था।

(ग) दिल्ली में समस्त कार्गो हैंडलिंग संबंधी गतिविधियां तथा कलकत्ता और मद्रास हवाई अड्डों पर कार्गो हैंडलिंग संबंधी गतिविधियों का अधिकांश भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सीधे नियंत्रण में है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बेनामी शेयर आवेदन

1965. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राइमरी मार्केट में शेयरों के लिए एक ही नाम से अनेक आवेदन और बेनामी आवेदन देने के बड़े पैमाने पर हो रहे किसी घोटाले का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में स्टॉक के प्रपत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के उल्लंघन का भी पता लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) यह देखा गया है कि हाल ही के कुछ लोक निर्गमों में "स्टॉक निवेश" के प्रपत्र का प्रयोग करते हुए कई बेनामी शेयर आवेदन–पत्र प्रस्तुत किए हैं। आयकर विभाग ने इस आरोप की जांच–पड़ताल की है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा लोक निर्गमों के नाम इक्विटी शेयरों के जाली नामों से कई आवेदन–पत्र भेजे गये हैं तथा विभाग ने रजिस्ट्रार के कार्यालय से निर्गम को भेजे गए कुछ शेयर प्रमाण–पत्र और वापसी आदेश जब्त किए हैं। आयकर विभाग ने रजिस्ट्रारों को कुछ शेयर प्रमाण–पत्र और वापसी आदेश प्रेषित करने से भी रोका है। भारतीय स्टेट बैंक ने रजिस्ट्रारों को सलाह दी है कि वे अपूर्ण/गलत ढंग से भरे गये आवेदन–पत्रों के अलावा अधिक नामों वाले तथा बेनामी आवेदन–पत्रों की रद्द कर दें।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बम्बई और अहमदाबाद स्थित कुछ बैंकों की शाखाओं में स्टाक निवेश स्कीम के संचालन की छानबीन की है। इससे स्कीम की कार्यप्रणाली की अनियमितताओं का पता चला है, जैसे कि शेयर दलालों, निगमित निकायों और वित्तीय संस्थाओं की भारी मात्रा में स्टाक निवेश जारी करना, अपर्याप्त जमा पर स्टॉक निवेश जारी करना, पूर्व दिनांकित स्टॉक निवेश जारी करना और तीसरी पार्टियों को स्टॉक निवेश का अन्तरण करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन अनियमितताओं की ओर संबधित बैंकों का ध्यान आकर्षित किया है और उन्हें अनेक हिदायतें दी हैं कि वे इन अनियमितताओं को सुधारने के लिए तत्काल कार्रवाई करें और इस संबंध में स्टॉफ की जिम्मेदारी निर्धारित करें।

स्टॉक निवेश स्कीम की स्थाई समिति ने, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बैंक संघ और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं, 29 जून, 1994 को आयोजित अपनी बैठक में इस स्कीम की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और स्कीम में कुछ सांशोधनों का सुझाव दिया ताकि इसकी कार्यप्रणाली में अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।

राष्ट्रीय बचत पत्र

1966. श्री शरद दिघे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निवेशकों द्वारा अप्रैल 1987 तथा अप्रैल, 1989 के दौरान खरीदे गये छह वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र की परिपक्वता राशि से कम भुगतान किये जाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने बचत पत्र के पीछे अंकित वास्तविक परिपक्वता राशि की अदायगी के लिए कदम उठाये हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां।

(ख) शिकायत यह थी कि निवेशकों को बचत पत्रों पर अंकित परिपक्वता राशि से कम मूल्य का भुगतान किया गया।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय बचत पत्रों (छठा निर्गम) सहित कुछ छोटे बचत प्रपत्रों पर लागू ब्याज दरों में 1.4.87 से कमी की गई और 1.4.87 से सम्बद्ध नियमों से भी संशोधन किया गया। 1.4.87 को अथवा उसके बाद खरीदे गए राष्ट्रीय बचत पत्रों (छठा निर्गम) की परिपक्वता राशि 100 रुपए के मूल्यवर्ग पर 190.10 रुपए अधिसूचित की गई जबकि इस तारीख से पूर्व खरीदे गए बचत–पत्रों पर देय राशि 201.50 रुपए थी तथा अन्य मूल्यवर्गों पर यह समानुपातिक दर पर अदा की जाएगी। डाकघरों को सलाह दी गई कि वे निर्गम से पहले बचत पत्रों पर इस परिवर्तन का उल्लेख करें।

निवेशक नियमों में यथा–अधिसूचित परिपक्वता राशि पाने के हकदार हैं। इसलिए यह उचित नहीं है कि निवेशकों को नियमों के तहत अधिसूचित परिपक्वता राशि से कम मूल्य का भुगतान किया गया।

आन्ध्र प्रदेश में विदेशी सहायता प्रदत्त परियोजनाएं

1967. श्री रामकृष्ण कौंताला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्रदत्त परियोजनाओं के नाम तथा स्थान क्या हैं ;

(ख) अब तक जारी की गयी राशि क्या है और इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किया जाएगा ; और

(ग) इन परियोजनाओं को आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही राशि कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विमान टैक्सी संचालक

1968. श्री चित्त बसु :

श्री प्रकाश वी. पाटील :

श्री छीतूभाई गामीत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान टैक्सी संचालकों ने उत्तरी, दक्षिण, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में अपने विमान संचालनों हेतु मार्गों का चयन कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कतिपय विमान टैक्सी संचालकों ने 1994 के दौरान विमान सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार को अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) हवाई टैक्सी प्रचालक पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना उस किसी भी स्टेशन पर प्रचालन के लिए स्वतंत्र हैं, जो अनुसूचित प्रचालनों के लिए खुले हुए हैं ;

(ग) से (ङ) दस हवाई टैक्सी प्रचालकों ने अनुसूचित हवाई प्रचालक परमिट के लिए आवेदन किया है। नियमों के अनुसार उनके विवरण ब्यौरे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के लिए भेज दिए गए हैं।

[हिन्दी]

कपड़ा मशीनरी

1969. श्री नीतीश कुमार :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कुल कितनी कपड़ा मशीनरी का निर्यात किया गया तथा उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ख) क्या निर्यात में कोई कमी आई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कपड़ा मशीनरी के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात किए गए (बुनाई मशीनरी तथा हिस्से पुर्जे सहित) टैक्सटाइल मशीनरी के मूल्य निम्नलिखित हैं :

वर्ष	मूल्य करोड़ रुपये में (अनन्तिम)
1992-93	185.00
1993-94	158.00

टैक्सटाइल मशीनरी के निर्यात आंकड़े मात्रा के रूप में संकलित नहीं किए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) इनके निर्यात में गिरावट आने के कारणों में शामिल हैं : रूसी बाजार के निर्यात में गिरावट आना, विश्व वस्त्र मशीनरी बाजार में आम मंदी और यूरोप के बाहर पुरानी मशीनरी के निर्यात का भारतीय टैक्सटाइल मशीनरी निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव।

(घ) निर्यात संवर्धन करना सरकार का एक सतत प्रयास रहा है। निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं शुल्क छूट स्कीम सहित निर्यात आयात नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रोत्साहन, निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान स्कीम, विशेष आयात लाइसेंस आदि, शुल्क वापसी स्कीम आयकर अधिनियम की धारा 80 एच.एच.सी के अंतर्गत छूट, बाजार विकास निधि से सहायता और निर्यात को सुकर बनाने के लिए आस्थगित ऋण और ऋण आधार उपलब्ध कराना। इंजीनियरी सामान निर्यातकों को इंजीनियरी सामान निर्यात संवर्धन परिषद विविध क्रियाकलापों के अंतर्गत संवर्धनात्मक सहायता भी मिलती है।

कटिहार जूट मिल को बंद करना

1970. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटिहार की पुरानी जूट मिल कितनी अवधि से बंद पड़ी है ;

(ख) उपरोक्त जूट मिल द्वारा श्रमिकों का भुगतान कब से बन्द किया गया है, तथा सरकार द्वारा उनके भुगतान रिलीज करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या उपरोक्त जूट मिल द्वारा मृतक श्रमिकों के आश्रितों को भविष्य निधि की राशि अभी रिलीज की जानी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संसबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार इस मिल को पुनः चालू करने के संबंध में कोई पहल कर रही है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

विमान रख-रखाव सम्बन्धी सुविधाएं

1971. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :

श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण :

श्री सन्दीपान भगवान थोरात :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के पास आज तक आवश्यकता से अधिक रख–रखाव की सुविधाएं हैं ;

(ख) क्या इन सुविधाओं का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो किन–किन स्थानों पर रख–रखाव की सुविधाओं का अधिकतम उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(घ) क्या इन सुविधाओं को एयर टैक्सी आपरेटरों/विदेशी विमान कम्पनियों को देकर इंडियन एयरलाइन्स के लिए राजस्व अर्जित करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(छ) क्या देश में विदेशी कम्पनियों के सहयोग से विमान रख–रखाव सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में निजी पार्टियों से कतिपय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(झ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (झ) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई है, जो इंडियन एयरलाइन्स के पास, उसके सभी क्रियाकलाप–केन्द्रों में, जिसमें अनुरक्षण सुविधा भी शामिल है, फालतू क्षमता की उपलब्धता का निर्धारण करेगी।

शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स परमिट

1972. श्री राजवीर सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ हवाई टैक्सी संचालकों ने "शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स परमिट" प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक संचालक ने किस-किस तारीख को आवेदन किया है ;

(ग) उन संचालकों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ये परिमिट दिये गये हैं ;

(घ) क्या कुछ आवेदन पत्र रद्द कर दिए गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जैसा कि नियमानुसार अपेक्षित है, आवेदन पत्र राजपत्र में सार्वजनिक अधिसूचना के लिए भेज दिए गए हैं।

विवरण

उन एयर टैक्सी प्रचालकों के नाम जिन्होंने भारत में अनुसूचित विमान यातायात सेवा के प्रचालन के परमिट के लिए आवेदन-पत्र दिए हैं।

क्र.सं.	प्रचालक का नाम	आवेदन की तिथि
1.	ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस	23/25-3-94
2.	जेट एयरवेज	20.4.94
3.	दमानिया एयरवेज लिमिटेड	18.4.94
4.	मोदीलुफ्थ	12.4.94
5.	सहारा इंडिया एयरलाइंस	29.4.94
6.	राज एविएशन प्रा. लि.	29.4.94
7.	एन.ई.पी.सी. एयरलाइंस	25.4.94
8.	अर्चना एयरवेज लिमिटेड	18.4.94
9.	जैगसन एयरलाइंस	05.05.94
10.	इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज	29.4.94

नाबार्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश का पुनर्वित्त पोषण

1973. डा. के. वी. आर. चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए नाबार्ड द्वारा आन्ध्र प्रदेश को कितना पुनर्वित्त पोषण किया जाएगा ; और

(ख) इन विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) नाबार्ड चालू वर्ष के दौरान (1994-95) योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश में 285.55 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त प्रदान करेगा। प्रयोजनवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(लाख रुपए)

प्रयोजन	राशि
1.	2.
लघु सिंचाई	6416
आर.ई.सी/एस.पी.ए	3000
भूमि विकास	295
फार्म यंत्रीकरण	5131
शुष्क भूमि कृषि	47
वृक्षारोपण/बागवानी	1261
डेयरी विकास	985
मत्स्ययन (समुद्र में)	707
मत्स्ययन (अंतर्देशीय)	1156
मत्स्ययन (खारा पानी)	712
भण्डारण/मार्केट यार्ड	17
वानिकी	595
बायोगैस	3
मुर्गी पालन	1198
भेड़/बकरी/सुअर पालन	832

1.	2.
कृषि संसाधन	585
गैर कृषिक्षेत्र	1513
राष्ट्रीय बीज परियोजना -III	171
आई.आर.डी.पी	3341
अन्य	590
जोड़	28555

भारत सहायता कन्सोर्टियम से ऋण

1974. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विकास मंच के रूप में पुनर्गठित भारत सहायता कन्सोर्टियम ने भारत की उच्च गुणवत्ता, दीर्घकालीन विकास सहायता की सतत आवश्यकता को पूरा करने हेतु 1994-95 के लिए 6 बिलियन अमरीकी डालर देने का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे वित्तपोषित की जाने वाली विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गत वर्ष की तुलना में यह सहायता कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। भारत विकास मंच के रूप में पुनर्गठित एड इंडिया कन्सोर्टियम ने भारत की वर्ष 1994-95 के लिए उच्च स्तरीय दीर्घावधिक विकास सहायता की निरन्तर आवश्यकता को पूरा करने के लिए 6 बिलियन अमरीकी डालर को रेहन रख दिया है। यह रेहन भारत की पुनर्परिभाषित उधार लेने की नीति और उच्च स्तरीय दीर्घावधिक विकास की निरन्तर आवश्यकता के लिए विश्व बैंक की सिफारिशों के अनुरूप है।

(ख) जिन परियोजनाओं के लिए सहायता राशि का उपयोग किए जाने की संभावना है, उनके ब्यौरों का निर्धारण प्रत्येक दाता अभिकरणों के साथ सहायता राशि पर बातचीत को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किया जाएगा।

(ग) पिछले वर्ष इंडिया कन्सोर्टियम के सदस्यों ने 7.4 बिलियन अमरीकी डालर की सहायता राशि को रेहन रखा था।

बाल श्रमिक

1975. कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरूदास कामत :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हस्त शिल्प केन्द्रों/क्षेत्रों में धीरे–धीरे बाल श्रम समाप्त करने के लिए कोई अभियान चलाने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) हस्तशिल्प क्षेत्र में कितने बाल श्रमिक हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) और (ख) सरकार की नीति हस्तशिल्प क्षेत्र में बाल श्रम सहित बाल श्रम प्रथा को समाप्त करने की है। बाल श्रम प्रथा को उत्तरोत्तर समाप्त करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :

- अधिक से अधिक क्षेत्रों अर्थात कालीन बुनाई, कांच उद्योग, बीड़ी उद्योग, पीतल के बर्तन बनाने का उद्योग आदि में बाल श्रम को प्रतिषिद्ध करने के लिए विधान।
- श्रम कानूनों के प्रवर्त्तन पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- बाल श्रम की बहुलता वाले क्षेत्रों में परियोजनाएं, चलाना अर्थात् उत्तर प्रदेश के कालीन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में ही पीतल उद्योग, राजस्थान में रत्न् पालिश उद्योग, तमिलनाडु में माचिस और आतिशबाजी उद्योग, उत्तर प्रदेश में ताला उद्योग, आन्ध्र प्रदेश में टाइल उद्योग, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में स्लेट उद्योग में परियोजनाएं शुरू की गयी हैं।

(ग) दस वर्षीय जनगणना के माध्यम से प्रामणिक आंकड़े उपलब्ध हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार, 13.6 मिलियन बाल श्रमिक थे जिसमें गैर–कृषि क्षेत्रों में 15% बालक नियोजित थे इसमें हस्तशिल्प शामिल है। हस्तशिल्प केन्द्रों/क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की अलग से संख्या ज्ञात नहीं है। 1991 में की गई जनगणना में आंकड़े अभी जारी किये जाने हैं।

छोटी इलायची का उत्पादन

1976. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी इलायची की पौध के उत्पादन एवं किसानों को इसके वितरण हेतु केरल में विभागीय नर्सरी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने छोटी इलायची की खेती में लगे किसानों हेतु कोई राजसहायता योजना शुरू की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) मसाला बोर्ड के पास इलायची के पौध के उत्पादन एवं किसानों को इसके वितरण हेतु केरल में दो विभागीय नर्सरी हैं जो इडुक्की जिले के चिधिरापुरम और मत्तूथवालम में स्थित हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। मसाला बोर्ड के पास छोटी इलायची की खेती में लगे किसानों के लिए कई योजनाएं हैं। इनमें शामिल हैं :

(1) **पॉलीबैग नर्सरी योजना** : इस योजना के तहत 1000 पौधे वाली नर्सरी इकाई को 250/- रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।

(2) **इलायची पुनर्रोपण योजना** : इस योजना के तहत, 8 हेक्टेयर तक की भूमि धारक छोटे उपजकर्ताओं को पूराने रोगग्रस्त एवं अलाभकारी पौधों के स्थान पर पुनर्रोपण हेतु कृषि लागत की 25% धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। लेकिन यह सहायता राशि अधिक से अधिक 3750/. रुपए प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है।

(3) **सिंचाई एवं भूमि विकास कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम के तहत, नाबार्ड के मानकों के आधार पर, उपजकर्ताओं को, जल भण्डार के उपायों/उपकरणों/मृदा संरक्षण की लागत का 25% से 50% तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(4) **विभागीय नर्सरी योजना** : इस योजना के तहत, मसाला बोर्ड–पौधों को उत्पादन कर उन्हें किसानों को रियायती दर पर मुहैय्या कराता है।

(5) **जन-जातीय विकास कार्यक्रम** : इसके अलावा, जनजातीय मसाला उपजकर्ताओं को विशेष प्रोत्साहन दिए जाते हैं ; जिसमें शामिल हैं :

(क) इलायची पुनर्रोपण योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 3750 रुपए की सामान्य आर्थिक सहायता के अलावा जन–जातीय उपजकर्ताओं के मामले में पौध की लागत का खर्च भी बोर्ड द्वारा ही वहन किया जाता है।

(ख) पॉलीबैग नर्सरी योजना के तहत, जन–जातीय उपजकर्ताओं को 500/. रुपए प्रति हजार पौध के हिसाब से प्रदान किए जाते हैं।

(ग) जन–जातीय उपजकर्ताओं को 90% रियायत दर पर कृषि औजार मुहैय्या किए जाते हैं।

विमान चालकों की मांग

1977. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1994 तक की स्थिति के अनुसार देश में अनुमोदित/अर्हता प्राप्त विमान चालकों की संख्या कितनी है और उसकी तुलना में इस समय और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारी घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए उनकी कितनी मांग है ;

(ख) वर्तमान में तथा आने वाले दस वर्षों में आवश्यकता की तुलना में विमान चालकों के मांग तथा उनकी उपलब्धता का अन्तर क्या है ; और

(ग) विमान चालकों के मांग की पूर्ति हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) 30.6.1994 की स्थिति के अनुसार, 4444 व्यावसायिक विमान चालक हैं जिनके पास वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 600 अतिरिक्त वाणिज्यिक विमानचालक लाइसेंस जारी किये जाने की आशा है। कुल संख्या की दृष्टि से इस समय विमानचालकों की मांग और उपलब्धता के बीच कोई अन्तर नहीं है, परन्तु विमानचालकों के त्यागपत्र देने, नये प्रकार के विमान लगाने इत्यादि जैसे विभिन्न कारणों से विशेष प्रकार के विमानों के संबंध में समय-समय पर उनके श्रेणी में कमी आ जाती है। इस प्रकार की कमियों को विमान विशेष के प्रकार के सम्बन्ध में विमानचालकों को प्रशिक्षण देकर पूरा किया जाता है।

बीड़ी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनायें

1978. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं से बीड़ी श्रमिकों को कितना लाभ मिला है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में आगे कदम उठाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) मध्य प्रदेश सहित सभी राजयों में बीड़ी कर्मकारों के लिए चलाई जा रही कल्याण योजनाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, 1.4.1992 से बीड़ी कर्मकारों के लिए एक सामूहिक बीमा योजना शुरू की गयी है और ह्रदय रोगों से पीड़ित तथा गुर्दा प्रत्यारोपण करवाने वाले बीड़ी कर्मकारों के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए फरवरी, 1992 से एक योजना शुरू की गयी है।

(ख) अन्य राज्यों की तरह ही मध्य प्रदेश में बीड़ी कर्मकारों को विभिन्न कल्याण योजनाओं से काफी लाभ प्राप्त हुआ है। सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के 3.30 लाख बीड़ी कर्मकारों को शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) इन योजनाओं की व्याप्ति का और अधिक विस्तार करने के लिए जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं। फिलहाल नई योजनाएं शुरू करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

1. बीड़ी श्रमिकों के लिए स्टेटिक–कम–मोबाइल/स्टेटिक एलोपैथिक और स्टेटिक आयुर्वेदिक औषधालय।
2. बीड़ी श्रमिकों के लिए टी.वी. अस्पतालों में बिस्तरों को आरक्षित करने संबंधी योजना।
3. बीड़ी श्रमिकों के घरेलू उपचार संबंधी योजना।
4. कैंसर से पीडित बीड़ी श्रमिकों के उपचार संबंधी योजना।
5. मानसिक रोग से पीड़ित श्रमिकों के उपचार संबंधी योजना।
6. कुष्ठ रोग से पीडित बीड़ी श्रमिकों (घर खाता श्रमिकों सहित) के उपचार संबंधी योजना।
7. चश्मों की खरीद के लिए बीड़ी श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना।
8. महिला बीड़ी श्रमिकों के लिए प्रसूति प्रसुविधा संबंधी योजना।
9. बीड़ी श्रमिकों के बध्याकरण के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति की अदायगी संबंधी योजना।
10. हृदय रोग के लिए बीड़ी श्रमिकों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।
11. गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए बीड़ी श्रमिकों को वित्तीय सहायता के रूप में व्यय की प्रतिपूर्ति।

सामाजिक सुरक्षा योजना

1. बीड़ी श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना।

आवास

1. बीड़ी श्रमिकों के लिए अपना घर स्वयं बनाओ योजना।
2. बीड़ी श्रमिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवासीय योजना।
3. वर्कशेडों और गोदामों के निर्माण के लिए बीड़ी उद्योग की सहकारी समितियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
4. बीड़ी श्रमिकों के लिए समूह आवास योजना।

शिक्षा

1. बीड़ी श्रमिकों (घरखाता बीड़ी श्रमिकों सहित) के बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना।
2. बीड़ी श्रमिकों के स्कूल जाने वाले बच्चों को एक सैट ड्रेस प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता।

मनोरंजन

1. दृश्य श्रव्य सैटों/सिनेमा वेनों/फिल्म प्रदर्शनियों की स्थापना।

2. बीड़ी श्रमिकों के लिए खेलों, खेल–कूद, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन।

3. बीड़ी श्रमिकों के लिए हॉली डे होम योजना।

4. बीड़ी श्रमिकों के लिए बीड़ी सहकारी समितियों को टी. वी. सैटों की आपूर्ति।

भुवनेश्वर हवाई अड्डा

1979. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए कुल कितनी भूमि अधिग्रहीत की गयी है ;

(ख) अधिग्रहीत की गई भूमि के मालिकों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मुआवजा का भुगतान किस दर से किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) राज्य सरकार ने लगभग 70 एकड़ भूमि प्राप्त की है और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दी है।

(ख) और (ग) उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा भूमि प्राप्त कर ली गई है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास भुगतान किए गए मुआवजे के ब्यौरे नहीं हैं।

[हिन्दी]

दूसरे देशों द्वारा काली मिर्च के आयात पर रोक

1980. **श्री प्रेमचन्द राम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने भारत से काली मिर्च की एक विशेष किस्म के आयात पर रोक लगा दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एक हजार रुपए का नोट निकालना

1981. श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एक हजार रुपए का नोट पुनः शुरू करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को एक हजार रुपए के नोट को शुरू किए जाने का प्रस्ताव भेजा है और यह प्रारम्भिक जांच अवस्था में है। फिर भी, प्रस्तावित उच्च मूल्यवर्ग के नोट के विवरणों के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आयकर पर ब्याज

1982. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर पर उस समय ब्याज वसूल करने के संबंध में कोई नीति अथवा मार्गनिर्देश है जब इसका समय–सीमा के अन्दर–अन्दर भुगतान नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अग्रिम आयकर के रूप में भुगतान की गई राशि पर ब्याज देने संबंधी कोई नीति/मार्ग–निर्देश है अथवा राशि वापिस की जाती है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या दो ब्याज दरें अलग–अलग होती हैं ; और

(च) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) जी, हां। आयकर अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत निम्नलिखित चूकों के संबंध में ब्याज लगाया जाता है।

(i) स्रोत पर काटे गए कर की अदायगी न करने पर (15 प्रतिशत वार्षिक) ;

(ii) मांग पत्र में निर्दिष्ट कर की निर्धारित अवधि के भीतर अदायगी न करने पर (प्रतिमाह 1½ प्रतिशत अथवा उसका हिस्सा) ;

(iii) निर्धारित अवधि के भीतर आयकर विवरणी प्रस्तुत न करने पर (प्रतिमाह 2 प्रतिशत या उसका हिस्सा) ;

(iv) करदाता से बकाया कर की अदायगी न करने पर (प्रतिमाह 2 प्रतिशत या उसका हिस्सा) ; और

(v) अग्रिम कर की अदायगी स्थगित करने पर (प्रतिमाह 1½ प्रतिशत)।

(ग) और (घ) जी, हां। करदाता को देय आयकर की वापसी की धनराशि पर प्रतिमाह एक प्रतिशत या उसके हिस्से की दर से ब्याज देना होता है।

(ङ) और (च) जी, हां। निम्नलिखित कारणों से इसमें अन्तर होता है :

उपर्युक्त (iii) और (iv) में उल्लिखित चूकों के बारे में 1-4-1989 से पहले ब्याज और दंड दोनों उदग्रहणीय थे। 1-4-1989 से ऐसी चूकों के लिए केवल ब्याज वसूल किया जाता है। अतः ब्याज की वसूली दर प्रतिमाह 2 प्रतिशत है। अन्य मामलों में प्रभार्य और देय ब्याज की दरें 1-10-1991 तक प्रायः समान थीं। परन्तु, उक्त तारीख से कर–निर्धारितियों को वापसियों पर देय ब्याज की दर को प्रतिमाह 1½ प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत प्रति माह कर दिया गया था क्योंकि यह पाया गया था कि कुछ करदाताओं की यह प्रवृत्ति थी कि वे अपनी अतिरिक्त निधियों को आयकर विभाग में जमा कर देते थे क्योंकि बैंकों आदि में जमा राशि पर ब्याज दरें इस ब्याज की दर से कम थीं।

जापान से ऋण

1983. श्री काशीराम राणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान जापान का भारत को किन–किन परियोजनाओं के लिए कितनी ऋण राशि उपलब्ध कराने का विचार है ; और

(ख) आज की तारीख तक जापान का कुल कितना ऋण बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान जापान की सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले प्रस्तावित ऋण की राशि 125.765 बिलियन येन है। परियोजनाओं की सूची नीचे दी गई है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राशि बिलियन येन में
1	2	3
1.	सरिसेलम लेफ्ट बैंक हाइड्रो–पावर स्टेशन परियोजना (चरण-II)	22.567
2.	सरिसेलम पावर ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना (चरण-II)	9.546
3.	आसाम गैस पावर स्टेशन एवं ट्रांसमिशन लाइन कंस्ट्रेक्शन परियोजना (चरण-III)	15.821
4.	बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन एक्सटेंशन परियोजना	8.659
5.	पुरूलिया पम्पड स्टोरेज स्कीम परियोजना	20.520
6.	लाइफ एक्सटेंशन ऑफ काठगोदाम ए थर्मल पावर स्टेशन परियोजना	5.092
7.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 5 की चार लेन परियोजना (चरण-II)	5.836
8.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 की चार लेन परियोजना	4.827

1	2	3
9.	मद्रास जल एवं मलव्ययन प्रणाली परियोजना	17.098
10.	भोपाल की ऊपरी व निचली झीलों का संरक्षण परियोजना	7.055
11.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	4.525
12.	राजस्थान वनरोपण परियोजना	4.219

(ख) दिनांक 30.6.1994 तक जापान द्वारा दिए जाने वाला बकाया ऋण 388.48 बिलियन येन है।

[हिन्दी]

हस्तशिल्पियों को सहायता

1984. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पारंपरिक कला को अक्षुण्ण रखने हेतु हस्तशिल्पियों/शिल्पियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) परंपरागत शिल्पों को सुरक्षित रखने के लिए शिल्पकारों/कारीगरों को सीधे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए किसी राज्य-सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पंजाब में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण

1985. **श्री हरचन्द सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष पंजाब में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कितनी-कितनी राशि का ऋण वितरण किया गया तथा कितनी राशि जमा की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राजासन्सी हवाई अड्डा

1986. श्री अन्ना जोशी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजासन्सी हवाई अड्डा क्षेत्र के अन्दर कोई पूजा का स्थल है ;

(ख) क्या श्रद्धालुओं को दैनिक रूप से तथा त्यौहार के समय में उस पवित्र स्थल पर बिना रोक टोक के जाने दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे उस अति सुरक्षित क्षेत्र के लिए खतरा उत्पन्न होता है ; और

(घ) हवाई अड्डे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। श्रद्धालुओं को बिना किसी रोक–टोक के प्रतिदिन एवं त्यौहारों के दौरान विमानपत्तन सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में एक अलग द्वार से होकर जाने दिया जाता है।

(घ) हवाई अड्डे पर उड़ान–प्रचालनों के दौरान श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित है। सुरक्षा के लिए हवाई अड्डा क्षेत्र में पंजाब पुलिस को लगाया गया है।

विमान टैक्सी प्रचालकों की संख्या में वृद्धि

1987. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान विमान टैक्सी प्रचालकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक ऐसे प्रचालक को विमान टैक्सियों में गत दो वर्षों के दौरान, मास–वार, कितने यात्रियों ने यात्रा की ; और

(घ) अगले तीन वर्षों के लिए विमान टैक्सी प्रचालकों और उनके यात्रियों की संख्या से संबंधित अनुमान क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमशः कुल 7,25,812 तथा 25,08,989 यात्री वाहित किए गए।

(ग) एक विवरण–पत्र संलग्न है।

(घ) हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा वहन किए जाने वाले यातायात के संबंध में आगामी तीन वर्षों के लिए कोई विशिष्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वाहित यात्रियों की संख्या, सामान्य आर्थिक परिदृश्य पर्यटन संवृद्धि, आधार संरचनात्मक सुविधाओं के विकास और विभिन्न प्रचालकों द्वारा नियोजित विमानों की संख्या पर निर्भर करती है।

विवरण

1992 के दौरान हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा प्रचालित उड़ानों/वाहित यात्रियों का संक्षिप्त विवरण

प्रचालक का नाम	जनवरी		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री
मै. ईस्ट वैस्ट एयरलाइन्स	-	-	-	-	-	-	-	14571	-	20123	-	17483
मै. सिटी लिंक एयरवेज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मै. जगसन एयरलाइन्स	44	299	95	1300	88	917	96	956	59	1017	92	1293
मै. कांटीनेंटल एविएशन	66	6873	69	7500	70	7095	81	7254	87	5590	45	2604
मै. ट्रांस भारत एविएशन	5	18	14	136	15	172	19	222	13	171	21	374
मै. दिल्ली गल्फ एयरवेज	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	6
मैं. इंडिया इंटरनेशनल	21	23	21	69	21	33	9	22	2	6	4	24
मैं. यु.बी. एयरवेज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग	136	7213	199	9005	94	8217	205	23025	162	26911	166	21784

प्रचालक का नाम	जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर		नवम्बर		दिसम्बर	
	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री
मै. ईस्ट वैस्ट एयरलाइन्स	-	30826	-	39617	564	45307	580	52200	569	48365	745	68621
मै. सिटी लिंक एयरवेज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	10127
मै. जगसन एयरलाइन्स	57	726	86	659	83	503	99	876	112	862	108	994
मै. कांटीनेंटल एविएयशन	43	1273	40	1993	41	2372	44	2184	47	2481	73	4311
मै. ट्रांस भारत एविएशन	18	236	17	175	17	197	23	424	21	276	34	220
मै. दिल्ली गल्फ एयरवेज	7	3	1	4	-	-	5	20	1	12	3	12
मैं. इंडिया इंटरनेशनल	1	5	4	21	6	26	1	76	10	17	3	19
मैं. यु.बी. एयरवेज	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग	120	33069	148	42467	711	48405	752	55780	760	52013	1100	84304
	उड़ान	4653										
	यात्री	412195										

1993 के दौरान हवाई टैक्सी प्रचालकों द्वारा प्रचालित उड़ानों/वाहित यात्रियों का संक्षिप्त विवरण

प्रचालक का नाम	जनवरी		फरवरी		मार्च		अप्रैल		मई		जून	
	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री
1. मै. इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज लि.	7	40	2	5	4	22	14	29	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. मै. दिल्ली गल्फ एयरवेज सर्विसेज प्रा. लि.	शून्य	शून्य	6	21	28	151	43	222	55	279	17	88
3. मै. यू.बी. एयर प्रा. लि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4. मै. ट्रांस भारत एविएशन प्रा. लि.	31	164	40	268	21	132	13	105	37	236	6	42
5. मै. सिटी लिंक एयरवेज	106	12560	94	7852	102	7705	222	6392	84	3456	46	2473
6. मै. सराया एविएशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	1	13	13
7. मै. जगसन एयरलाइन्स	108	520	94	622	108	604	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8. मै. उड़ान रिसर्च एंड फ्लाइंग इंस्टीच्यूट	3	8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	2	5	13	1	13
9. मै. दमानिया एयरवेज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	156	5205	240	16827	164	26638	244	19622
10. मै. एरियल सर्विसेज प्रा. लि.	24	150	20	64	2	10	3	15	5	21	2	10

11. मै. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	1211	128685	1446	98860	1168	74404	1258	86245	1422	103593	1489	97620
12. मै. एम.जी. एक्सप्रेस	परमिट 5.5.93 से जारी								80	4577	129	7286
13. मै. अर्चना एयरवेज	परमिट 5.5.93 से जारी								80	1096	110	1650
14. मै. जेट एयरवेज	परमिट 5.5.93 से जारी								349	20165	767	43862
15. मै. मेगापोड एयरलाइन्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. मै. सहारा इंडिया एयरलाइन्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. मै. राज एविएशन (प्रा.) लि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
कुल	1490	142127	1702	107692	1589	88233	1795	109837	2282	160075	2824	172679

		जुलाई		अगस्त		सितम्बर		अक्तूबर		नवम्बर		दिसम्बर	
	प्रचालक का नाम	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री	उड़ान	यात्री
1.	मै. इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-	-	23	65	22	60
2.	मै. दिल्ली गल्फ एयरवेज सर्विसेज लि.	3	12	2	6	-	-	-	-	-	-	4	9
3.	मै. यू.बी. एयर प्रा. लि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	मै. ट्रांस भारत एविएशन प्रा. लि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	6	40	20	128	18	75
5.	मै. सिटी लिंक एयरवेज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	मै. सराया एविएशन	8	14	9	20	-	-	-	2	4	-	-	-
7.	मै. जगसन एयरलाइन्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-	-	8	102	55	519	57	842
8.	मै. उड़ान रिसर्च एंड फ्लाइंग इंस्टीच्यूट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	मै. दमानिया एयरवेज	414	28870	384	31508	365	31752	394	34382	410	38894	631	41145
10.	मै. एरियल सर्विसेज प्रा. लि.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	20	53	28	96	-	-	25	99
11.	मै. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	1465	85980	1389	87667	1340	79927	1433	81246	1424	89861	1579	109279

12.	मै. एम.जी. एक्सप्रेस	270	14459	372	22788	404	27385	529	33333	538	37440	632	45560
13.	मै. अर्चना एयरवेज	41	528	72	946	55	626	102	1152	92	1220	98	1327
14.	मै. जेट एयरवेज	722	42969	776	54694	760	59806	788	64023	760	72217	846	81273
15.	मै. मेगापोड एयरलाइन्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16
16.	मै. सहारा इंडिया एयरलाइन्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	6602
17.	मै. राज एविएशन (प्रा.) लि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	2923	172832	3004	197629	2944	199549	3290	214378	3322	240344	4005	286287

कुल योग उड़ानें = 31170

यात्री = 2091662

[हिन्दी]

स्विस फर्म से अखबारी कागज का आयात

1988. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज संबंधी समिति ने मार्च, 1991 में स्विस फर्म से निलंबित लेखा के अंतर्गत 5000 मिट्रिक टन मानक अखबारी कागज की खरीद हेतु स्वीकृति दी थी और कम्पनी द्वारा काफी, कम्बलों और अन्य वस्तुओं का निर्यात किया जाना था ;

(ख) क्या सरकार को उक्त निर्यात आयात समझौते के कारण भारी हानि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) राज्य व्यापार निगम ने मार्च, 1991 में किसी स्विस फर्म से मानक स्तर के किसी अखबारी कागज की खरीद नहीं की। फिर भी, अखबार कागज क्रय समिति (एन.पी.सी) की मंजूरी के आधार पर राज्य व्यापार निगम ने मार्च 1991 के दौराना मैसर्स सुकाब, स्वीडन से पोलैण्ड मूल के 5,000 मीटरीटन स्टैंडर्ड अखबारी कागज की खरीद की।

इस सौदे में राज्य व्यापार निगम को कोई घाटा नहीं हुआ।

[अनुवाद]

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना

1989. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में आतंकवाद के कारण दूसरे पर्वतीय क्षेत्र विदेशी तथा भारतीय पर्यटकों के बीच हाल के वर्षों में लोकप्रिय होते जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले चार वर्षों के दौरान बनाए गए पर्वतीय स्थलों का विवरण क्या है ;

(ग) क्या इन स्थानों पर पर्यटकों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या ये पर्वतीय स्थल मुख्य नगरों से तेज रेलगाड़ियों और विमान सेवाओं द्वारा जोड़ दी गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) नियमित रूप से इन पर्वतीय क्षेत्रों में उड़ान भरने वाले हवाई टैक्सी चालकों का विवरण क्या है ;

(च) क्या इण्डियन टूरिज्म डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन और इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया के पास पर्यटकों हेतु दूसरे पैकेज का प्रस्ताव है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) देश में बहुत से पर्वतीय स्थान हैं, जोकि, केवल कश्मीर में समस्याओं के कारण नहीं, बल्कि अपने निजी आकर्षण के कारण विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों में लोकप्रिय है। इनमें शामिल हैं :– उत्तरी क्षेत्र में लेह, शिमला, कुल्लू–मनाली, नैनीताल, मसूंरी, माउंट आबू आदि।

(ग) से (ङ) विशिष्ट पर्यटक केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुधार की जिम्मेवारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। लेह में इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें होती हैं तथा कुल्लु और शिमला में अर्चना एयरवेज की माउंट आबू को छोड़ कर उपर्युक्त पर्वतीय स्थानों को जोड़ने वाली कोई तेज गाड़ी नहीं है।

(च) और (छ) एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स तथा भारत पर्यटन विकास निगम के पास पर्यटकों को भारत की ओर आकृष्ट करने के लिए पैकेज पहले से ही है। इसमें शामिल हैं– एयर इंडिया तथा होटल श्रृंखलाओं द्वारा संयुक्त रूप में प्रचालित सुपर समर सेवर पैकेज, एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रचालित, प्रथम श्रेणी तथा कार्यपालक श्रेणी के यात्रियों के लिए विशेष प्रोत्साहन, एयर इंडिया द्वारा प्रचलित "ट्रीट ऑन मी" स्कीम, भारत पर्यटन विकास निगम आदि के द्वारा प्रचालित फेमिली फन पैकेज, वरिष्ठ नागरिक पैकेज, हनीमूनर्ज हैवन पैकेज तथा शीतल पर्वतीय यात्राएं, जिनके अंतर्गत मंसूरी और नैनीताल आते हैं।

[हिन्दी]

ऊनी कालीन बुनाई केन्द्र

1990. श्री छीतूभाई गामीत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात कृषि विकास परिषद को ऊनी कालीन बुनाई केन्द्र स्थापित करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इनमें से कितने केन्द्र कार्यरत हैं और कितने केन्द्रों को बन्द कर दिया गया है और ये केन्द्र कहां–कहां पर स्थित हैं ;

(ग) क्या हस्त शिल्प विकास आयुक्त को गुजरात से इस धनराशि के दुरूपयोग की शिकायतें मिली हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) हस्त शिल्प विकास आयुक्त ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) गत तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष के दौरान ऊनी कालीन बुनाई केन्द्रों की स्थापना के लिए गुजरात खेत विकास परिषद, अहमदाबाद को उपलब्ध कराई गई निधियों के वितरण नीचे दिए गए हैं :-

1991-92 ┐
1992-93 ┘ 10.387 लाख

1993-94 अनुदान अभी रिलीज किया जाना है।

(ख) गुजरात खेत विकास परिषद, अहमदाबाद को स्वीकृत किए गए सभी आठ केन्द्र संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ग) तथा (घ) जी, हां। गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री अमर सिंह चौधरी से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी विधिवत जांच कराई गई थी। परिषद द्वारा निधियों के दुरूपयोग के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय आवासीय बैंक

1991. श्री प्रबीन डेका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के कमजोर वर्गों हेतु गृह निर्माण के लिए राष्ट्रीय आवासीय बैंक (स्वैच्छिक जमा) योजना के अंतर्गत एकत्र की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी धनराशि जारी की गई ; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने घरों का निर्माण किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि 01 अक्तूबर, 1991 को आरंभ की गयी और 31 जनवरी, 1992 को समाप्त राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक जमा) योजना 1991 के तहत 154.55 करोड़ रुपए की जमाराशियां एकत्र की गयी थीं। उक्त योजना के अंतर्गत एकत्र की गयी रकम का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। स्वैच्छिक जमा (उन्मुक्ति एवं छूट) अधिनियम, 1991 के अनुसरण में, राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक जमा) योजना, 1991 के अंतर्गत जमा की गयी राशि का 40 प्रतिशत (अर्थात 61.82 करोड़ रुपये) हिस्सा एक विशेष निधि में जमा किया जाना होता है जिसका उपयोग गंदी बस्ती पुनः विकास कार्यक्रम के लिये किया जाता है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और अनुमोदित आवास वित्त कंपनियों को सरकारी एजेंसियों, स्थानीय निकायों तथा गैर–सरकारी संगठनों द्वारा आरंभ किये गये गंदी बस्ती पुनः विकास कार्यक्रमों के वास्ते, राष्ट्रीय आवास बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, उक्त विशेष निधि में से वित्तीय सहायता मुहैय्या की जाती है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय आवास बैंक, राज्य–वार निधियां आबंटित नहीं करता है। अलबत्ता, राष्ट्रीय आवास बैंक ने, मध्य प्रदेश गंदी बस्ती क्लीयरेंस बोर्ड (एम.पी.एस.सी.बी.) द्वारा प्रस्तुत गंदी बस्ती पुनः विकास योजना के तहत पुनर्वित्त के वास्ते छः परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया है। अब तक, इस योजना के अंतर्गत कोई रकम नहीं निकाली गयी है।

विवरण

राष्ट्रीय आवास बैंक स्वैच्छिक जमा योजना, 1991 के अन्तर्गत एकत्रित राशि

क्र.संख्या	राज्य का नाम	जमा राशि (करोड़ रुपए में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.34
2.	असम	0.56
3.	बिहार	3.77
4.	गोवा	1.33
5.	गुजरात	6.59
6.	हरियाणा	0.60
7.	हिमाचल प्रदेश	0.68
8.	कर्नाटक	8.29
9.	केरल	4.77
10.	मध्य प्रदेश	2.15
11.	महाराष्ट्र	36.58
12.	मेघालय	0.45
13.	नागालैंड	0.11
14.	उड़ीसा	2.84

1	2	3
15.	पंजाब	5.73
16.	राजस्थान	1.79
17.	तमिलनाडु	12.87
18.	उत्तर प्रदेश	17.93
19.	पश्चिम बंगाल	22.13
20.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.81
21.	चंडीगढ़	0.38
22.	दमन एवं दीव	0.27
23.	दिल्ली	19.57
24.	पांडिचेरी	0.01
	योग रुपए	154.55

आंकड़े : अनन्तिम

स्रोत : राष्ट्रीय आवास बैंक

[हिन्दी]

छोटानागपुर क्षेत्र में आयकर द्वारा छापामारा जाना

1992. श्री ललित उरांव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह माह के दौरान आयकर विभाग द्वारा बिहार के छोटानागपुर क्षेत्र में आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन छापों के दौरान किन-किन व्यक्तियों पर छापा मारा गया और छापे के दौरान पकड़े गए बिना लेखा-जोखा के धन का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	दिनांक 1-1-94 से 30-6-94 तक की अवधि के दौरान तलाशी लिए गए व्यक्ति	अभिग्रहण (लाख रु. में)
1	2	3
1.	पी.डी. झुनझुनवाला समूह, धनबाद	शून्य
2.	श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, रांची	10.00
3.	नन्दलाल सुलतानिया समूह, धनबाद	8.15
4.	बालमुकुन्द गोयल समूह, जमशेदपुर	10.31
5.	बाबूलाल अग्रवाल समूह, जमशेदपुर	6.34
6.	मनोज कुमार गुलाटी, जमशेदपुर	4.62
7.	सत्य नारायण नरसारिया समूह, रांची	53.78
	योग :	93.20

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार युवकों को ऋण

1993. श्री एस.बी. सिदनाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन बेरोजगार युवकों की संख्या कितनी है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष, बड़े, मझोले तथा छोटे उद्योगों की स्थापना करने के लिए बैंक ऋण पाने हेतु आवेदन किये हैं ; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों के लिए कितनी धनराशि के बैंक ऋण स्वीकृत किये गये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बीजों का निर्यात

1994. श्री एस.एम. लाल जान बाशा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने हेतु उनके उत्पादों का निर्यात करने

के लिए "गैट" समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से कोई कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या देश से अच्छी किस्म के बीजों के निर्यात की कोई अच्छी सम्भावना है ;

(घ) यदि हां, तो देश से किस किस्म के बीजों को निर्यात करने की अनुमति दी जायेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) कृषि सम्बन्धी उरुग्वे दौर करार से हमारे कृषिजन्य निर्यातों के लिए अवसर पैदा होंगे। औद्योगिकृत देशों द्वारा आर्थिक सहायता में कटौती से विश्व बाजार में कृषिजन्य उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी जिससे हमारा निर्यात और प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। उदारीकरण के उपायों से बाजार खुलेंगे जो हमें उपलब्ध होंगे।

सरकार ने हाल ही में एकीकृत विनिमय दर शुरू करके तथा कृषिजन्य निर्यातों पर मात्रा सम्बन्धी तथा अन्य प्रतिबंधों में पर्याप्त कमी होने से भारतीय किसानों के लिए उन्नत बाजार पंहुच सुलभ होना और इस प्रकार, अधिक मूल्य प्राप्त करना संभव होगा। हमारे कृषिजन्य उत्पादों के विपणन, अवस्थापना, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है ताकि गैट करार पर हस्ताक्षर करने के पूरे लाभ प्राप्त किए जा सकें।

(ग) से (ङ) देश से उन्नत किस्म के बीजों के निर्यात की पर्याप्त गुंजाइश है। इस समय आलू, मक्का, लौंग, चरी तथा शाकीय पौधों, बंदगोभी, फूलगोभी, प्याज, मूली, टमाटर, इमली, सब्जी फल के बीज तथा रोपण के लिए अन्य बीज विभिन्न देशों को निर्यात किए जा रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

1995. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री प्रफुल पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने बैंकवार कितना लाभ कमाया और कितनी हानि उठाई ;

(ख) हानि उठाने के क्या कारण हैं ;

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या निजी बैंकों ने गत दो वर्षों के दौरान लाभ कमाया ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कमाये गये लाभों और उठायी गई हानियों से संबंधित आंकड़ा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) बैंकों द्वारा किये गये मूल्यांकन के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा हानि उठाये जाने के मुख्य कारण बड़ी यात्रा में अनिष्पादित परिसम्पतियों (एन.पी.ए.) दोषपूर्ण ऋण प्रबंधन और कारोबार की तुलना में अत्यधिक परिचालनात्मक व्यय हैं।

(ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों पर अन्य बातों के साथ-साथ ऋणों का मूल्यांकन करने और दिये गये अग्रिमों का उचित अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अग्रिमों का प्रभावी पर्यवेक्षण करने और उस पर नियंत्रण रखने और अपने प्रधान कार्यालय में वसूली कक्ष बनाने और उत्पादकता स्तरों मे सुधार करने के लिए अपने तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं।

(घ) और (ङ) निजी क्षेत्र के उन बैंकों के नाम संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं जिन्होंने वर्ष 1993 और 94 के दौरान लाभ अर्जित किये थे।

विवरण-I

वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अर्जित लाभ/उठाया गया घाटा।

	बैंक का नाम	वर्ष	
		1993	1994 (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	212.04	275.04
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	10.50	6.50
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	17.02	24.48
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	3.23	3.65
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	4.02	2.39
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	20.12	29.25
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	5.00	8
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	8.10	9.34

1	2	3	4
9.	इलाहाबाद बैंक	(-105.89)	(-367.71)
10.	आन्ध्रा बैंक	(-141.08)	(-162.25)
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	8.23	66.15
12.	बैंक ऑफ इंडिया	(-331.12)	(-1089.15)
13.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	(-196.51)	(-296.93)
14.	केनरा बैंक	26.07	120.35
15.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	(-383.31)	(-711.93)
16.	कारपोरेशन बैंक	4.12	27.04
17.	देना बैंक	(-90.46)	(-69.84)
18.	इंडियन बैंक	6.51	*
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	(-752.74)	(-351.18)
20.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	20.50	32.11
21.	पंजाब नैशनल बैंक	38.01	*
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	(-195.19)	(-175.99)
23.	सिंडिकेट बैंक	(-670.08)	(-299.40)
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	11.26	50.27
25.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	(-279.36)	(-618.06)
26.	यूको बैंक	(-444.19)	(-546.45)
27.	विजया बैंक	(-97.88)	4.10
28.	न्यू बैंक ऑफ इंडिया	(-75.79)	$

* इन बैंकों ने वर्ष 1993-94 के लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े घाटे को बताते हैं।

$ अब पंजाब नैशनल बैंक के साथ विलय हो गया है।

विवरण-II

1993 और 1994 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंकों के नाम

	बैंक का नाम	वर्ष	
		1993	1994 (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
1.	बैंक ऑफ कराड़ लि. (परिसमापन के अधीन)	0.30	0.28
2.	बैंक ऑफ मदुरा लि.	3.48	*
3.	बैंक ऑफ राजस्थान लि.	5.86	*
4.	बरेली कारपोरेशन बैंक लि.	0.09	*
5.	बनारस स्टेट बैंक लि.	-	*
6.	भारत ओवरसीज बैंक लि.	0.60	3.89
7.	कैथोलिक सिरियन बैंक लि.	2.22	*
8.	सिटी यूनियन बैंक लि.	2.00	*
9.	धनलक्ष्मी बैंक लि.	0.51	*
10.	फेडेरल बैंक लि.	8.27	*
11.	जे एंड के बैंक लि.	4.21	*
12.	कर्नाटक बैंक लि.	6.63	8.13
13.	करूर वैश्य बैंक लि.	5.13	11.22
14.	लक्ष्मी विलास बैंक लि.	3.30	4.27
15.	लार्ड कृष्णा बैंक लि.	2.03	*
16.	नैनीताल बैंक लि.	0.78	*
17.	नेडुनगडी बैंक लि.	0.11	*
18.	पंजाब को–आपरेटिव बैंक लि.	-	*
19.	रत्नाकर बैंक लि.	0.06	*
20.	सांगली बैंक लि.	0.73	*
21.	साउथ इंडियन बैंक लि.	2.41	*

1	2	3	4
22.	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.	6.65	*
23.	यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.	1.74	3.86
24.	वैश्य बैंक लि.	20.24	*
25.	एस.बी.आई कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि.	-	4.75
26.	गणेश बैंक ऑफ कुरुंडवाड	0.07	0.15
27.	करी दोआब बैंक लि.	0.03	उपलब्ध नहीं
28.	सिक्किम बैंक लि.	0.10	उपलब्ध नहीं
29.	काशी नाथ सेठ बैंक लि.	-	उपलब्ध नहीं

* इन बैंकों ने वर्ष 1993-94 के अपने लेखों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया है।

"फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोमोशन जोन" का बंद किया जाना

1996. श्री रामकृष्ण कौंताला : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोमोशन जोन की स्थिति खराब है और उसे तुरन्त बन्द किया जाना उचित् है क्योंकि इसकी संचालन लागत वसूल नहीं होती है ;

(ख) यदि हां, तो इस जोन के कार्यालय पर तथा रख रखाव के लागत का ब्यौरा क्या है और इन इकाइयों से शुरू से कितना किराया प्राप्त किया गया तथा अन्य जोनों की तुलना में इसकी स्थिति कैसी है ;

(ग) क्या कथित जोन का स्थान प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अलाभकारी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) वर्ष 1993-94 के अन्त तक, 118.20 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां रखरखाव पर हुए 67.16 लाख रुपये के व्यय से अधिक थी लेकिन स्थापना पर हुए 179.74 लाख के खर्च को पूरा करने में कम पड़ गयी। इस प्रकार वहां एक ऐसा अन्तराल है जो उसी समय स्थापित अन्य अधिकांश निर्यात संसाधन जोनों में नहीं है। हालांकि वर्ष 1993-94 में फाल्टा ई.पी.जेड से हुए निर्यात में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है और अनुमान है कि जोन स्थापित किए जाने के लिए अनुमोदित 36 अन्य इकाइयों जिनमें से 18 कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं से अपनी स्थिति और सुदृढ़ कर लेगा। जोन की लोकेशन उन मानदंडों की पुष्टि करती है जो इस सम्बंध में सामान्यतः ध्यान में रखे जाते हैं। इसकी आकर्षकता बढ़ाने के लिए जोन की अवस्थापना का, खासकर कारगो के सरलता से आवागमन में सहायता देने के लिए फाल्टा में जेट्टी की स्थापना करके, उन्नयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, जोन की समग्र संवर्धनात्मक कार्यनीति की परख

करने के लिए हाल ही में एक समिति गठित की गई है जिसमें, अन्य लोगों के साथ-साथ, राज्य सरकार और व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं।

निर्यात निरीक्षण एजेंसी और निर्यात निरीक्षण परिषद

1997. **श्री चित्त बसु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता स्थित निर्यात निरीक्षण एजेंसी और निर्यात निरीक्षण परिषद को बंद करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का इन संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ङ) विदेशी क्रेताओं की गुणवत्ता संबंधी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी निर्यातकों को सौंपे जाने की सरकार की नीति के फलस्वरूप निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (ई.आई.ए) के कार्यालयों का कार्यभार कम हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप जनशक्ति फालतू पड़ गयी है।

निर्यात निरीक्षण अभिकरण वाणिज्य मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन हैं और इनके कर्मचारी सरकारी नहीं होते हैं। निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के फालतू कर्मचारियों को सरकारी विभागों, अन्य सरकारी निरीक्षण अभिकरणों अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य अभिकरणों में आत्मसात करने पर विचार किया गया लेकिन अभी तक इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

उदार आर्थिक नीति का दुरूपयोग

1998. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के उदारीकरण नीतियों का घोटाला करने वाले लोगों द्वारा घोर दुरूपयोग किया जा रहा है जैसा कि 12 जुलाई, 1994 के "फाइनेनशियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ मामलों का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) स्वर्ण आयात योजना के दुरूपयोग से संबंधित कुछ मामलों का पता लगा है। इनमें से कुछ मामलों का ब्यौरा संलग्न

विवरण में दिया गया है। फिर भी, ये थोड़े से मामले इस सच्चाई का संकेत नहीं देते हैं कि सरकार की आर्थिक उदारीकरण नीतियों का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग किया जा रहा है। सरकार की कानूनी प्रवर्तन एंजेसियां हमेशा सतर्क रहती हैं और जब भी उन्हें कानून के किसी उपबंधों के उल्लंघन से सम्बंधित कोई सूचना प्राप्त होती है वे कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाइ करती है।

विवरण

1. जून, 1994 में बम्बई की एक पार्टी से जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर की गई जांच पड़ताल से पता चलता है कि दिसम्बर, 1993 से जून, 1994 के दौरान स्वर्ण आयात योजना के तहत आयातित सोना और चांदी को देश में बेच दिए गए और दुबई, की पार्टी के निर्देशानुसार उन्होंने 21.59 करोड़ रुपए का कहीं पर भुगतान किया।

2. वर्ष 1993 और 1994 के दौरान निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली ने 6 मामलों का पता लगाया जिनमें 1.71 करोड़ रुपए के समतुल्य की कुल विदेशी मुद्रा जब्त की गई। छानबीन से पता लगा कि विदेशी मुद्रा को सोने की खरीद के लिए तस्करी द्वारा देश से बाहर भेजने की योजना थी जिसे बाद में स्वर्ण आयात योजना के तहत आयात किया जाता था।

3. जुलाई, 1993 में मद्रास कार्यालय ने 1.17 करोड़ रुपए के समतुल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की। छानबीन से पता लगा कि भारत में आयातित सोने और चांदी की बिक्री करने से हुई आय से पार्टी ने 2.94 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खरीदी थी, और जब्त की गई विदेशी मुद्रा उसी का एक हिस्सा थी। शेष विदेशी मुद्रा को स्वर्ण आयात योजना के अंतर्गत सिंगापुर से सोना/चांदी आयात करने के लिए तस्करी द्वारा भारत से बाहर भेज दिया गया था।

4. दिनांक 19.6.94 को जालंधर कार्यालय ने एक कार को रोका और उसकी तलाशी ली जिसके फलस्वरूप दस्तावेजों के अलावा 15 कि.ग्राम सोना और 34.60 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा जब्त की। जांच–पड़ताल से पता लगा कि सोना देश में बेचा जाना था और विदेश से प्राप्त निर्देशों के अनुसार स्थानीय पार्टियों को आय का प्रतिपूरक भुगतान किया जाना था। जब्त की गई मुद्रा भी विदेश से प्राप्त निर्देशानुसार स्थानीय पार्टियों में बांटी जानी थी।

[हिन्दी]

कपास का उत्पादन

1999. **श्री नीतीश कुमार**

डा. महादीपक सिंह शाक्य :

श्री साईमन मरांडी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कपास का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विद्युत विद्युतकरघा और हथकरघा क्षेत्र में पृथक-पृथक कपास की कुल कितनी खपत हुई ;

(ग) सरकार ने हथकरघा और विद्युत करघा क्षेत्रों को कपास का कोटा आवंटित हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए हैं ;

(घ) आगामी वर्ष के दौरान अनुमानतः कितना पिछला बकाया स्टाक उपलब्ध कराया जाएगा ; और

(ङ) सरकार ने कपास के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) हथकरघा और विद्युतकरघा उद्योग प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की कपास का उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन वे केवल हैंक और कोन के रूप में सूती यार्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सूती यार्न की अनुमानित मात्रा के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान तदनुरूपी यार्न की मात्रा का उत्पादन करने के लिए कपास की आवश्यकता निम्न प्रकार है :

(मात्रा मि.किग्रा. में)

वित्तीय वर्ष	हथकरघा उद्योग		विद्युतकरघा उद्योग	
	प्रयुक्त सूती यार्न	कपास की आवश्यकता	प्रयुक्त सूती यार्न	कपास की आवश्यकता
1990-91	342	400	753	881
1991-92	328	384	719	841
1992-93	348	407	806	943

(ग) सरकार हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्रों को किसी भी प्रकार के कपास के कोटे का आबंटन नहीं करती क्योंकि ये कपास के सीधे उपभोक्ता नहीं हैं।

(घ) कपास वर्ष 1994-95 के लिए कपास का अनुमानित आगे लाया गया स्टाक संभवत: 24.426 लाख गांठ है जिसमें प्रत्येक गांठ 170 किग्रा. की है।

(ङ) सरकार ने कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) प्रत्येक वर्ष कपास की न्यूनतम समर्थन कीमतों की घोषणा।

(2) मंत्रिमंडल की निर्यात नीति संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसार कपास वर्ष के आरंभ में प्रत्येक वर्ष निर्यात के लिए कपास की 5 लाख गांठों को रिलीज करना।

(3) सरकार सभी प्रकार की कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए कपास उपजाने वाले मुख्य राज्यों में गहन कपास विकास कार्यक्रम की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रही है ताकि घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और निर्यात के लिए बेशी उत्पाद किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत बीजों माशीजीव, उपस्करों, सिंचाई, सिप्रगकलर्स के साथ–साथ उन्नत प्रोद्योगिकी प्रदर्शन तथा कृषक प्रशिक्षण आदि जैसी जटिल अंतर्निविष्टियों की आपूर्ति के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कपास के राज्यवार कुल उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार है :

(आंकडे लाख गांठ में–प्रत्येक गांठ 170 किग्रा.

राज्य	1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4
पंजाब	17.25	23.71	23.00
हरियाणा	11.50	14.06	14.06
राजस्थान	9.50	10.23	11.50
गुजरात	15.00	15.16	22.62
महाराष्ट्र	15.00	12.48	20.50
मध्य प्रदेश	16.00	8.94	8.50
आंध्र प्रदेश	18.75	18.82	19.07
कर्नाटक	8.00	8.85	9.75
तमिलनाडु	5.00	5.75	5.00
अन्य राज्य	1.00	1.00	1.00
योग :	117.00	119.00	135.00

[अनुवाद]

भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का बैंक

2000. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का एक बैंक की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई स्वतंत्र आकलन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि. (आई.सी.आई.सी.आई.) ने सूचित किया है कि उसने एक वाणिज्यिक बैंक स्थापित कर दिया है जिसे 5 जनवरी, 1994 को निगमित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 मई 1994 को आई.सी.आई.सी.आई. को एक वाणिज्यिक बैंक स्थापित करने के लिए लाइसेंस जारी किया था। बैंक की पहली शाखा ने 24 जून 1994 से मद्रास में अपना परिचालन शुरू कर दिया है।

(ख) और (ग) आई.सी.आई.सी.आई. ने वाणिज्यिक बैंक स्थापित करने के लिए सम्भावनाओं का विस्तृत मूल्यांकन किया था जिसमें पता चला था कि वाणिज्यिक बैंक स्थापित करना एक अर्थक्षम प्रस्ताव है।

(घ) आई.सी.आई.सी.आई. ने सूचित किया है कि उसने 1993-94 के दौरान ऋणों की मंजूरी संवितरण और निवल लाभ के संबंध में क्रमशः 51%, 33% और 45% की वृद्धि दर दर्ज की है। 247 करोड़ रुपए की बढी हुई शेयर पूंजी पर 1993-94 के लिए लाभांश को भी 26% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है।

[हिन्दी]

नाबार्ड द्वारा उत्तर प्रदेश को पुनर्वित्तपोषण

2001. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाबार्ड द्वारा 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश को योजनाबद्ध ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी राशि का पुनर्वित्तपोषण उपलब्ध कराया गया ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को पुनर्वित्तपोषण के रूप में दी गयी राशि में से कितनी राशि की वसूली की गयी ;

(ग) क्या सरकार का नाबार्ड की योजनाओं को प्रभावी ढंग से चलाने हेतु किसी कार्य योजना को तैयार करने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) नाबार्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी योजनायें चलायी जा रही हैं और इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) वर्ष 1993-94 के दौरान योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने विभिन्न बैंकों को पुनर्वित्त सहायता के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा 4,46.70 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत, बैंकों द्वारा ली गई पुनर्वित्त सहायता को प्रत्येक किस्त के लिए निर्धारित देय तारीखों के अनुसार नाबार्ड को लौटाया जाता है। सामान्यतया चुकौती पुनर्वित्त सहायता के संवितरण की तारीख से 3 वर्षों के अन्दर प्रारंभ नहीं होती है।

(ग) और (घ) नाबार्ड ने सभी जिलों के लिए सम्भाव्यता से सम्बद्ध ऋण योजनाएं, फार्म यंत्रीकरण के अंतर्गत आबंटन के लिए बैंकिंग योजनाएं, गैर-फार्म गतिविधियों के लिए स्वतः पुनिर्वित्त, आई.आर. डी.पी. आदि जैसी कार्य योजनाएं तैयार की हैं और इनकी प्रगति की बारीकी से निगरानी की जाती है।

(ङ) योजनाबद्ध ऋण के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए ऋण कार्यक्रम के अनुसार, उत्तर प्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं/उद्देश्यों के अंतर्गत सभी एजेंसियों के लिए 1994-95 के लिए 394.63 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा उच्च तकनीक निर्यातोन्मुख, कृषि-संसाधन और नवोन्मेष परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त सहायता देने के लिए सम्पूर्ण देश के लिए 350 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि निर्धारित की गयी है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में किसानों को ऋण

2002. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कितने छोटे और सीमांत किसानों को सहकारी वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से राज्य में सतही नलकूप लगाने/बोरिंग करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है ;

(ख) क्या सरकार को उपरोक्त अवधि के दौरान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में अनियमितताएं बरतने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के द्वारा इस प्रकार की अनियमितताओं पर अंकुश लगाने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सतही नलकूप लगाने/बोरिंग करने के लिए सहकारी बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आन्ध्र प्रदेश में छोटे और सीमांतिक किसानों को उपलब्ध कराए गए ऋणों की संख्या निम्नलिखित है :-

वर्ष	छोटे और सीमान्त किसानों की संख्या
1991-92	2,364
1992-93	3,807
1993-94	13,426

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान वित्तीय सहायता देने या नलकूप लगाने में की गई अनियमितताओं के बारे में उन्हें कोई शिकायत नहीं मिलती है।

विश्व बैंक ऋण

2003. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से तुरंत तिरण कार्यक्रमों के लिए प्राप्त सभी ऋणों को विशेष परियोजना ऋणों में परिवर्तित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या 1994-95 के दौरान विश्व बैंक ने कोई ऋण जारी किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि के 16 बिलियन अमरीकी डालर से भी अधिक हो जाने से भारत के विदेशी लेखों में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार और विश्व बैंक का विचार है कि निकट भविष्य के लिए किसी प्रकार की तीव्र संवितरणीय अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) और (घ) हालांकि 1994-95 के दौरान कोई तीव्र संवितरणीय ऋण अनुमोदित नहीं किए किए हैं, फिर भी बैंक ने जुलाई, 1994 तक निम्नलिखित निवेश कार्यकलापों को अनुमोदित किया है :-

(मिलियन डालर में)

	परियोजना का नाम	राशि	
		आई.बी.आर.डी.	आई.डी.ए.
1.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण-II	143	25
2.	कोन्टेनर ट्रांसपोर्ट लोजिस्टिक्स (कोनकोर)	98	-
3.	मोतियाबिन्द अन्धता नियंत्रण	-	117.8
4	जनसंख्या-IX	-	88.6
5.	महाराष्ट्र भूकम्प पुनर्निर्माण	-	246.0

सेन्टूर होटलों को लीज पर देना

2004. कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरूदास कामत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेन्टूर होटलों को लीज पर देने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) सेन्टूर लेक व्यू होटल, श्रीनगर के कार्य निष्पादन में सुधार करने की दृष्टि से, इस होटल के प्रबन्ध को पट्टे पर देने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। तथापि, इस समय सेन्टूर होटलों की अन्य इकाईयों के संबंध मे इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(हिन्दी)

चीनी मिलों को ऋण

2005. श्री एन.जे. राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण के लिए कितनी चीनी मिलों ने आवेदन किया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारतीय औद्योगिक निगम ने कौन-कौन सी चीनी मिलों को ऋण उपलब्ध कराया और उनमें से प्रत्येक मिल को ऋण के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की गई , और

(ग) 1994-95 के दौरान अब तक इनमें से कितनी चीनी मिलों को ऋण स्वीकृत/जारी किए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आई.एफ.सी.आई.) ने सूचित किया है कि वर्ष 1993-94 के दौरान 19 चीनी मिलों ने आई.एफ.सी.आई. से ऋण के लिए आवेदन किया था। आई.एफ.सी.आई. ने आगे कहा है कि इन अवधि के दौरान उसने 23 नई चीनी मिलों को ऋण मंजूर किए, छ मिलों के विस्तार/आधुनिकीकरण के मामलों को मंजूरी दी और 8 मिलों को वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत ऋण मंजूर किए तथा संतोलन यंत्र (बैलेंसिंग इक्विपमेंट) मंजूर किए। अप्रैल–जून 1994 के दौरान दो चीनी मिलों को ऋण मंजूर किए गए और अप्रैल–जून 1994 के दौरान 5 मिलों को ऋण जारी किए गए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली प्रथाओं की शर्तों के अनुसार और लोक वित्त संस्था (विश्वस्थता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अंतर्गत अलग–अलग संगठकों से संबंधित ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

[अनुवाद]

जनता कपड़े की आपूर्ति

2006. श्री फूल चंद वर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष मध्य प्रदेश को जनता कपड़े की आपूर्ति मांग की तुलना में अपर्याप्त थी ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश द्वारा की गई जनता कपड़े की मांग और उसकी की गई वास्तविक आपूर्ति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मध्य प्रदेश के जरूरतमंद लोगों के लिये पर्याप्त गुणवता के जनता कपड़े की आपूर्ति हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) भारत सरकार को कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि मध्य प्रदेश राज्य में वास्तविक मांग की तुलना में जनता कपड़े की अपर्याप्त आपूर्ति हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एपलिक उत्पाद

2007. श्री कृपासिन्धु भोई : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पिपली के एपलिक कार्यों की विदेशी बाजारों में बहुत मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पिपली की एपलिक वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) विदेशी बाजार में पिपली के गोटा–पट्टा कार्य सहित गोटा पट्टा कार्य की मांग है। सरकार द्वारा पिपली के गोटा–पट्टा कार्य की वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम हैं : स्वयं सेवी संगठनों तथा सिद्धहस्त शिल्पकारों द्वारा प्रशिक्षण, डिजाइन की उन्नति, शिल्प विकास केन्द्रों की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा उत्सवों में भाग लेना।

[हिन्दी]

अशोक यात्री निवास

2008. श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल :

श्री गोविन्द राव निकाम :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न वर्ग के पर्यटकों को अशोक यात्री निवास जैसे होटलों में कमरा नहीं मिल पाता है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें महंगे होटलों अथवा निजी होटलों में ठहरना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली में पर्यटकों की सुविधा के लिए अशोक यात्री निवास जैसे कुछ और होटलों का निर्माण करने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) अशोक यात्री निवास में उपलब्ध क्षमता को ध्यान में रखते हुए भारत पर्यटन विकास निगम का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसा अन्य निवास बनाने का विचार नहीं है।

[अनुवाद]

पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी

2009. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ फर्मों ने पंजाब नेशनल बैंक से 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है जैसा कि 11 दिसंबर, 1994 के 'इंडियन एक्सप्रैस' (दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को इस मामले की जानकारी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इस संबंध में अब तक कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी) ने सूचित किया है कि दो फर्मों अर्थात मैसर्स वेस्ट कोस्ट ब्रेवरिज एंड डिस्टिलरीज लि. और मैसर्स न्यू बीम फेरो अल्वाय लि. द्वारा एक धोखाधड़ी की गई थी। इन्होंने बैंक की नियंत्रक शाखा में जमा की गई राशि से कहीं अधिक धन वापसी आदेश बाजार में, जारी कर दिये थे। दोनों खातों में पता लगाया गया कुल घाटा 15.48 करोड़ रु. का था जिसमें से 4.05 करोड़ रु. बैंक ने वसूल कर लिया है।

(ग) और (घ) पंजाब नेशनल बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी), बम्बई के पास एक रिपोर्ट दर्ज की है जिसमें बताया गया है कि उन दोनों कंपनियों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। उपर्युक्त कंपनियों के विरूद्ध पुलिस में दर्ज प्राथमिकी (एफ.आई.आर) की एक प्रति नवम्बर, 1993 में सेबी को भी भेजी गई थी।

(ङ) और (च) बैंक ने मामले की जांच की है। जांच से पता चला कि उच्च मूल्य के अतिरिक्त/पुनर्वैधीकृत धन वापसी आदेश उपर्युक्त दो फर्मों द्वारा जारी किये गये थे और उनके द्वारा शुरू की गई कुछेक निवेश कंपनियों द्वारा इन्हें भुनाया गया था। इन दो कंपनियों और उनके निदेशकों के विरूद्ध बैंक द्वारा अतिरिक्त मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट, बम्बई के न्यायालय में आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है। बैंक के 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया/चार्जशीट किया गया है और 7 वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी है। सहायक आयुक्त पुलिस, सी. आई.डी के पास एक प्राथमिकी भी दर्ज करायी गई है।

अमरीका के साथ व्यापार

2010. श्री अन्ना जोशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अमरीका और भारत के बीच प्रत्येक वर्ष कितनी राशि का कारोबार हुआ ;

(ख) भारत द्वारा अमरीका को कुल कितने ऋण का भुगतान किया जाना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऋण के भुगतान के संबंध में कोई विवाद है जिससे दो देशों के बीच मौजूदा व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत–अमरीकी व्यापार इस प्रकार रहा है :

(कीमत अमरीकी बिलियन डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	द्विपक्षीय व्यापार
1991-92	2.920	1.987	4.907
1992-93	3.490	2.123	5.613
1993-94	4.006	2.719	6.725

(ख) से (ङ) 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार ने अमरीका को कुल 2201.067 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण चुकाना है। 31.3.1994 तक मूलधन का सकल पुनर्भुगतान 2862.563 मिलियन अमरीकी डालर है और 31.3.1994 तक ब्याज का भुगतान 1803.381 मिलियन अमरीकी डालर है। वर्ष 1994-95 के दौरान अमरीका को 121.781 मिलियन अमरीकी डालर मूलधन के पुनर्भुगंतान का अनुमान है और अनुमानित ब्याज का भुगतान 60.927 मिलियन अमरीकी डालर का है।

ऋण का पुनर्भुगतान देय तिथियों को किया जा रहा है।

अंतर्देशीय विमान यात्रा कर

2011. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने विमान टिकटों पर टिकट रद्द करने के शुल्क की दर घटा कर उसे बहुत कम कर देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस ने प्रत्येक यात्री से वसूल किये जाने वाले अंतर्देशीय विमान यात्रा कर को बनाये रखने की अनुमति मांगी है ;

(घ) इस विमान यात्रा कर से प्रतिवर्ष कितनी आय होती है ;

(ङ) उस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है ; और

(च) इंडियन एयरलाइंस धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) 1 अगस्त, 1994 से स्लैब–वार बुकिंग रद्द कराने का शुल्क समाप्त कर दिया गया है तथा यात्री उड़ान के अनुसूचित प्रस्थान समय से एक घंटा पूर्व तक अपनी बुकिंग रद्द करा सकते हैं। 100/- रुपए प्रति टिकट प्रतिदाय शुल्क समाविष्ट किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 1993-94 में समाहरित अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर की राशि 150, 46, 69, 205.00 रुपए थी।

(ङ) सरकार द्वारा अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) निधि–पूर्ति के लिए इंडियन एयरलाइंस द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं :–

- इंडियन एयरलाइंस ने 25.7.1994 से अपने घरेलू रुपया किराये को सभी क्षेत्रों में 10% से 20% के बीच तक पुनरीक्षित कर दिया है।
- वर्तमान बेड़े की उपयोगिता को बढ़ाना।
- "समय पर कार्य निष्पादन" की कड़ी निगरानी।
- दक्षता/उत्पादकता को प्रभावित किए बगैर व्यय में कमी करना।
- भर्ती बन्द करना।
- भोजन लेने/खान–पान मदों की क्षति से बचने के लिए उड़ान पूर्व बार–बार जांच कराना।

विदेशी निवेश के प्रस्तावों की मंजूरी

2012. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी वित्तीय कम्पनियों द्वारा अपनी सहायक इकाइयों में सौ प्रतिशत इक्विटी शेयर रखने के सम्बन्ध में सरकार के वर्तमान निर्देश क्या हैं ;

(ख) क्या कुछ कम्पनियों को भारत में दो या दो से अधिक पूर्णरूपेण अधिनस्थ सहायक वित्तीय सेवा इकाइयों की स्थापना की अनुमति दी गयी है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) वित्तीय क्षेत्र में विदेशी निवेश के प्रस्तावों की मंजूरी प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदण्ड का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) इस संबंध में कोई अलग से मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में सरकार द्वारा दी गई स्वीकृतियां औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य, 1991 के अनुसार हैं।

रिजर्व राजस्व प्रबंधन

2013. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐसी रिजर्व प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें भारी विदेशी मुद्रा रिजर्व को कम से कम करने की आवश्यकता स्वीकार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि का प्रबन्धन इस तरह आयोजित किया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि देश के भुगतान दायित्व चालू भुगतान के रूप में हैं और ऋण अदायगी के दायित्वों को उसी समय पूरा किया जाता है जब वे देय होते हैं। विशेष रूप से, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि का भारी भण्डार भावी आकस्मिक व्ययों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। उसी समय, यह माना जाता है कि विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि का जमा होना मुद्रा आपूर्ति के विस्तार की ओर प्रेरित करता है जो, यदि अत्यधिक हो, मुद्रास्फीति में सहायक होता है।

मुद्रास्फीति पर निर्मित प्रारक्षित निधि के प्रभाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने या तो अनेक उपाय किए हैं या अनेक उपायों पर विचार अपेक्षित हैं। इनमें :

(i) केन्द्रीय सरकार के पिछले वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 7.3 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1994-95 में 6 प्रतिशत राजकोषीय घाटे को सीमित करना ,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अस्थायी सरकारी हुंडियों की प्राप्ति पर नियंत्रण लगाना

(iii) सरकारी प्रतिभूतियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सक्रिय खुले बाज़ार में प्रचालन ;

(iv) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात की वसूली करना ;

(v) कुछ सुनिश्चित सम्वेदनशील वस्तुओं की स्थिति में चयनात्मक ऋण नियंत्रणों को कठोर बनाना,

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकों की पुनः वित्तपोषण सुविधा की सुलभता को नियंत्रित करना,

(vii) चीनी, कपास और खाद्य तेलों के आयात के मुक्त सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत शून्य/रियायती शुल्क दर सहित अनुमति देना,

(viii) भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चावल और गेहूं की खुले बाजारों में बिक्री द्वारा खाद्यान्न बाजारों में सक्रिय हस्तक्षेप करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

श्रम कानूनों का कार्यान्वयन न होना

2014. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महिला कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्रेच खोलने के संबंध में अधिकांश नियोजक श्रम कानूनों के सांविधिक उपबंधों का अनुपालन नहीं करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कार्य योजना तैयार करने और उसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस योजना में शामिल किए जाने वाले अन्य कल्याणकारी उपायों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि शिशुगृहों से संबंधित उपबंधों के कार्यान्वयन में सुधार करने संबंधी कार्यक्षेत्र विद्यमान है। कानूनों के कार्यान्वयन में सुधार करने संबंधी प्रयासों में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठकें करना, कर्मकारों की जागरूकता में वृद्धि करना तथा संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना शामिल है। महिला श्रमिकों के बालकों के लिए उन प्रतिष्ठानों में, जिनमें सांविधिक रूप से शिशुगृह सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है, डे केयर सेन्टर स्थापित करने के लिए हाल ही में एक नई योजना शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत, नियोजकों को प्रेरित करने, कर्मचारियों आदि को प्रशिक्षण देने के लिए जागरूकता कार्यकलाप शुरू करने हेतु गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

बाल श्रमिक

2015. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल श्रमिकों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों और समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कोई समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (घ) बाल श्रम समस्या की जांच पड़ताल करने, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए नीतियां तथा उपाय सुझाने, योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर सलाहकार बोर्डों का गठन किया गया है। इन बोर्डों की समय-समय पर बैठकें होती हैं तथा वे सिफिारिशें करते हैं।

जिन क्षेत्रों में बाल श्रम को प्रतिषिद्ध किया जाना होता है उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक तकनीकी सलाहकार समिति है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, प्रतिषेध संबंधी अनुसूची में निम्नलिखित व्यवसायों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया था।

(i) वध शालाएं/बूचड़खाने।

(ii) कारखाना अधिनियम में यथा परिभाषित जोखिमकारी प्रक्रियाएं।

(iii) कारखाना अधिनियम में यथा परिभाषित मुद्रण काजू तथा काजूगिरी छिलाई तथा संसाधन इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों में सोल्डरिंग प्रक्रियाएं।

[हिन्दी]

बाजार विकास सहायता योजना

2016. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य हथकरघा विकास निगम, शीर्ष समितियों और प्राथमिक समितियों ने सरकार को बाजार विकास सहायता योजना के दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन करने हेतु आग्रह किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी हां।

(ख) लाभभोगी हथकरघा अभिकरणों ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस योजना के अंतर्गत सहायता के स्तर में वृद्धि की जाये।

(ग) सरकार ने इस योजना में उपयुक्त संशोधन किया है ताकि उन प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों जिनकी बिक्री 50 लाख रुपए से अधिक है लेकिन केश क्रेडिट सुविधा नहीं ले रही हैं को भी इस योजना में शामिल किया जा सके।

भारतीय स्टेट बैंक में धोखाधड़ी

2017. श्री पी.सी. चाक्को :

श्री श्रीकान्त जेना :

श्री राम विलास पासवान :

श्री बल्लभ पाणिग्रही :

डा. साक्षी जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में धोखाधड़ी के मामलों का पता चला है, जैसा कि 16 मई, 1994 के राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित समाचार देखा है।

(ख) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि सावधि जमाराशियों में निवेश के लिए भारतीय स्टेट बैंक, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली शाखा के पक्ष में मैसर्स भारत डायनामिक्स लि. (बी.डी.एल.) द्वारा आंध्रा बैंक पर आहरित 60 करोड़ रुपए का एक चेक शाखा के एक अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ था। चैक की राशि को मैसर्स जयदीस इंटरनेशनल के नाम से खोले गए चालू खाते में जमा कर दिया गया था और उक्त फर्म के पक्ष में 20-20 करोड़ रुपए की 3 विशेष सावधि जमा रसीदें (एस.टी.डी.आर) भी शाखा द्वारा जारी की गई थीं। तदन्तर फर्म ने अन्य बातों के साथ–साथ इनमें से एक एस.टी.डी.आर के विरूद्ध 15 करोड़ रुपए का ऋण तथा बी.डी.एल. के पक्ष में 2,67,80,000/- रुपए का एक और एस.टी.डी.आर जारी करने के लिए अनुरोध किया। इसमें अंतर्ग्रस्त बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए, शाखा ने इस मामले को नियंत्रक कार्यालय को संदर्भित कर दिया, जिसने शाखा को लेनदेनों की वास्तविकता और खाताधारक की नेकनीयती का पता लगाने के लिए सतर्क किया। इसी बीच, मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड के एक अधिकारी ने उपक्रम के नाम से एस.टी.डी.आर प्राप्त करने के लिए शाखा से सम्पर्क स्थापित किया, जिसके लिए उसने 60 करोड़ रुपए का चैक जारी किया था। इससे धोखाधड़ी सामने आयी। बैंक को कोई हानि नहीं हुई है। बैंक ने दिल्ली पुलिस के पास एफ.आई.आर दर्ज कराया है और शाखा के संबंधित अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बैंक ने उसे निलंबित भी कर दिया है। सी.बी.आई. ने भी इस संबंध में एक मामला दर्ज किया है।

ग्रामीण ऋण

2018. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सभी ग्रामीण बैंकों को ऐसी कार्य योजनाएं बनाने की सलाह दी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने के लिए उनके कार्यों तथा संगठनात्मक प्रयासों में सहायता मिलेगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने उक्त योजानाएं तैयार कर ली हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उन्होंने अप्रैल 1994 में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से विकास कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए कहा है, जो दीर्घावधिक अर्थक्षमता प्राप्त करने के प्रयत्नों के लिए, उनके परिचालनों की संगठित एवं व्यवस्थित रूप में योजना तैयार करने में सहायक होगी। इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने कमान क्षेत्रों/जिलों में ग्रामीण ऋण संवितरित करने में बेहतर भूमिका अदा कर सकेंगे।

योजना की तैयारी में बैंक विशिष्ट समस्याओं/अड़चनों के पूर्ण विश्लेषण करने, वर्तमान वित्तीय मार्जिन के आधार पर अर्थक्षमता की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और सुविचारित विकास पैरामीटरों के आधार पर अनुमानित कारोबार के स्तर का लक्ष्य निर्धारित करने की परिकल्पना की गई है। योजना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण के कई गैर–वित्तीय पहलू भी शामिल हैं, जैसे–मानव संसाधन विकास, प्रबंध सूचना प्रणाली और सामान्य हाउस–कीपिंग में सुधार, ढ़ांचे का पुनर्गठन, कर्मचारियों का उचित अभियोजन, प्रबंधन को मजबूत बनाना आदि। योजना की तैयारी, लक्ष्यगत विकास दर नियत करने के लिए अनिवार्य रूप से प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्वयं अपनी मजबूती, कमजोरियों, अवसरों और चुनौतियों के विश्लेषण तथा अवबोधन पर आधारित होती है, जिससे वे लाभ–अलाभ की स्थिति और दीर्घावधिक अर्थक्षमता प्राप्त करने का प्रयास करने में सक्षम होंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को योजना की तैयारी और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में अपनी शाखाओं और कर्मचारियों को शामिल करना होता है। ये योजनाएं 'आधार स्तरीय दृष्टिकोण (बाटम–अप एप्रोच) के माध्यम से अर्थात शाखा– वार संभावनायें और पूर्वानुमान प्राप्त करके तैयार की जानी होती हैं, जिसे बैंक के लिए समग्र योजना तैयार करने के वास्ते अनुमानित विकास दरों के आधार पर प्रधान कार्यालय स्तर पर समेकित और संचालित किया जाएगा। शाखाओं और प्रधान कार्यालय के विभागों के कार्यनिष्पादन की सूक्ष्म निगरानी करने के लिए एक कारगर तंत्र की स्थापना करना विकास कार्य योजना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। नाबार्ड को कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से विकास कार्य योजनाएं जांच हेतु प्राप्त हो गई हैं। नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, यह योजना 1994-95 से 1998-99 तक की 5 वर्षों की अवधि के लिए तैयार की जाती है।

निर्धारित सीमा से अधिक व्यय

2019. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय स्वीकृत बजट और बाद की अनुपूरक अनुदानो से कहीं अधिक व्यय करता रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की घटनाएं कितनी बार हुई हैं और उनका ब्यौरा क्या है तथा स्वीकृत बजट/अनुपूरक अनुदानों के भीतर ही न रहने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस मामले की जांच करायी गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करने पर आगे नियंत्रण लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वाणिज्य मंत्रालय ने केवल वर्ष 1990-91 में स्वीकृत बजट (अनुपूरक अनुदान सहित) से अधिक खर्च किया था। वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान यह खर्च स्वीकृत बजट (अनुपूरक अनुदान सहित) के भीतर ही था। विस्तृत सूचना/आंकड़े इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रुपये में)

	1990-91	1991-92	1992-93
बजट आबंटन (अनुपूरक अनुदान सहित)	4046.46	3144.10	1585.95
वास्तविक खर्च	4558.10	3069.18	1249.52

वर्ष 1990-91 के दौरान अधिक खर्च करने का मुख्य कारण था–भूतपूर्व यू.एस.एस.आर को तकनीकी ऋण सुविधा देना। भारतीय रिजर्व बैंक ने आवश्यक बट्टा बढ़ा दिया था। इस अधिक खर्च को बाद में संसद द्वारा विनियमित करवाया गया। तकनीकी ऋण एक ऐसा उपाय था जिसकी रुपए भुगतान व्यापार व्यवस्था में आवश्यकता थी। यह व्यवस्था लगभग 35 वर्षों से सफलतापूर्वक चल रही थी। यू.एस.एस.आर बाद में रूस द्वारा लिया गया तकनीकी ऋण का रूस सरकार ने सम्पूर्ण रूप से पुनर्भुगतान कर दिया है। यू.एस.एस.आर पर बकाया तकनीकी ऋण से पर्याप्त ब्याज अर्जित हुआ है। लेकिन उक्त खर्च का स्वरूप इस तरह का है कि वाणिज्य मंत्रालय के लिए रुपये संसाधन के सृजन में हुई गिरावट का ठीक–ठीक आकलन करना संभव नहीं था इसलिए तकनीकी ऋण की प्रत्याशित निकासी हुई.

यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका है कि भूतपूर्व रुपया भुगतान वाले क्षेत्र में किसी भी देश को अब कोई तकनीकी ऋण उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। इससे इस उद्देश्य के लिए और नये खर्च होने की संभावना पूर्णतः खत्म हो जाती है।

मुम्बई आधारित औद्योगिक घरानों द्वारा सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क कानूनों का उल्लंघन

2020. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मुम्बई आधारित बड़े औद्योगिक घरानों को अवैध निर्यात करने और केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क नियामों के उल्लघंन में लिप्त पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में एक ऐसा मामला आया है जिसमें बंबई का एक औद्योगिक घराना जो अन्य मदों के साथ–साथ आंशिक रूप से चमकदार यार्न (पी.ओ.वाई.) का भी निर्माण कर रहा है, कथित रूप से अवैध निर्यात कर रहा है तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। अभी तक की गयी जांच–पड़ताल से यह पता चला है कि संबंधित औद्योगिक गृह के कारखाना परिसरों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा सीलबंद किये गये आधानों में से निर्यात किये जाने वाले पी.ओ.वाई. को निकाल लिया जाता था। इन आधानों को निर्यात हेतु पत्तनों पर ले जाये जाने के बजाए एक निजी भांडागार में ले जाया जाता था जहां पर शुल्क मुक्त पी.ओ.वाई. को निकाल लिया जाता था और उसके स्थान पर मसूर की दाल भर दी जाती थी जिसका निर्यात निषिद्ध है। शुल्क मुक्त पी.ओ.वाई को घरेलू बाजार में स्थानान्तरित कर दिया जाता था।

दो ऐसे आधानों में, जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों की देख–रेख में पी.ओ.वाई. (38,543 किलोग्राम जिसका मूल्य 16,18,800 रुपए बैठता है) भरा गया था और जिन्हें सीलबंद करने के बाद निर्यात के लिए हटाया गया था, की नावा शेवा पत्तन पर सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जांच किये जाने पर मसूर की दाल पाई गयी थी। की गयी जांच–पड़तालों से यह पता चला है कि 11 ऐस आधानों को जिनमें 1,04,23,476 रुपए के मूल्य का पी.ओ.वाई यार्न भरा था पहले भी उक्त औद्योगिक गृह द्वारा निर्यात के लिए हटाया गया था परन्तु इनमें से पी.ओ.वाई को निकाल करके इसे घरेलू बाजार में स्थानान्तरित कर दिया गया था।

(ग) अभी तक की गयी जांच–पड़ताल के आधार पर, सबंधित औद्योगिक गृह के दो अधिकारियों सहित 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस औद्योगिक गृह को क्रमशः 24.2.94 और 22.7.94 को दो कारण बताओं नोटिस, जिनमें से एक दो पकड़े गये आधानों में से शुल्क मुक्त पी.ओ.वाई. निकालने के संबंध में तथा दूसरा विगत में निकासी किये गये शुल्क मुक्त पी.ओ०वाई. के संबंध में है, क्रमशः 26, 59, 427/- तथा 1,42,14,468/. रु. के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मांग करते हुए जारी किये गये हैं। इस औद्योगिक गृह के कुछ कर्मचारियों सहित 28 अन्य व्यक्तियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं जिनमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की धोखाधड़ी करके अपवंचन करने में सांठ–गांठ करने के लिए उनके विरूद्ध दांडिक कार्यवाही करने का प्रस्ताव किया गया है। सीमाशुल्क कानूनों का उल्लंघन करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु जांच–पड़ताल कार्य काफी आगे बढ़ चुका है।

भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति

2021. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री बोल्ला कुल्ली रामय्या :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की नयी ऋण नीति का देश में विभिन्न वाणिज्य उद्योग मंडलों ने स्वागत किया है ;

(ख) क्या भारतीय उद्योग महासंघ ने यह चिन्ता भी व्यक्त की है कि यह नीति मुद्रास्फिति प्रबंधन के संबंध में अत्यधिक चिन्ता दर्शाती है परन्तु आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के संबंध में कम चिन्ता दर्शाती है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) उपरोक्त नीति से मुद्रास्फिति की दर कितनी कम होने की संभावना है ; और

(ङ) इस ऋण नीति से देश में आर्थिक और औद्योगिक विकास की दर में कितना सुधार होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, हां। इसका अनेक वाणिज्य मण्डल और उद्योगों द्वारा स्वागत किया गया है।

(ख) जी, हां। भारतीय उद्योग महासंघ ने यह विचार व्यक्त किया है कि औद्योगिक विकास पर अधिक बल दिया जाए।

(ग) वर्ष 1994-95 के प्रथम छमाही के लिए ऋण नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन के पुनः प्रवर्तन के लिए बैंकिंग प्रणाली द्वारा पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान की जाती है। वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण दिए जाने के लिए संसाधनों को निर्मुक्त करते हुए सांविधिक नकदी अनुपात एक प्रतिशतता बिन्दु से कम किया जा रहा है। बैंकों को शेयर का डिवेंचर धारक बनाए जाने के लिए और अधिक लचीला भी बनाया गया है। इस के अतिरिक्त, अच्छे परम्परागत कीर्तिमान वाली कम्पनियां आन्तरिक रूप से शेयरों, डिबेंचरों और वाणिज्यिक प्रयत्नों के निर्गम किए जाने और बाह्य रूप से विश्वव्यापी निक्षेपागार रसीदों तथा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाण्डों के माध्यम से संसाधनों की उल्लेखनीय मात्रा वसूल कर रही है। जैसे कि उन्हें वाणिज्यिक बैंक ऋण पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है जितना अधिक उन्हें पहले उन पर निर्भर रहना पड़ा था।

(घ) सरकार ने अपनी कार्यसूची में मुद्रा स्फीति नियन्त्रण को प्रथम स्थान पर रखा है और कुल मांग और आपूर्ति के प्रबंधन के लिए अनेक उपाय पहले ही लागू किए हैं। कीमतों में कुछ स्थिरता पहले ही दिखाई देती है और सितम्बर के अन्त तक और अधिक नियन्त्रण होने की पूरी सम्भावना है।

(ङ) सरकार ने पिछले तीन वर्षों में राजकोषीय, वित्तीय, व्यापार और औद्योगिक नीतियों में विभिन्न सुधार शुरू किए हैं, जिसमें उद्यमो, प्रतिस्पर्धा और अर्थ–व्यवस्था में दक्षता तथा अर्थ–व्यवस्था व औद्योगिक विकास दर में सुधार लाए जाने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की पूरी अभिकल्पना की गई हैं।

क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय

2022. श्री एन.जे. राठवा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जून, 1994 तक क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालयों सहित उप–क्षेत्रीय कर्मचार भविष्य निधि कार्यालयों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार गुजरात में कुछ नये कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय खोल का है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए किन–किन स्थानों का चयन किया गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) 4

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द/निजीकरण किए जाने की सिफारिश

2023. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने घाटे में चल रहे औ बंद किये जाने या निजीकरण किये जाने वाले सरकारी उपक्रमों संबंधी मामलों का निपटारा व दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन सरका क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द/निजीकरण करने के संबंध में सिफारिश की है उनका विवरण क्या है

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) औद्योगिक औ वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर) ने सूचित किया है कि 30.6.1994 की स्थिति के अनुसा संबंधित उच्च न्यायालयों के पास रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 व धारा 21 (1) के तहत सरकारी क्षेत्र के 5 उपक्रमों (पी.एस.यू) को बन्द करने की सिफारिश की ग है। ये पांच मामले निम्नलिखित हैं :-

केन्द्रीय पी.एस.यू.

(1) नेशनल बाइसाइकिल कार्पोरेशन आफ इंडिया लि., महाराष्ट्र

राज्य पी.एस.यू

2. ए.पी. स्कूटर लि. आन्ध्र प्रदेश।

3. यू.पी. कार्बाइड एंड केमिकल्स लि., उत्तर प्रदेश

4. शियाद्री ग्लास वर्कस महाराष्ट्र।

5. कर्नाटक इम्प्लिमेन्ट एंड मशीनरी कंपनी लि., कर्नाटक।

[हिन्दी]

महिला कृषि श्रमिकों को मातृत्व सुविधाएं

2024. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिला कृषि श्रमिकों तथा अन्य क्षेत्रों में मातृत्व कल्याण तथा अन्य कल्याण योजनाएं उपलब्ध कराने की चल रही योजनाएं क्या है ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) औद्योगि कर्मकारों की या तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 अथवा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत प्रसूति लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रसूति के मामले में, महिला कर्मचारी औसत दैनिक मजदूरी सहित बारह सप्ताह की छुट्टी लेने की हकदार हैं। गर्भपात के मामले में वे मजदूरी सहित छः सप्ताह को छुट्टी लेने की भी हकदार हैं। अभी तक इन लाभों को महिला कृषि कर्मकारों पर लागू नहीं किया गया है।

बीड़ी, खान तथा सिने कर्मकारों को आवास, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन तथा कतिपय अन्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने अनेक कल्याण निधियां स्थापित की हैं। बीड़ी-श्रमिक कल्याण निधि के अंतर्गत बीड़ी कर्मकारों के लिए ही एक प्रसूति लाभ योजना भी शुरू की गयी है।

12.00 बजे म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

बम्बई बम विस्फोट

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस समय वक्तव्य का हिन्दी संस्करण उपलबध नहीं है परन्तु इसके अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां सभी सदस्यों को दे दी गई हैं।

जैसा कि सदन अवगत है कि पिछले साल मार्च में बम्बई में हुए बम विस्फोटों ने सभी भारतीयों को दहला दिया था, उनकी जांच तेजी से की जा रही थी और बम्बई में एक नामित न्यायालय में इस पर अभियोजन चल रहा है। सरकार, इस सदन को विश्वास में लेकर यह घोषणा करना चाहेगी कि आज सुबह दिल्ली में हमारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन नामक एक मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।

याकूब और मेमन परिवार के अन्य सदस्यों के पाकिस्तानी पासपोर्ट सहित पाकिस्तानी पहचान दस्तावेज और बड़ी मात्रा में अभिशंसी दस्तावेज जो अभियुक्त के पास से बरामद किए गए हैं वे अकाट्य साक्ष्य हैं और उनसे बम्बई बम विस्फोटों में पाकिस्तान की सहभागिमा की पुष्टि होती है। बम विस्फोटों की पूर्व संध्या पर मेमन परिवार के जो सदस्य बम्बई से भाग गए थे उन्हें दुबई से करांची ले जाया गया था। पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा उनके लिए सभी प्रकार का संसाधनात्मक सहयोग, शरण और सुविधाएं प्रदान की गई जिससे कि वे छद्म नाम धारण कर रह सकें। बम्बई बम विस्फोटों में दाऊद इब्राहिम की संलिप्तता और करांची में उसकी उपस्थिति की पुष्टि भी हो गई है।

वर्तमान रहस्योद्घाटनों से पहले से उपलब्ध साक्ष्यों की पूरी तरह पुष्टि होती है तथा भारत में पकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान का हाथ होने की पुष्टि होती है। अब विश्व को यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद और अस्थिरता फैलाने के एकजुट प्रयास करता आ रहा है।

आपको याद होगा कि याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन को एक घोषित अपराधी करार दिया गया है तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जिसको पहले ही जांच का काम सौंप दिया गया है, इस मामले में आगे कार्रवाई कर रहा है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की सफलता के लिए इस सदन द्वारा सुरक्षा एजेंसियों की प्रशंसा की जानी चाहिए।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : महोदय, हम सब इसकी प्रशंसा करते हैं और इसके लिए गृहमंत्री महोदय को बधाई देते हैं।

डा. कीर्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को यह बताना चाहता हूं कि उड़ीसा में बस यात्रियों को बसों के किराए में बार-बार वृद्धि करके तंग किया जा रहा है। दो वर्षों में बसों के किराये दो गुने हो गए हैं। हाल ही में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। इसके विरोध में अनेक आन्दोलन हुए हैं और धरने दिए गये हैं। इन आन्दोलनों में अनेक व्यक्तियों की मौतें हुई हैं और भारी सम्पत्ति का नुकसान हुआ है। मुझे भय है कि वर्तमान आन्दोलन से स्थिति और बिगड़ेगी।

12.04 म.प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और समस्या का कोई समाधान निकाले।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में दूरदर्शन ने निम्नशक्ति के अनेक ट्रांसमीटर लगाए हैं। यह एक अच्छा कदम है और हम इसके लिए सरकार विशेष रूप से सूचना और प्रसारण मंत्रालय को बधाई देते हैं।

महोदय, ट्रांसमीटर के स्थापित होने के बाद उपकरणों की सुरक्षा के लिए केवल एक व्यक्ति ही नियुक्त किया जा रहा है। इन ट्रांसमीटरों के संचालन के लिए न्यूनतम कर्मचारी भी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। कभी–कभी इन ट्रांसमीटरों के उद्घाटन के बाद ही ये खराब हो जाते हैं और इनकी कोई देखभल नहीं करता है। यद्यपि अनेक स्थानों पर इन ट्रांसमीटरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और उनका उद्घाटन भी हो गया है परन्तु वे कार्य नहीं कर रहे हैं। इससे लोगों में बड़ा असन्तोष है। यदि यही स्थिति रही तो मुझे इस बात का भय है कि कुछ स्थानों पर लोग आक्रोश में आकर प्रदर्शन कर सकते हैं और इन ट्रांसमीटरों का नुकसान कर सकते हैं।

मुझे यह बताया गया है कि कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कुछ प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में स्वीकृति हेतु लंबित है। इन प्रस्तावों को तत्काल स्वीकृति दी जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कीमती उपकरणों का नुकसान हो सकता है। उसके बाद क्षति ग्रस्त उपकरणों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त धनराशि मिलना कठिन हो जाएगा।

दूसरे, जहां तक कुचिन्दा और पालाहारा जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं, में कुछ निम्नशक्ति के ट्रांसमीटर लगाने का संबंध है, इसमें अत्यधिक विलंब हुआ है। यह एक साजिश है कि देवगढ़ और पालाहारा जो निम्नशक्ति के ट्रांसमीटर लगाने की पूर्व सूची में शामिल थे और जिसका निर्माण कार्य बहुत पहले पूरा होना था, अभी धनराशि उपलब्ध करानी है। यद्यपि 1992-93 की सूची के अनुसार अनेक स्थानों पर ये ट्रांसमीटर लगाए गये थे परन्तु इन स्थानों की उपेक्षा कर दी गई। भूतपूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री श्री पांजा ने इन स्थानों पर निम्न शक्ति के ट्रांसमीटर लगाने का निर्णय लिया था। मैं इन स्थानों के प्रति अपनाए गये ऐसे भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण का पुरजोर विरोध करता हूं। वे क्रमानुसार ये ट्रांसमीटर क्यों नहीं लगाते हैं ? मैं नए स्थानों पर इस प्रकार के ट्रांसमीटर लगाने का स्वागत करता हूं परन्तु यह कार्य योजना और कार्यक्रम के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।

इसलिए मेरा भारत सरकार विशेषतः सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध है कि इस मामले की जांच की जाए और इस प्रकार की शरारत करने वाले लोगों का पता लगाया जाए।

तीसरे, महोदय, यद्यपति पर्याप्त सुविधाओं वाले सरकारी भवन हैं लेकिन फिर भी दूरदर्शन के अधिकारी निजी भवनों को किराए पर ले रहे हैं। निजी भवनों को किराए पर लेते समय भी तुलनात्मक

दृष्टि से कम किराये वाले उपयुक्त भवनों की उपेक्षा कर दी जाती है। ऐसा कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के लाभ के लिए किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : पाणिग्रही जी, यह अविलंबनीय लोक महत्व का मामला नहीं है। शून्य काल में केवल अविलबंनीय लोक महत्व के मामले उठाए जाने चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : यह हमारे हितों के लिए हानिकारक है। इसलिए मैं इस सम्मानित सभा को इस मामले से अवगत करा रहा हूं। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाये।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री के ध्यान में एक अत्यधिक गम्भीर मामला ला रहा हूं जो टाडा के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए निर्दोष नागरिकों की दुखभरी कहानी है और जो देश की विभिन्न जेलों में सड़ रहे हैं। महोदय यदि किसी अपराधी अथवा दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है तो मैं भी यही समझता हूं कि यह एक अच्छी बता है।

यह जानकर हम सभी को यह प्रसन्नता हुई है कि केन्द्रीय जांच एजेन्सी ने कतिपय कदम उठाए हैं और कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया है। किन्तु टाडा के अंतर्गत निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

विभिन्न राज्यों में राज्य के अधिकारियों द्वारा टाडा के प्रावधानों के घोर दुरूपयोग से देश में निर्दोष लोगों और उनके परिवारो के मन में वास्तव में भय पैदा हो गया है।

यह मामला माननीय गृह मंत्री के ध्यान में लाया जा चुका है। व्यक्तिगत रूप से मैंने इस मामले से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों को अवगत कराया था। उन्होंने यह वायदा किया है और आश्वासन दिया है कि इस मामले पर गौर किया जाएगा किन्तु दुर्भाग्य से अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

टाडा की वैद्यता को चुनौती देने वाले एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर टिप्पणी की है। न्यायालय ने इसे वैध ठहराते हुए संबंधित न्यायालय को अनुच्छेद 21 में जल्दी न्याय दिलाए जाने संबंधी सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए, जोकि संविधान से जुड़ा हुआ है तथा जीने और स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकारों में जीने और स्वतंत्रता संबंधी मूल अधिकार का एक महत्वपूर्ण अंग है और यह सिद्धान्त इस अधिनियम में प्रतिपादित है, लंबित मामले को किसी शिकायत का मौका दिये बिना अथवा अनावश्यक विलम्ब किए निपटाना चाहिए।

किन्तु कई राज्य सरकारों ने इस निर्देश का पालन नहीं किया है। अतः माननीय गृह मंत्री को इस का उत्तर देना चाहिए। सभी सदस्य इस मामले को उठाते रहे हैं और सरकार इस पर चुप है। अतः यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस मामले पर अपना रूख स्पष्ट करे।

श्री एस.बी. चव्हाण : यह सच है कि कई राज्य सरकारों द्वारा टाडा के अंतर्गत बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए हैं और वास्तव में उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि इन मामलों में तेजी लाई जाए और अंतिम आरोप–पत्र न्यायालय में दाखिल किए जाएं। ऐसे मामले भी बड़ी संख्या में हैं जिनमें टाडा लागू नहीं होता किन्तु उनमें टाडा का दुरूपयोग किया गया है।

मैंने सभी मुख्य मंत्रियों को इन मामलों की समीक्षा करने और भविष्य में भी आवधिक आधार पर समीक्षा करते रहने के लिए पत्र लिखा है। यदि उनमें निर्दोष व्यक्ति शामिल हों, तो उन्हें तुरन्त कार्यवाही करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मामले में निर्दोष व्यक्तियों को तंग नहीं किया जाए। किन्तु इसके साथ–साथ जो टाडा अपराधों में निश्चित रूप से शामिल पाए गए हैं, निसन्देह उन पर टाडा के तहत ही कार्यवाही की जानी चाहिए।

अतः हमें यह सावधानी बरतनी होगी। मुझे पक्का विश्वास है कि संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्री मामलों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने पहले ही समितियों का गठन कर दिया है और ये समितियां निश्चित ही इन लम्बित मामलों की समीक्षा करेंगी।

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर–मध्य) : मैं मुम्बई से प्रकाशित एक गम्भीर घटना की ओर इस सभा और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

कुछ समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि महानगर टेलीफोन निगम लि. की लगभग 200 महिला कर्मचारियों ने मौन उत्पीड़न करने पर महाप्रबंधक (लम्बी दूरी) का मुम्बई में बुधवार 3 अगस्त, 1994 को घेराव किया और उन्हें थप्पड़ मारा। यह बताया गया है कि यह कार्यवाई महिलाओं द्वारा अचानक ही की गई थी। लगभग 200 महिला कर्मी कोर्ट एक्सचेंज बिल्डिंग में महाप्रबंधक के निवास पर गई और उन्हें फोर्ट स्थित टेलीफोन बिल्डिंग कार्यालय में घसीट लाईं और महिलाओं द्वारा वहां पर उनकी पिटाई की गयी। यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली से मुम्बई स्थानान्तरण पर गए महाप्रबंधक प्रायः टेलीफोन आप्रेटरों पर हावी रहते थे। उसकी बात न मानने पर वह उनकी मानदेय राशि का भुगतान रोक लेता था और यदि महिलाएं उसकी बात मान लेती थी तो उनकी इस राशि में वृद्धि भी कर देता था। यह बताया गया है कि उनका दिल्ली से मुम्बई स्थानांतरण भी ऐसे ही आरोपों के कारण किया गया था। ये आरोप लगाए गए हैं कि महाप्रबंधक महिला कर्मचारियों को रात को देर तक रूकने के लिए बाध्य करता था और उन महिलाओं के साथ कार्यालय में ही रहता था। यह आरोप भी लगाया गया है कि वह आप्रेटरों को शनिवार और रविवार को अपने घर पर बुलाता था।

ये बहुत ही गम्भीर आरोप हैं। मैं संचार मंत्री महोदय से इस मामले को देखने का अनुरोध करूंगा। यदि ये आरोप सत्य हैं तो इस मामले में कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री पाला के.एम. मैथ्यू (इडुकी) : महोदय, मैंने देश में पूर्ण नशाबंदी लागू करने की आवश्यकता पर बोलने हेतु अपना नाम दिया था। किसी देश की आर्थिक समृद्धि और गरीबी उन्मूलन के लिए नशाबंदी तो मूलभूत आवश्यकता है।

मेरे विचार से शराब पीने की लत से बुरा कोई अपराध नहीं है। देश में अधिकतर अपराधों

का प्रमुख कारण शराब ही है। समाज विरोधी गतिविधियों के लिए भी कारण यही जिम्मेदार हैं। अब देश में कुछ भागों में महिलाओं द्वारा वेश्यावृत्ति, महिलाओं और बच्चों की हत्या और कई अन्य प्रकार के अपराध लगभग रोजना ही हो रहे हैं। यौन अपराध तथा निर्ममता आज आम बात हो गई है। हम यह बात जानते हैं कि शराब व्यक्ति को मारती है किन्तु लोग फिर भी इसका सेवन करते हैं। यह स्वास्थ्य और दीर्घ–जीवन के लिए भी हानिकारक भी है। हजारों परिवार आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से बरबाद हो रहे हैं। इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

महोदय, इस संबंध में मेरा एक और सुझाव है। देश के सभी भागों में शराब की दुकानें प्रतिदिन कुकुरमुत्तों की तरह बढ़ती जा रही हैं। इसे रोका जाना चाहिए और विशेष रूप से पूजा स्थलों, जैसे–मंदिरों, चर्चों और मस्जिदों के समीप खुली दुकाने बंद की जानी चाहिए। दुकानदार इन दुकानों को पूजास्थलों के पास खोले जाने के लिए अनेक बहाने ढूढ़ते रहते हैं, बिना किसी कमी के कठोर विधान बनना चाहिए जिससे यह समस्या समाप्त की जा सके। धन्यवाद।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित बड़ी संख्या में भूमिहीन परिवार हैं, जिनके पास गत 20 से 100 वर्षों तक से सरकार अथवा पूर्व–जमीदारों की भूमि कब्जे में रही है। उन्हें भूमि के रिकार्ड के अधिकार से भी वंचित रखा गया है।

मैंने यह देखा है कि सरकार द्वारा कोई भी मार्गनिर्देश नहीं दिए गए हैं। अनौपचारिक रूप से वे अधिकारियों को उनके नाम का रिकार्ड नहीं रखने के लिए कह देते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो ऐसी भूमि पर 100 वर्षों से भी अधिक समय से काम करते आ रहे हैं।

चूंकि अब उड़ीसा में निपटान कार्यक्रम जारी है, अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन कब्जा धारियों के पक्ष में "रिकार्ड ऑफ राईट" अथवा पट्टा जारी करने के लिए उड़ीसा सरकार को निर्देश जारी करे।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, सुपर बाजार में सामान की खरीद में भारी अनियमितताएं हो रही हैं। स्थानीय उपभोक्ताओं में बिक्री हेतु हर वर्ष करोड़ों रुपए का हार्डवेअर और बालविकास परियोजना के लिए प्रति वर्ष बिस्कुट आदि अन्य सामान की खरीद होती है। शासन का आदेश है कि यह सामान पंजीकृत ठेकेदारों से तथा प्रमुख समाचार–पत्रों में निविदाएं देकर गुण–दोष के आधार पर न्यूनतम निविदादाता से खरीदा जाना चाहिए, लेकिन इन नियमों का सुपर बाजार के व्यवस्थापक पूरी तरह से उल्लंघन कर रहे हैं तथा मनमानी कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब मैंने तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने इस विषय में लिखापढ़ी की तो नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कुछ आख्याएं भी मांगी तथा इन सब चीजों की गंभीरता को देखते हुए 15 जुलाई 1994 को इंडियन एक्सप्रेस में एक सूचना भी प्रकाशित हुई थी कि अपंजीकृत ठेकेदारा

या व्यक्ति जो सुपर बाजार को माल सप्लाई करना चाहते हैं, वे पांचवी मंजिल पर लगा हुआ सूचना पट्ट देखें, लेकिन वह कोई टेंडर नहीं है। यह कितनी हास्यास्पद बात है और हमारे खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस सारे मामले की जांच कराएंगे। मेरा यह भी निवेदन है कि पिछले 3 वर्षों में हुए इस घोटाले की जांच होनी चाहिए, सारी बातें प्रकाश में आनी चाहिए और इस सदन में विचार किया जाना चाहिए। इस बता का भी पता लगाया जाना चाहिए कि पिछले 3 वर्षों में कुल कितना माल खरीदा गया और कितने माल की खरीद के टेंडर आमंत्रित किए गए, जिनके माध्यम से करोड़ों–अरबों के माल की खरीद हुई।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, सिक्किम पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक छोटा सा राज्य है। भारतीय संघ में विलय से पूर्व सिक्किम एक स्वतंत्र सम्पूर्ण–प्रभुत्व–सम्पन्न देश था। लेकिन वर्ष 1975 में इसका भारतीय संघ के साथ विलय कर दिया गया और यह देश का एक अति महत्वपूर्ण राज्य और अभिन्न अंग बन गया।

सिक्किम में आज जो कुछ हो रहा है, वह बहुत विचित्र बात हैं यह बताना बहुत ही कठिन है कि यह कैसे हुआ। 32 सदस्यों की विधान सभा में 17 सदस्यों ने त्याग–पत्र दे दिया है और केवल 14 सदस्य ही राज्य का प्रशासन चला रहे हैं। मैं यह बात इस सभा में इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इस प्रणाली का संवैधानिक औचित्य क्या है ? केन्द्रीय सरकार इस मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं करती? इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं किया गया है ? इसी लिए मैं यह बात यहां उठा रहा हूं।

सिक्किम संग्राम परिषद ने तत्कालीन सम्पूर्ण प्रभुत्व–संपन्न राष्ट्र का भारतीय संघ के साथ विलय कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सिक्किम संग्राम परिषद सरकार के गिरने के कारण ही यह वर्तमान गतिरोध पैदा हुआ है।

मैं यह बात यहां इसलिए उठा रहा हूं ताकि लोकतंत्र का मजाक नहीं बनाया जा सके। सिक्किम के एक छोटा सा राज्य होने के कारण कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यदि यही बात महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश अथवा पश्चिमी बंगाल जैसे बड़े राज्यों को घटित हो, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस तरह से देखती रहेगी? यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है जिस पर सरकार को कदम उठाना होगा और एक वक्तव्य देना होगा।

[हिन्दी]

श्री रामनिहारे राय (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले सोनभद्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। कनहर परियोजना जनपद सोनभद्र में दुद्धी तहसील में ग्राम अमबार में कनहर नदी के ऊपर प्रस्तावित है। इसे 1974 में प्रारम्भ किया गया था। जिससे इस सुखाग्रस्त क्षेत्र एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की दुद्धी, विन्डम गंज तथा पांडु बेसन में सिंचाई

सुविधा के साथ–साथ पेयजल की समस्या का भी हल हो सके। प्रस्तावित योजना में कनहर नदी पर लगभग 39.9 मीटर ऊंचा बांध बनाकर दाईं एवं बाईं नहरों के माध्यम से उपरोक्त क्षेत्र की लगभग 26065 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में सिंचाई का प्रस्ताव है। योजना की मुख्य विशिष्टियां इस प्रकार है :

इस योजना में कार्य वर्ष 1974 से प्रारम्भ किया गया था, जिसकी उस समय लागत लगभग 27 करोड़ 75 लाख थी। वर्ष 1985 में मूल्य बढ़कर 150.70 करोड़ रुपया हो गया। योजना में मार्च 1994 तक 37 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च हो चुका है। प्रारम्भिक योजना की वित्तीय स्वीकृति उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 258/79-23/ सी.– 4/99 डब्ल्यू, दिनांक 29.3.79 द्वारा भेजी गयी है।

प्रारम्भिक योजना में मध्य प्रदेश की डूब क्षेत्र में पड़ने वाली भूमि 154 हेक्टयर आंकी गयी है जो सही आंकलन करने पर 258 हेक्टयर आती है। इसके कारण यह योजना स्वीकृत हेतु केन्द्रीय जल आयोग में लम्बित है। जिसकी मध्य प्रदेश सहमति हेतु कार्यवाही भी प्रगति में है। परियोजना का कार्य 1982-83 में वित्तीय घोषण न होने के कारण बंद है। लेकिन कार्य पर लगे कर्मचारियो पर लगभग 50 लाख रुपए, नियमित अधिष्ठान में लगभग 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष व्यय हो रहे हैं। मुख्य कनहर बांध के बायें एवम् दायें भाग में मिट्टी का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्य बायीं एवम् दायीं नहर के पास कुछ पक्के कार्य किये गये हैं। जो पिछले 10-11 वर्षों से कार्य बन्द होने के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस परियोजना में विभिन्न स्थलों पर भवनों के कार्य भी पूर्ण कराये जा चुके हैं। लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से हैवी अर्थमूवर मशीनें जो वर्ष 1978-79 में क्रय की गयी थीं, धीरे–धीरे खराब हो रही हैं। योजना के अंतर्गत 4 हजार 47 एकड़ कृषि योग्य और 2422 एकड़ वन भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

योजना में सीवेज एवम् बांध का मुख्य रूप से कार्य अवशेष है। जिसका लगभग 60 करोड़ रुपया 4 वर्षों में खर्च कर योजना को लाभकारी बनाया जा सकता है। और सोनभद्र जिले की दुद्धी तहसील और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र को भी लाभ पहुंचाया जा सकता है। किन्तु केन्द्रीय जल आयोग के विवाद में यह मामला फंसा है जिससे धन् का अपव्यय हो रहा है।

अतः भारत सरकार से मांग है कि उक्त परियोजना पर अविलम्ब धन देकर कार्य पूरा कराया जाये।

[अनुवाद]

*** श्री बी.एस. विजयराघवन (पालघाट)** : निजामुद्दीन–त्रिवेन्द्रम राजधानी एक्सप्रेस 1.7.1994 से चलनी शुरू हुई है। लेकिन केरल में यह केवल एक ही स्थान एर्णाकुलम में रूकती है।

मैंने संसद में अपने सहयोगियों के साथ कई बार मांग की है कि राजधानी एक्सप्रेस को पालघाट रूकना चाहिए। हम माननीय मंत्री महोदय से मिले, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है।

पालघाट एक प्रमंडलीय मुख्यालय है। इसके अतिरिक्त, इस गाड़ी के यहां रूकने से केरल के जिलों और तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिला के लोगों को सहायता मिलेगी। इस तरह से इससे

* मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

राज्य के 40% लोगों को फायदा पहुंचेगा। यह समझा जाता है कि राजधानी अलेप्पी–कथनकूला मार्ग पर चलाई जायेगी जिससे लगभग एक घंटा बच जायेगा। इसके अतिरिक्त, यह गाड़ी पालघाट सैक्टर में सिंग्नल व्यवस्था में परिवर्तन के कारण कुछ धीमी गति से चलती है। इस तरह से, पालघाट में गाड़ी के रूकने से रेलगाड़ी के कुल यात्रा समय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि पालघाट में यह गाड़ी नहीं रूकती तो लोग इस गाड़ी के फायदे से वंचित रहेंगे।

अतः मेरी यह मांग है कि राजधानी एक्सप्रेस पालघाट रूकनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान सीमावर्ती इलाकों की गंभीर और महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं।

स्व. प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के समय जब चीन भारत युद्ध हुआ तो असम लद्दाख बार्डर ऐरिया के लिये सड़क बनाये जाने का प्रस्ताव आया। उस समय यह सड़क दरभंगा (बिहार) तक बनी लेकिन फारबिसगंज–दरभंगा, जो मात्र 50-60 कि.मी. सड़क है, नहीं बन पायी है। इस सड़क से बार्डर ऐरिया चीन, नेपाल, का लगता है। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बाकी बची हुई सड़क का बनाया जाना बहुत जरूरी है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस देश के हित के लिये इस सड़क को तुरंत बनाये जाने की व्यवस्था की जाये।

[अनुवाद]

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी (सिक्किम) : मैं इस सभा का ध्यान उस कठिन स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं जिससे सिक्किम के लोग गुजर रहे हैं। सिक्किम में लोकतंत्र और संविधान की पूर्ण उपेक्षा करते हुए राज्य विधान सभा के 50 प्रतिशत से भी कम बहुमत से सरकार के बने रहने से 1975 में ही इस महान देश, भारत के साथ विलय होने वाले इस छोटे और नये राज्य के लोगों को भावनात्मक रूप से अत्यधिक पीड़ा की अनुभूति हो रही है।

इसका महत्व हाल ही में भारत और दिल्ली की यात्रा पर आए चीन के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री द्वारा दिए गए इस वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए और अधिक हो जाता है कि चीन सिक्किम के संबंध में 1975 में अपनाए गए रूख पर कायम है। इसका अभिप्राय यह है कि उन्होंने अभी भी सिक्किम को भारत के अंग के रूप में मान्यता नहीं दी है।

यहां यह प्रश्न उठता है कि सिक्किम के लोगों ने इस महान देश के साथ विलय करने की इच्छा क्यों दर्शाई? इसका मूल कारण यह था कि उनका लोकतंत्र में विश्वास था और वे लोग इस माहन देश के साथ विलय करके लोकतंत्र में भागेदारी करना चाहते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है ? राज्य विधान मंड़ल के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्यों ने पहले ही त्याग–पत्र दे दिया है।

इस पंगू अंसवैधानिक और अवैध सरकार को केन्द्र में सतारूढ़ दल समर्थन दे रहा है इससे सिक्किम में सशक्त लोकतंत्र की स्थापना में किस हद तक सहायता मिलेगी ?

केन्द्र सरकार से मैं यह अनुरोध करूंगी कि वह सिकिक्म में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे जिससे वहां पर जितना शीघ्र संभव हो सके निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए जा सकें और सिक्किम के लोग अपनी मनपसंद सरकार का चुनाव कर सकें और सिक्किम के लोगों द्वारा चालाकी से थोंपे गए व्यक्ति को अस्वीकार किया जा सके। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्रीमती दिलकुमारी भंडारी सिक्किम के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, हमें शून्य काल की चर्चा 12-30 बजे म.प. तक समाप्त करनी है। चूंकि आपने अपना हाथ उठाया था, इसलिए मैंने आपका अवसर नहीं गंवाना चाहा।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, आप सरकार से तुरन्त उत्तर दिए जाने की अपेक्षा नहीं कर सकती। आपने जो कहा है वह सरकार ने नोट कर लिया है। कृपया अब आप मुझे माफ कीजिए। शून्य काल की चर्चा का समय नहीं बचा है।

श्रीमती दिलकुमारी भंडारी : महोदय, आप कृपया मुझे मात्र एक मिनट का समय दे दिजिए। महोदय गृहमंत्री ने यही कहा था कि हम इस तरह की बातों की इजाजत नहीं दे सकते **(व्यवधान)***

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब डा. रवि मल्लू बोलेंगे

(व्यवधान)

श्रीमती दिलकुमारी भंडारी : महोदय, यह वास्तव में अन्याय ही है। मुझे भी लोगों ने ही चुना है।

उपाध्यक्ष महोदया : कृपया बहस बाजी न करें।

श्रीमती दिलकुमारी भंडारी : महोदय यह वास्तव में अन्याय ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, जो विचार आपने व्यक्त किए हैं वे कार्यवाही–वृतान्त में गए हैं। सरकार ने भी इन्हें नोट कर लिया है।

(व्यवधान)

श्रीमती दिलकुमारी भंडारी : महोदय, मैं विरोध स्वरूप सभा से बहिर्गमन कर रही हूं।

*कार्यवाही–वृतान्त मे सम्मिलित नहीं किया गया

12.36 म. प.

इस समय, श्रीमती दिल कुमारी भंडारी सभा-भवन से बाहर चली गई।

डा. आर. मल्लू (नगर कुरनूल) : महोदय, कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के लिए डा. अम्बेडकर पुरस्कारों की घोषणा की है। लेकिन दुर्भाग्यवश, इन पुरस्कारों की घोषणा तीन वर्ष पूर्व कर दी गई थी लेकिन अभी तक ये पुरस्कार किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं किए गए हैं। धन आबंटित कर दिया गया था; कार्य–विधि को अंतिम रूप दे दिया गया था और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का चयन करने और इसे अन्तिम रूप देने के लिए समिति गठित की गई थी। वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के पुरस्कारों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को धन दिया हुआ है और यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो कमजोर वर्गों के बारे में गलत धारणा बनाएंगे कि सरकार पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची को अंतिम रूप देने में उतनी गम्भीर नही है। दूसरी बात यह है कि डा. अम्बेडकर ग्रन्थालय के निर्माण के लिए 5-5 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी लेकिन यह कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। मेरा कल्याण मंत्री से इन दो बातों को कार्यरूप देने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि इन पर प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र कार्यवाही की जाये।

12.38 म.प.

•

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वायुयान अधिनियम, 1934 के अंतर्गत अधिसूचना

नागर विमानन (पर्यटन विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुखबंस कौर) : श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (भवनों तथा वृक्षों आदि के कारण उत्पन्न अवरोधों की समाप्ति) नियम, 1994 जो 28 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 227 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखती हूँ।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 6201/94]

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचना श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) (पहला संशोधन) विनियम, 1994 जो 9 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एन. 12/13/93-पी. एण्ड डी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 6202/94]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 1464, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "भारत भवन न्यास, भोपाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का.आ. 1465, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "भारत भवन न्यास, भोपाल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1466, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "नेशनल सेंटर फार दि परफारमिंग आर्ट्स, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1991-92 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का.आ. 1467, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "एक्शन फार वेलफेयर एण्ड अवेकनिंग इन रूरल इनवायरमेंट (ए.डब्ल्यू.ए.आर.ई.) हैदराबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1468, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "सोसाइटी फार सर्विस टू वालंटरी एजेंसीज (एस.ओ.एस.वी.ए) मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का.आ. 1469, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "अग्रिनि रूरल कैंसर रिसर्च एण्ड रिलीफ सोसाइटी, महाराष्ट्र" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का.आ. 1470, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "जर्मन लेप्रसी रिलीफ एसोसिएशन रिहेबिलिटेशन फण्ड, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1471, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा

जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "भगिनी समाज, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1472, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "बाल सहयोग, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का.आ. 1473, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "श्री सद्गुरू सेवा संघ न्यास, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1474, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "केरल कॅयर वर्कर्स वेलफेयर फण्ड बोर्ड, अलेप्पी, केरल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1475, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "अमल्गामेटेड तमिलनाडु शेयर्स आफ पोस्ट वार सर्विसेज रिकंस्ट्रक्शन फण्ड एण्ड स्पेशल फण्ड फार एक्स सर्विसमैन फण्ड, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1476, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "अमल्गामेटेड तमिलनाडु शेयर्स आफ पोस्ट वार सर्विसेज रिकस्ट्रकशन फण्ड एण्ड स्पैश्ल फाण्ड फार एक्स सर्विसमैन फण्ड, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1477, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "बेसिक कैमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स एण्ड कास्टमेटिक्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 1478, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "आगा खां फाउंडेशन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1480, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "श्री आनन्दपुर न्यास, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1481, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "सेण्टर फॉर पब्लिक सैक्टर स्टडीज, नई दिल्ली" को कर–निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठारह) का.आ. 1482, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "सेण्टर फार पब्लिक सैक्टर स्टडीज, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 1483, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "लाल बहादुर शास्त्री नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1484, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "भारत सेवा श्रमसंघ, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1485, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाईजेशन, नई दिल्ली" को कर–निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 1486, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 1487, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 1488, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "श्री परम हंस अद्वैत मत प्रकाशन सोसायटी" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 1489, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी, पूणे" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 1490, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "टी.टी. रंगनाथन क्लिनिकल रिसर्च फाउण्डेशन, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ. 1491, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "फेडरेशन आफॅ इंडियन एस्क्पोर्ट आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ. 1492, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "दि एसोसिएशन ऑफ दि फिजीकली हैंडीकैप्ड, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्तीस) का.आ. 1493, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "दि इंस्टीट्यूट फार फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिवर्च, मद्रास" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीस) का.आ. 1494, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "आगा खां रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम (इण्डिया), नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्तीस) का.आ. 1495, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 1496, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, इन्दौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतीस) का. आ. 1497, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "आल बंगला वूमैन्स यूनियन, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 1498, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "एक्शन फार फूड प्रॉडक्शन (ए.एफ.पी.आर.ओ) नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतीस) का. आ. 1499, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "युग निर्माण योजना ट्रस्ट, मथुरा (उत्तर प्रदेश)" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छत्तीस) का. आ. 1500, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "थियोसोफी कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतीस) का. आ. 1501, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "आनन्दाश्रम ट्रस्ट, केरल" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 1502, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "रिसर्च इन्फार्मेशन सिस्टम फार दि नान–अलाइन्ड एण्ड अदर डेवलपिंग कंट्रीज (आर.

आई.एस.), नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्तालीस) का. आ. 1503, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "रिसर्च इन्फॉमेशन सिस्टम फार दि नान–अलाइन्ड एण्ड अदर डेवलपिंग कंट्रीज (आर. आई.एस.) नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चालीस) का. आ. 1504, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "इंडियन काउंसिल फार रिसर्च आन इंटरनेशनल इकनामिक रिलेशन्स, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1995-96 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्तालीस) का.आ. 1505, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "सेन्टर फार साईंस एण्ड इन्वायरमेंट, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 1506, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "एस.जे. जिन्दल न्यास, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 1507, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "दि नेशनल फाऊन्डेशन फार टीचर्स वेलफेयर्स, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चवालीस) का.आ. 1508, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "नेशनल फाउन्डेशन फार टीचर्स फेलफेयर, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 1509, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "एक्जीबिशन सोसाइटी, हैदराबाद" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1943-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 1510, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "दि नेशनल एसोसिऐशन फार बलाइन्ड, कर्नाटक शाखा, बंगलौर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सैंतालीस) का.आ. 1511, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "गुजरात इकोलेजीकल एजूकेशन एंड रिसर्च (जी.इ.इ.आर) फाऊन्डेशन, गांधी नगर" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अड़तालीस) का.आ. 1512, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "वालंट्री हैल्थ एसोसिएशन आफ इंडिया, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उनचास) का.आ. 1513, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "जमुनालाल बजाज फाऊन्डेशन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पचास) का.आ. 1514, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "मोबाइल क्रेचिज फार वर्किंग मदर्स चिल्ड्रन, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्यावन) का.आ. 1515, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "सोसायटी आफ सिस्टर्स आफ चैरिटी आफ सैन्ट बी. कैपिटेनियां एण्ड वी. जेरोसा, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बावन) का.आ. 1516, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "औरोविल्ले फाउण्डेशन, औरोविल्ले, तमिलनाडु" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तिरपन) का.आ. 1517, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "स्पेस्टिक्स सोसायटी आफ इस्टर्न इंडिया, कलकत्ता" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौवन) का.आ. 1518, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "इंडिया इन्टरनेशनल टैक्सटाईल मशीनरी एक्जीबिशनस् सोसायटी, मुम्बई" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पचपन) का.आ. 1519, जो 2 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "इन्दिरा गांधी नेशनल सेन्टर फार दि आर्टस्, नई दिल्ली" को कतिपय शर्तों के अध्यधीन कर–निर्धारण वर्ष 1995-96 से 1997-98 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के बैंकर) विनियम, 1994, जो 14 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 585 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (किसी इश्यू के बैंकर) विनियम, 1994, जो 14 जुलाई, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल.ई./7/94 में प्रकाशित हुए थे।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वर्ष 1992-93 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक–एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन :

(एक) बेगूसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेगूसराय (बिहार)।

(दो) अरूणाचल प्रदेश रूरल बैंक, पासीघाट।

(तीन) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगोर (बिहार)।

(चार) हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा (राजस्थान) ।

(पांच) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी (हरियाणा)।

(छह) वर्धमान ग्रामीण बैंक, बर्दवान (पश्चिम बंगाल)।

(सात) मालवा ग्रामीण बैंक संगरूर (पंजाब)।

(आठ) गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गिरिडीह (बिहार)।

(नौ) बालासोर ग्राम्या बैंक, बालासोर (उड़ीसा)।

(दस) का बैंक नोगकिनडोंग रि खासी जैन्तिया, शिलांग (मेघालय)।

(ग्यारह) नेत्रवती ग्रामीण बैंक, मंगलौर (कर्नाटक)।

12.40 म.प.

याचिका समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं याचिका समिति के पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.40½ म.प.

सरकार आश्वासनों संबंधी समिति इक्कीसवां और बाईसवां प्रतिवेदन

श्री वी.एस. विजयराघवन (पालघाट) : महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के इक्कीसवें और बाईसवें प्रतिवेदनों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत करता हूं।

12.41 म.प.

सभा का कार्य

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा मामले और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) :

श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 8 अगस्त, 1994 से शुरू होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार
2. जम्मू और कश्मीर राज्य में दिनांक 3 सितम्बर, 1994 से 6 महीने की समयावधि के लिए राष्ट्रपति शासन आगे और बढ़ाने को चाहने वाले संकल्प पर चर्चा।

3. नियंत्रक–महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1994 पर विचार और पारित करना।

4. निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :

(क) वर्ष 1994-95 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)

(ग) वर्ष 1991-92 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)

(घ) वर्ष 1994-95 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल)

5. राष्ट्रीय आवास नीति से संबंधित संकल्प पर चर्चा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाये।

1. पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों का वहां की सरकार द्वारा उत्पीड़न तथा पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को दिया गया प्रोत्साहन।

2. दिल्ली में बच्चों के अपहरण और हत्या की बढ़ती हुई घटनाएं।

12.44 म.प.

समितियों के लिए निर्वाचन
लोक लेखा समिति

श्री शरद दिघे (मुम्बई उत्तर मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री ए. प्रताप साय, जिन्होंने लोक लेखा समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री ए. प्रताप साय, जिन्होंने लोक लेखा समिति से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर समिति की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

(दो) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

[हिन्दी]

श्री भेरू लाल मीणा (सलम्बूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री परस राम भारद्वाज की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 331 ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री राम प्रकाश चौधरी, जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 331 ख के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, श्री राम प्रकाश चौधरी, जिनका निधन हो गया है, के स्थान पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

(तीन) लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री ई. बालानन्दन की राज्य सभा से सेवा–निवृत्ति से लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में उत्पन्न रिक्त में समिति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा से एक सदस्य निर्वाचित करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

" कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री ई. बालानन्दन की राज्य सभा से सेवा–निवृत्ति से लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में उत्पन्न रिक्ति में समिति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा से एक सदस्य निर्वाचित करे और संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

12.48 म.प.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1994-95

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं 1994-95 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 6216/94]

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1990-91 और 1991-92

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं 1990-91 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 6217/94]

मैं 1991-92 के बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी 6218/94]

12.49 म.प.

मणिपुर बजट-1994-95 अनुदानों की मांगें-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मणिपुर के संबंध में 1994-95 के लिये अनुदान मांगों पर आगे चर्चा करेगी।

श्री लाईता उम्ब्रे (अरूणाचल पूर्वी) : माननीय उपाध्यक्ष महादेय, कल मैं अरूणाचल प्रदेश तथा मेघालय जैसे राज्यों को छोड़कर सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में अशांति के प्रमुख कारण के संबंध में उल्लेख कर रहा था।

कल ही मैं कह रहा था कि सरकार को भूमिगत उपद्रवियों के साथ पुनः वार्तालाप आरम्भ करना चाहिये।

आज हमें समाचारों में पता चला है कि मिजोरम के कुछ क्षेत्रों में बम विस्फोट हुए हैं और मिजो नेशनल फ्रंट, जो मिजोरम की एक प्रमुख राजनैतिक पार्टी है, ने आज मिजोरम बन्द का आह्वान किया है। दुर्भाग्य से, सरकार ने मिजो नेशनल फ्रंट के तत्कालीन नेता, दिवंगत लाल डेंगा जी, के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये थे परन्तु समझौते को पूरी तरह लागू नहीं किया गया। इसी कारण से आज वे राजनैतिक फायदा उठा रहे हैं। यही कारण है कि मणिपुर तथा नागालैंड में एन.

एस.सी.एन. आज तक अत्यधिक सक्रिया है। जब हमने समझौते पर हस्ताक्षर किय थे, तो मेरे विचार से हमारे अन्दर उसे लागू करने की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए थी। जब आपके अन्दर राजनैतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है तो मेरे विचार से, केवल लोगों, विशेष रूप से जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के नागरिकों को तुष्ट करने के लिए ही समझौते पर हस्ताक्षर करना ठीक नहीं है। अतः मैं एक बार फिर से इस बात पर बल देना चाहता हूं कि सरकार मणिपुर में राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करे। मेरा विचार है कि जब तक मणिपुर में लोकप्रिय सरकार बहाल नहीं की जाती तब तक शरद्ऋतु में होने वाले चुनाव नहीं कराये जा सकते। हाल ही में यह समाचार था कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में एकमात्र मणिपुर राज्य ही मतदाता फोटो पहचान पत्र शुरू करने का प्रयास कर रहा है। किन्तु सरकार ने राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत जो भी प्रयास किये थे वे सभी निष्फल हो गये क्योंकि भूमिगत लोग एकत्रित हो गये थे और वे बन्दूक की नोक पर मतदाताओं से सारे फोटों पहचान–पत्र छीन ले गये। अतः, मेरे विचार से केन्द्रीय सरकार को पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये एक ही फार्मूला अथवा नीति का पालन नहीं करना चाहिये। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग–अलग समस्याएं हैं। निसंदेह, हमारी कुछ साझी समस्याएं हैं जिनके लिये हम यहां पर जन प्रतिनिधियों के रूप में एक होकर लड़ रह हैं। ये शिक्षित नौजवान भूमिगत क्यों होते जा रहे हैं ? इसलिए, क्योंकि वे बेरोजगार हैं। हमें प्रत्येक बजट में केन्द्र से राज्य सहायता के रूप में बहुत कम धनराशि मिलती है। यद्यपि हमारे राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथापि हमें इन नोजवानों, शिक्षित युवकों को रोजगार देने हेतु आधारभूत ढ़ाँचा बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं मिल रही है। उदाहरण के लिए, मणिपुर में ही, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को भारत के सर्वोत्कृष्ट और प्राचीनतम नृत्यों मे से एक माना जाता है। इसकी विदेशों में भी अच्छी प्रतिष्ठा है। अनेक नवयुवकों को समझाबुझा कर अपनी बात से सहमत किया जा सकता है और वे अपनी भूमिगत गतिविधियों कों छोड़ सकते हैं। उन्हें रोजगार दिया जा सकता है। सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के विकास की भारी क्षमताएं और संभावनाएं हैं। शायद हमारे यहां देश के अत्यंत सुंदर प्राकृतिक दृश्य हैं। परन्तु कुछ नहीं किया गया है। जब हम पर्यटन की बात करते हैं, लोग वहां कठिनाइयां उठाने तो आयेंगे नहीं। निस्संदेह वे घूमने ही आते हैं। इनकी विभिन्न श्रेणियां हैं। वे वहां कुछ आमोद–प्रमोद भी चाहेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी भी राज्य में कोई आधार भूत सुविधाएं नहीं है। पर्यटन राज्य का विषय है। जब तक राज्य सरकारों को केन्द्र से पर्याप्त धनराशि नहीं मिलती तब तक आधारभूत सुविधाओं का विकास संभव नहीं है। अतः, कारण कुछ भी हो, मुख्य रूप से हमारा प्रयास उन सभी दिग्भ्रमित युवकों को मुख्य धारा में लाने हेतु होना चाहिये जो यह कहते हैं कि उनका भारतीय संविधान में विश्वास नहीं है। मेरे विचार से उन्हें मुख्याधारा में लाना कठिन नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि उन्हें मुख्यधारा में सरलता से लाया जा सकता है। यही कारण हे कि हम सदैव यहां यही कहते रहे हैं कि उस क्षेत्र के लिए गृह मंत्रालय की कुछ नीतियां जन प्रतिनिधियों से विचार–विमर्श किये बिना ही अपनायी और लागू की जाती हैं। इन गलत उपायों ने हम जैसे जन प्रतिनिधियों के प्रयासों को और भी अधिक कठिन बना दिया है। भूमिगत लोगों और युवकों की भी अब भारतीय संविधान में आस्था हो गयी है। वे भारत में ही रहना चाहते हैं। वे अब भी यह सोचते हैं कि ये लोग गुमराह हैं। हम जानते हैं कि वे गुमराह हैं और पूर्णतः गलती पर है। परन्तु वे अन्यथा इसलिए समझते हैं क्योंकि हम केन्द्र को अपनी बात से सहमत नहीं करा सके हैं।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि मैं बजट का समर्थन

करता हूं। मेरा गृह मंत्रालय से यह अनुरोध है कि वहां एक लोकप्रिय सरकार की तत्काल पुनर्स्थापना की जाये और मणिपुर को अतिरिक्त धनराशि का आवंटन किया जाये। इस शरद् ऋतु में होने वाले चुनाव तभी स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकेंगे।

प्रो. एम. कामसन (बाह्य मणिपुर) : आज हमें मणिपुर बजट पर चर्चा करनी है क्योंकि वहां कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है। वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। जैसा कि आप यह जानते हैं कि इस राज्य में 31 दिसम्बर, 1993 से राष्ट्रपति शासन लागू है, इसका लगभग आठवां महीना चल रहा है।

वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति, में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। बल्कि पिछले कुछ सप्ताह के दौरान इसमें गिरावट आयी है। इस वर्ष के शुरू में कुछ महीनों तक कुकी–नागा हत्याएं और साम्प्रदायिक दंगे बहुत कम हुए थे। परन्तु मैं यह नहीं जानता कि कुछ सप्ताह से इस प्रकार की घटनाएं क्यों हुई हैं। सम्भवतः समाचार पत्रों के माध्यम से आपको हाल ही में थोंगलोंग, गुरंगखुटी, चंदेल और चुरचंदपुर जिलों में कुकी–नागाओं की हत्याओं, पुलिस और सेना के जवानों की घात लगाकर हत्याओं तथा सेनापति जिले में घात लगाकर हत्या करने की घटना का पता चला होगा। आपने कल सुबह समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि इम्फाल घाटी के उपनगर में दो पुलिस कर्मियों की घात लगाकर हत्या कर दी गई। इस प्रकार मणिपुर में हत्याएं प्रतिदिन की घटना हो गई है। दुर्भाग्य से अथवा सौभाग्य से मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं कि इस प्रकार के समाचार राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में बहुत कम प्रकाशित होते हैं। इसलिए हम यह अनुभव करते हैं कि यह गम्भीर समस्या नहीं है जबकि वास्तव में यह गंभीर समस्या है। अब केवल कानून और व्यवस्था की समस्या का ही प्रश्न नहीं है बल्कि और भी समस्याएं हैं। उसके बारे में मैं कुछ समय बाद चर्चा करूंगा।

इस समय इस समस्या का एक और आयाम सामने आया है। मणिपुर के छात्र विदेशियों के निष्कासन की मांग कर रहे हैं। हम यह नहीं समझ सकते हैं कि उनका वास्तव में विदेशियों से क्या तात्पर्य है। उनकी राष्ट्रवाद तथा क्षेत्रीय वाद अथवा जातियवाद की विचारधारा के अनुसार आजकल प्रत्येक स्थान और राज्य में "विदेशियों" के अनेक अर्थ हैं। वे इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं कभी वे कहते हैं कि वे बाहरी हैं और कभी कहते हैं कि वे विदेशी हैं। इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां के लोगों के विचारों के बारे में गहराई से अध्ययन किए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। गत कुछ सप्ताहों के दौरान इम्फाल और मणिपुर में विदेशियों के निष्कासन संबंधी इस आन्दोलन के कारण सभी स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय बंद रहे हैं।

इसलिए मणिपुर में अब सब कुछ ठप्प पड़ा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आप इस आन्दोलन की तुलना असम में शुरू किए गये असम गण प्रिषद के आन्दोलन से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपने मेघालय की घटनाओं को भी देखा है। खासी छात्रों का कहना था कि खासी स्वाभाविक रूप से नहीं बल्कि संयोग वश भारतीय बने हैं। उनके दिमाग में भी यही बात है जिसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए केवल कानून और व्यवस्था की ही समस्या नहीं है। मैं भारत सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस मामले का गहराई से अध्ययन किया जाए।

आप जानते हैं कि हाल ही में तीन मंत्रिमंडलीय समितियों ने–इनमें एक समिति के अध्यक्ष श्री चव्हाण गृहमंत्री थे, एक समिति के अध्यक्ष श्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री थे और एक समिति के अध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी, वाणिज्य मंत्री थे –पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया था। निष्कर्ष में उन्होंने समाचार पत्रों में यह बताया था कि विद्रोह, अशांति आतंकवाद और उग्रवाद का मूल कारण आर्थिक समस्या है। इसलिए इस क्षेत्र के पिछड़ेपन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं उनकी समझ–बूझ और अध्ययन की प्रशंसा करता हूं। हम कई वर्षों से एक ही मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु इस मामले से किस प्रकार निपटा जाए। हमने अभी तक पूर्वोत्तरर राज्यों के लिए कोई व्यापाक अथवा स्पष्ट आर्थिक नीति तैयार नहीं की है।

पूर्वोत्तर परिषद पूर्वोत्तर राज्यों का एक सर्वोत्तम समन्वय निकाय है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। इसका गठन 1972 में किया गया था परन्तु यदि आप इन सब बातों पर ध्यान दें तो वहां की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यह योजना निकाय नहीं है बल्कि सही अर्थों में यह समन्वय के लिए उचित स्थान है। जिस आशा के साथ इस परिषद का गठन किया था वह पूरी नहीं हुई है।

अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक आर्थिक नीति और कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए जैसा कि तीनों मंत्रिमंडलीय समितियों ने सुझाव दिया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग से एक आर्थिक विकास नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

मैं यह भली–भांति जानता हूं कि इन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है जिसके बारे में गृहमंत्री महोदय बहुधा जिक्र किया करते थे। हम उस बात की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने इसे विशेष श्रेणी का राज्य समझा है। लेकिन प्रश्न यह है कि इन राज्यों को थोड़ी सी धनराशि देने के अलावा क्या विशेषता है इसके अतिरिक्त और कुछ तो मुझे दिखायी नहीं देता है। अर्थव्यवस्था के मूल ढ़ांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

मणिपुर का उल्लेख करते हुए–क्योंकि आज हम मणिपुर के बजट पर चर्चा कर रह हैं मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूं। हमें यह बताया गया है कि वहां 629,99,41,000 रुपऐ खर्च हुए हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह धनराशि कैसे खर्च की जाती है। मैं आपको इसकी रूपरेखा बताना चाहता हूं कि मणिपुर में धनराशि कैसे खर्च की जाती है। इसकी 55 प्रतिशत धनराशि प्रति वर्ष स्थापना पर चार्च होती है। आप जानते हैं कि इस स्थापना का विकास से कोई लेन–देन नहीं है। यह धनराशि मंत्रियों की कारों, बंगलों अथवा कार्यालयों, वेतन आदि पर खर्च की जाती है। यह सब स्थापना व्यय है। मणिपुर बजट की इस अल्प राशि में 55 प्रतिशत या इससे अधिक राशि स्थापना पर खर्च हो जाती है। शेष धनराशि में से 25 प्रतिशत धनराशि घाटी के क्षेत्रों पर खर्च की जाती है और केवल 20 प्रतिशत धनराशि पर्वतीय क्षेत्रों पर–जिसका आशय पांच पर्वतीय जिलों और जनजातिया बहुल क्षेत्रों से है जो कि पूरे राज्य के 90 प्रतिशत हैं, व्यय की जाती है। यदि आप 90 प्रतिशत क्षेत्र को अल्प राशि का केवल 20 प्रतिशत देंगे तो आप वहां किसी विकास की कैसे आशा कर सकते हैं? अतः आप यह सोच सकते हैं कि 1947 से आज तक इसमें कुछ बातों के अलावा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं यह शिकायत नहीं कर रहा हूं कि 20 प्रतिशत धनराशि क्यों दी जाती

है। यह धनराशि बजट और योजना के अनुसार प्रतिव्यक्ति के हिसाब से दी जाती है। परन्तु मेरे कहने का आशय यह है कि पर्वतीय क्षेत्र अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं और प्रतिव्यक्ति संख्या बहुत कम है।

1.00 म.प.

इन क्षेत्रों को जो धनराशि दी जाती है वह बहुत कम है। परन्तु अधिक क्षेत्र होने के कारण वहां अधिक सड़कों और नदियों पर अधिक पुलों के निर्माण की आवश्यकता है। प्रति व्यक्ति धन वितरण के आधार पर सड़कों, पुलों और ऐसी अन्य सुविधाओं का निर्माण नहीं कराया जा सकता है। अतः रेल हमारी पहुंच से बहुत दूर है। हम इसकी मांग कर रहे हैं। गुवाहाटी तक रेल व्यवस्था है। चूंकि गुवाहाटी हमारे बीचों बीच है इस लिए हमें कम परेशानी होती है। परन्तु गाड़ी लेने से पहले हमें इम्फाल से गुवाहाटी तक पहुंचने के लिए एक दिन-रात की यात्रा करनी पड़ती है। हम इसकी मांग कर रहे हैं और अनेक सदस्य इस मांग का समर्थन कर रहे हैं। मेरे विचार से सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। इसमें कुछ रामस्याएं हो सकती हैं। पांच मंत्रियों-श्री बंसी लाल से लेकर श्री सी.के. जाफर शरीफ तक, ने आज तक मुझे पत्र लिखे हैं कि हम आपकी कठिनाई को समझते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि इसमें कुछ वित्तीय अड़चनें हैं। 1947 से 1994 तक से वित्तीय अड़चनें रहीं इसलिए मणिपुर की तरफ एक इंच भी रेलवे नहीं बढ़ी और नागालैण्ड के बारे में तो बताना ही कठिन है। तथापि हम इसे बर्दाश्त करते रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम में बहुत अधिक सहनशीलता है। हम किसी वजह से इस पर अपना ध्यान दे रहे हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि हम इन बातों को कब तक सहन करते रहेंगे? यह जनता की भावनाओं को दबाने के अलावा और कुछ नहीं है। कभी-कभी निराशा और असंतोष हिंसा में बदल जाती है जसे हम आज उग्रवाद आतंकवाद और विद्रोह समझते हैं। कारण इसी में निहित है परन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि ये लोग भटक गए हैं तथा उनके पास बहुत से हथियार हैं और उन्होंने अनेक लोगों की हत्याएं की हैं। यह कोई तरीका नहीं है। हमें इस मामले की दिल और दिमाग से जांच करनी है। मैं इसी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

जहां तक अन्य कारणों का संबंध है, उनमें से एक कारण यह है, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, कि एक मंत्रिमंडलीय समिति ने वहां के आर्थिक विकास पर जोर दिया है। मैं इसका स्वागत करता हूँ।

मुझे आशा है कि इसके कुछ और बेहतर परिणाम निकलेंगे। वहां कुछ बड़े मंत्रियों के जाने की सूचनाएं मिली हैं। वे उस क्षेत्र में कभी-कभी जाते हैं। वस्तुतः बड़े मंत्री हमारे क्षेत्र में कभी-कभी ही आते हैं। हमें इस बात की खुशी है। किन्तु हम यह चाहते हैं कि इन बातों को कार्यरूप दिया जाये। मेरा यही अनुरोध है।

मैंने राष्ट्रवाद का समर्थन किया है। कृपया आप हमें समझिये। जब हम उस क्षेत्र में जाते हैं, तो हम जन-विरोधी कहे जाते हैं क्योंकि राष्ट्रवाद के बारे में कहकर हम उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। कभी-कभी ऐसा कहने पर हमारे स्थिति नाजुक हो जाती है क्योंकि हम दिल से भारतीय हैं। हमें यहीं रहना है। हमारे पास स्वाधीन देश में विकास करने की सम्भावनाएं तथा क्षमताएं हैं। हमें इसमें विश्वास है। तथापि, जब हम वापस अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो हम लोगों को आश्वस्त

नहीं कर सकते हैं। हमारी यह स्थिति है। हम बहुत नाजुक स्थिति में फंस गए हैं। अतः केन्द्रीय सरकार को हमारी बात समझनी चाहिये तथा हमारी सहायता करने का प्रयास करना चाहिये। हम बहुत कम बोलते हैं। हम कभी–कभी ही बोलते हैं। आप जानते हैं, मैं 9-10 वर्षों से इस सभा का सदस्य हूं। मैं तभी बोलता हूं, जब मैं यह महसूस करता हूं कि बोलना बहुत ही आवयश्यक है। शायद कुछ लोग कहें कि वह बहुत ही आदर्श सांसद है। मेरे सोचने का तरीका यह नहीं है। मैं समझता हूं कि सभा का समय बहुमूल्य है। हम जो कुछ भी बोलें वह सार्थक होना चाहिए। इसलिए, मैं जब आवश्यक हो तभी बोलता हूं। किन्तु मैं जब कभी बोलता हूं, तो निष्ठापूर्वक बोलता हूं।

दूसरी बात यह है कि कभी–कभी कुछ बातों की उपेक्षा की जाती है। मैं एक–दो उदाहरण देता हूं। मैंने आपको अभी बताया है कि मणिपुर के कुल भू–भाग का 90 प्रतिशत भाग जिसमें मणिपुर के पांच जिले हैं पर्वतीय क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर है जबकि राज्य का कुल क्षेत्रफल 22,000 वर्ग किलोमीटर है। घाटी में केवल 2,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थिति बेहतर हैं। किन्तु वास्तव में, 90 प्रतिशत भाग जंगलों से घिरा है, जहां बेहतर सड़कें नहीं हैं।

अतः इस क्षेत्र के लोग छठी अनुसूची में कुछ व्यवस्था चाहते हैं। भारत का संविधान अपने लोगों को यह छोटा सा लाभ दे सकता है। वे छठी अनुसूची में इस राज्य हेतु कुछ व्यवस्था करने की मांग 1971-72 से करते आ रहे हैं। हमारे साथी भी मणिपुर के पूर्वतीय क्षेत्रों के लिए छठी अनुसूची के अनतर्गत लाभ देने का अनुरोध कर रहे हैं। हमारे साथी भी मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए छठी अनुसूची के अन्तर्गत लाभ देने का अनुरोध कर रह हैं। यह साधारण सी बात है और इसका राजनैतिक निहितार्थ नहीं है। मैं इस माननीय सभा का ध्यान हमारे नेता श्री नरसिंह राव जी के शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने ठीक दस वर्ष पूर्व 23 अगस्त, 1984 को इसी सभा में कहा था कि छठी अनुसूची पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक अच्छा संवैधानिक साधन है। हमारे महान संविधान निर्माताओं ने इस मामले पर गहन विचार किया और असम के पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए छठी अनुसूची तैयार की थी। इस प्रयोजनार्थ छठी अनुसूची को भली–भांति तैयार किया गया था। अब असम में कार्बी, आंगलोंग जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में इसका विस्तार किया गया है। बोडो बहुल क्षेत्रों में इसका विस्तार होने जा रहा है। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में यह व्यवस्था है। मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि केवल मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों को क्यों छोड़ दिया गया। उन्हें छोड़ दिया गया, इसलिए मणिपुर के लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। जब ऐसी छोटी–छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जब लोगों के दिलों में ऐसी भावनाएं लम्बे समय तक रह जाती है तो वे हताशा, असन्तोष तथा आतंकवाद जैसे विभिन्न तरीकों से व्यक्त होती हैं। भारत सरकार ने छठी अनुसूची का लाभ मणिपुर के लोगों को क्यों नहीं दिया? छठी अनुसूची की यह बात साधारण सी बात है। यदि आप संविधान के अन्तर्गत जनजातीय लोगों को वास्तव में कुछ देना चाहते हैं, तो यह उनके लिए बहुत कम है।

यहां मैं मणिपुर के पर्वतीय और जनजातीय लोगों की पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. कामसन, आपको अभी कितना समय और चाहिए ?

प्रो. एम. कामसन : मैं केवल तीन या चार मिनट और लूंगा। यह महत्वपूर्ण बात है और शायद मैं पहली बार सभा में इन बातों का उल्लेख कर रहा हूं। 1927 में कुछ पर्वतीय लोग जनजातीय जादोनांग नाम के युवक के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरूद्ध उठ खड़े हुए थे। वे देश की स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों के विरूद्ध लड़े। 29 अगस्त, 1931 को उसे फांसी दे दी गई। उसके बाद 17 वर्षीया गाइदिनलीयु नाम की युवती के नेतृत्व में आन्दोलन चलाया गया। अब हम उसे रानी गाइदिनलीयु कहते हैं। उनका निधन हाल ही में, 17 फरवरी, 1993 को हुआ है। वह 1932 से 1947 तक, अर्थात् भारत की स्वाधीनता तक निरन्तर जेल में रहीं। वह पन्द्रह वर्षों तक गुवाहाटी, शिलांग, ऑइजाल और तुरा की जेलों में रहीं। शायद वह इतने लम्बे समय तक जेल में रहने वाली प्रथम महिला स्वतन्त्रता सेनानी होंगी। यह हमारे पर्वतीय लोगों के स्वतन्त्रता संघर्ष के इतिहास का एक भाग है।

आपको 1917 में अंग्रेजों के विरूद्ध कुकी विद्रोह की भी याद होगी। मणिपुर के उत्तरी भागों में स्वतन्त्रता का दूसरा संघर्ष ए. दिहो के नेतृत्व में किया गया था। वे कुछ स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। बाद में, एन.एस.सी.एन. नामक नागा आन्दोलन के अन्तर्गत तंगखुल नागा के नेतृत्व में आन्दोलन चलाया गया था। राष्ट्रवाद और देश की स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों के विरूद्ध मणिपुर के पर्वतीय लोगों के संघर्ष का यह इतिहास है। यदि आप इन स्वाधीनता प्रिय लोगों को स्वायता देने से इंकार करते रहेंगे, यदि आप उन्हें छठी अनुसूची जैसी साधारण चीज से वंचित रखेंगे, तो संघर्ष और बढ़ेगा। अब नागा आन्दोलन में स्वतन्त्रता की मांगा की जा रही है। किन्तु मुझ जैस अनेक लोग संविधान में विश्वास रखते हैं। हम संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप मांग कर रहे हैं। यह बताना वास्तव में कठिन है कि इतने समय से इससे इंकार क्यों किया जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये छोटी-छोटी बातें हैं। किन्तु लम्बे समय तक इन बातों की उपेक्षा की जाती रही तो काफी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी। मैं यहां पर इस बात पर बल देना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में गहन अध्ययन और समझ की आवश्यकता है।

इस स्थिति में, मेरा सुझाव है कि हम बातचीत शुरू करें और राजनैतिक समाधान का प्रयास करें। हम यह बात बार-बार कह रहे हैं। नागा और अन्य आन्दोलनों को राजनैतिक समाधान के बिना नहीं सुलझाया जा सकता है। मैंने विशेषतौर पर नागा आन्दोलन का उल्लेख इसलिए किया क्योंकि अन्य सभी आन्दोलन इससे जुड़े हैं। नागा आन्दोलन का इतिहास, स्वतन्त्रता से पहले और स्वतन्त्रता के बाद का 50 से 60 वर्षों का लम्बा इतिहास है। राजीव जी के नेतृत्व में, 1986 में हम इसका थोड़ा-बहुत समाधान कर सके। जहां तक असम में 'उल्फा' का संबंध है, मुख्यमंत्री ने समस्या पर नियन्त्रण पा लिया है। दुर्भाग्य से मेघालय जैसे शान्त राज्य में भी अब समस्याएं पैदा हो गई हैं, मैं सभा का ध्यान उस ओर दिलाता हूं कि मेघालय का सृजन बिना किसी खून-खराबे के हुआ था। मेघालय राज्य को असम से अलग करते समय बिल्कुल रक्तपात नहीं हुआ। हम इसे पूर्वोत्तर की घटनाओं में शान्तपूर्ण और अनुकरणीय मानते हैं। किन्तु, खासी जनजातीय युवक आज भी आन्दोलनरत हैं, हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है। त्रिपुरा में अभी भी अशान्ति है। इसका वास्तविक कारण नागा आन्दोलन है, जिससे अन्य आन्दोलनों के लिए प्रेरणा मिली है। मेरा सुझाव है कि पहले इसका समाधान किया जाना चाहिए। हमने ऐसा बार-बार कहा है किन्तु मुझे आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में बोलने का अवसर मिला है, मैंने सोचा इसका दुबारा उल्लेख करूं।

मैं जानता हूं कि मणिपुर पर चर्चा और मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। चूंकि वित्त मंत्री सभा में हैं, उपाध्यक्ष महोदय मुझे विश्वास है कि आपके और वित्त मंत्री के माध्यम से यह मुद्दा गृह विभाग के पास भेजा जा सकता है। मैंने कई अवसरों पर इन बातों का उल्लेख किया है और मैं इन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं।

मैंने वहां पर विदेशी तत्वों तथा पाकिस्तान की आई.एस.आई. की गतिविधियों के बारे में चर्चा की है। वहां साम्प्रदायिक दंगे होते हैं और नागा, पी.एल.ए., पी.आर.ई.पी.ए.के. तथा घाटी के मीतेई जैसे कुछ विद्रोही संगठन विदेशों में गए हैं। बंगला देश में उनके प्रशिक्षण का केन्द्र है। बर्मा और थाईलैंड के साथ उनके सम्बन्ध हैं। सिंगापुर, रंगून और थाईलैंड में उनके मुख्यालय हैं। नयूयार्क और जेनेवा में उनके सम्पर्क हैं। वे विश्वभर में फैल रहे हैं और हम इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हम उन्हें वापस लाने का अनुरोध करते हैं, तो सरकार इस पर कोई ध्यान नही दे रही है। यदि सरकार का यही रूख रहा तो हम शान्तिपूर्ण समाधान कैसे निकाल सकते हैं? कुछ धन आवंटित करने मात्र से समस्या के समाधान में मदद नहीं मिलेगी।

मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों, विशेष रूप से पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जाये। मैंने इन्हीं बातों को स्पष्ट किया है कि इन पूर्वोत्तर राज्यों की पिछले दस वर्षों से किस प्रकार अनेदखी की गई है। मेरे विचार से हमें पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की आयोजन और विकास हेतु अलग से एक नीति बनानी चाहिए। यद्यपि पूर्वोत्तर परिषद आरम्भ में ठीक प्रकार से कार्य कर रही थी किन्तु इसके हाल ही के कार्य–निष्पादन को देखकर हम यह महसूस करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए इसका गठन किया गया था यह उसे पूरा नहीं कर सकती है। यह हमारी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। इसलिए सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करे। हमें पूर्वोत्तर में निश्चित रूप से व्यापक आर्थिक नीति और राजनैतिक समाधान के संबंध में व्यापक नीति बनानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की बैठक 2.15 म.प. पर पुनः समवेत होने तक के लिए माध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है।

1.12 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.25 म. प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोकसभा 2.25 म. प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

प्रतिभूति तथा बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही रिपोर्ट।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं संयुक्त संसदीय समिति, जिसने प्रतिभूति और बैंक संव्यवहार में अनियमितताओं की जांच की थी सिफारिशों पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट वापिस लिये गये कतिपय शब्दों सहित की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में एक सरलीकृत वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 6219/94]

2.26 म. प.

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मणिपुर के संबंध में 1994-95 हेतु अनुदानों की मांगें आगे चर्चा और मतदान हेतु लेगी।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मणिपुर के संबंध में अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए भारी मन से खड़ा हुआ हूं। मणिपुर राज्य भारी कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। राज्य काफी संकट के दौर से गुजर रहा है और इसे अभी कुछ अधिक कठिनाईयों में से गुजरना पड़ेगा। अतः हमें इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।

यह राज्य हमें बहुत प्रिय है और इसके प्रति हमारा प्यार उस अवस्था में अधिक हो जाता है जब हम इसे शोषित और निराशाजनक स्थिति में पाते हैं जब इसका भारतीय संघ में विलय किया गया था तो मणिपुर के लोगों के मन में उम्मीदें थीं। पहले यह राज्य सम्प्रभुता सम्पन्न एक रजवाड़ा रियासत थी। भारतीय संघ के साथ इसके विलय से यह राज्य अब देश का अभिन्न अंग बन गया है।

इस बारे में एक समझौता हुआ था कि राज्य की स्थिति में और सुधार होगा किन्तु स्थिति तो निराशाजनक ही है। यह राज्य यद्यपि एक छोटा राज्य है किन्तु फिर भी यह देश के पूर्वी क्षितिज पर एक सितारे के समान हैं।

पंडित नेहरू ने जब मणिपुर की यात्रा की थी तब यहां के मनोहारी दृष्यों, मनोहरी वातावरण और मणिपुर के लोगों की सादगी को देखते हुए इसे "भारत का गहना" कहा था। उन्होंने यहां के सदाबहार खेतों और यहां के उत्पादों के बारे में टिप्पणी करते समय इस पूर्वी क्षेत्र की हरित पट्टी कहा था। लेकिन राज्य अब भारी कठिनाई के दौर से गुजर रहा है।

इस राज्य के लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरूद्ध स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई लड़ी थी। राज्य के लोगों की हार भी सम्मानजनक रही किन्तु उन्होंने घुटने नहीं टेके। ऐसे थे इस छोटे से राज्य के लोग।

इस छोटे से राज्य के खिलाड़ियों ने पूणे में खेले गए गत राष्ट्रीय खेलों में 13 स्वर्ण पदक जीते थे। अब इस बात की कल्पना ही कर सकते हैं कि इस छोटे से राज्य की देश में आज क्या स्थिति है। किन्तु अब यह राज्य वहां कानून और व्यवस्था की समस्या के कारण घोर संकट से गुजर रहा है। एक समय ऐसा भी था जब विशेष रूप से घाटी क्षेत्रों में मिटी लोग और पहाड़ी क्षेत्रों में नागा

और कुकी लोग तथा घाटी क्षेत्र में मुसलमान लोग अत्यधिक शन्तिपूर्वक और सद्भावना पूर्ण तरीके से भाई–बहन की तरह रह रहे थे। किन्तु दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों से ऐसे हालात पैदा कर दिए गए जिनसे नागा और कुकी लोग जातीय दंगों में उलझ कर रह गए हैं।

महोदय, इन समस्याओं के बावजूद घाटी के लोग अर्थात् भिटी लोग बड़े भाई की भूमिका का निर्वाह करने के लिए तैयार हैं। यदि उग्रवादी और बागी लोग अपने हथियार सौंप दें तो भिटी लोग नागा और कुकी लोगों के बीच शान्तिपूर्वक समझौता कराने के लिए आगे आ सकते हैं। उग्रवादियों द्वारा हथियार सौंपे जाने के उद्देश्य से ही केन्द्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। मैं इस बात का बाद में जिक्र करूंगा कि वहां पर फिलहाल क्या कुछ चल रहा है।

महोदय, बजट तो मणिपुर विधान सभा के समक्ष भी रखा जा सकता था। वहां पर राज्य के 60 चुने हुए प्रतिनिधियों की एक विधान सभा थी। किन्तु अब विधान सभा निलम्बित अवस्था में है और इसी कारण से बजट यहां पेश किया जा रहा है।

विधान सभा में राज्य के बजट पर चर्चा में सामान्यतया 20 से 25 कार्य दिवसों का समय लग जाता है। यह चीज मैं विधान सभा में विगत 30 वर्षों से भी अधिक समय से देखता आ रहा हूं। किन्तु इस सभा में इसे अब रखा जा रहा है और इस पर चर्चा हो रही है तथा तीन घंटे के अदर ही पारित भी कर दिया जायेगा। यदि इसे राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता तो वहां प्रतिनिधियों द्वारा इस पर विस्तार से चर्चा की जाती और राज्य के हित में कई प्रस्ताव इसके समक्ष रखे जाते और स्वीकार किए जाते। किन्तु यह विशेषाधिकार वहां की विधान सभा को नहीं दिया गया है और इसे इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं।

यह स्थिति क्यों पैदा हुई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज्य में नगा और कुकी लोगों के बीच अचानक हुए जातीय दंगों को देखते हुए राज्य विधान सभा को निलम्बित कर दिया गया है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। एक समय ऐसा था जब वहां के लोग शांतिपूर्वक ढंग से रह रहे थे किन्तु वहां पर अचानक ही ये जातीय दंगे हो गए। ये हालात राजनीतिज्ञों द्वारा पैदा किए गए थे। मैं तो यही समझता हूं।

खैर, इसके अलावा हम केन्द्रीय सरकार से यह अपेक्षा कर रहे हैं और हमारी यह आशा है कि उग्रवादियों को शस्त्रविहीन कर दिया जायेगा। यदि सुरक्षा बलों और सेना द्वारा नागा और कुकी उग्रवादी गुटों अर्थात् एन.एस.सी.एन. और कुकी नेशनल आर्मी पर काबू पा लिया जायेगा तो पहाड़ी लोग अर्थात मैती लोग घाटी में स्वतंत्र रूप से और शान्ति से जा सकेंगे और अपनी गलतफहमी को दूर कर सकेंगे। अतः हमारा यह प्रस्ताव है कि पहले इन उग्रवादियों को निहत्था किया जाए। परन्तु, केन्द्रीय सरकार द्वारा तैनात किये गये सैनिक और सुरक्षा बल ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं। वे इस दिशा में कुछ नहीं कर रहे हैं। वे घाटी तक ही सीमित हैं, जिसकी व्यवस्था असैनिक पुलिस स्वयं कर सकती है, क्योंकि वे पहाड़ी क्षेत्रों में उग्रवादियों के साथ संघर्ष नहीं चाहते हैं। सात माह से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी आज तक सुरक्षा बल अथवा सैनिक, किसी सशस्त्र उग्रवादी को नहीं पकड़ पाए हैं। यह देखा गया है कि ये उग्रवादी उन पर घात लगाकर हमला करते हैं। सैनिकों अथवा उनके काफिलों पर घात लगाकर हमला किया गया, मौत के घाट उतार दिया गया है। परन्तु, इसके बावजूद सुरक्षा बलों अथवा सेना द्वारा कोई आक्रामक कार्यवाही नहीं की गई है और जिसके

परिणामस्वरूप ये उग्रवादी समूह कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो गये हैं। यही हमारी शिकयत है। सैनिक और सुरक्षा बल इम्फाल क्षेत्र में रहना चाहते हैं जहां असैनिक पुलिस अकेले ही स्थिति सम्भाल सकती है। और वह यह सब कार्य कर रही है। यहां प्रशासन और सेना के कर्मचारियों के बीच समन्वय की कमी है। प्रशासन सेना से ऊपर रहना चाहता है। जबकि सेना के कर्मचारी प्रशासन के अधीन रहना नहीं चाहते है। अतः यहां तालमेल की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को परेशानी होती है।

महोदय, राष्ट्रपति शासन के दौरान यहां की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। पिछली बार माननीय गृह मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि वहां थोड़ा सुधार हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहां थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन उनके यह वक्तव्य दिए जाने के बाद अगले दिन ही वहां फिर से नागा और कुकी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। अतः, हमारा प्रस्ताव है कि वहां से राष्ट्रपति शासन हटा लिया जाए और वहां एक लोकप्रिय सरकार अर्थात जनता के प्रतिनिधियों की सरकार बहाल की जाए। और इसे शासन चलाने की अनुमति दी जाए। यदि राज्य को लम्बी अवधि तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रखा जायेगा तो मणिपुर राज्य भी दूसरा कश्मीर बन जायेगा। और इसकी हालत अन्य स्थानों जैसी हो जायेगी। अतः मेरा प्रस्ताव है कि वहां से राष्ट्रपति शासन हटाया जाए और एक लोकप्रिय सरकार बहाल की जाए। विधान सभा का निलंबन करने का आदेश वापस लिया जाए और उसे अपने ढंग से कार्य करने की अनुमति दी जाए, तथा यह बजट विधान सभा के समक्ष रखा जाए ताकि जन प्रतिनिधि इस पर पूरी तरह से चर्चा कर सकें और वे राज्य का शासन चला सकें।

अतः मेरा पहला प्रस्ताव यह होगा कि इन उग्रवादी समूहों, घाटी के कुकी और मिताई विद्रोही लोगों को आम माफी दी जाए।

कितनी ही बार सरकार ने यह बात कही है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नई आर्थिक नीति अपनायी जायेगी और रोजगार प्रदान किए जाएंगे। परन्तु, इस समय सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए बजत में यह बात कहीं नहीं दर्शायी गयी है। इस तरह के इतने अधिक वक्तव्य देने का क्या फायदा जब आप उसके अनुसार कार्यवाही नहीं कर सकते? यही हमारा प्रश्न है। उग्रवादी भी यही प्रश्न कर रहे हैं। इतने अधिक वक्तव्य दिए जा रहे हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया जा रहा है। माननीय गृहों मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है कि सरकार बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए तैयार है। परन्तु, यहां सभा के समक्ष प्रस्तुत किए गए बजत में यह बात कहीं नहीं आयी है। अतः सरकार पर किस तरह विश्वास किया जाए? युवक अथवा उग्रवादी भी यही सब प्रश्न पूछ रहे हैं।

इसके अलावा, मेरा प्रस्ताव है कि इन मिताई उग्रवादियों के लिए आम माफी की घोषणा की जाये। मैं तो उनसे यही कहूंगा कि वे मैदान में आएं और हमारे साथ राजनीतिक वार्ता में शामिल हों ताकि उनकी शिकायतें दूर हो सकें। अतः इस पर सरकार द्वारा विचार किया जाए और मैं यह आशा करता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी।

अब मैं बजट की बात करूंगा। बजट के अंतर्गत 420 करोड़ रुपये का योजना प्रावधान किया गया है। कितना प्रावधान किया गया है? क्या इससे लोगों की आकस्मिक आवश्यकताएं पूरी हो सकेंगी?

राज्य सरकार लोकटक हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करती रही है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यहां अधिक मात्रा में पैदा की गई बिजली का अन्य पड़ोसी राज्यों को भी लाभ मिलेगा। परन्तु, गत दो वर्षों से भी अधिक समय से यह मामला केन्द्रीय सरकार के पास लंबित पड़ा है। यह एक उत्तम परियोजना है। इसे योजना और विकास मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है परन्तु, इसे वन विभाग ने स्वीकृति नहीं दी है। मैंने माननीय मंत्री से भी व्यक्तिगत रूप से भेंट की है। परन्तु, मंत्रालय इस मामले पर कार्यवाही नहीं कर रहा है। कृपया माननीय मंत्री इस बात का पता लगायें, इन्हीं मामलों के कारण उस क्षेत्र के लोग परेशान रहते हैं। उन्हें इस बात से निराशा होती है कि मणिपुर की परियोजना की स्वीकृति के लिए भी दो वर्ष से भी अधिक समय लगाया जाता है।

लोकटक परियोजना को चालू करते समय भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान करने का वायदा किया गया था। परन्तु, अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके साथ अच्छी पैदावार देने वाली थोड़े अच्छे किस्म की भूमि भी शामिल कर दी गई, परन्तु, ऐसी भूमि के बदले में कोई मुआवजा नहीं दिया गया है जिसके लिए अनुरोध भी किया गया था। उनकी निराशा के ये ही कारण हैं और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

बजट में लोकटक विकास प्राधिकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह देखा गया है कि पूर्वोत्तर राज्य परिषद ने इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इस संबंध में मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर राज्य परिषद को भंग कर दिया जाए क्योंकि यह कोई कार्य नहीं कर रही है। हमने इसके गठन का स्वागत किया था और हमें इससे बहुत उम्मीद थी। परन्तु, अब इसके गठन के पश्चात् थोड़ा समय बीतने पर हमने यह देखा कि पूर्वोत्तर राज्य परिषद ने कोई सार्थक कार्य नहीं किया है। अतः, सरकार इसे भंग करे और राज्य सरकार को प्रत्यक्ष रूप से अपने आप शासन चलाने की अनुमति दी जाए। अतः राज्य सरकार को और अधिक राशि प्रदान की जाए और यह राशि पूर्वोत्तर राज्य परिषद के माध्यम से भेजने की बजाय उसे सीधे जारी की जाए क्योंकि यह परिषद ठीक से कार्य नहीं कर रही है। अतः मैं इस पर भी बल दूंगा।

मैं आपके केवल कुछ और मिनट लेना चाहूंगा। राज्य में शिक्षा के संबंध में स्थिति ऐसी है कि 'अखिल मणिपुर छात्र संघ' जिसे हम ए.एम.एस.पू. कहते हैं–के छात्र आंदोलनरत हैं। उनकी मांगें बहुत अधिक हैं। विद्यालय, कालेज और विश्वविद्यालय बंद पड़े हैं और इस समय वहां कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। वे विदेशियों को स्वदेश वापस भेजने और उन्हें मतदाता सूची से निकालने और अन्य मुद्दों की भी मांग कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में गहराई से जांच करनी चाहिए। अन्यथा, इससे अभी भी मणिपुर में छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मणिपुर के छात्रों के मुद्दों पर तत्परता से कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मांग करता रहा और मणिपुर के लोगों की भी यही मांग रही है। असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और अन्य पड़ोसी राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। परन्तु, मणिपुर राज्य में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। अतः हम इसकी मांग करते हैं। मुझे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की ओर से एक पत्र मिला है जिसमें यह बताया गया है कि वित्तीय अड़चनों के कारण इस मामले में कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है। इसकी

स्थापना से वहां की समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिलेगी। अतः हम मणिपुर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपनी मांग को दोहरा रहे हैं।

मेरी यह भी पुरजोर मांग है कि इम्फाल को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। हमारे राज्य में रेलवे लाइन नहीं है और इसके परिणाम–स्वरूप हमें रेलगाड़ी पकड़ने के लिए अत्यधिक असुरक्षित जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों को पार करते हुए बस द्वारा एक दिन की यात्रा करके इम्फाल से गुवाहाटी तक आना पड़ता है। मुझे माननीय रेलमंत्री से भी एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने यह बताया कि इसके लिए अत्यधिक धनराशि अपेक्षित है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि वे इस पर एकदम खर्च करें। परन्तु, हमें कम से कम एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए और लोगों को वचन देना चाहिए कि हम इस मामले पर कार्यवाही कर रहे हैं ताकि वहां के निराश लोगों को राहत मिल सके। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें और बजट में थोड़ा प्रावधान भी करें।

हमारे यहां तकनीकी शिक्षा, बालिकाओं की शिक्षा और अन्य तरह की शिक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं है। कई निजी महाविद्यालयों को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उन विद्यालयों और महाविद्यालयों का स्तर कैसा होगा। सरकारी महाविद्यालयों को अंशकालिक व्याख्याताओं को केवल एक हजार रुपये मानदेय के रूप में देकर चलाया जा रहा है क्योंकि सरकार व्याख्याताओं को पूरा वेतन नहीं दे सकती है।

इस कुप्रशासन का लाभ उठाते हुए विद्रोहियों ने भारतीय प्रशासनिक सेना के कुछअधिकारियों को छोड़कर अन्य लोगों तथा सरकारी कर्मचारियों से फिरौती के रूप में पैसे वसूले हैं। इस फिरौती राशि की मदद से उन्होंने नौजवान लड़के तथा लड़कियों को भर्ती किया है। अतः मेरी मांग है कि वित्त मंत्रालय इन मुद्दों पर विचार करे ताकि मणिपुर राज्य को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जा सके।

अन्त मे, मैं पुनः केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे मणिपुर की वर्तमान अशांत) स्थिति पर गंभीर रूप से विचार करें ताकि वहां राष्ट्रपति शासन को समाप्त कर लोगों द्वारा चुनी गई लोकप्रिय सरकार की पुनःस्थापना की जा सके। अन्यथा लोग यह समझेंगे कि राष्ट्रपति शासन उन पर थोपा गया है। लोग वर्तमान राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत नौकरशाही प्रवृति से नाखुश हैं। वे राज्य के विकास में हिस्सा लेना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री याइमा सिंह युमानाम : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं लेकिन जब इस तथ्य पर विचार करें कि विधान सभा में राज्य के बजट पर विचार करने में पच्चीस दिनों से अधिक का समय लगा, जबकि मैंने मात्र 15-20 मिनटों तक ही बोला हूं लेकिन मुझे आपके आदेश का पालन करना है। अतः इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा मणिपुर के लिए अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मणिपुर राज्य का 1994-95 का जो बजट विचार करने के लिए रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझ से पहले कई माननीय सदस्यों ने मणिपुर बजट की चर्चा करते समय वहां की विभिन्न समस्याओं और पूर्वांचल की समस्याओं का जिक्र किया है। मैं उनको न दोहराते हुए, एक–दो ठोस सवाल उठाना चाहता हूं।

महोदय, आपको यह मानना होगा कि अर्थ नीति और राजनीति का आपस में अटूट संबंध है। मैं तो यह समझता हूं कि अर्थ नीति का जो बुनियाद्री ढ़ांचा है, वह भी राजनीति के ऊपर निर्भर करता है। यदि राजनीतिक लोग ठीक नहीं होंगे, तो अर्थ नीति में उन्नति नहीं कर सकते हैं। मणिपुर में जो स्थिति है, मणिपुर की तरह जो दूसरे राज्यों में स्थिति है और खास तौर से भारत के सीमावर्ति राज्यों में जो स्थिति है, वहां पर जो कुछ हो रहा है, यह सारा कन्ट्राडिक्शन और कन्फलिक्ट जो है, इसका हमारे देश के अन्य भागों पर प्रभाव होना निश्चित है।

हमारा देश विभिन्न जातियों और जनजातियों का देश है। गांधीजी ने कहा था, इस देश की एकता आध्यात्मिक एकता पर आधारित है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश की एकता कैसे मजबूत हो। हमारे देश की एकता तब ही मजबूत रह सकती है, जब हम प्रान्तों की बात छोड़कर सारे देश के हित के लिए चिन्ता करें। सारे देश की चिन्ता करने के लिए हमारे पास दूरदृष्टि हो, सीइंड नहीं विजन की भी जरूरत है, लेकिन हम देश की एकता की बात करते समय फिर राज्यों के टुकड़े करने की बात करते हैं और तब समस्या और गम्भीर हो जाती है। यह बड़े दुःख की बात है, हमारे देश के ज्यादातर लोग देश के किसी एक हिस्से की बात करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, देश में एक फैशन हो गया है कि इस कास्ट को इतना परसेंट देना चाहिए और उस कास्ट को उतना परसेंट देना चाहिए। सब को देने वाली आवाज कम हो गई है। मैं ऐसा महसूस करता हूं। भारत के सारे लोगों को नौकरी देने के लिए मांग करनी चाहिए, यह मांग आजकल नहीं है, मांग यह हो रही है कि इस जाति के लोगों को इतना दो और उस जाति के लोगों को उतना दो। जो मेजौरिटी है, जिस मैजीरिटी में हमारी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था है, तो इसमें तो हिसाब आ गया, अंक आ गया और हमारे लोग ज्यादा प्रभावित हो गए। मेरे ख्याल से जो छोटे–छोटे राज्य हैं, वहां से एक–दो एम.पी. आ जाते हैं, तो क्या उनकी आवाज हम नहीं सुनेंगे। जनतन्त्र में यह मतलब नहीं है कि हम मैजीरिटी को चलायें, हमें माइनोरिटी की आवाज को भी सुनना चाहिए। हम छोटे–छोटे राज्य की मांग करते हैं कि छोटे राज्य दे दो और यह आशा करते हैं कि उससे यहां दबाव कम होगा और उन्नति होगी।

मणिपुर राज्य पहले से ही भारत का एक अभिन्न अंग है। मणिपुरी लोगों की संस्कृति भारतीय संस्कृति का आधार मानी जानी थी। मैं तो देखता हूं कि वहां पर वैष्णव संस्कृति है और वैष्णव प्रथा को वहां पर जितना माना जाता है, भारत का जो मूल प्रांत है वहां पर उतना मानने वाले लोग मैं नहीं देखता हूं। वहां पर वैष्णव विचारधारा मणिपुर नृत्य संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। वहां का रहन–सहन, सोच–विचार भारत की मूल धारा से बिल्कुल भिन्न नहीं है लेकिन वहां भी वैली और हिल के बीच तनाव है। जैसे कि हमारे मित्र का्सन जी ने कहा वैली देखने से सारे मणिपुर की अवस्था नहीं समझी जाती है हिल्स को भी देखन है। प्रांत के अंदर आइसोलेशन की फिलिंग्स होती है और इससे लोग नाराज होते हैं, यह बात सही है। औद्योगिक उन्नति से राज्य की उन्नति हो, सभी

जगह इंडस्ट्रीस होनी चाहिए तभी लोगों की उन्नति हो सकती है यह भी मैं नहीं मानता हूं कि यही अंतिम लक्ष्य है।

महोदय, राजीव जी जब शिलांग में गए थे तो उन्होंने कहा था कि जब मैं शिलांग आता हूं तो देखता हूं यहां बड़ी इंडस्ट्रीस नहीं हैं, यहां इतना रुपया नहीं है लेकिन यहां के लोगों के मन में जो पवित्रता है, आस्था है वह दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती। हम लोगों को एक दिन यह भी निर्णय करना होगा कि कौन सा रास्ता अच्छा है, लोगों के मन की शांति, आत्मा की शांति या मेटिरियलिस्टिक प्रोसपेरिटी, लेकिन यह भी सही नहीं है कि स्पीरिचुअलस्टिक प्रोग्रेस अच्छा है इसको एक अस्त्र बना करके इकनोमिक विकास करेंगे, ऐसा लोगों के मन में आए यह भी ठीक नहीं है। अभी याइमा सिंह जी ने बताया कि स्वाधीनता संग्राम में मणिपुर का राजा वीर टिकेन्द्र ब्रिटिश के खिलाफ लड़ कर शहीद हुआ था और रानी गाइडालू 17 वर्ष की लड़की थी वह भी लड़ी आज भी उसको लिजन्ड्री नेता कह कर मानते हैं। जितने भी चिन्ता करने वाले लोग हैं वे लोग आज भी इंसपिरेशन के प्रतीक हैं। फिर भी वहां के लोग, उन लोगों के बच्चे आज क्यों आतंकवाद और अलगाववाद का रास्ता अपना रहे हैं वे राष्ट्र की मूल धारा में क्यों नहीं आना चाहते हैं? इन प्रश्नों के ऊपर हम लोगों को काफी सोच–विचार करने का समय आ गया है।

महोदय, हर साल बजट आएगा लेकिन क्या इससे इस समस्या का हल कर सकेंगे ? हमारा राज्य अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है, एक ही दिन में मणिपुर या असम में हैदराबाद या बम्बई जैसा औद्योगिक शहर नहीं बन सकता। हमें यह समझाना होगा कि भारत के मूल केन्द्र के जो लोग हैं वे कोई अलग नहीं हैं उनकी भी हम लोगों को चिन्ता है, सारे राष्ट्र की चिन्ता है यह भाव उनमें पैदा करना जरूरी है। इसी दृष्टिकोण के साथ मैं इस संसद के माध्यम से मणिपुर के लोगों को अपील करना चाहता हूं कि आप लोगों को भी ज्यादा जातिगत चिन्ता से, जातिगत तनाव से दूर रह कर, साम्प्रदायिक विवादों से हट कर यह समझना होगा कि हम राज्य के सभी लोग एक हैं, सारा भारत एक है ऐसा मान कर आगे बढ़ना है। फिर भी अगर गलत विचार होते हैं, संघर्ष होते हैं तो ऐसे में हम क्या कर सकेंगे, इसका केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या कोई भी राज्यपाल समाधान नहीं कर सकता, इसका समाधान हमारे मणिपुर के लोगों को ही करना है।

15.00 म. प.

[श्री तारा सिंह पीठासीन हुए]

मणिपुर के लोगों प्रेरणा देने के लिए राज्य या केन्द्र का नेतृत्व सामने नहीं आएगा, हम लोगों को स्वयं खड़े होना पड़ेगा। हम लोगों को एकता और शक्ति पैदा करनी होगी और देश को मजबूत बनाना होगा।

आज लोग विदेशी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मेरे पूर्वज भी उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कहां पर रहते थें या कहां पर पैदा हुए थे, मैं तो इतना जानता हूं कि मैं असमिया हूं। इसी तरह से विभिन्न प्रदेशों से विभिन्न जातियों और संप्रदायों के लोग वहां पर जाकर बसे हैं और साथ मिल कर रहते हैं। इन लोगों को विदेशी कहना गलत है। जिस तरह से छोटी–छोटी नदियों

की धारा मिल कर समुद्र का निर्माण करती हैं, इसी तरह से विभिन्न लोगों के सूत्र मिल कर एक समाज का निर्माण करते हैं, और वह भारत वृहद–जन ही भारतीय एकता का प्रतीक है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी ध्यान देने की बात है कि जो वहां पर जन–जातीय लोग रहते हैं, सीधे–सादे लोग रहते हैं, जिनकी मनोवृत्ति साफ है, सरल है, जो साफ दिल के लोग हैं, कोई आकर इन लोगों का शोषण करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, आज मणिपुर की क्या स्थिति है। मणिपुर आज बहुत गंभीर स्थिति में है। जैसा कि मेरे साथियों ने कहा कि वहां पर स्कूल कालेज बंद हैं, अस्थिरता है, आपसी संघर्ष है, विदेशियों के खिलाफ वहां के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग अलगाववादी ताकतों के साथ मिल कर आतंकवाद फैला रहे हैं। कुछ लोग स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोग नशीली दवाओं का काम कर रहे हैं। उन लोगों को हमने जीवन की शिक्षा देनी है और भविष्य का एक सपना दिखाना है। वहां के नेताओं को भी यह कोशिश करनी है। यहां से जो पैसा जाता है, वह जिन लोंगों के लिए जाता है, उन पर खर्च होता है या नहीं, यह भी देखने की आवश्यकता है। जो लोग उस पैसे का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के लिए करते हैं, वे लोग भारत की एकता को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। आज वहां पर ऐसा हो रहा है, आज राज्यों के कुछ लोग भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह कोई छिपने वाली बात नहीं हैं। लेकिन हमारा क्या दायित्व है ? क्या हम अपने दायित्व को भली प्रकार से निभा रहे है ? मैं नहीं समझता कि हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रयास हो रहा है। हमारे और नार्थ–ईस्ट के लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, किसी नेता की आवश्यकता है। किसी समय महात्मा गांधी ने भारत के जन–मानस को अनुप्रेरित किया था और लोगों ने उनके बताए हुए आदर्शों पर चलने की कोशिश की थी। आज हमारा समाज जिस मार्ग की ओर बढ़ रहा है, उसके लिए आज गांधी जी जैसे भविष्य का सपना दिखाने वाले, देश प्रेम जगाने वाले और लोगों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। मैं इस संसद के माध्यम से मणिपुर के लोगों का आह्वान करता हूं कि वे आगे आएं, वे लोग यह न समझें कि वे एक छोटे राज्य के रहने वाले हैं और उनके राज्य का कम योगदान है। भारत देश हम सब का देश है और लोकतंत्रीय व्यवस्था में सब बराबर हैं। गणतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति आगे आ कर नेतृत्व संभाल सकता है, सब जगह के लोगों को इस बात का हक है। भारत की गणतांत्रिक व्यवस्था में और खासकर कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व पाने के लिए किसी प्रांत या जाति का होना आवश्यक नहीं है।

मैं यह समझता हूं कि बजट में जो प्रावधान किये गये हैं, वे काफी नहीं हैं। तीन–चार ठोस सवालों पर बजट में कुछ जिक्र नहीं किया गया है। मैं वित्त से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत करने के लिए बड़ी योजनायें भी हाथ में लें। मणिपुर में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। वहां पर एक साइकल इंडस्ट्री बड़े आराम से चला सकती है, क्योंकि वहां हजारों लड़के–लड़कियां साईकल पर आते–जाते हैं। साइकल वहां एक संस्कृति बन गई है। इसलिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिये। वहां पर साइकल उद्योग, रेल लाइन, शिक्षा, इंडस्ट्रीज पर ध्यान देना चाहिए। विद्युत मंत्री बैठे हैं, विद्युत की परियोजनायें वहां लगा सकते हैं। स्टील मिनिस्टर बैठे हैं, वहां स्टील का कारखाना लगाया जा सकता है। मणिपुर के लोग मांग नहीं करते हैं, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये चीजें वहां देनी चाहिए।

बेराजागार लोगों को रोजगार देने के लिए स्व–रोजगार योजना वहां पर भी लागू करनी चाहिए। वहां पर ड्रग के मामले में बड़ी भयावह स्थिति है। लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं। अभी परसों मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं अपने एक रिश्तेदार को जो कि नशीली दवाओं का आदी हो गया है, उसको दिखाना चाहता हूं। उसने मुझसे दिल्ली में किसी ऐसे सेंटर का पता पूछा। वहां भी एक सेंटर है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। वहां पर ऐसे और सेंटर खोले जायें जहां नशीले पदार्थों के आदी लोगों का इलाज हो सके। आपको अपने जवाब में इसकी घोषणा करनी चाहिएं। मणिपुर से बर्मा का बोर्डर लगता है इसलिए वहां 'एड्स' काफी फैल रही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरे भारत में इसका कुप्रभाव फैल जाये।

बजट में कुल मिलाकर 420 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का सही उपयोग हो इसके लिए प्रशासन को चुस्त करना पड़ेगा। यह माना कि राष्ट्रपति शासन एक संवैधानिक व्यवस्था हैं, लेकिन हम लोग संसद में बैठकर ही वहां की समस्याओं को हल नहीं कर सकते। इसके लिए एक निर्वाचित सरकार का वहां होना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने देखा है कि राष्ट्रपति शासन होने के बाद भी वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति में उतनी प्रगति नहीं हुई है, जितनी कि होनी चाहिए थी। इसलिए मणिपुर में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, वहां फिर विधान सभा को अस्तित्व में लाया जाना चाहिए। क्योंकि वहां के लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार ही वहां की समस्याओं को महसूस कर सकती है।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया। अनुदान मांगों पर बहस के उत्तर में मैं केवल मणिपुर से संबंधित वित्तीय पहलुओं पर ही बोलना चाहता हूं।

माननीय सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिए। उन्हें नोट कर लिया गया है। कुछ सुझाव मंत्रालय के दायरे से बाहर हैं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गई महत्वपूर्ण बातों को गृह मंत्रालय तक पहुंचा दूंगा।

आज हम लोग वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष छः माह के लिए लेखानुदान पर चर्चा कर रहे हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के बाद काफी उपलब्धियां हासिल की गई हैं और विकास के कार्य युद्ध स्तर पर हुए हैं।

अनेक सदस्यों ने सरकारी कार्यों एवं योजनाओं के लागू किए जाने के संबंध में कोष के दुरूपयोग, एवं इसके अन्यत्र खर्च किए जाने के बारे में शिकायतें कीं।

आपके माध्यम से मैं सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाए हैं। योजनाओं एवं कार्यों के क्रियान्वयन के मामले में कोषों के अन्यत्र खर्च किए जाने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने इस पर प्रभावी ढंग से रोक लगा दी है। कोषों

को विशिष्ट योजनाओं के लिए ही जारी किया जा रहा है और उनके ऊपर जिला प्रशासन कड़ी निगरानी रख रहा है।

जिला स्तरीय समस्त योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। सरकार ने जिला कलक्टरों अथवा जिला कमिश्नरों, डी.आर.डी.एज. तथा जिलास्तरीय समितियों जैसे जिला स्तरीय एजेन्सियों का सीधे विकास कर लिया है और इन विभागों ने इनके अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु अपने बजट में से कोषों का प्रावधान कर लिया है। सड़क निर्माण तथा सुधार, जल आपूर्ति तथा सिंचाई के क्षेत्र में भी विशेष प्रगति हुई है।

आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि गत दस वर्षों से दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। एक सिंगदा सिंचाई नहर परियोजना है जिसके 1994 तक पूरी हो जाने की संभावना है। इस परियोजना का काम पिछले दस वर्षों से खटाई में पड़ा हुआ है, इस नहर का काम पूरा होने से इम्फाल शहर को सिंचाई तथा पीने के पानी की आपूर्ति होगी।

दूसरे खूगा सिंचाई नहर परियोजना का काम शुरू किया गया है। नहर से नवंबर 1994 के अंत तक जलआपूर्ति होने लगेगी। इसके पूरे होने से मणिपुर के जिलामुख्यालय चुडाचंदपुर को पीने तथा सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति होगी।

वर्तमान राज्य परियोजना में सरकार ने सिंचाई, बाढ़–नियंत्रण, संचार, शिक्षा, क्रीड़ा तथा संस्कृति पर ज़ोर दिया है।

माननीय सदस्य प्रो. एम. कामसन ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम राशि के आवंटन की तरफ ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा है कि पहाड़ी जिलों के लिए कुल आवंटन की 20 प्रतिशत राशि भी प्रदान नहीं की गई है। यह बात सही नहीं है। 1994-95 की योजना के दौरान, पहाड़ी क्षेत्रों को कुल योजना परिव्यय का 35.71 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा जो कि 85.72 करोड़ रुपए हैं और पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या मणिपुर की कुल जनसंख्या का एक–तिहाई है।

मणिपुर के दूसरे माननीय सदस्य श्री याइमा सिंह युमनाम ने सरकार के पास काफी समय से लंबित पड़े लोकटक डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस परियोजना को तकनीकी रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी है और पर्यावरण विभाग द्वारा इसकी स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए सम्पूर्ण धनराशि विदेशों द्वारा दी जाएगी। इस परियोजना हेतु चालू योजना के अंतर्गत पहले ही 5 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

श्री याइमा सिंह युमनाम ने विद्यार्थियों द्वारा आंदोलन तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों के अपर्याप्त वेतन के मुद्दों के बारे में कहा। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि चालू बजट में राज्य सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के लिए समुचित वेतन का प्रावधान किया गया है और वित्तीय स्थिति के बेहतर हो जाने से इस क्षेत्र की स्थिति भी बेहतर होने जा रही है।

अनेक माननीय सदस्य, तथा श्री याइमा सिंह युमनाम वे श्री किरिप चालिहा ने भी पूर्वोत्तर

राज्य में रेल लाइन बिछाने के बारे में कहा। जैसा कि उन्हें मालूम है मणिपुर में निकटतम रेल–मुख्यालय जिरीबैम में स्थित है। रेलवे लाइन को इम्फाल घाटी तक बढ़ाने के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया है। यह मामला रेल मंत्रालय के पास लंबित है। मैं इस रेल लाइन के संबंध में आपकी गहरी चिंता से रेल मंत्रालय को अवगत करा दूंगा। सरकार ने मणिपुर में सड़क–नेटवर्क की स्थिति को बेहतर बनाने हेतु भी ठोस कदम उठाए हैं।

माननीय सदस्य श्री किरिप चालिहा ने बताया कि मणिपुर में कोई भी उद्योग नहीं हैं इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरका ने कुछ कदम उठाए हैं। मणिपुर में मणिपुर साइकिल निगम है जो सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है। सीमा पार क्षेत्र म्यामार से व्यापार शुरू हो जाने के पश्चात साइकिल निर्माण एवं इसके म्यामार में बिक्री हेतु निजी उत्पादकों के साथ संयुक्त उद्यम लगाए जाने की सरकारी योजना है। यह मुद्दा भी सरकार के विचाराधीन है।

सरकार ने नशीली दवाओं के सेवन को रोकने के क्षेत्र में ठोस कदम उठाए हैं। बहस में हिस्सा लेने वाले लगभग सभी सदस्यों ने इस गंभीर समस्या के बारे में विचार व्यक्त किया। विशेषकर राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद, प्रशासन में अंतराष्ट्रीय सीमाओं से नशीली दवाओं के आगमन, एवं राज्य में इसके अवैद्य व्यापार को रोकने हेतु कठोर कदम उठाए हैं।

श्री किरिप चालिहा ने बताया कि मणिपुर में एक भी नशा मुक्ति केन्द्र नहीं है। यह बात सही नहीं है। राज्य के चार जिलों–इम्फाल, चुड़ाचन्दपुर, चन्देल तथा उखरूल में नशा–मुक्ति केन्द्र बने हुए हैं।

हमने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए म्यॉमार अधिकारियों के साथ लगातार विचार विमार्श किया है। हाल ही में, हमने इस उद्देश्य हेतु नियुक्त अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की थी। उन्होंने इस संबंध में नियमित बैठक करने के बारे में निर्णय किया। हाल ही में, जुलाई के महीने में इम्फाल में उनके साथ बैठक हुई थी और वे सभी सम्भव कदम उठा रहे हैं।

महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने सभी बिन्दुओं को चर्चा में शामिल किया है। अतएव, मैं इस सभा के सभी सदस्यों से इस बजट को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : मैं अब 1994-95 हेतु बजट (मणिपुर) के संबंध में अनुदानों की मांगों को मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 46 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां मणिपुर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.20 म.प.

मणिपुर विनियोग विधेयक (संख्या-2)*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए मणिपुर की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए मणिपुर की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए मणिपुर की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए मणिपुर की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं। विकास प्राधिकरण के लिए उपलब्ध कराए गए प्रावधानों में यह नहीं है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करेंगे ?

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि चालू योजना में 5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। हम इस कार्य को पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिल जाने के बाद शीघ्र शुरू करेंगे।

श्री याइमा सिंह युमनाम : इस संबंध में थोड़ा सा सन्देह है।

सभापति महोदय : यह पुरानी आदत है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं स्पष्टीकरण के लिए कह रहा हूं। तीन लोकटाक परियोजनाएं हैं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में उत्तर पहले ही दे दिया है। इसका

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, एण्ड II, दिनांक 5.8.1994 में प्रकाशित

उत्तर नहीं दिया गया था। एक दूसरा प्राधिकरण लोकटक विकास प्राधिकरण है, यह परियोजना नहीं है। मंत्री महोदय ने लोकटक डाऊन स्ट्रीम प्रोजेक्ट के बारे में उल्लेख किया हैं लेकिन मैं तो लोकटक विकास प्राधिकरण के बारे में स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। यह परियोजना नहीं है। लेकिन आपके स्पष्टीकरण संबंधी वक्तव्य में पूर्वोत्तर परिषद का उल्लेख है। आंकड़े नहीं दिए गए हैं। इस संबंध में स्थिति क्या है ?

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : लोकटक विकास परियोजना के संबंध में, पूर्वोत्तर परिषद द्वारा इस परियोजना के कार्य को शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की अनुमानित राशि दी जाएगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1994-95 की सेवाओं के लिए मणिपुर की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जायेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खण्ड, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

"अनुसूची, खण्ड, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।"

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.27 म. प.

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण) विधेयक

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : श्री एन.के. साल्वे की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर और उनके आर–पार अधिक वैज्ञानिक, दक्ष और मितव्ययी आधार पर विद्युत शक्ति का पारेषण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रिय विद्युत शक्ति ग्रिड का विकास करने की दृष्टि से नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की विद्युत शक्ति संचारण प्रणाली और विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली में उस कम्पनी के अधिकार, हक और हितों का लोक हित में अर्जन और पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया को अंतरण करने तथा उनसे संबंधित और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों से संबंधित परिसम्पत्ति के अर्जन और अंतरण के संबंध में एक विधेयक इस सम्माननीय सदन में 12.5.94 को पुरःस्थापित किया गया था। माननीय सदस्य जानते हैं कि अक्तूबर, 1989 में पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की संस्थापना देश के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर और उनके आर–पार अधिक वैज्ञानिक, दक्ष और मितव्ययी आधार पर विद्युत शक्ति का पारेषण सुनिश्चित करने के लिए की गयी थी।

विद्युत शक्ति की तेजी से बढ़ती मांग तथा पूर्ति और मांग के बीच बढ़ते हुए अन्तर को ध्यान में रख कर यह आवश्यक समझा गया कि देश में राज्य स्तर पर किये जा रहे प्रयासों को पूरा करने तथा विद्युत शक्ति विकास कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए विद्युत शक्ति क्षेत्र में केन्द्र सरकार का पदार्पण होना चाहिये। इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर 1976 में विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में संशोधन किया गया ताकि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से विद्युत उत्पादन कंपनियों की स्थापना की जा सके। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, 'नीपको' नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन, राष्ट्रीय विद्युत शक्ति निगम आदि को आरम्भ में उनके द्वारा स्थापित किये गये विद्युत उत्पादन केन्द्रों से जुड़ी पारेषण लाइनों और बिजली उपघरों के निर्माण और संचालन तथा अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया था। विद्युत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 को 1991 में पुनः संशोधित किया गया ताकि विद्युत शक्ति क्षेत्र में गैर–सरकारी क्षेत्र को भाग लेने की अनुमति दी जा सके।

सभी केन्द्रीय पारेषण प्रणालियों के नियोजन, निर्माण, संचालन तथा अनुरक्षण को, बेहतर समन्वय और कुशल संचालन हेतु, एक ही केन्द्रीय संगठन के सम्मिलित नियंत्रण में लाने के लिये 1989 में कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्युत शक्ति पारेषण निगम (जिसका नाम बदल कर अब पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड–'पावरग्रिड'–रख दिया गया है) का गठन किया गया।

इसके अनुसार, संसद द्वारा 1993 का राष्ट्रीय तापविद्युत निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय जल विद्युत

शक्ति निगम लिमिटेड और पूर्वोत्तर विद्युत निगम लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 24 पारित किया गया जिसके द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर और उनके आर–पार विद्युत शक्ति का पारेषण सुनिश्चित करने हेतु पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को उक्त तीनों कंपनियों की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणालियों के अर्जन और अंतरण तथा इन कंपनियों के अधिकार, हक और हितों का प्रावधान किया गया। नवगठित निगम को, अन्य बातों के अतिरिक्त, नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अंतरण करने का निर्णय भी लिया गया। तदनुसार, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की उक्त विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का प्रबंधन 1 दिसंबर, 1992 प्रभाव से अपने नियंत्रण में ले लिया और यह निर्णय लिया कि विधितः अंतरण की तिथि 1 अप्रैल, 1992 मानी जायेगी। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की विद्युत पारेषण प्रणाली से जुड़े वे कर्मी 1 दिसंबर, 1992 से स्थायी अन्तर्लयन आधार पर 'पावरग्रिड' में स्थानांतरित कर दिये गये जिन्होंने सहमति व्यक्त की थी। तथापि 'पावरग्रिड' को नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की कथित विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली से संबंधित परिसम्पति के स्वामित्व के अंतरण में विलम्ब के कारण उसके द्वारा आंतरिक रूप से धन जुटाने तथा बाजार से वाणिज्यिक ऋण लेने, दोनों ही प्रकार से संसाधन जुटाने के प्रयासों में बाधा आयी।

उक्त विद्युत पारेषण प्रणालियों के संबंध में उपरोक्त नेवेली निग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व का अंतरण करने में अंतर्हित कानूनी औपचारिकताओं में समय लगेगा और लोकहित में यह आवश्यक है कि इस स्वामित्व को तत्काल 'पावरग्रिड' में न्यस्त कर दिया जाये ताकि एक समेकित पारेषण नेटवर्क का विकास और संचालन किया जा सके। इसलिये उपरोक्त नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की विद्युत पारेषण प्रणालियों में संबंधित परिसंपत्ति के संबंध में 1 अप्रैल, 1992 से स्वामित्व, स्वत्वाधिकार और हित का अर्जन करने का विचार है। परिसम्पत्ति का उक्त अर्जन और उनका अंतरण नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 1992 तक लेखा–परीक्षित लेखा विवरण में दर्शाये गये देयऋणों (आकस्मिक देयऋणों के अतिरिक्त) को घटाने के बाद सभी परिसम्पत्तियों और सम्पत्तियों के 'खाता मूल्य' के आधार पर किया जायेगा

सभापति महोदय : समय तीन बजकर तीस मिनट हो गया है और यह गैर–सरकारी सदस्यों के कार्य का समय है। यदि सभा चाहती है कि इस विधेयक पर चर्चा पूरी की जाये तो हम ऐसा ही करेंगे। सभा का क्या मत है ?

कुछ माननीय सदस्यगण : हम इस विधेयक पर चर्चा पूरी करें।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री महोदय अपनी बात जारी रखें।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मैं यह भी निवेदन करता हूं कि विद्युत मंत्रालय से जुड़ी विभागीय स्थायी समिति ने भी कहा है :

"पिछले पैराग्राफों में दिये गये स्पष्टीकरणों पर विचार करने के बाद समिति नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली का अर्जन और अंतरण) विधेयक का, संशोधन हेतु कोई सिफारिश किये बिना, अनुमोदन करती है।"

सभापति महोदय : मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं।

कुछ माननीय सदस्य गण : जी नहीं। इसे चर्चा के बिना पारित किया जा सकता है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के भीतर और उनके आर-पार अधिक वैज्ञानिक, दक्ष और मितव्ययी आधार पर विद्युत शक्ति का पारेषण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत शक्ति ग्रिड का विकास करने की दृष्टि से नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड की विद्युत शक्ति संचारण प्रणाली और विद्युत शक्ति पारेषण प्रणाली में उस कम्पनी के अधिकार, हक और हितों का लोकहित में अर्जन और पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया को अंतरण करने तथा उनसे संबंधित और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा में इस विधेयक पर खंड-वार विचार किया जायेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 16 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : विधेयक को चर्चा के बिना पारित करने के लिये मैं माननीय सदस्यों तथा सभापति महोदय का आभारी हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.33 म.प

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति तैंतीसवां और चौंतीसवां प्रतिवेदन

श्री संत राम सिंगला (पटियाला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 3 अगस्त, 1994 को सभा में प्रस्तुत किये गये गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तैंतीसवें और चौंतीसवें प्रतिवेदनों से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा 3 अगस्त, 1994 को सभा में प्रस्तुत किये गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तैंतीवसें और चौंतीसवें प्रतिवेदनों से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.34 म. प.

गुजरात को गैस आवंटन संबंधी संकल्प

सभापति महोदय : अब हम 13 मई, 1994 को श्री काशीराम राणा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर पुनः चर्चा आरम्भ करेंगे। श्री काशीराम राणा उपस्थित नहीं हैं।

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) : सामान्यतः यदि संकल्प प्रस्तुत करने वाला उपस्थित नहीं होता तो संकल्प पर विचार नहीं किया जाता है।

सभापति महोदय : कोई बोलने वाला नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

श्री के.वी. तंग्का बालू : नहीं महोदय, हमें अगले मुद्दे पर विचार करना होगा।

सभापति महोदय : कोई बोलना नहीं चाहता। यहां तक कि मंत्री जी भी नहीं बोल रहे हैं।

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (कैप्टेन सतीश कुमार शर्मा) : मैं यहां हूं।

श्री के. वी. तंग्का बालू : महोदय, यह परम्परा नहीं है। जब प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उपस्थित नहीं होता तो प्रस्ताव पर विचार विमर्श नहीं होता है।

सभापति महोदय : इसे कम से कम अस्वीकृत तो किया ही जाना है।

कैप्टेन सतीश कुमार शर्मा : जी हां, महोदय। मैं सभा को विशेषतः गुजरात के सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि जब कभी विद्युत उत्पादन और अन्य उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त गैस उपलब्ध होगी तो हम निश्चित ही अनुरोध पर विचार करेंगे। पहले से ही गुजरात को अधिकतम गैस की आपूर्ति की जा रही है। गत अवधि में गुजरात की जनता के जोर देने पर गान्धार को गुजरात की पाइपलाइन से जोड़ा गया। गान्धार का सम्पूर्ण आवंटन गुजरात को दिया गया है। अब तापी गैस की आपूर्ति का प्रश्न विद्युत परियोजना के कारण है। इस समय मैं केवल यही आश्वासन दे सकता हूँ कि इस चरण पर सम्पूर्ण गैस की प्रतिबद्धता है। अभी गुजरात के लिए गैस की उपलब्धता नहीं है। अतः महोदय, ये जब भी उपलब्ध होगी, हम निश्चित ही इस पर विचार करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा केन्द्रीय सरकार से आग्रह करती है कि वह गुजरात में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए और औद्योगिक तथा घरेलू उपयोग के लिए गैस को पर्याप्त मात्रा में आवंटित करें।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

3.37 म.प.

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों में वृद्धि संबंधी संकल्प

सभापति महोदय : सभा अब श्री आर. अन्बारासु द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अगले संकल्प पर विचार करेगी। श्री अन्बारासु।

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस सभा की राय है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए अर्थोपायों का सुझाव देने और उनके लिए केन्द्रीय सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं पर निगरानी रखने की शक्ति प्रदान की जाए तथा आयोग के प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जाए।"

सभापति महोदय, मुझे इस माननीय सभा को सम्बोधित करते हुए और देश की बहुसंख्यक जनता से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श आरम्भ करते हुए वास्तव में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। साथ ही मुझे इस बात का भारी खेद है कि दूसरी ओर बैठने वाले सदस्य अनुपस्थित हैं। इतने महत्वपूर्ण संकल्प पर चर्चा में यदि वे भाग लेने के लिए उपस्थित रहते तो मुझे खुशी होती क्योंकि यह पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्या है। यदि वास्तव में किसी को पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण में रूचि है तो दलगत नीतियों से ऊपर उठ कर उसे इसमें भाग लेना होगा।

संकल्प निम्नानुसार है :

"इस सभा की राय है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए अर्थोपायों का सुझाव देने और उनके लिए केन्द्रीय सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं पर निगरानी रखने की शक्ति प्रदान की जाए तथा आयोग के प्रतिवेदनों पर विचार करने के लिए

एक संसदीय समिति गठित की जाए।"

महोदय, मेरे दो मंतव्य हैं। एक तो यह है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के अधीन गठित वर्तमान पिछड़ा वर्ग आयोग में कोई दम नहीं है। इस आयोग को पर्याप्त शक्तियां नहीं दी गई हैं। इस अधिनियम के अनुसार आयोग को कमजोर तबकों को शामिल करने और निकालने तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान करने की शक्ति प्राप्त है। अतः आयोग का गठन केवल इसी उद्देश्य से किया गया है।

वस्तुतः अन्य पिछड़ी जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग होना चाहिए जिसे अन्य पिछड़ी जातियों के संदर्भ में सभी शक्तियां और उत्तरदायित्व प्राप्त होंगी। ऐसा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान की धारा 338 के अनुरूप बनाए गए राष्ट्रीय आयोग की तरह होना चाहिए। हांलाकि अन्य पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवा में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, पर उनका सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन दूर करने के लिए काफी कुछ किया जाना है।

यहां मैं पिछड़े वर्ग के लोगों की कुछ समस्याएं बताना चाहता हूं। प्रथमतः व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित उच्चतम सतर की शिक्षा तक शैक्षिक क्षेत्र में आरक्षण पर विचार नहीं किया गया है। मंडल–आयोग निर्णय के मामले में भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने फैसला देते समय शिक्षा के उच्चतम स्तर पर शैक्षिक संस्थाओं में कुछ सीटें आरक्षित करने का मुद्दा उठाया ही नहीं है। अतः इस पर विचार किया जाना चाहिए। दूसरे, जिस तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विदेशों में उच्चतर अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति देने की कल्याण मंत्रालय की वर्तमान योजना है, उस तरह पिछड़े वर्गों के लिए विचार नहीं किया गया है। पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए या ऊपरी वर्ग के लोगों की बराबरी में उन्हें लाने का यह एक और महत्वपूर्ण कारक है। उन्हें छात्रवृत्तियां देकर और शिक्षा की अच्छी जानकारी पाने के लिए विदेश जाने का खर्च देकर अवसर दिए जाने चाहिए। अतः कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जिस तरह सुविधाएं दी जानी हैं, उसी तरह अन्य पिछड़ी जातियों के लिए भी छात्रवृत्तियों, छात्रावासों, कोचिंग सेंटरों की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि मंत्री महोदय वास्तव में पिछड़े वर्गों के लोगों का कल्याण चाहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिएं अतः इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

पिछड़े वर्ग के लोगों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पूर्णतः ये शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कर दिया गया है, पर कई अन्य लाभ जैसे आयु सीमा में छूट, फीस रियायत, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने के अवसरों की संख्या में छूट आदि नहीं दिए गए हैं। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए केवल 27% का आरक्षण करने का उच्चतम न्यायालय का फैसला ही तर्क विरूद्ध और असंगत है। मुझे पता नहीं, केवल 27 प्रतिशत के आरक्षण के प्रावधान वाला उस तरह का फैसला कैसे दिया गया, जब कि मंडल आयोग ने ही कहा है कि कुल आबादी का 52 प्रतिशत हिस्सा पिछड़े वर्ग के लोगों का है, और उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यह माना है कि इस देश में 50 प्रतिशत आबादी पिछड़े वर्ग की है। जब ऐसा है तो आश्चर्य है, किस तर्क से यह 27 प्रतिशत तय किया गया है। यदि आप यह भी मान लें कि

यह 27 प्रतिशत सही है, तो इसे लागू करने के लिए आयु सीमा में छूट, फीस की रियायत, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने के अवसरों की संख्या में छूट आदि जैसे कुछ लाभ पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया जाना आवश्यक है।

केंद्रीय मंत्रालय के कई कार्यालयों में मैंने देखा है कि वहां आयु, अंकों आदि में छूट संबंधी कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। अतः पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों की सिफारिशें देने की पूर्ण शक्तियों से प्रदत्त राष्ट्रीय आयोग के गठन से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी।

मैं वास्तव में यह देख कर अत्यंत प्रसन्न हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और कल्याण विभाग के मंत्री देश के शासन चालन की प्रक्रिया में समुचित भागीदारी देने की दिशा में उचित कदम उठाने को अत्यन्त उत्सुक हैं। परंतु नौकरशाही द्वारा की जाने वाली अनुवर्ती कार्यवाही मंद और सतही है। अतः प्रधानमंत्री जी के सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद अन्य पिछड़े वर्गों में असंतोष बढ़ रहा है। अन्य पिछड़े वर्गों के संतुष्ट होने में इन समस्याओं के समाधान के लिए इन पिछड़े वर्गों के लिए अलग से एक संसदीय समिति बनाया जाना श्रेयस्कर होगा। केवल ऐसी ही समिति अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने वाला न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार और नौकरशाही पर समुचित दबाव दे पाएगी।

जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की रूप रेखा पर आधारित अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा, तब वह इस वर्ग से संबंधित सभी समस्याओं के संदर्भ में सरकार के एक स्थाई सलाहकार निकाय के रूप में काम कर पाएगा। अतः मेरी मांग है कि या तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 निरस्त किया जाए या फिर आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए सभी सम्भव कल्याण योजनाएं तैयार करने या उनकी सिफारिश करने की पूर्ण शक्तियां प्रदान करते हुए उस अधिनियम में संशोधन लाया जाए।

मैं पुनः यह मांग करता हूं कि केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा घोषित विभिन्न कल्याण योजनाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाए ताकि इन योजनाओं का समुचित कार्यान्वयन हो और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि ये योजनाएं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लाभप्रद हैं भी या नहीं। मुझे यह अत्यंत अनिवार्य लगता है, क्योंकि इस देश की आबादी का एक विशाल अंश पिछड़े वर्गों का है।

भारत सरकार द्वारा आयोगों की घोषणा कैसे की जाती थी, मैं इसके इतिहास की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। पहले आयोग की घोषणा केन्द्र सरकार द्वारा की गई थी। व्यापक रूप से इसे 'काका कालेलकर आयोग' के रूप में जाना जाता था। हालांकि इस आयोग ने भी पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनओं की सिफारिश की थी, परन्तु उच्च वर्ग के लोगों के निहित स्वार्थों के कारण इसके प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका प्रमुख कारण यह बताया गया कि समुदायों का सामाजिक पिछडापन निर्धारित करने के मानदंड वैज्ञानिक रूप से नहीं अपनाए गए थे।

भारी वेदना और खेद के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि जनता के एक प्रमुख अंश

के हितों की रक्षा नहीं की जाती है तो लोकतंत्र के कोई मायने ही नहीं रह पाएंगे। येन केन प्रकारेण सभापटल पर वह प्रतिवेदन रखा भी गया तो इस सम्मानित सदन में उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई।

फिर 'मंडल आयोग' के नाम से जाना जाने वाले आयोग का गठन किया गया। उस आयोग ने 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। दुर्भाग्यवश, उसे भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने जब अपना फैसला दिया तो उसमें काफी खामियां थीं। मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अपने मित्रों को विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि एक निदेश है कि अनुसूचित जातियों और अुनसूचित जनजातियों को 1997 के बाद पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा पता नहीं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग यह बात कैसे नहीं देख पाए। उन्हें व्यापक आन्दोलन छेड़ना चाहिए। उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने और उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्पन्न की गई खामियों को दूर करने की दिशा में संविधान के अनुच्छेद 16(4) में समुचित संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव डालना चाहिए। पुनः आयु सीमा में छूट और पदोन्नतियों की भी समस्याएं हैं। अनुच्छेद 16(4) में समुचित संशोधन कर ये बातें किसी प्रकार हटाई जानी चाहिए। महोदय, मैं पुनः आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि हाल ही, दस दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने एक ओर फैसला सुनाया। इस फैसले से वास्तव में तमिलनाडु की जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यदि लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं तो वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र के अधिकारी नहीं रह पाएंगे। मुझे वास्तव में इस बात का आश्चर्य है कि ये न्यायाधीश किस तरह ऐसे फैसले सुनाते हैं। यह एक विचित्र फैसला है। ऐसा इसलिए होता है कि ये न्यायाधीश उच्च वर्ग के होते हैं और उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों की उन्नति सहन नहीं कर पाते। यही मुख्य कारण है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : आपको न्यायपालिका की आलोचना नहीं करनी चाहिए।

श्री आर. अन्बारासु : आखिर, न्यायाधीश भी तो इंसान ही होते हैं और वे भी गलती कर सकते हैं। फैसले के बाद से समुदाय की पूरी प्रगति रूक गई है।

हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हमें इस मामले को उठा कर इसमें समुचित संशोधन करना चाहिए।

महोदय, मैं पुनः उल्लेख करना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ ने यह फैसला सुनाया। यदि तमिलनाडु का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति दिल्ली में बसने को चला आए तो उसके बच्चों को स्थानीय अधिकाकरियों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे और उच्चतम न्यायालय ने अपने विवेक के अनुसार उल्लेख किया है कि 'क' राज्य से 'ख' राज्य में जाने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रवासियों की सामाजिक गतिशीलता इस बात का द्योतक है कि उन्हें वे भेद–भाव नहीं भुगतने पड़ते जिनके लिए आरक्षणों का प्रावधान किया गया है। महोदय, ये कितनी हृदय विदारक बातें हैं।

यदि कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो क्या वह अमीर व्यक्ति बन जाता है? मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या तर्क है। यह सभी लोगों के लिए खतरे की बात है। इस

निर्णय से पिछड़े वर्ग के लोगों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। अतः मेरा यहां उपस्थित माननीय मंत्री से यह अनुरोध है कि वह अपील अथवा पुनरीक्षा याचिका के माध्यम से इस निर्णय को ठीक कराएं।

यह वास्तव में एक असाधारण निर्णय है। स्पष्टीकरण के लिए उच्चतम न्यायालय में जब अनुमति याचिका दायर की गई, तो न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को प्रति आवेदन दायर करने के लिए कहा और इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि केन्द्रीय सरकार कोई आवेदन दायर करने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई। मुझे पता नहीं कि क्या हुआ है। मुझे अपने मंत्री जी अथवा केन्द्रीय सरकार का दोष निकालने की आवश्यकता नहीं है लेकिन उन्हें एक याचिका दायर करनी चाहिए थी और इन लोगों के साथ हुए इस तरह के अन्याय को रोकना चाहिए था।

अतः, महोदय, मैं पुनः यह अनुरोध करता हूं कि पिछड़े वर्गों संबंधी राष्ट्रीय आयोग के कृत्यों को बढ़ाकर ही हम इस देश के बहुसंख्यक लोगों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकते। यद्यपित उनकी सख्यां के बारे में तो नहीं कह सकते लेकिन देश की लगभग 70% जनसंख्या पिछड़ा वर्ग है। इसलिए उनकी सुरक्षा करने और उन्हें उच्च श्रेणी के लोगों के समकक्ष लाने के लिए हमें उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

महोदय, इस समय तमिलनाडू में आग लगी हुई है। सभी राजनैतिक दल इक्कठे हो गए हैं और यदि 69 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए उपयुक्त संशोधन नहीं लाया जाता है तो उन्होंने केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध एक आंदोलन करने का आह्वान किया है। महोदय, कमजोर वर्गों के लिए 69 प्रतिशत आरक्षण करने संबंधी एक कानून बनाने के लिए तमिलनाडू की मुख्य मंत्री का धन्यवाद करते हुए मैं इस विधेयक को स्वीकृति देने के लिए प्रधान मंत्री का भी धन्यवाद करना चाहूंगां लेकिन श्रीमन्, इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा क्योंकि इसे पहले ही उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। मुझे कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री वीरप्पा मोईली को भी पिछड़े वर्गों के लिए 80 प्रतिशत आरक्षण करने के साहसिक कदम के लिए बधाई देनी चाहिए। दुर्भाग्य से, इसे भी उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। कर्नाटक और तमिलनाडू के लोग अत्यधिक क्षुब्ध हैं और यह असंतोष आन्ध्र प्रदेश तक फैल सकता है। समूचा दक्षिणी भाग पिछड़े वर्गों के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए एक बार पुनः आंदोलन छेड़ देगा। इस ज्वालामुखी के फटने से पूर्व और दक्षिणी राज्यों के लोगों द्वारा पुनः विद्रोह करने से पुर्व ही मेरा कल्याण मंत्री से अनुरोध है कि वह उपयुक्त आरक्षण के लिए संविधान में तदनरूप संशोधन करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

यद्यपि माननीय मंत्री जी इससे अवगत हैं, इस पर चर्चा समाप्त करने से पूर्व मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि संविधान इस पहलू पर पूरी तरह से स्पष्ट है। अनुच्छेद 16(4) में यह प्रावधान है :

"इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

यहां पर मैं "राज्य की राय में" शब्दों पर जोर देना चाहता हूं। जब किसी राज्य में पिछड़े

वर्गों के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 69 प्रतिशत तक है, तो केन्द्र द्वारा उस राज्य की राय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ही नहीं मानना चाहिए। उसे यथार्थ की जानकारी नहीं होती और न ही उसने पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिशत का पता लगाने अथवा पिछड़े वर्गों में उनके पिछड़े पन की सीमा का पता लगाने हेतु किसी वैज्ञानिक विधि को अपनाया है। वे कानून की पुस्तकों के ज्ञाता हैं। वे तो किताबों का अध्ययन करके अपना निर्णय दे देते हैं। अतः मेरा आग्रह है कि ठोस यथार्थ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यहां मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। इस आयोग का चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति करते समय आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, विख्यात सामाजिक वैज्ञानिक पिछड़े वर्गों के आन्दोलन से सदैव जुड़े रहे लोग, पिछड़े वर्गों की समस्याओं को जानने और इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले लोग और अन्ततः इन लोगों का कुछ भला करने की राजनैतिक इच्छा शक्ति रखने वाले लोगों को इन पदों के लिए चुना जाना चाहिए। लेकिन हमारे देखने में क्या आता है ? कतिपय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और मंत्री के मित्र तथा समर्थक लोग इन महत्वपूर्ण मदों पर बैठा दिए जाते हैं। इससे सामाजिक प्रगति का प्रयोजन बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होगा। अतः मैं पुनः माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यदि सरकार पिछड़े वर्ग के इन विस्मृत लोगों के लिए वास्तव में कुछ करना चाहती है, तो इसे प्रख्यात समाज वैज्ञानिकों और राजनैतिक इच्छा शक्ति रखने वाले लोगों को समिति का सभापति और सदस्य मनोनीत करना चाहिए।

महोदय, यहां मैं इस बात पर जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि पिछले चार दशकों से तमिलनाडु पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक अग्रणी राज्य की भूमिका का निर्वहन करता आ रहा है। इस समय मुझे पिछड़े वर्गों के लोगों के हितों के लिए संघर्ष करने के लिए पेरियार नायकर का धन्यवाद करना चाहिए। वस्तुतः इस संबंध में आवश्यक संवैधानिक संशोधन करने के लिए मुझे स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू और स्वीर्गीय श्री कामराज का धन्यवाद भी करना चाहिए। यद्यपि यह संवैधानिक संशोधन पहली बार हमारे महान नेता कामराज के आग्रह पर लाया गया था, लेकिन इसे कार्यान्वित करने संबंधी पहलू को शीघ्र भुला दिया गया। किसी ने भी इन वर्षों के दौरान इसके बारे में कोई चिंता नहीं की है। जहां तक पिछड़े वर्गों की प्रगति का संबंध है, इसे तो पूरी तरह से भुला दिया गया है। पिछड़े वर्गों की प्रगति सुनिश्चित करने के संबंध में पर्याप्त रूचि ली ही नहीं गई।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि हमारे प्रधान मंत्री एक खुल दिमाग के व्यक्ति हैं और वह सभी वर्गों के लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। वस्तुतः मैं यहां एक फार्मूले का सुझाव देना चाहता हूं। यदि वास्तव में हम अपने समाज के सभी वर्गों के लोगों का भला करना चाहते हैं, तो आरक्षण नीति अनुपात के आधार पर होनी चाहिए। इसे यथार्थत लागू करने के लिए मेरा यह सुझाव है कि एक जातिगत जनगणना की जानी चाहिए। कतिपय लोगों को इस पर आश्चर्य व्यक्त कर यह कह सकते हैं, "यह सब क्या है? यह आदमी जाति और जातिगत आधार पर जनगणना कराने की बात क्यों कर रहा है। जबकि हम एक जातिविहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं ?" मैं तो प्रत्यक्ष तथ्य की बात कर रहा हूं। किसी व्यक्ति ने भी जाति को नहीं त्यागा है। भारत में जाति–प्रणाली एक यथार्थ है। क्या आप अपने पुत्र अथवा पुत्री की शादी करते समय अपनी जाति भूल सकते हैं? कभी नहीं। मैं तो कहूंगा कि जाति प्रणाली एक या दो धर्मों को छोड़कर प्रायः सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। अतः जातिगत आधार पर एक जनगणना की जानी चाहिए और राष्ट्रीय

पिछड़ा वर्ग आयोग को इस कार्य के सम्पादन हेतु अधिकार दिए जाने चाहिए।

4.00 म. प.

हमारे यहां विभिन्न वर्ग हो सकते हैं। हम जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की श्रेणियां बनाने की सोच सकते हैं और उन्हें जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप आरक्षण दे सकते हैं। यह एक समझदारी की बात होगी। आप उन्हें आरक्षण दीजिए । उन्हें इसका फायद उठाने दें। लोकतंत्र यही है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोगों के बहुसंख्यक वर्ग की देश के प्रशासन में उचित भागेदारी होनी चाहिए। उन्हें सरकार के सभी कार्यालयों में उचित हिस्सा मिलना चाहिए। अतः महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस सबंध में संविधान में एक नया संशोधन करने का अनुरोध करता हूं। जिससे एक समुदाय विशेष को इसकी जनसंख्या के अनुरूप अनुपातिक आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री बी. अकबर पाशा (वेल्लोर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री अन्बारासु द्वारा पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ न्याय किए जाने के संबंध में लाए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। काफी समय पूर्व 1987 में, सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को और अधिक शक्तियां प्रदान करने और इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप मे मान्यता देने का निर्णय लिया था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के पद को दो और उच्च अधिकारी देकर सुदृढ़ किया जायेगा।यह कार्य हमारी भूतपूर्व माननीय मंत्री महोदया डा. (श्रीमती) राजेन्द्र कुमार बाजपयी ने 1987 में किया था। इस आयोग को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पद आरक्षित करना, शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश आरक्षित करना, भूमि सुधार, भूमि विवाद और विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का पुनर्वास करना था। आयुक्त द्वारा वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को जुलाई माह तक प्रस्तुत किए जाने की आशा है। इस रिपोर्ट में राज्य विशेष से सम्बन्धित भाग को राज्य की विधान सभा के पटल पर रखने के लिए संबंधित राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। परन्तु यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह मात्र कागज पर ही रहा। आयुक्त द्वारा 5-6 वर्षों के बाद भी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत नहीं की गई है।

हमारी पूर्व माननीय मंत्री डा. (श्रीमती) बाजपेयी ने इस आयोग का नाम बदल कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग किए जाने का भी सुझाव दिया था जोकि एक राष्ट्रीय सलाहकार निकाय होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त इसका पदेन सदस्य नहीं रहेगा और सदस्यों की संख्या 12 से अधिक नहीं होगी। डा. (श्रीमती) बाजपेयी ने यह भी सुझाव दिया था कि आयोग अस्पृश्यता के विभिन्न प्रकार एवम् उनका किस सीमा तक प्रसार हुआ है, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक–आर्थिक और अन्य वे परिस्थितियां जिनके कारण अपराध होते हैं, का अध्ययन करेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने भी इस संबंध में गहरी रूचि ली थी और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सांसदों से मिले थे और उन्होंने इन जातियों के व्यक्तियों को न्याय प्रदान करने के लिए कुछ उपाय और साधन सुझाए थे। उदाहरणार्थ भारत

के किसी हिस्से से किसी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और उसकी शपथ के संबंध में जांच करना, किसी दस्तावेज को प्राप्त करना, शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सरकारी अभिलेख को मंगाना और गवाह और दस्तोवज की जांच के लिए अधिकार पत्र जारी करना।

जैसा कि मेरे मित्र श्री अन्बारासु सभा को बता रहे थे कि नौकरशाही लम्बे समय से आयोग के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के साथ अनुचित व्यवहार कर रही थी। कमजोर वर्गों के हमारे लोग छूआछूत से अभी भी पीड़ित हैं। राष्ट्रपिता महात्मागांधी ने अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के प्रयास किए थे लेकिन चालीस वर्षों के बाद भी हमारे देश में अस्पृश्यता जारी है। हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव एक बुराई है। मैं उल्लेख करूगां कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में वर्ष 1990-91 के दौरान अर्थात् 12 महीनों में हत्या के 650 मामले और बलात्कार के 1000 मामले दर्ज हुए थे।

कल्याण योजनाएं कागजों तक सीमित रहती हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के तत्कालीन आयुक्त डा. बी.डी. शर्मा ने महान्यायवादी को संवैधानिक उपायों के गम्भीर उल्लंघनों को रेखांकित करते हुए लिखा था और न्यायिक आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था।

जहां तक मैला ढ़ोने वालों का प्रश्न है तो दोनों सदनों में सफाई कर्मचारी विधेयक पारित हो जाने के बावजूद भी हमारे देश में 44 लाख मैला ढोने वाले लोग हैं। सरकार की इस सामाजिक बुराई को 1997 तक समाप्त करने की योजना है। लेकिन मुझे डर है कि यह बुराई इस शताब्दी के समाप्त होने के बाद भी जारी रहेगी। इन लोगों के साथ समाज में अमानवीय व्यवहार होता है क्योंकि इन लोगों को सिर पर मैला ढ़ोना पड़ता है। यह कल्पना से भी बाहर की बात है।

(श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुई)

4.07 म.प.

मैं एक अमरीकी नागरिक के साथ एक होटल में ठहरा हुआ था। उसने बड़े गर्व के साथ ऊपर से एक मुट्ठी भर सिक्के नीचे फेंके। वह अचम्भित थी कि श्रमिक दौड़–दौड़ कर उन सिक्कों को उठा रहे थे। उन्हें भारत में रह रहे लोगों की स्थिति को देखकर आश्चर्य हुआ था। सौभाग्य से उन्होंने सिर पर मैला ढ़ोने वाले व्यक्तियों की स्थिति को नहीं देखा।

आठवीं योजना में आबंटित 850 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में सरकार को शुष्क शौचालयों को चलते–फिरते शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए प्रतिवर्ष 2500 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता है। कार्यक्रम के अनुसार सरकार द्वारा एक वर्ष में एक लाख शुष्क शौचालयों को चलते–फिरते शौचालयों में परिवर्तित किया जाना है। यदि इतनी राशि ही आवंटित की जाती है, तो इस कार्य को पूरा करने में सरकार को पचास वर्ष और लगेंगे।

इसमें कुछ कानूनी अड़चनें भी हैं। मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित धनराशि को राज्य सरकारों द्वारा अन्य कार्यों पर खर्च किया जाने के संबंध में विस्तार से

चर्चा करूंगा। हमारे माननीय प्रधान मंत्री महोदय पिछड़े लोगों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सहायता करना चाहते हैं और इस उद्देश्य हेतु उन्होंने विशेष कोष की स्थापना भी की है। राज्य स्तर पर भी इस उद्देश्य हेतु अलग कोष की व्यवस्था है। किन्तु मुझे यह देखकर दुःख पहुंचा है कि हिमाचल प्रदेश ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पुनर्वास हेतु आवंटित धनराशि में से 50 करोड़ रुपए का एक हेलीकाप्टर खरीद लिया है। कुछ अन्य राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पुनर्वास हेतु आंबटित धनराशि में से वेतन का भुगतान करते हैं। सफाई करने वालों के पुनर्वास हेतु दो किस्तों का भुगतान किया गया था और केवल चार राज्य अर्थात् दिल्ली, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ही इस योजना को क्रियान्वित कर सके हैं। कुछ राज्य इस सुविधा का लाभ ही नहीं उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति चल रही है और यही उचित समय है जब हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा इसके साथ-साथ पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए कुछ किया है।

मैं तमिलनाडु की मुख्य मंत्री को जिन्होंने साहसिक कदम उठाते हुए 69 प्रतिशत आरक्षण कर दिया है, बधाई देने के मामले में अपने अच्छे मित्र श्री अन्बारासु का साथ दूंगा। हालांकि उनकी इस कार्यवाही को उच्चतम न्यायालय में चुनौती भी दी गई है। मैं कर्नाटक के मुख्य मंत्री को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने उनसे भी एक कदम आगे बढ़कर पिछड़ी श्रेणियों के लिए 80 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। कल्याण मंत्री महोदय भी यहां पर मौजूदा हैं और मुझे यह आशा है कि सरकार इस संबंध में कुछ करेगी और श्री अन्बारासु द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार आयोग का गठन किए जाने के अतिरिक्त एक संसदीय समिति का गठन भी करेगी।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दार: (जाजपुर) : मैडम चेयरमैन, हमारे मित्र श्री अन्बारासु सदन में जो रिजौल्यूशन लाये हैं, वह बहुत अच्छा रिजौल्यूशन है। मेरे ख्याल से, जब हाउस में पिछड़े वर्गों पर चर्चा शुरू हो गयी है तो खूब चर्चा होनी चाहिये। आज सदन में विपक्ष के सदस्य मौजूद नहीं हैं, मैं नहीं चाहता कि उनके विचार सुने बिना इस संकल्प पर चर्चा का उत्तर माननीय मंत्री जी सदन में दे दें क्योंकि इस विषय पर विस्तार में जाकर चर्चा की आवश्यकता है। चर्चा के दौरान कई अच्छी बातें सामने आ सकती हैं कि किस तरह हम देश की बैकवर्ड क्लासेज के जीवनस्तर को सुधार सकते हैं, उनके डैवलपमेंट के लिये, इम्प्रूवमेंट के लिये काम कर सकते हैं। उनके बारे में सभी तरफ के माननीय सदस्यों के विचार सामने आने चाहिए, किसी एक पक्ष के विचार सुनकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना हमारे लिये ठीक नहीं होगा। यह दुख की बात है कि विक्ष आज सदन में मौजूद नहीं है इसलिए हमारे पक्ष के चार-पांच लोगों के विचार सुनकर चर्चा का उत्तर मंत्री जी को नहीं देना चाहिए, हम चाहते हैं कि नेशनल लेवल पर चर्चा होनी चाहिये, अच्छे ढंग से चर्चा होनी चाहिये, इसलिये चर्चा का उत्तर हम तुरन्त नहीं चाहते हैं।

हिन्दुस्तान में जितने औरत और मर्द हैं, बाल-बच्चे हैं, वे सब मातृभूमि की संतान हैं। धरती हमारी मां और बाप दोनों हैं क्योंकि हम धरती पर रहकर जिन चीजों का उपभोग करते हैं वह सब धरती मां ही हमें देती है। आप देख लीजिये, हम जो कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं सब धरती के

गर्भ से उत्पन्न होता है भले ही हमारी सामाजिक व्यवस्था में कुछ भी हो। इस धरती पर जिसने जन्म लिया है, मातृभूमि से उसे उसका शेयर मिलता है और मातृभूमि के प्रति उसका एक कर्तव्य बन जाता है। जिस तरह प्रत्येक परिवार में हर बच्चे को मां–बाप की सम्पति में बराबर का शेयर मिलता है, उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, उसी तरह हम लोग चाहे शैड्यूल्ड कास्ट से संबंधित हों, माइनौरिटी हों, बैकवर्ड हों, ट्राइबल हों और जहां तक ट्राइबल्स का ताल्लुक है, हमारे देश में आज भी कई ट्राइबल नंगे रहते हैं, उदाहरण के लिए जारवा जाति के लोगों के पास हमारे देश के आदमी अभी तक नहीं पहुंच पाये हैं, मैंने एक पिक्चर देखी थी जिसमें कुछ लोगों ने अंडमान में उनके साथ जाकर डांस किया।

इसके माफिक हमारे एरिया में भी एक–दो कम्युनिटी हैं। उनमें से एक माकड़िया कम्युनिटी है, जो बन्दर को खाते हैं। वे अपना घर नहीं बनाते हैं। उनका कहना है कि अनु यानी बन्दर, ने उनका घर तोड़ दिया। हमने राम चन्द्र जी से शिकायत की। उन्होंने हमारा घर नहीं बनाया। तब से हमने घर बनाना छोड़ दिया और जंगलों में रहना शुरू कर दिया, ऐसा उनका कहना है। इसलिए चूंकि बन्दर ने उनका घर तोड़ा था इसलिए वे बन्दर को खाते हैं। वैसे आपने देखा होगा, बन्दर पेड़ पर ही रहता है। वहीं खाता है और सोता है, लेकिन कभी गिरता नहीं है, परन्तु माकड़िया को देखकर बन्दर अपने आप गिर जाता है। वह इतना डर जाता है कि उसको होश ही नहीं रहता है। इसी प्रकार के बिरोहर उड़ीसा में मिलते हैं। इन्हीं को बंगाल में माकड़िया कहते हैं। ऐसी–ऐसी जातियां हमारे देश में हैं। इसी प्रकार की एक जाति कैला है जिसका आज तक कोई बाल–बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है। इस देश में ऐसी हालत है। प्रिमिटिव टाइप के बहुत आदमी हैं। इसलिए सबके लिए काम करना इस सरकार का काम होना चाहिए।

सभापति महोदया, हमारी उम्र में जो हम देख रहे हैं, उसके अनुसार इन लोगों के लिए बहुत काम हुआ है और हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी बहुत कम आगे बढ़े हैं और जनजातीय लोगों की इन जातियों तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में जहां इतने लोग हैं वहां बहुत पढ़े–लिखे लोग हैं और एम.ए. तथा बी.ए. भी बहुत हैं, लेकिन वहां कभी फ्लड आता है, कभी ड्राउट आता है और कभी साइक्लोन आता है। हमारे यहां के लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि वर्ल्ड में वे सब जगह मिल जायंगे। जैसे पंजाबी वर्ल्ड में सब जगह होते हैं, वैसे ही हमारे यहां के लोग मिल जायंगे। जैसे आलू संसार के हर भाग में मिलता है, वैसे ही पंजाबी संसार के हर भाग में मिलता है। इसी प्रकार से हमारे लोग भी संसार के हर भाग में मिल जाएंगे।

सभापति महोदया, आज जब बैकवर्ड लोगों के ऊपर चर्चा चल रही है और यह काफी दिनों से चल रही है, होते–होते हम आज यहां तक पहुंचे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमें इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जो प्रोग्राम चल रहे हैं वे किस के लिए चल रहे हैं। ये लोग गांवों में रहते हैं और खेती–बाड़ी करते हैं। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि के जितने प्रोग्राम चल रहे हैं ये उनके लिए हैं, लेकिन मैं चेलेंज करता हूं, मंत्री जी बैठे हैं, 10 आदमी ऐसे दिखा दें जिन्होंने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत सहायता ली हो और वे गरीबी की रेखा से ऊपर चले गए हों। आपका जो इन्कम का क्राइटीरिया है वह 7500 का है। उनके लिए आप 10,000 रुपया देते हैं जिसमें से 5,000 रुपया सबसिडी होती है, लेकिन उनको यह सबसिडी पूरी नहीं मिलती है। इस सबसिडी में से साढ़े तीन हजार रुपए बिचौलिया खा जाते हैं। इसलिए जब हम देखते हैं कि यह सिस्टम,

यह कंसैप्ट काम नहीं कर रहा है, तो इसको इफैक्टिव बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज भी वैलफेयर मिनिस्टर बता सकते हैं कि ट्राइबल सब–प्लान हैं, तो बैनीफिट स्कीम के अन्तर्गत एक भी आदमी ऐसा हो जो पावर्टी लाइन से ऊपर चला गया हो ? मैं कहता हूं कि नहीं गया है। मैं चेलेंज करता हूं। मुझे लगभग 9 साल का इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव है। मैं चार साल तक इसकी समिति का चेयरमैन रहा हूं और आठ साल तक सदस्य रहा हूं। मेरा काम ही यह है कि मैं गरीबों के उत्थान की बात करूं और सोचूं। मैं ऐसे गरीब परिवार से पैदा हुआ हूं जहां से शायद कोई पैदा नहीं होगा मैं एक बांडेड लेबर का लड़का हूं। मैं बचपन से उन लोगों को देख रहा हूं कि उनके लिए क्या हो रहा है। मैं भगवान की कृपा से यहां तक आया हूं और इंदिरा जी के समय में मुझे यहां आने का मौका मिला था। एस.सी., एस.टी के चेयरमैन होने के नाते मुझे सारा हिन्दुस्तान घूमने का मौका मिला और हमने यह देखा है कि जो बड़े लोग हैं उन्हीं पर ही पैसा खर्च किया जाता है, बैकवर्ड लोगों पर नहीं किया जाता। बड़े लोगों की सम्पत्ति बढ़ती जाती है और आज तक बढ़ती ही जा रही है। लेकिन उनके बारे में आपकी क्या स्कीम्ज हैं, क्या वेलफेयर मिनिस्टर इसके बारे में बता सकते हैं ?

[अनुवाद]

क्या आप मुझे एक भी रिक्शा चालक ऐसा दिखा सकते हैं, जो गरीबी की रेखा से ऊपर हैं, जो अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाने में समर्थ हैं ? नहीं ऐसा कोई भी नहीं है।

[हिन्दी]

हम लोग लॉग टर्म में वोट लेकर आते हैं। इसका फायदा हमें भी मालूम है। वोट लेने के लिए जो हमारे तरीके होते हैं उसको तो हम लेकर आते हैं लेकिन आखिर होता क्या है ? जब उनको कोई शेयर देने के लिए कहा जाता है तब वह कहते हैं कि हमें इन लोगों के लिए कुछ न कुछ करना होगा और बाद में कहा जाता है कि यह सब देने के लिए हमें टाइम चाहिये। हम हिन्दुसतान के रिप्रेजेटेटिव्स हैं। आपके गांव में, आपके एरिया में बैकवर्ड कौन है, क्या आपको मालूम नहीं है? अगर सब लोग हमें लिस्ट दे दें तो उसकी लिस्ट बन जाती है। कमीशन वगैरह क्यों बैठाना है, कमिशन बैठाने से 2-3 साल और लग जायेंगे। कमीशन में जज कौन होंगे? वे अपर क्लास के लोग होंगे और उनकी जैसी मंशा होती है, वे वैसा ही काम करते हैं। हमारी कम्युनिटी ने बहुत अच्छे–अच्छे रिकमेंडेशन्स दिये हैं, क्या वे सरकार ने माने हैं? कई ऐसे बेनीफिशयरीज लोग हैं जो दूसरों को बेनीफिट देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए इस वजह से आज इस कमीशन की मांग है और इसलिये आज पार्लियामेंट की जो कमेटी है, वह कुछ नहीं कर पा रही है। आपके एरिया में कौन बैकवर्ड है, उस पर बैठकर चर्चा कर लें तो उसकी लिस्ट आ जायेगी। यह सब काम इस वजह से हो रहा है कि कमीशन बैठाना है और कुछ पैसा उन लोगों को देने के लिए तैयार होंगे। उन लोगों को फायदा देने के लिए कमीशन और कार्पोरेशन बैठाते हैं। बैकवर्ड के लिए कमीशन है, माइनौरिटीज के लिए कमीशन है और नेशनल कमीशन ऑन एस.सी., एस.टीज., अंडर 33 एक्ट तो है ही। 2-4 कार्पोरेशन और भी बन गये हैं। इससे कितना बर्डन होता है क्योंकि वहां पर एक कैबिनेट रैंक

का सैक्रेटरी होता है। उसके पास गाड़ी भी मौजूद रहेगी और मेम्बरों के लिए भी रहेगी। अगर उन पर इतना ज्यादा पैसा खर्च होगा तो डेवलपमेंट के लिए कहां पैसा रहेगा। एक छोटी से मिनिस्ट्री में 1100 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और कार्पोरेशन में जितने सेक्रेट्रीज हैं, वे सब कैबिनेट रैंक के हैं और उन सबके पास गाड़ी हैं। आप मुझे बताइये कि उन सब लोगों का क्या काम है? क्या जनता को उनसे कोई लाभ हो रहा है ? संविधान में हमने यह कमीशन बना रखा है और उसके अध्यक्ष श्री रामधन हैं, जिनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं लेकिन वे इस बारे में क्या कर सकते हैं। वे लोग गाड़ी लेकर उनकी कौन्सीटूएंसी में जाते हैं, नहीं तो दूसरे लोग आ जाते हैं। उन्होंने आज तक क्या रिपोर्ट दी है ? जब से हमारा नया कानून बना है, क्या नेशनल कमीशन ने इस हाउस में कुछ पेपर्स दिए हैं? पुरानी रिपोर्ट की वहां चर्चा हुई, इधर भी होने वाली है। आप जो कमिशन बनाते हैं, मेरे अनुभव के अनुसार वह सिर्फ एक बहाना है। मैं यह कहता हूं कि यदि इस कौन्सैप्ट से काम नहीं चलता तो दूसरा कौन्सैप्ट बनाइए। अभी अंडर 339 में क्या एस.सी., एस.टी, के लोगों के लिए कोई कमिशन बिठाया है ? मैं कहता हूं कि कमिशन की जरूरत नहीं है, यदि हम ही 2-3 दिन तक चर्चा कर लें तो अच्छे सुझाव दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आई.ए.एस., ब्यूरोक्रैटस को रखा जाता है।

रूरल लेबरर्स के लिए एक कमीशन बनाया गया था। वह भी मैंने पढ़ा, वह भी दूसरे कमिशन जैसा ही है। अच्छी–अच्छी रिपोर्टस भी हैं, अच्छी रिकमैंडेशन्स भी हैं। लेकिन क्या किसी रिकमैंडेशन को इम्प्लीमैंट किया गया ? नहीं किया गया। मैं यह अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। मैं अपने मन की भावना सदन के सामने रख रहा हूं। हमारे जितने भी एम.पी. भाई हैं, क्या ये गांवों में जाकर कुछ नहीं देखते ? हमारे पास रूरल डैवलपमैंट के लिए बहुत से प्रोग्राम हैं।

पानी का बंदोबस्त हुआ लेकिन वह कहां तक ठीक हुआ है? हमने अपने एरिया में जांच करवाई। एक मिलियन लोगों में से केवल 21 बैनीफिशियरीज ही निकले हैं। सारा पैसा बिचौलियों ने ले लिया। एक बिडर के नाम पर 8 लाख रुपये निकला है। मैंने कम्प्लेंट की थी कि जाकर देखना चाहिए। पटनायक जी को बताया कि इतनी गड़बड़ है, आप इसे ठीक करें। २ ज्वाइंट सैक्रेटरी गये। उन्होंने इसको देखा और रिपोर्ट दी। मैं जब अनुसूचित जाति और जनजाति समिति का चेयरमैन था तो राजमोहन गांधी को बिहार भेजा था। बिहार में उनको जाने नहीं दिया गया। उनके रास्ते में केनाल काटकर, उसका बहुत सा पानी बहा दिया ताकि उनकी गाड़ी आगे न जा सके। मैंने नेशनल काउंसिल में जब मांग की तो उन्होंने कहा कि :

[अनुवाद]

आप कौन होते हैं? केन्द्र सरकार कौन होती है? हमारी अपनी सरकार है। हमारे पास अपने अधिकारी हैं। हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप कुछ भी नहीं हैं। केन्द्र सरकार के पास जो धन है वह हमारा अपना है। आप इसे भेज दीजिए।

[हिन्दी]

बीजू पटनायक कहते हैं कि सैंट्रल गवर्नमैंट के आदमी बुद्धिमान नहीं हैं। वे कौन हैं जो पैसा

नहीं देंगे ? इम्पलीमैंटेशन कराने वाली कोई एजेंसी नहीं है। आप अपना खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं। अलग–अलग कमीशन और कारपोरेशन बनाते जा रहे हैं। हमने प्रणव जी और प्रधानमंत्री जी को भी कहा कि इस पर रखी गई राशि को बढ़ाओ। जहां सेवा करने का काम होता है, वहां पैसा देने के लिए न तो प्लानिंग कमीशन आगे आता है और न ही दूसरा कोई आता है।

4.32 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी की गरीबों के प्रति हमदर्दी है। आप कमीशन तो बैठा देते हैं लेकिन उनको ऊपर उठाने के लिये दूसरा कोई नया तरीका निकालते नहीं है। इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। उनको ऊपर उठाने के लिए कानून और संविधान में परिवर्तन करना चाहिये। शेडयूल्ड कास्ट्स, शैडयूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासिज और माइनॉरिटीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं कर पायेगा। यह सरकार का काम है। संविधान में इसके बारे में साफ लिखा हुआ है। अगर उनको लाभ देना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं और बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं तो कोई न कोई प्रोविजन आवश्य करें। तो आप कभी भी देखिये,1971 में क्या हुया। 1971 में बैंक वाले नेशनलाइजेशन नहीं करने देते थे और दूसरा राजा–महाराजाओं के प्रिवी पर्स का मामला था लेकिन इन्दिरा गांधी जी ने उसको चेलैंज करके किया और तुरन्त किया। इसकी तरह ही मैं तो सजैस्ट करूंगा कि अगर कहीं पर सुप्रीम कोर्ट बाधा डालता है, कहीं पर साहूकार लोग बाधा डालते हैं, कहीं पर ब्यूरोक्रेसी बाधा डालती है तो इनके बारे में संविधान में जहां चेंज करने की जरूरत है, वहां चेंज करना चाहिए ताकि लोगों के खिलाफ कोई नहीं जा सके। इसमें सिर्फ सरकार और पार्लियामेंट का अधिकार होना चाहिए, दूसरे किसी को अधिकार नहीं होना चाहिए। जब आप थोड़ा सा काम लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ा देते हो तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और इण्टरप्रिटेशन करके गरीब लोगों के काम में बाधा खड़ी करता है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि यह हमारा भाई है, यह हमारी बहन है, यह हमारा लड़का है। जजेज के लड़के–लड़की भी उनसे शेयर लेते हैं, वह मर जायेंगे तो उनकी प्रापर्टी उनके बाल–बच्चे लेंगे और ठीक ढंग से बंटवारा होगा। जो उनको राष्ट्र दे रहा है, जिसको राष्ट्र ने क्रिएट किया है, उसमें राष्ट्र के लोगों का प्रोपोर्सनेटली लोगों की क्षमता के हिसाब से मौका मिलना चाहिए लेकिन यह ऐसा क्यों नहीं करते हैं ? इसमें कौन अड़ंगेबाजी ज्यादा करता है ? अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट रास्ते में ज्यादा खड़ा हो गया है। शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यल्ड ट्राइब्स के डवलपमेंट में यह लोग खड़े हो जाते हैं।

एक आदमी का ग्रुप ए और ग्रुप बी में रिजर्वेशन है तो उसका हिस्सा प्रमोशन में क्यों नहीं होगा? इसलिए कि आप लोगों ने कर रखा है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बैंक के केस में आर्डर लेने के लिए गये लेकिन उन्होंने नहीं माना। जब वह हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि वह बात अलग थी, यह बात अलग है इसलिए नहीं करने देंगे तो यह क्या बात है? सुप्रीम कोर्ट को लोगों की भलाई करनी चाहिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी काम में बाधा डालता है तो मैं गवर्नमेंट से अर्ज करूंगा कि संविधान में ऐसा परिवर्तन करिये ताकि सुप्रीम कोर्ट गरीब लोगों के वैलफेयर के काम जो सरकार ले रही है, उनमें वह कहीं कुछ बाधा नहीं डाल पाये। उनके पास ऐसा कुछ करने के लिए हक नहीं हो। नहीं तो आज जिस तरह से हमारे देश में चल रहा है, वह सारे देश में आप देखते होंगे।

किस तेजी से अनएम्पलायमेंट बढ़ रहा है। यह इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि स्कूल कालेज इस सरकार के जमाने में बहुत बढ़ गये हैं। मैं जब हाई स्कूल में पढ़ता था तो मेरे एरिया में 4 हाई स्कूल थे लेकिन अब 70 ग्रेजुएट कालेज हो गये हैं, जहां पर एक हजार से ज्यादा लड़के हैं और मां बाप को तंग करके आज बच्चे लोग पढ़ते हैं। पढ़ाई के बाद आज उनके पास कोई धन्धा नहीं है। इसके लिए जिम्मेदारी इन लोगों की ज्यादा नहीं है, उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। आज जिसको क्लास फोर की नौकरी मिल जाती है वह दूसरी बार कहीं प्रमोशन लेकर बाबू बन जाता है और वह गांव की तरफ देखना छोड़ देता है। अगर वह कभी गांव में जाकर गाय की सेवा करे, दूध निकाले, खेती में काम करे, जैसा गांव के लोग करते हैं, वैसे ही हमारे आई.पी.एस., आई.ए.एस., और बाकी अधिकारी भी करें, वह भी गांव में आकर खेाती का काम करें, घास काटें, एक दो दिन की छुट्टी लेकर खेती में काम करें तो गांव वालों के मन में यह बात आयेगी कि हम इसी काम को करें। अगर कोई पढ़-लिख कर अफसर बन जाता है, क्लास फोर भी हो जाता है तो हमारे मन में यही बात होती है कि चाहे हम क्लास फोर के हों लेकिन हम खेती में नहीं जायेंगे। हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी कल्चर यह है कि हम काम नहीं करेंगे, हमें नौकर चाहिए। हमें खुद घर को साफ करने में लाज आती है और कपड़ा भी साफ करने में लाज आती है। यह जो कल्चर है, इसके लिए बड़े लोग जिम्मेदार हैं और इसमें पूंजीवाद का भी बड़ा हिस्सा है।

मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं, एक संसदीय समिति ऐसी बनानी चाहिए, जिसमें हर सदस्य हिस्सा ले और आप पहले उनको क्वैश्चनेयर भेजें और उसके बाद फिर चर्चा हो। जब ऐसा होगा, तब यह काम जल्दी हो सकता है जहां तक कमीशन का सवाल है, तो कमीशन के व्यक्ति किसी एक स्थान के होंगे और जब वे दूसरी जगह जायेंगे, तो उनको कुछ मालूम नहीं होगा। एक मंत्रीजी हैं, उनका घर दूसरी जगह है, उनको गांव के बारे में कुछ मालूम नहीं है, उनको गांव के बारे में देखना चाहिए। इन लोगों के पास पैसा है, पार्टी का टिकट मिल गया और जीतकर आ जाते हैं। उनका नाम लेना ठीक नहीं है। मैं काफी सालों से देख रहा हूं। होता यह है कि पश्चिम बंगाल में कारखाना है और मध्य प्रदेश से जीत कर आ जाते हैं। घर केरल में है और उड़ीसा से जीत कर आ जाते हैं। शैड्युल्ड कास्ट्स और शैड्युल्ड ट्राइब्स के लिए हमारे पास समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं। गांवों मे बैकवार्ड वहीं है, जिसके पास खेती नहीं है, भूमिहीन है, मार्जिनल किसान हैं और बन्धुवा मजदूर हैं। जहां तक क्रिमिलेयर की बात है, आधे भी क्रिमिलेयर नहीं निकलेंगे। इस बारे में मेरे क्षेत्र में आइ-सर्वे करा रहे हैं, लेकिन संख्या कुछ भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग गांवों में रहते हैं। खेती करते हैं, गाय रखते हैं, नहीं तो किसी के घर में काम करते हैं। राजीव जी के जमाने में एक ब्लाक में 80 लाख रुपया खर्च करने की बात हो रही थी। इतना पैसा सर्क्युलेट होता है, इतने कार्यक्रम हैं, लेकिन फिर भी काफी तादाद में लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। सर्वे कराया गया और उनको कार्ड दे दिये गए हैं। चाहे जहां पर पार्टी का सवाल है। मान लीजिये उड़ीसा में कोड़ नं. नहीं मिला है हम जा कर पूछते हैं तो फिर कोड नं. दे देते हैं। किसी ने कहा हमें नहीं मिला तो कहा कि कोर्ट में चले जाइये, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, स्कीम है उसके हिसाब से ये सारी बातें कोर्ट में जा सकती हैं तो फिर लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है क्योंकि यह पार्टी की बात है, लड़ाई करने से या कोर्ट में जाने से थोड़ी सुविधाएं मिल जाती है। मेरे पास अभी आंकड़े नहीं हैं मेरे अंदाज से लाखों-हजारों रुपए आई.आर.डी.पी. में खर्च हुए हैं। स्टेट प्लान, सेंट्रल प्लान वेलफेयर मिनिस्ट्री को पता है, ट्राइबल सब-प्लान और शेड्यूल्ड कास्ट्स लोगों

के लिये 75 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मेरा कहना यह है कि अगर इतना पैसा खर्च होता है तो फिर क्यों आदमी आगे नहीं बढ़ता है। जो लोग पढ़–लिख जाते हैं तो उनको नौकरी मिल जाती है और उनका जेनरेशन गेप थोड़ा कम हो जाता है। अगर किसी को नौकरी मिलती है तो वह नेकस्ट जेनरेशन के लिये तैयार हो जाता है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे कृषि का बंटवारा होता जा रहा है। कहीं पर स्कूल बन जाता है, कहीं नदी, समुद्र में थोड़ा ऐरिया चला जाता है तो इस तरह से काफी ऐरिया खत्म हो जाता है। कुछ जमीन घर बनाने के लिये चली जाती है तो इसलिये कृषि के लिये जितनी जमीन थी वह भी घट जाती है। अब जैसे पंजाब में, तमिलनाडु वगैरह में यह स्थिति है कि वहां सब गरीब लोगों को हटा दिया है। वे लोग वहां से कहीं और चले गये हैं। मैंने देखा है, मेरा जो अनुभव है वह यह है कि सारे के सारे गरीब लोग कोयम्बतूर, मद्रास या दिल्ली में हैं वहां पर आ कर वे अपनी रोजी–रोटी कमाते हैं। आप देखें कि जहां पर लोग काम कर रहे हैं वे तमिलनाडु के लोग होंगे। उनको बड़े साहूकार ले आते हैं और वे सौ रुपए में आ जाते हैं और फिर उनके लिए वापस जाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहीं पर उनको झुग्गी–झोपड़ी बना करके रहना पड़ता है। तो यह जो व्यवस्था है यह ऐसा मुद्दा है जोकि उनको नुकसान पहुंचाता है इसके लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया।

महोदय, मैंने आज भी एक प्रश्न उठाया था कि इनडिपेंडेंस के बाद, इतने सालों के बाद भी क्या हो रहा है ? यहां पर वे लोग अपने अधिकार के लिए इतने सालों से लड़ रह हैं लेकिन उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तहसीलदार और रेवेन्यू इंसपेक्टर उनको अधिकार देते नहीं हैं। उनसे कई लोग पैसा लेते हैं, जमींदार जमीनों पर कब्जे किये हुए हैं। आज भी ये लोग इसी तरह से रह रहे हैं। कानून में प्रावधान है और इनको कहा गया कि तुम अप्लाई करो, लेकिन इन्होंने अप्लाई नहीं किया। लेकिन मेरा कहना यह है कि सरकार ने सुओमोटो क्यों यह काम नहीं किया और उनको हक नहीं दिया। बहुत लोगों को यह हक मिला है, लेकिन आज भी हम जंगलों में देखते हैं कि लोग इस स्थिति में वहां पर रह रहे हैं। हमारे यहां भी अभी सेटलमेंट चल रहा है। हमने कहा कि वह भूमि उन लोगों के कब्जे में है। वहां पर पेड़ वगैरह बड़े हो गए हैं, इसलिए यह काम करना चाहिए। वे लोग जवाब देते हैं कि हमको सरकार ने कहा है, हम पूछते हैं कि कहां कहां है, क्या कोई लिखित आदेश हैं, तो वे लोग कुछ बताने में असमर्थ रहते हैं।

[अनुवाद]

क्या सरकार द्वारा कुछ मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं ? नहीं महोदय, उन्होंने हमें मौखिक रूप से यह बताया है कि यह भूमि किसी व्यक्ति के कब्जे में है अथवा नहीं आप कुछ भी न लिखें। आप इसका उल्लेख न करें। यही स्थिति है।

[हिन्दी]

तो जितने हमारे गरीब, बैकवर्ड लोग हैं, उन सब के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है, इसको भी देखना चाहिए।

मैं वाणिज्य के बारे में बात कर रहा था, लेकिन व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए, 40000-50000 रुपया चाहिए और यह पैसा कहां से आएगा। यदि कोई किसी तरह से व्यापार कर भी लेता है तो उसका घाटा होता है, वह बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकता।

[अनुवाद]

सौ परिवारों में से मात्र पांच प्रतिशत परिवारों ही इस धारा में आ सकते हैं। मेरा यह दृष्टिकोण उन 95 प्रतिशत नए परिवारों के बारे में हैं, जिन्होंने व्यापार को अपना पेशा बनाया है। वे असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस चीज की कोई आदत नहीं हैं उनमें यह विशेषता नहीं है। व्यापारी लोगों में थोड़ी विशेषता सी होती है जिसके आधार पर वे कुछ कमाई कर सकते हैं।

[हिन्दी]

क्योंकि व्यापार के लिए जितना पैसा चाहिए, उतना उसके पास नहीं है, फिर वह इस लाइन में कैसे जाएगा। इसीलिए आज राजकर्मिणी का बहुत महत्व है और कोई भी नौकरी मिले, उससे लोगों को बहुत लाभ होता है, चाहे वह नौकरी क्लास फोर की ही क्यों न हो। नौकरी मिलने से वह व्यक्ति आने वाली जेलरेशन को तैयार कर लेता है। लेकिन आज नौकरियों की क्या स्थिति है। आज हमारे यहां फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, बी.एस.सी, एम.एस.सी, बी.काम लड़के बैठे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए जो पहले कार्पोरेशन बनाया गया है, उसको स्टडी कीजिए कि इसका कितना लाभ लोगों को मिला है, इसके बाद किसी और कार्पोरेशन की बात होनी चाहिए।

अभी बैकवर्ड कार्पोरेशन के लिए 125 करोड़ इस साल के लिए रखा गया है, लेकिन अभी सिर्फ चेअरमैन अपायंट किया गया है, सेक्रेटरी आपयंट किया गया है और ऑफिस वर्क चल रहा है, दफ्तर का काम चल रहा है, सर्वे का काम चल रहा है, पेपर वर्क हो रहा है, लाभर्थियों को कब इससे लाभ होगा, इसके बारे में अभी कोई पता नहीं है, शायद अगने साल से यह काम होगा।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो कार्पोरेशन आपकी लिस्ट में हैं, आप उनका सर्वे करायें। आप देखें कि वास्तविक स्थिति क्या है और वे कितना काम कर रहे हैं। अगर वे सही काम कर रहे हैं तो ठीक है, वरना उनको न चलायें। हमारे यहां स्टेट फाइनेंस कार्पोरेशन है। लेकिन हमने देखा है कि बैंक वाले उससे ज्यादा पैसा देते हैं। आप अगर इन निगमों को समाप्त कर देंगे या आपस में इनका विलय कर देंगे तो आप पर आर्थिक रूप से जो बोझा है उसमें भी कमी आएगी। अगर आप बैकों के द्वारा देंगे तो ज्यादा पैसा गरीब के पास जायेगा। इससे विकास के काम होंगे। स्कूल, अस्पताल आदि गांवों में बन सकेंगे।

इंदिरा गांधी के समय गरीबी हटाओं नामक कार्यक्रम शुरू हुआ था। यह एक सोशल एप्रोच थी। ऐसी ही भावना हमें आज भी पैदा करनी है और गरीब लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम शुरू करने चाहिए। आज आप अखबार देखें, अभी फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया था कि हिन्दुस्तान में बड़े–बड़े निगम निकल रहे हैं और वे बैंकों से ज्यादा पैसा दे रहे हैं। ऐसे ही स्टाक एक्सचेंज को देखें वहां पर इतनी गड़बड़ के बाद भी लोगों को ज्यादा पैसा मिल रहा है। आज हमारे देश में आगे बढ़ने के लिये जो मुख्य रास्ते हैं इन लोगों को भी उन पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर

कोई किसी चीज की एजेंसी लेना चाहता है तो वह उसको भी देनी चाहिए। पढ़े–लिखे लोग कोटे के अंतर्गत नौकरियों में चले जाते हैं तो उनको भी लाभ मिल जाता है। लेकिन आप अन्य धाराओं में भी उनको काम दें और देखें कि कैसे उनको लाभ मिल सकता है। चाहे एजेंसी देनी हो, बड़ा बिजनेस हो, खेती हो या कम्पनी के शेयर का मामला हो।

अभी हमने पढ़ा कि सरकार उद्योगपतियों को वन लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है कि वे वन लगायें और लकड़ी प्राप्त करें। आप देखें कि आज भी हम लोग तारकोल बाहर से मंगाते हैं, हमारे यहां नहीं बनती। मेरा अनुरोध है कि वे लोग पेड़ों से तारकोल निकालें और इस तरह के जंगल में पेड़ लगाये जिससे तारकोल मिले और कागज प्राप्त भी हो, इसके लिए वे मिल भी लगा सकते हैं। इस तरह से उनको वन लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। राम सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वेस्टलैंड को निजी कम्पनीजी को दिया जायेगा। इसके लिए उनको 25 प्रतिशत ग्रांट दी जायेगी और 75 प्रतिशत लोगन दिया जायेगा। यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस में निकला है।

5.00 म. प.

बैंकों द्वारा ऋण देने का काम हो सकता है। इसलिये मेरी मांग थी कि उस कम्पनी के दो सौ शेयर दे दो नहीं तो एक भी पेड़ नहीं रहेगा। इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं कि तमिलनाडु का एक डी.आई.जी रैंक का आफिसर वहां आया और ट्राईबल ऐरिया में 600 एकड़ जमीन ले ली और वहां पर काजू के पेड़ लगा दिये। अब पहले वहां पर रागी की फसल होती थी और गरीब लोगों को खाने के लिये कुछ नहीं मिलता था। हमने कहा कि इनको कहां से खाने को मिलेगा। इसके अलावा जो अच्छे पैसे वाले भी थे तो वे भी गरीब हो गये। यदि ट्राईबल एरिया के लिये कोई पैसा भी मिला होगा और जहां पर डेम बनाना होगा तो वह पैसा यूं ही चला गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ट्राईबल ऐरिया के लिये तो कुछ भी नहीं हुआ।

महोदय, मेरी सारी जिन्दगी इन लोगों के साथ कटी है और अनेक बार जेल गया हूं। यदि इस प्रकार विज्ञापन के द्वारा 600 एकड़ जमीन की बिक्री हाती रही तो इन ट्राईबल लोगों के लिये खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी ? इसलिये कहता हूं कि इन लोगों को कुछ शेयर दे दो जिससे अपनी जिन्दगी चला सकें। यदि बड़े लोग ही सब कुछ लेकर चले जायेंगे तो क्या होगा। इसलिये एक कम्पनी से मैंने मांग की थी कि यदि पेड़ लगाना है तो उनको 200 शेयर्स दो। साथ ही 300 रुपये एक आदमी को देना होगा नहीं तो यह नहीं हो सकता है। कारण मैंने बताया है कि इससे इन ट्राइबल लोगों को कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता है। यदि पूरा हिसाब लगाया जाये तो दोनों को ही फायदा मिलेगा। मेरा यही सजेशन है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, आज उनको सबसिडी दी जा रही है लेकिन हम खा रहे हैं दफ्तरों में सब खा रहे हैं। इसलिये इस सबसिडी को डायवर्ट कर दो। इस बारे में देश के बैकवर्ड, अनुसूचित जाति और लैंडलेस लेबर से कहा जाये कि वह हर महीने 15 रु. जमा करे और 15 रु. सरकार दे और पोस्ट आफिस में जमा कराया जाये तो इससे सबसिडी कम हो जायेगी। 26 परसेंट बोनस मिलता है और फिर एप्रेजल भी है यानी उसका वैल्यू बढ़ता ही जाता है। मेरे एक वैस्ट बंगाल के मित्र थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सजैस्शन दिया कि हम गरीब लोगों को जो 10 हजार रुपए देते हैं, वे उससे कुछ नहीं कर पाते हैं, हम क्यों न उनके नाम से 10 हजार रुपया किसी बैंक में रख दें ताकि हर महीने उसे कम से कम 100 रुपया

तो मिलता रहे और जब वह रिटायर हो तो उसे 10 हजार रुपया मिल जाये जिससे वह कोई ठोस काम शुरू कर सके। मैं आज महसूस करता हूं कि वह सुझाव कितना उपयोगी था। आज कोई व्यक्ति यदि 10 हजार रुपया लेकर मार्केट मे चला जाता है, घूमता–फिरता है, कुछ काम करता है वह पैसा ऐसे ही खर्च हो जाता है। यदि फिक्स डिपौजिट में उस पैसे को रख दिया जाये तो हर महीने उसे 100 रुपया मिलता रहेगा और रिटायर होने पर वह उस पैसे से जमीन खरीद सकता है या कुछ दूसरा धंधा शुरू कर सकता है।

मैं जिस कमेटी में था, मैंने उसमें कई बार सुझाव दिया कि गरीब लोगों को पैसा न देकर जमीन खरीद कर देनी चाहिये लेकिन कौन सी सरकार आज ऐसा करती है। यू.पी में सिर्फ एक ही अनुसूचित जाति से संबंधित कलैक्टर था जिसने लोगों को आई.आर.डी.पी में जमीन खरीद कर दी। फिर कुछ दूसरे सूबों ने ऐसा करना शुरू किया। हमारा परपज तो गांव के लोगों के जीवन–स्तर को ऊंचा उठाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। गांव में कौन लोग रहते हैं, रिक्षा–पुलर्स सारे हिन्दुस्तान में मिलते हैं, स्केवैंजर्स के लिये बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारी सरकार ने चलाया है। कुछ लोग देहातों से शहर में आते हैं लेकिन जब तक शहरों से देहातों को लोग नहीं जायेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमारे यहां गांव में एक कहावत है और काफी हद तक सच भी है कि जिसके घर में गाय हो जाती है, वह काफी एक्टिव बन जाता है यानि गाय से काम शुरू करना हमारे देश का कल्चर है। यदि हम किसी और चीज से शुरू करते हैं, कोई दूसरा धंधा करते हैं, मुझे मालूम है कि एक औरत को साईकिल मिली थी लेकिन गांव में रहने वाली औरत साईकिल का क्या करेगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यदि वह शैड्यूयल्ड कास्ट की हो तो उसकी हालत क्या होगी शहरों की स्थिति दूसरी है लेकिन गांव में एक अनुसूचित जाति की महिला की स्थिति क्या होगी ?

इसलिये मेरा सजैस्शन है कि पैसा न देकर आप कोई ऐसी स्कीम बनाईये ताकि हर परिवार आने वाले 10-15 साल में कम से कम लखपति बन सके। यदि इस तरह आप लोगों को सहायता देंगे तो निश्चित रूप से वे बहुत जल्दी मेनस्ट्रीम में आ जायेंगे। आज हम कितनी सबसिडी इन लोगों को देते हैं, 3500 करोड़ रुपया, वह सब बर्बाद हो जाता है और इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। मैं गरीब लोगों के हित में हमेशा से काम करता आया हूं, उनके बीच ही रहता हूं और मैंने अपने क्षेत्र में उनके जीवन का ही अध्ययन किया है। मेरे गांव में 50 परिवार हैं और छोटा सा गांव है जिसका मैं हमेशा आई–सर्वे करता रहता हूं और मुझे मालूम है कि कहां क्या हो रहा है। हम मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को ऐसा मालूम भी होना चाहिये, ब्यूरोक्रेट्स को उतना मालूम नहीं हो सकता क्योंकि उनमें से कोई हिमाचल प्रदेश का होता है, कोई उड़ीसा का और कोई तमिलनाडु का। वैसे ता सभी प्रदेशों से मिलकर हमारा हिन्दुस्तान बना है लेकिन ये चीजें यदि ब्यूरोक्रेट्स पर छोड़ दी जायेंगी तो किसी के हित में नहीं हो सकता। बाकी सब कुछ एक बहाना है। कोई भी प्राईवेट कम्पनी आज जब मार्केट में आती है तो दो–तीन साल बाद हम देखते हैं कि उसके 10 रुपये के शेयर की फेस वैल्यू बढ़कर 200-300 रुपये हो जाती है लेकिन सरकार के कार्पोरेशन्स में घाटा क्यों हो रहा है, सब नुकसान में क्यों जाते हैं और उनमें लगा हमारा पैसा कहां जा रहा है, उनका बैनीफीशयरी कौन है ?

देश में जितने कार्पोरेशन हैं, चाहे आपके डिपार्टमेंट हैं, वे सब नुकसान में जा रह हैं। वह पैसा किसको जाता है, लेकिन इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, इस स्ट्रीम में ये लोग नहीं

जाते हैं। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि जिसको हम छोड़ गए हैं, उस स्ट्रीम में पहुंचाने के लिए हमें काम करना चाहिए। जैसे ज.आर.वाई. का पैसा होता है, इसके बारे में मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इसका उपयोग बहुत प्रभावी ढंग से करना चाहिए। जैसे आपने 33 हजार करोड़ रुपया इस योजना में दिया है जो ज्यादा से ज्यादा हमारे बैकवर्ड को मिलने वाला है, परन्तु क्या होगा कि जो सचमुच बैनीफीशियरीज हैं, यह पैसा उनको नहीं जाएगा। इसलिए इस पैसे को उनको पहुंचाने के लिए निवेदन है कि आप ऐसे सब लोगों को आईडेंटिटी कार्ड दे दीजिए जो वास्तव में जरूरतमंद हैं और इन कार्ड धारियों को 10% पैसा दे दो। इससे क्या होगा, यह पैसा जमा होते–होते बढ़ता जाएगा। देश की जो वित्तीय संस्थाएं, जैसे आई.डी.बी. है या लघु बचत की संस्थाएं हैं या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, उसके माध्यम से उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करवा दें। इससे क्या होगा, वह पैसा बढ़ते–बढ़ते डेढ़–दो हजार तक हो जाएगा और इस प्रकार से उसका फ्लो बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से यदि होगा तो इसका फायदा हरेक परिवार को हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बार मैंने मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री जी से इस बारे में बात की थी कि जो पैसा आप सबसिडी के रूप में देते हैं, वह सब बाहर चला जाता है। इसलिए जो गरीब से गरीब आदमी हैं, आप उसी से शुरू करें कि उसको 4 हजार रुपए का इंदिरा विकास पत्र, या किसान विकास पत्र जैसा पत्र दे दें और उसको तीन साल में दुगने रुपए देने की बात भी रखें। यानी तीन साल में वह पैसा दुगना होना चाहिए। जब मैंने यह कहा, तो वित्त मंत्री बोले कि इससे तो सरकार दिवालिया हो जायेगी। आज आप बैंक में फिक्स्ड डिपाजिट करने पर 10% देते हैं, तो उसको 20% दे दें। उससे तीन साल में वह अपने आप डबल हो जाएगा। यह पैसा आपके मार्केट में नहीं घमेगा, आपके कंसालिडेटेड फंड में नहीं जाएगा, लेकिन रिजर्व बैंक आफ इंडिया में तो जाएगा। उनका पैसा लगेगा। इससे रीयल इन्वेस्टमेंट होगा और उसका हिस्सा उन लोगों को मिलेगा।

आप इतनी सुविधा दे चुके हैं, लेकिन उनके पास यह पैसा नहीं गया है, तो कम से कम यही पैसा उनके पास आ जाएगा। जैसे बाप अपने लड़के को इसलिए पढ़ाता है, पालता है, बड़ा करता है कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो उसको वह बुढ़ापे में सहारा देगा। उसी प्रकार से जब यह पैसा उसका बढ़ जाएगा, तो उसको इस पैस से बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी जो कि उसके बुढ़ापे का सहारा होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको ऐसी स्कीम बनाकर दें, तो इससे उनको रीयल मायने में फायदा होगा। जैसे हमने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कार्यक्रम रखा था कि हर साल हम 100 परिवारों का चयन इसमें करेंगे और इस प्रकार से धीरे–धीरे 300 परिवारों को हमने पांच साल में बैनीफिट दिया। आप हर साल उतने ही आदमियों को दीजिए जितनों को कवर कर सकते हैं। इससे 5-7 साल में सारे गरीब लोग कवर हो जाएंगे। कमिशनों पर फालतू खर्चा हो रहा है लेकिन वैल्फेयर के लिए आपके पास पैसा नहीं है। जब देखभाल करने वाले ही ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे तो बैनीफिशियरीज को क्या मिलेगा। आप कमपैरेटिव स्टडी कीजिए और जिनका काम अच्छा हो उनको बढ़ावा दीजिए। आप गाइडलाइन्स ऐसी बनाते हैं जो इम्प्लीमैंट नहीं हो पाती। गाइडलाइन्स ईजी होनी चाहिए।

आंध्र प्रदेश में मछली पकड़ने वाले बैकवर्ड क्लास में आते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब अपनी बात समाप्त कीजिए और किसी दिन मंत्री जी के साथ

बैठकर इस विषय में चर्चा कर सकते हैं।

श्री अनादि चरण दास : आज मैंने जो कुछ सुझाव दिए हैं, मैं आशा करता हूं कि आप उनपर विचार करेंगे। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री पी.पी. कालिया पेरूमल* (कुड्डालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्मानित सभा में प्रस्तुत संकल्प का स्वागत करते हुए मैं अपने प्रतिष्ठित सहयोगी श्री आर. अन्बारासु के प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन और स्वागत करता हूं। इस प्रस्तुत संकल्प में अधिकांश भारतीय लोगों की आहत भावनाओं को उजागर किया गया है। यद्यपि हमारी जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है परन्तु यह दुख की बात है कि वे अभी भी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इस बात का अनुभव करते हुए 1951 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अधिक जनसंख्या वाले आर्थिक और समाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के हितों के लिए, जोकि भारतीय समाज का एक प्रमुख वर्ग है, इसी सभा में एक संविधान संशोधन प्रस्तुत किया था। नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत यह संशोधन हमारे भारतीय संविधान का पहला संशोधन था क्योंकि कांग्रेस ने यह महसूस किया था कि समाज के कमजोर वर्गों के लोगों का उत्थान करना उसका कर्तव्य हैं। इसी संविधान संशोधन के कारण विभिन्न राज्यों में पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस कार्य को हमेशा याद रखेंगे। वे कृतज्ञता पूर्वक उनका समरण करते हैं।

वर्तमान सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लाभार्थ एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया है। यह एक प्रशंसनीय उपाय है। इसलिए हम श्री नरसिंहराव सरकार को उसके द्वारा इस दिशा में उठाए गये सही कदम के लिए धन्यवाद देते हैं। परन्तु साथ ही मैं पिछड़े वर्ग के लोगों की इस निराशा का उल्लेख करना चाहता हूं कि इस आयोग ने उन्हें पर्याप्त शक्तियां नहीं दी हैं।

इस आयोग के अतिरिक्त एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया गया है। परन्तु जब हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक आयोग की शक्तियों की तुलना इस आयोग की शक्तियों से करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि इस आयोग के साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार नहीं किया गया है। हम यह अनुभव करते हैं कि इसके साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया गया है।

मैं अल्पसंख्यक आयोग के कार्यों का उल्लेख करना चाहता हूँ :

आयोग निम्नलिखित कार्य करेगा अर्थात :

(क) संघ और राज्यों में अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का आंकलन करना ;

(ख) संविधान और संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा निर्मित कानून में प्रदान किए गये सुरक्षापायों के प्रवर्त्तन की निगरानी करना ;

(ग) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा हेतु सुरक्षापायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की सिफारिश करना ;

* मूलत: तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(घ) अल्प संख्यकों को उनके अधिकारों और सुरक्षापायों से वंचित रखने संबंधी शिकायतों की जांच करना और ऐसे मामलों पर संबंधित अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श करना ;

(ङ) अल्प संख्यकों के साथ भेदभाव बरतने से उत्पन्न समस्याओं के कारणों का अध्ययन करना और ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु उपायों की सिफारिश करना ;

(च) अल्प संख्यकों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों का अध्ययन, शोध और विश्लेषण करना ;

(छ) किसी अल्प संख्यक के संबंध में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किए जाने समुचित उपायों का सुझाव देना ;

(ज) अल्पसंख्यकों से संबंधित किसी मामले विशेषतः उनकी कठिनाइयों के बारे में केन्द्रीय सरकार को सामयिक अथवा विशेष रिपोर्ट देना ; और

(झ) केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य मामले पर विचार करना।

इस प्रकार अल्पसंख्यक आयोग को अल्पसंख्यकों के लाभार्थ और उनके कल्याण संबंधी सुरक्षापाय प्रदान करने की अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सभा को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को प्रदत्त शक्तियों से भी अवगत करना चाहता हूं। इसका पाठ इस प्रकार है :

(क) "आयोग के पास अपनी प्रक्रिया को नियमित करने की शक्ति होगी। इस संविधान के अन्तर्गत अथवा कुछ समय के लिए किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अथवा सरकार के किसी आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जिन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है, उनसे संबंधित सभी मामलों की जांच करना तथा उनपर निगरानी रखना और ऐसे सुरक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करना आयोग का कर्तव्य होगा"

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिकारों और सुरक्षापायों से वंचित रखने के संबंध में विशेष शिकायतों की जांच करना ;

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना में नाम लेना और इस संबंध में सलाह देना तथा संघ अथवा किसी राज्य के अन्तर्गत उनकी विकास प्रक्रिया का मूल्यांकन करना ;

(घ) इन सुरक्षोपायों के कार्यकरण संबंधी रिपोर्टों को प्रतिवर्ष अथवा किसी अन्य समय, जब आयोग उचित समझे, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना ;

(ङ) संघ अथवा किसी राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा,

कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इन सुरक्षोपायों तथा अन्य उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु क्या उपाय किए जायें, उन सिफारिशों की रिपोर्टें तैयार करना ; और

(च) संसद द्वारा विशेष नियम के अन्तर्गत बनाए गये उपबन्धों तथा विधि के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जैसा राष्ट्रपति उचित समझें।"

इस प्रकार मैंने इन दो आयोगों के कृत्यों और शक्तियों की व्याख्या की है और मैंने इस माननीय सभा को इनकी जानकारी दी है। और इसके साथ ही मैं आपको पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए गठित आयोग को जो भूमिका कृत्य तथा शक्तियां प्रदान की गई हैं, उनकी जानकारी दूंगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्याय–तीन, खण्ड 9 में यह कहा गया है .....

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय और लेंगे।

*** श्री पी.पी. कालिया पेरूपल** : मैं पन्द्रह मिनट और चाहता हूं। खंड 9 में कहा गया है :

"आयोग सूचियों में पिछड़े वर्ग के रूप में किसी वर्ग के नागरिकों को शामिल करने संबंधी अनुरोधों की जांच करेगा और इन सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व अथवा कम प्रतिनिधित्व देने संबंधी शिकायतों को सुनेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसी वह अचित समझे।"

अतः अब यह स्पष्ट हो गया है कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए स्थापित आयोग को सरकार द्वारा तैयार की गई पिछड़े वर्गों की सूचियों में जातियों को हटाने तथा शामिल करने के संबंध में पिछड़े वर्ग के समुदायों से शिकायतों को सुनने की ही शक्ति प्रदान की गई है। इस आयोग को और कोई शक्ति नहीं दी गई है। इसके अलावा, इस आयोग को पिछड़े वर्ग के लोगों के रहन सहन का स्तर, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका सामाजिक स्तर का अध्ययन तथा मूल्यांकन करने तथा यह पता लगाने कि उनके सामाजिक स्तर में कितना सुधार हुआ है, आर्थिक रूप से उन्होंने कितनी प्रगति कर ली है तथा नौकरियों और अन्य मामलों में उनके लिए किए गये आरक्षण से उन्हें कितना लाभ हुआ है, संबंधी कृत्य और शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। किन्तु, खेद है, कि आयोग को यह कार्य नहीं सौपा गया है। ऐसा क्यों? यही मेरा प्रश्न है। इस तरह का पक्षपात क्यों होना चाहिए? मैं यही पूछना चाहता हूं। आपने अल्पसंख्यक और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आयोगों की तरह पिछड़े वर्गों के आयोग को समान शक्तियां और समान दायित्व प्रदान क्यों नहीं किए हैं ? मैं इस आयोग को शक्तियों से वंचित करने के कारण जानना चाहता हूं। मैं सभा में उपस्थित माननीय कल्याण मंत्री महोदय से इस चर्चा में उनके उत्तर के दौरान इस विसंगति को स्पष्ट करने हेतु विनम्र अनुरोध करता हूं। यद्यपि आबादी में पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या सर्वाधिक है लेकिन उनमें से अधिकतर गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं और बिना आश्रय और आधारभूत सुविधाओं के जीवन यापन कर रहे हैं। वे शिक्षित भी नहीं हैं। वे सभ्य जीवन और सुविधाओं से वंचित हैं। वे अत्यधिक कष्टप्रद जीवन जी रहे हैं।

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इस समय जब हमने सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण प्रदान किया है मैं, केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में आरक्षण की स्थिति के बारे में भी बताना चाहुंगा। हमें यह भी पता होना चाहिए कि इनकी केन्द्र उनकी सरकार में कितनी भागीदारी है। मैं इस सम्मानित सभा के समक्ष इससे संबंधित कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहुंगा।

केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के पदों पर उच्च वर्ग के प्रशासकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के कर्मचारियों की 5.68% भागीदारी है और इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों की मात्र 4.61% भागीदारी है। परन्तु वहीं आकड़े समुदायों की भागीदारी कहीं अधिक है जोकि 89.93 प्रतिशत है।

भारत सरकार में द्वितीय श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का प्रतिशत 18.18 है और पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिशत केवल 10.63 है जबकि कुल पदों में से 71.19 प्रतिशत पदों पर अगड़े समुदायों के लोग आसीन हैं।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कुल पदों में से 24.40 प्रतिशत पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति आसीन हैं। पद मिले हैं। इसमें पिछड़े वर्ग के लोगां का प्रतिशत केवल 18.98 है। परन्तु, अगड़े समुदाय के लोगों की प्रतिशतता काफी अधिक अर्थात 56.52 प्रतिशत है।

यदि हम केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई कुल नौकरियों और विभिन्न समुदायों के बीच इसके वितरण की प्रतिशतता की जांच करेंगे तो यह पायेंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजायिों को 18.72 प्रतिशत हिस्सा मिला है और पिछड़े वर्ग को बहुत थोड़ा हिस्सा मिला है जो 12.55 प्रतिशत है जबकि अगड़े समुदाय के लोगों का हिस्सा अत्यधिक अर्थात् 68.73 प्रतिशत है। केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में नौकरियों के आरक्षण की वर्तमान स्थिति यह है। इन आंकड़ों के विश्लेषण से यह तथ्य उजागर होता है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है और देश की कुल आबादी में पिछड़े वर्ग के लोगों की बहुतायत होने के बावजूद उन लोगों को अन्य समुदाय के लोगों की अपेक्षा बहुत कम हिस्सा मिल रहा है। यहां पक्षपात किया गया है। अतएव, मैं अपनी बात दोहराना चाहुंगा कि पिछड़े वर्गों के लिए आयोग को अतिरिक्त शक्तियां मिलनी चाहिए। श्री बी. पी. मंडल ने मात्र नौकरियों में आरक्षण सिफारिश नहीं की है। उनकी अध्यक्षता में आयोग ने पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कुछ अन्य सिफारिशें की हैं। मंडल ने यह टिप्पणी की है कि कोई समुदाय केवल नौकरियों में आरक्षण से ऊपर नहीं उठ सकता हैं ऐसे समुदायों को समाज में ऊपर उठने के लिए कई प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। ऐसी बात कहने के बाद मंडल ने यह भी कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में भी 27% आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़े वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति में भी आरक्षण दिये जाएं। उन्होंने आगे यह भी सिफारिश की है कि पिछड़े वर्ग की रिक्तियों को पिछड़े वर्ग के उपयुक्त उम्मीदवारों के अभाव में न भरे जाने के कारण उन पदों पर अन्य अगड़े समुदाय के उम्मीदवारों की तुरन्त भर्ती न की जाए। इस तरह की रिक्तियों को कम से कम तीन वर्षों तक अन्य समुदायों के कोटे में अंतरित न किया जाए जैसा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कोटे के मामले में प्रावधान है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संमुदायों को दी जाने वाली आयु सीमा की छूट की सुविधा पिछड़े वर्ग के लोगों को भी दी जाए। मंडल आयोग ने सरकार को सौंपे गए अपने प्रतिवेदन में ये सभी सिफारिशें की हैं। अन्य सभी वर्गों के लिए भी रोस्टर प्रणाली उसी प्रकार लागू की जायेगी जैसी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू की जाती है।

नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करके ही इतिश्री मान लेना प्रर्याप्त नहीं है। उन्हें आर्थिक रूप से ऊपर उठने के लिए सहायता प्रदान की जानी चाहिए। पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्रों में स्थानों पर उनके लाभार्थ आवासीय विद्यालय शुरू किए जाने चाहिए। इसके लिए विशेष कोंचिग केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए। श्री मंडल ने यह भी सिफारिश किया है कि उन्हें उद्यम शुरू करने के लिए सहायता दी जानी चाहिए। और उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा ऐसे उपयुक्त निकाय स्थापित किए जाने चाहिए जो इन पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक प्रगति में योगदान करें।

उन्होंने उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। उन्होंने वर्तमान उत्पादन संबंध में आमूल बदलाव करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उत्पादन संबंधों के बारे में बड़े पैमाने पर बदलाव अथवा मूलभूत परिवर्तन किए जाने से ही पिछड़े वर्ग के लोगों का आर्थिक विकास हो सकता है। तभी 52 प्रतिशत आबादी जिसमें अधिकतर लोग गरीबी–रेखा के नीचे रहते हैं, को ऊपर उठाया जा सकता है। मंडल आयोग की रिपोर्ट में यह बात स्पष्ट रूप से कही गयी है।

आज हम नौकरियों में मात्र 27 प्रतिशत आरक्षण देकर संतुष्ट हैं। मैं नहीं समझता कि हमें इस पर गर्व करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि वर्तमान सरकार मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करेगी। पिछड़े वर्ग आयोग को यह निगरानी करने का अधिकार दिया जाना चाहिए कि सरकार उन सिफारिशों को क्रियान्वित करती है अथवा नहीं तथा उन सिफारिशों को लागू किए जाने की आवश्यकता है अथवा नहीं और यदि उन्हें लागू किया गया है तो कब लागू किया गया है और क्या इन्हें सही ढ़ंग से लागू किया गया है। मेरी इस सरकार से यही मांग है।

इस आयोग को लोकपाल की भूमिका अदा करनी चाहिए। इस संबंध में इस आयोग को प्रर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिए। इस महान सभा के माध्यम से मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह पिछड़े वर्ग की इस तत्कालिक आवश्यकता पर ध्यान दें। मैं पिछड़ा वर्ग आर्थिक विकास निगम के गठन का स्वागत करता हूं। मैं इस निगम के क्रियाकलाप का मूल्यांकन करना चाहूंगा। मुझे शंका है कि इस निकाय ने अपनी सीमा से बहार जा कर अपने उद्देश्य का उल्लंघन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई थी। यह समय 5.36 म.प. पर समाप्त हो जाएगी। क्या सदन समय सीमा को एक घंटे और बढ़ाए जाने पर सहमत हैं? अभी दो अन्य सदस्यों का बोलना और मंत्री महोदय का उत्तर देना शेष है। अतः समय सीमा को एक घंटे और बढ़ाया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय : फिलहाल हम लोग समय सीमा का एक घंटा बढ़ाते हैं और फिर बाद में देखेंगे। माननीय सदस्य अपना वक्तव्य जारी रखें।

*** श्री पी.पी. कालिया पेरूमल :** मैं जानना चाहूंगा कि क्या पिछड़ा वर्ग आर्थिक विकास निगम ठीक ढंग से कार्य कर रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस निगम के गठन का लाभ पिछड़े वर्ग के वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। साथ ही इस अभियान का लाभ पिछड़े वर्ग के सबसे कमजोर लोगों को उपलब्ध कराए जाने को भी सूनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगात है कि आर्थिक विकास निगम पिछड़े वर्ग के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर तबके के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति में विफल रहा है। और उन्हें लाभ नहीं पहुंचा पाया है। तमिलनाडु में इसी तरह का एक निगम है। मुझे तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आर्थिक विकास निगम के अधिकारियों से यह जानकारी मिली है कि गरीब लोगों के अनुरोध को ठुकरा दिया जाता है। उनके लिए गांरटीकर्ता को लाना आवश्यक है। उनसे पूछा जाता है कि क्या उनके पास कोई सम्पत्ति है अथवा क्या वे व्यक्तिगत बांड भर सकते हैं। वे लोग जो गारंटियां देते हैं उन्हें निगम के समक्ष जाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि यह माना जा सकता है कि वैसे लोग आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं। मैं समझता हूं कि निगम अपने गठन के उद्देश्य पर ही प्रश्न चिहन खड़ा करता है क्योंकि यह सिर्फ सम्पन्न लोगों को ही ऋण देता है।

इस महान सभा के माध्यम से मैं माननीय कल्याण मंत्री से इस बात की निगरानी करने के लिए कहूंगा कि आर्थिक विकास निगम अपने गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य कर रहा है।

यह कहा जाता है कि सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से अन्य देशों की तुलना में भारत ने सबसे अधिक कानून बनाए हैं। यह भी कहा जाता है कि भारत को छोड़ किसी अन्य देश ने अपने ही द्वारा बनाए कानूनों का इतना अधिक उलंघन नहीं किया है। सरकार ने सामाजिक आर्थिक विकास सूनिश्चित करने हेतु सैकड़ों कानून बनाए हैं। लेकिन उनका उचित क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। वे लागू नहीं किए जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति यही है। अतः हमारा प्रथम कर्तव्य कानून का लाभ वास्तविक लोगों को सूनिश्चित कराना होना चाहिए। मेरा यह प्रबल विचार है कि पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने हेतु बने कानूनों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने का अधिकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को दी जानी चाहिए। मैं सरकार से इस आयोग को और अधिकार दिए जाने का अनुरोध करता हूं। मैं सिर्फ पिछड़ी जाति की स्थिति जानने का ही इच्छुक नहीं हूं बल्कि मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के बारे में भी चिंतित हूं। उन लोगों के विकास एवं उन्नति के लिए बनी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कालरायन हिल्स नामक एक पर्वतीय क्षेत्र है। अनुसूचित जनजाति के लाखों लोग वहां रहते हैं तथा उन्होंने हाल ही में मुझे पत्र भेजा है। उनकी यह शिकायत है कि उन्हें सड़क, पेय जल आपूर्ति, बिजली और स्कूलों की उचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि जो स्कूल अभी चल रहे हैं उनमें भी शिक्षकों की भारी कमी है तथा वहां शिक्षक महीने में एक या दो बार ही दिखाई देते हैं। दोपहर के भोजन केन्द्र भी बन्द ही पड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि प्राधिकारियों से अपने जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में भी उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पड़ता है। उन्होंने अपने प्रतिवेदनों में अपनी तकलीफों का वर्णन किया है। परन्तु दूसरा कोई परिणाम नहीं निकला है। अतः मैं इस [illegible] के माध्यम से मंत्री जी से यह पुरजोर अपील करता हूं कि वे कालरायन हिल्स की जनजातियों के प्रति सद्भाव दिखलाएं। मेरी आप से यह भी प्रार्थना है कि आप व्यक्तिगत रूप से या अपने विभाग द्वारा यह पता लगाएं और इस पर निगरानी रखें कि उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं, अथवा नहीं।

हम कहीं पर भी पाई गई इनमें से किसी खामी को अनदेखी नहीं कर सकते। अब तक मैंने पिछड़ा वर्ग आयोग को और अधिक शक्तियां दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं अनुसूचित जाति, जनजाति एवम् अल्पसंख्यकों संबंधी राष्ट्रीय आयोगों की कार्य पद्धति के बारे में तथा इन समुदायों के लोगों की स्थिति के बारे में बात कर रहा था। क्या अगड़ी जाति समुदाय संबंधित ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी दशा शोचनीय है और जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं तथा जिन्हें ऐसे किन्ही भी समाज कल्याण उपायों का फायदा नहीं मिल रहा है अवश्य दें। प्रत्येक समुदाय में ऐसे लोगों की अच्छी खासी संख्या है। गरीब या गरीबी की कोई जाति नहीं होती, इनका कोई धर्म, संप्रदाय या राज्य नहीं होता है तथा इनकी कोई राजनीतिक भूमिका भी नहीं होती है। समाज में प्रत्येक संप्रदाय या वर्ग में गरीब लोग हैं। इसलिए आर्थिक बदहाली से जूझ रहे ऐसे गरीब लोगों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करना अति आवश्यक है। मुझे नहीं मालूम है कि किस आधार पर उच्चतम न्यायालय ने इसे संविधान की मूल भावना का हनन करने वाला बताया है। मेरे विचार में यह घोर पाप है। अगड़ी जाति में भी आर्थिक रूप से कमजोर और इसी के परिणाम स्वरूप सामाजिक रूप से निर्बल वर्ग के लोग शोचनीय जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। अतः केन्द्रीय सरकार से मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि वे संविधान में संशोधन करने हेतु, ऐसा विधान प्रस्तुत करें जिससे कि अगड़ी जातियों के गरीब लोगों को नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जा सके। हम अन्य समुदायों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देते हैं। इसी के अनुरूप आरक्षण की यह सुविधा अगड़ी जाति के छांटे गए सबसे पिछडे वर्ग को दी जाए। सरकार का यह कर्तव्य है कि यह सुविधा उन लोगों को दी जाए। वे भी मानवजाति के ही अंग हैं। उनके प्रति हमारा मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। वे भले ही अगड़ी जातियों से सम्बन्धित हों, लेकिन उनकी सारी आवश्यकताएं इस वजह से ही पूरी नहीं हो जाती हैं। उन्हें प्रतिस्पर्धा की इस दुनिया में अपना अस्तित्व कायम रखना है। उनका आर्थिक उत्थान सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। एतैव, सच्चे दिल से इस सामाजिक उपाय को करने के लिए सवैंधानिक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

पिछड़े वर्गों के लोगों को या तो 69% आरक्षण मिलना चाहिए या फिर उनकी जनसंख्या में अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। केन्क्रीय सरकार से मेरा यह आग्रह है कि इसे सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संवैधानिक संशोधन लाया जाए। इस तरह समाज के आर्थिक तथा समाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग बहुसंख्य में होते हुए भी उपेक्षित हैं तथा उन्हें दर किनार कर दिया गया है। वह दिन दूर नहीं है जब वे एक जुट होकर अपनी आवाज उठाएंगे। वे इसका बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। यदि वे सभी एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करने को तैयार हो जाएं तो कुछ भी हो सकता है और हम यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं कि हमारे लिए क्या कुछ देखने को रह जाएगा।

हम लोकतान्त्रिक देश के नागरिक हैं। इसलिए हमें समाज के सुविधाओं से वंचित लोगों की वेचैनी और परेशानी भरी आवाज को अवश्य ही सुनना चाहिए। हमें उन्हें दर किनार नहीं करना चाहिए तथा उन्हें वंचित रखकर उनकी ओर अपमान तथा भेदभाव पूर्ण ढंग से नहीं देखना चाहिए। उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से ऊपर उठाने तथा सामाजिक असंतुलन के पंजे से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इसी के साथ इस वाद–विवाद में अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में आदिकाल से अनुसूचित जाति और जनजातियां रहती आ रही हैं। मै तो यह कहूंगा कि हमारे देश का इतिहास अनुसूचित जाति और जनजातियां से शुरू होता है। आदम और हौवा का किस्स हमने सुना है। वे वनवासी थे, सम्भवतः वे भी किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के थे। मानव वहीं से पैदा हुआ, वहीं से शुरू हुआ। इसलिए हमारी संस्कृति में, हमारे देश में इन जातियों का बहुत महत्व है और रहेगा। आज से लगभग पांच–दस हजार साल पहले रामायण की कथा लिखी गयी। भगवान राम ने जन्म लिया। उस समय छुआछूत नहीं थी। सह कहानी हमें याद है, रामायण में लिखी हे जब भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाये। शबरी भी एक आदिवासी थी, जो आज अनुसूचित जाति में आती है। यह हमारे देश का इतिहास है। छुआछूत तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में बाद में आया। इसे खत्म करना हम सबका परम कर्त्तव्य है।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की अलग संस्कृति है। उसको संस्कृति से सबसे बड़ा धक्का उस समय लगा जब हमारे देश में अंगरेजों का राज आया। अंगरेज शासकों ने इनमें भेदभाव फैलाया और आदिवासी संस्कृति जो उस समय जंगल में फल–फूल रहीं थी, उसको खत्म करने का प्रयास किया। देश आजाद हुआ, हमारे नेताओं ने इस पर ध्यान दिया और अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम निरंतर केन्द्र शासन ने बनाये। स्वीर्गीय इंदिरा गांधी के समय में इस ओर विशेष कदम उठाये गये, विशेष योजनायें बनाई गईं। जो बीस सूत्री कार्यक्रम इंदिराजी ने हमें दिया उसमें अनुसूचित जाति–जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कई कार्यक्रम रहे। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मेरे साथियों ने सदन में बताये हैं। केन्द्र शासन का निरंतर प्रयास रहा और आज भी है कि किस तरह हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आगे बढ़ायें।

उपाध्यक्ष महोदय, जो आरक्षण केन्द्र शासन ने किया है उसका हम स्वागत करते हैं और पूरजोर समर्थन करते हैं। जो योजनायें हम बनाते हैं, अभी हमारे उड़ीसा के भाई ठीक कह रहे थे कि उसमें जो शासकीय तंत्र रहता है, वह सम्भवतः जो नीचे तबके का आदिवासी है, जो जंगलों में रहता है। उस तक सहायता पहुंचाने में असमर्थ हैं। उसका कारण यह है कि सरकार ने जितने कमीशन और बोर्ड अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये बनाये हैं, उनके दफ्तर दिल्ली या राज्य की राजधनी में होते हैं। इसलिये प्रयास यह करना चाहिए कि ब्लाक स्तर पर इन कार्यक्रमों को गति दी जा सके। हमारे मध्य प्रदेश में पंचायत राज्य चल रहा है तो इसलिये पंचायतों के माध्यमों से इन योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिये। इसमें ऐसी संस्थाओं को शामिल करें जो शासकीयतंत्र से संबंध नहीं रखती हो। स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से इन योजनाओं को

क्रियान्वित किया जाए। इनमें स्वयंसेवी संस्थायें हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिये काम करती हैं। और जंगलों तक इनको पहुंचाने में समर्थ हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि जिस विषय का मैं उल्लेख कर रहा हूं वे राज्य से संबंधित हैं लेकिन इनका उल्लेख यहां पर आवश्यक है और मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी राज्य शासन के लोगों से मिलकर इसपर विचार करेंगे। हमारे मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता होता है। जहां पर लाखों आदिवासी पत्ता तोड़ने का काम करते हैं। इससे वे अपनी आजिविका कमाने का काम करते हैं। तेदूपत्ता का व्यापार सरकार के पास है लेकिन मेरा सुझाव है कि जो लोग पत्ता तुड़ाई का काम करते हैं, उनको व्यापार का अधिकार दिया जाये यानि वे बाजार में ले जाकर पत्ता बेचें और उससे जो आमदनी हों, उस पर उनका हक होना चाहिये। इसका कारण यह है कि वह भीषण गर्मी में काम करता है और उसको ही इस मेहनत का फल मिलना चाहिये। यह पत्ता हर वर्ष आता है और यदि तेंदूपत्ते को फारेस्ट शैड्यूल से निकाल देंगे तो इसको क्रियान्वित किया जा सकता है। यदि आदिवासी बाजार में तेंदू पत्ता बेचने जाता है तो सरकार भी और व्यापारी भी उसको खरीद सकता है। बरसात के दिनों में उसे बहुत ही कठिनाई होती है क्योंकि उन दिनों उसको मजदूरी नहीं मिलती है इसलिए तेंदूपत्ता बेचने से जो आमदनी होगी उससे वह आने वाले कुछ महीनों के लिये अपना जीवन यापन कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में बस्तर जिला है जहां पर बाहुल्य आदिवासियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का है। वहां की कला विश्व विख्यात है और वहां के लोगों के लिए जो योजना बनायी गयी है, वे उन लोगों के लिये हैं और वहां के सभी लोगों को नौकरी देना संभव नहीं है। इसलिये आवश्यक है कि उन लोगों के लिये कोई विशेष योजना बनायें जिससे उन लोगों को लाभ हो। इससे वहां की कला को बढ़ावा मिलेगा और उन कलाकृतियों को विदेशों में भेजकर जो मुद्रा प्राप्त होगी, उससे उन आदिवासियों के लिए लाभकारी योजना बनायी जा सकती है। उनके द्वारा बनाये गये चित्रों को प्रदर्शनी में रखकर जो आमदनी हो, उससे सहकारी समितिओं में आदिवासियों के लिये लाभ का हिस्सा रखा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर मंत्री महोदय विचार करेंगे।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री अन्बारासु द्वारा लाए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करता हूं। वे पिछड़े समुदायों के कल्याण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रीय आयोग के कार्यों का विस्तार करने हेतु भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जाने के लिए यह संकल्प लाया गया है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए हमने कई सरकारी स्तर के आयोगों तथा निगमों की स्थापना की है। लेकिन इन समुदायों के लोग इन आयोगों तथा निगमों के कार्य से संतुष्ट नहीं हैं। वे इन लोगों के लाभ के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं।

अतः माननीय मंत्री से मेरा यह नम्र निवेदन है कि वे इन समुदायों के लिए इन आयोगों से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करें।

इन आयोगों पर भारत सरकार अत्यधिक धनराशि खर्च करती है। इन आयोगों के अतिरिक्त कई अन्य सांविधिक निकाय हैं लेकिन वे क्या कर रहे हैं ? केवल कुछ नौकरशाहों को वेतन एवं अन्य सुविधाएं मिलती हैं परंतु जिन लोगों के लिए इन आयोगों का गठन किया गया है उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं भारत सरकारर से यह पुरजोर आग्रह करता हूं कि वह आवश्यक कदम उठाए ताकि ये आयोग तथा अन्य सांविधिक निकाय ठीक से कार्य कर सकें।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन आयोगों की सिफारिशों को भी लागू किया जाए। हमारा यह मानना है कि इन आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप ये आयोग पिछड़े समुदायों के लिए अर्थहीन हो गए हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति न्याय होना चाहिए क्यों कि वे अपनी आवश्यकताओं को प्रति सरकार के सकारात्मक रूख की आशा करते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी।

मैं माननीय सदस्य श्री अन्बारासु को इस सभा में यह संकल्प प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी.सी. चाक्को अब अपना भाषण शुरू करें।

श्री पी.सी. चाक्को (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि मैं अपना भाषण निर्धारित समय में पूरा नहीं कर पाऊंगा। फिर भी, बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं।

मैं अपने माननीय सहयोगी श्री अन्बारासु को इस सभा में इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। यह संकल्प अत्यंत महत्वपूण मुद्दे के संबंध में है जिससे समाज प्रभावित होता है। इस मुद्दे के परिणामों के प्रति समाज अधिक से अधिक सजग हो गया है।

पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा किया गया था परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि इस आयोग को कोई कार्यवाही करने की पर्याप्त शक्ति—मैं इसे पर्याप्त प्रभावी शक्ति कहता हूं— नहीं है। इस संकल्प का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी आयोग की गतिविधियों को बढाने तथा वर्तमान आयोग का विस्तार करने अथवा उनके कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चाक्को, आप बाद में भाषण दे सकते हैं।

सभा 8 अगस्त, 1994 को 11.00 म. पू. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.00 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा 8 अगस्त, 1994/17 श्रावण, 1916 (शक) सोमवार ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।